संदर्भ/Ref: TAG/RES/NSE/2023-24/339
दिनांक/Date: July 31, 2023

The Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051

Sub: Submission of Annual Report of the Bank for the FY 2022-23

Dear Sir/Madam,

May we refer to Regulation 53(2) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. In this regard, we are enclosing herewith the Annual Report for the FY 2022-23.

This is for your kind information and record.

For Export Import Bank of India

भवदीय / Yours faithfully,

| SIDDHI | Digitally signed by SIDDH SHASHANK KELUSKAR +05'30' |
| :---: | :---: |
| SHASHANK |  |
| KELUSKAR |  |
| (सिद्धी केळुसक | iddhi Kelus |
| अनुपालन | Complia |



विस्तृत जानकारी के लिए
लॉग ऑन करें
eximbankindia.in
www.eximbankindia.in


## विषय-सूची

## 04-48 <br> परिचालन परिदृश्य

वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय ..... 04
कंपनियों को दक्ष बनाना
निदेशक मंडल ..... 06
प्रबंध निदेशक का वक्तव्य ..... 08
हमारा प्रबंधन ..... 11
वित्तीय कार्य निष्पादन ..... 12
उद्योग और अर्थव्यवस्था का परिदृश्य ..... 14
प्रमुख क्षेत्रों में भारत का निर्यात निष्पादन ..... 18
निदेशकों की रिपोर्ट
परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन की समीक्षा ..... 21
निर्यात वित्तपोषण ..... 27
निर्यात स्पर्धात्मकता का सृजन ..... 32
नवोन्मेषी कार्यक्रमों के जरिए एमएसएमई ..... 35
को सहायता
संवर्धन और विकास भूमिका ..... 39
संस्थागत अवसंरचना ..... 43
49-75
सांविधिक रिपोर्टें
कॉर्पोरेट गवर्नैंस ..... 49
76-114
वित्तीय विवरण
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ..... 76
तुलन पत्र ..... 80
लाभ एवं हानि लेखा ..... 81
वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में अनुसूचियां ..... 82
नकदी प्रवाह विवरण ..... 85
115-119
निर्यात विकास कोष
निदेशकों की रिपोर्ट ..... 115
वित्तीय विवरण ..... 116

बीते चार दशकों से ज़्यादा समय से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के वित्तपोषण, सुगमीकरण और संवर्धन में भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की अहम भूमिका रही है। बैंक, अपने विभिन्न उत्पादों के जरिए भारतीय कंपनियों को व्यवसाय चक्र के हर चरण में सहयोग करते हुए उनके वैश्वीकरण प्रयासों में एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। बैंक की वित्तीय सुविधाएं भारत के निर्यातकों की विभिन्न ज़रूरतों के मुताबिक तैयार की गई हैं। इनमें प्रौद्योगिकी का आयात, निर्यात योग्य उत्पादों का विकास, विनिर्माण, मार्केटिंग, शिपमेंट और बाजार तक पहुंच व वैल्यू चेन लिंकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

एक पॉलिसी बैंक के रूप में, भारत सरकार की विकास साझेदारियों को सुगम बनाने में भी एक्ज़िम बैंक की अहम भूमिका रही है। भारत सरकार की ओर से एक्ज़िम बैंक द्वारा मित्र देशों को उनकी विकास प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में सकारात्मक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालती है, हालांकि यह उच्च मूल्य-वर्धित और प्रौद्योगिकीगहन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए अनेक अवसर निर्मित करता है।

बैंक के स्टेकहोल्डर भी बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न मूल्य-वर्धित सेवाओं से लाभान्वित होते हैं। इनमें शोध, मार्केटिंग में सहायता, ग्रासरूट उद्यमों के लिए क्षमता विकास कार्यशालाएं और प्रशिक्षण व सेमिनारों, वेबिनारों और एक्ज़िम मित्र पोर्टल के जरिए सूचनाओं के प्रसार जैसी कई सेवाएं शामिल हैं।

बैंक आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरण संबंधी अपने उत्तरदायित्व को भी समझता है और इसे ध्यान में रखते हुए अपने सभी परिचालनों में संवहनीयता (सस्टैनेबिलिटी) को लेकर प्रतिबद्ध है। यहां बैंक का फोकस दोतरफा है- "हरित का वित्तपोषण" और "वित्त का हरितीकरण"। बैंक हरित क्षेत्रों में कंपनियों और परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर "हरित का वित्तपोषण" करता है। वहीं ऋण मूल्यांकन में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस (ईएसजी) संबंधी जोखिम आकलन को एकीकृत कर

सक्रियता से "वित्त का हरितीकरण" करता है। यह दोतरफा दृष्टिकोण उत्तरदायित्वपूर्ण और पर्यावरण के प्रति जागरूक वित्तपोषण सुनिश्चित करता है।

भारत की अध्यक्षता में जी-20 की थीम है, "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" जो इस विश्वास में रची-बसी है कि हमारा विश्व परस्पर जुड़ा हुआ और परस्पर निर्भर है। यह थीम बैंक के विज़न, गतिविधियों और व्यवसाय संस्कृति में भी झलकती है। भारतीय कंपनियों को उनके अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रयासों में सहायता कर बैंक एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देता है जो परस्पर और ज्यादा जुड़ा हो। भारत सरकार की विकास साझेदारी के एजेंट के रूप में बैंक विकासशील देशों में संपोषी और समावेशी आर्थिक विकास में सहयोग के जरिए अहम भूमिका निभाता है। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में इन गतिविधियों और अधिक अनुकूल, संपोषी और समृद्ध भविष्य के निर्माण की बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

100\%
स्वामित्व भारत
सरकार का

## 40+

साल का अनुभव,
मध्यम से दीर्घावधि
निर्यात ऋण में

## पॉलिसी बैंक

मित्र देशों की विकास
प्राथमिकताओं में सहायक

## सुदृढ़



स्थिति

## निवेश ग्रेड <br> क्रेडिट रेटिंग

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा संप्रभु रेटिंग के समान

विज़न
भारतीय व्यवसायों का वैश्वीकरण और मित्र देशों के विकास में सुदृढ़ सहयोग करना।


मिशन
भारतीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाना और वित्तीय, सामाजिक व पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में मित्र देशों की विकास प्राथमिकताओं में सहयोग प्रदान करना।

## वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय कंपनियों को दक्ष बनाना

बढ़ती वैश्विक मौजूदगी

ऋण-व्यवस्थाएं
एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण
वाणिज्यिक क्रेता ऋण
(1) विदेशी निवेश वित्त

व्यापार सहायता कार्यक्रम
गारंटियां
मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं


## निदेशक मंडल

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक


व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक


श्री अशोक कुमार गुप्ता
कर परामर्शदाता

अन्य संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के निदेशक


श्री आर. सुत्रमणियन
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक


प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आईडीबीआई बैंक लि.


श्री दिनेश कुमार खारा

> अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक


श्री ए.एस. राजीव प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र


श्री एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ईसीजीसी लि.


श्री मातम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पूर्णकालिक निदेशक


सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक


श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक


## प्रबंध निदेशक का वक्तव्य



भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव चरण से अमृत काल की ओर बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ रही है भारत के विकास की कहानी। भारत के विकास की यह कहानी पूरी तरह से सकारात्मक बनी हुई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, भू-राजनीतिक संघर्ष, लगातार मुद्रास्फीति के रुझान और सख्त मौद्रिक नीतियों की विशेषता वाले चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भी भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच तेजी से विकास करने वाले एकमात्र देश के रूप में उभरा है।

वर्ष के दौरान, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के योगदान के साथ 7 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि दर्ज की। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर अच्छी रही और सेवा क्षेत्र में व्यापक आधार पर सुधार देखा गया। औद्योगिक क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे / विनिर्माण वस्तुओं ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। विवेकाधीन खर्च में सुधार, उपभोक्ताओं का मजबूत विश्वास और भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश

पर ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक वृद्धि को अच्छा समर्थन मिला।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, यह वर्ष भारत से निर्यात के लिए एक और रिकॉर्ड वर्ष था, जिसमें कुल निर्यात 774 बिलियन यूएस डॉलर था। कुल 451 बिलियन यूएस डॉलर के मर्चेंडाइज़ निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और मोटर वाहन जैसे उच मूल्य वर्धित और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा था, जिससे भारत के निर्यात कमोडिटी मूल्य चक्रों के प्रभाव से बचे रहे। परियोजना निर्यात, जो किसी देश की तकनीकी परिपक्रता और औद्योगिक क्षमता का संकेत है, ने भी अच्छी वृद्धि प्रदर्शित की।

जिस प्रकार भारत अपनी जी 20 की अध्यक्षता के दौरान समावेशी, लचीले और सतत विकास के लिए सामूहिक कार्रवाई की ओर प्रतिबद्ध है उसी प्रकार एक्ज़िम बैंक भी एक नए दृष्टिकोण के साथ 'भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण और मित्र देशों के सशक्तिकरण और विकास' के लिए अपने व्यावसायिक संचालन को संरेखित कर रहा है।

## व्यवसाय एवं वित्तीय परिणाम

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो ₹ $1,345.23$
बिलियन रुपये रहा जिसमें 14.37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। कॉर्पोरेट लोन बुक में 35 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक विकास माहौल को दर्शाता है। बैंक के गैर निधिक पोर्टफोलियो, जिसमें मुख्य रूप से परियोजना से संबंधित गारंटियां शामिल हैं, में भी वर्ष के दौरान 11.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने और साझेदार देशों की विकास प्राथमिकताओं का सहयोग करने के लिए कुल ₹ 798 बिलियन की ऋण सुविधाओं को मंजूरी दी। यह सहायता निर्यात-उन्मुख उत्पादन, भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय कंपनियों की वैश्वीकरण महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान दे रही है।

बैंक के कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता मजबूत बनी हुई है और करीब 85 प्रतिशत पोर्टफोलियो को निवेश ग्रेड की रेटिंग प्राप्त है । यथा 31 मार्च, 2023 तक निवल एनपीए निवल ऋण का 0.71 प्रतिशत रहे। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 95.56 प्रतिशत का रहा जिससे भविष्य में पुराने एनपीए की समस्या से निजात मिलेगी।

बैंक ने मुख्य रूप से बेहतर मार्जिन, शुल्क आधारित आय में वृद्धि और कुशल देयता प्रबंधन के कारण परिचालन लाभ में 14.98 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लाभप्रदता के अपने ट्रैक को बनाए रखा। वर्ष के दौरान, बैंक का कर पश्चात लाभ दोगुने से अधिक बढ़कर ₹ 15.56 बिलियन हो गया।

भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज़) के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली ऋण-व्यवस्थाओं के माध्यम से, बैंक मित्र देशों में विभिन्न महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में सहायता कर रहा है। यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक ने 31.85 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 68 देशों को 303 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं। ये ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय कंपनियों को नए बाजारों में अवसर प्रदान करते हुए मित्र देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं। यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक द्वारा प्रद्त्त ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत 14 बिलियन यूएस डॉलर की 928 संविदाएं कवर की गईं जिनसे विभिन्न पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में 300 भारतीय कंपनियां तथा उनसे जुड़ी लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की कंपनियां लाभान्वित हुईं। हम विकास साझेदारी कार्यक्रमों को सुगम बनाने की हमारी क्षमता में निरंतर विश्वास के लिए भारत सरकार के आभारी हैं।

## मध्यम अवधि की व्यवसाय रणनीति

पिछले लगभग 4 दशकों की अवधि के दौरान भारत और विश्व के आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। जहां बैंक ने इस गतिशील और रूपांतरकारी परिदृश्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखी वहीं इस बात की जरूरत भी महसूस की गई कि अपनी बदलती प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एक भविष्यगामी रोडमैप तैयार किया जाए। तदनुसार बैंक ने अपने परिचालनों की समग्र समीक्षा की और एक मध्यम अवधि के लिए व्यवसाय रणनीति (एमटीबीएस) तैयार की। अपने परिवर्तित विजन और मिशन के अनुरूप यह रणनीति परियोजना निर्यातों के

वित्तपोषण में अपनी प्रमुख हिस्सेदारी बनाए रखते हुए भारत के लघु एवं मध्यम क्षेत्र को सहायता देने, भावी निर्यात संभाव्यता वाले बड़े क्षेत्रों को सहयोग बढ़ाने, सम्पूर्ण एलओसी साइकल के दौरान अपनी भूमिका बढ़ाने, नए उत्पाद की सुपुर्दगी में डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाने, पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) प्रतिबद्धताओं को लागू करने तथा भारत तथा भौगोलिक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर फोकस करती है।

एमटीबीएस के अनुरूप, बैंक ने परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से एलओसी के कार्यान्वयन और निगरानी को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। एलओसी परियोजनाओं की पहचान करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, खरीद प्रक्रियाओं में तेजी लाने और परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक समर्पित बुनियादी ढांचा समूह का गठन किया गया है। बैंक ने एक गतिशील निगरानी मंच नेत्रा (न्यू ई-ट्रैकिंग और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन) भी विकसित किया है जिसे माननीय वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म एलओसी के तहत कवर की गई परियोजनाओं के बारे में सुगम और सहज तरीके से रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। संशोधित आइडियाज़ दिशानिर्देशों और मॉडल दस्तावेजों के टूलकिट के साथ नेत्रा प्लेटफॉर्म, भारत विकास सहयोग के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात्र करेगा।

अपनी रणनीति के एक हिस्से के रूप में, बैंक ऐसी एमएसएमई इकाइयों, जो निर्यातउन्मुख हैं या निर्यात करने की क्षमता रखते हैं, के सामने आने वाली वित्तपोषण चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। बैंक का उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) उन भारतीय कंपनियों की पहचान और पोषण कर रहा है, जो प्रौद्योगिकी, उत्पाद या प्रक्रियाओं में विशिष्टता रखते हुए अच्छी निर्यात संभाव्यता रखती हैं। यूएसपी के तहत, बैंक ने 42 कंपनियों को ₹ 6 बिलियन से अधिक की ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं और भारतीय एमएसएमई इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इक्रिटी विंडो भी लॉन्च की है। कार्यक्रम के तहत समर्थित कंपनियों में, कई ऐसी हैं जो प्रौद्योगिकी में अग्रणी हैं, स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांति ला रही हैं और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अभिनव समाधान प्रदान कर रही हैं। बैंक कंपनियों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर रहा है और वैश्विक निर्यात बाजार में उनकी पहुंच

बढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यूएसपी के तहत समर्थित कई कंपनियां भारत द्वारा अपनी जी 20 अध्यक्षता में प्रस्तावित थीम 'पर्यावरण के लिए जीवनशैली' आंदोलन को अपनाने के लिए दुनिया को अभिनव समाधान प्रदान कर सकती हैं।

इसके अलावा, वैश्विक वातावरण में हाल की चुनौतियों को देखते हुए, हमारी नई पहल व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई को उनकी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने में सहायता कर रही है। टैप के तहत, बैंक विकासशील, उभरते और अप्रयुक्त बाजारों में बैंकों पर भुगतान जोखिमों को कवर करने के लिए आंशिक या पूर्ण गारंटी प्रदान करता है। पायलट चरण में ही, बैंक ने टैप के तहत 122 लेनदेनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे 31 मार्च, 2023 तक विभिन्न क्षेत्रों में 304.76 मिलियन यूएस डॉलर के वृद्धिशील निर्यात को सुविधा मिली है। यह कार्यक्रम व्यापार निपटान में विश्वास बढ़ाकर नए भौगोलिक क्षेत्रों का दोहन करने में व्यवसायों को मदद प्रदान करता है।

बैंक ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए सस्टैनेबिलिटी के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को सक्रिय रूप से संरेखित किया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 'सतत विकास/उत्तरदायी वित्तपोषण के लिए अपनी पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन नीति' को मजबूत किया। इस नीति के तहत बैंक की क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में ईएसजी जोखिम मूल्यांकन को एकीकृत किया गया है। बैंक के प्रत्येक ऋण प्रस्ताव की पूरी तरह से जांच की जाती है और उसका ईएसजी जोखिम मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे सभी क्रेडिट निर्णयों में ईएसजी फ़ैक्टर्स पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है ताकि सस्टैनेबल और जिम्मेदार वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

जनवरी 2023 में, बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेम वर्क के तहत 1 बिलियन यू एस डॉलर का 10 साल का सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया, जिससे बैंक भारत का सबसे बड़ा एकल किश्त निवेश-ग्रेड ईएसजी बॉण्ड जारीकर्ता बन गया है। निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया बैंक की सस्टैनेबिलिटी प्रतिबद्धता में उनके विश्वास को प्रदर्शित करती है। इस निर्गम के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को हमारे ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत छह हरित और चार सामाजिक क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाएगा।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, बैंक बड़े पैमाने पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों ग्रासरूट उद्यमों और कारीगरों को सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्रासरूट उद्यमों के लिए डिजाइन, उत्पाद और पैकेजिंग कार्यशालाओं के माध्यम से अपना समर्थन जारी रखा। बैंक ने स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, शिक्षा और खेल, कौशल विकास, आजीविका सहायता और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है।

बैंक भारत सरकार की 'निर्यात हब के रूप में जिले' (डीईएच) पहल के अनुरूप अपनी ग्रासरूट पहलों को संरेखित कर रहा है। वर्ष के दौरान, हमने मुजफ्फरपुर, बिहार में लीची की खेती को बढ़ावा देने और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लाल मिर्च के बागान को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेप किया। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देना है।

अपनी शोध पहलों के माध्यम से, बैंक भारत में नीति निर्माण को सहायता प्रदान कर रहा है। हमने भारत सरकार के साथ जुड़कर देशों/ क्षेत्रों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौतों से भारत के लिए अवसरों पर शोध अध्ययन किए हैं। बैंक ने अपने इन-हाउस विकसित एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स मॉडल का उपयोग करके भारत के निर्यात के बारे में तिमाही पूर्वानुमान भी दिए हैं जो उल्लेखनीय रूप से सटीक रहे हैं। यह पहल बैंक को भारत के निर्यात के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थान देती है। वर्ष के दौरान, बैंक ने बारबाडोस में निर्यात क्रेडिट एजेंसी की स्थापना के लिए परामर्श सेवाओं के माध्यम से भागीदार देशों में नीति विकास की सुविधा भी प्रदान की।

## निदेशक मंडल से मार्गदर्शन

बैंक के निदेशक मंडल में अत्यंत अनुभवी सदस्य हैं जो बैंक को उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में बैंक का मार्गदर्शन करते हैं। इनमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे निदेशक - श्री दम्मू रवि, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ; श्री सुचिन्द्र मिश्रा, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; और श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य

विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। हमने विभिन्न संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों की विशेषज्ञता से लाभान्वित और सीखना जारी रखा, जिनमें मेरे सहयोगी और बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री एन रमेश के अलावा श्री आर सुब्रमण्यन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड; श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक और सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड; श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ; और श्री एम वी राव, प्रबंध निदेशक और सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। बैंक को श्री अशोक कुमार गुप्ता, कर सलाहकार के मार्गदर्शन से भी लाभ हुआ है, जो हमारे बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित उपलब्धियां आप सबके समर्थन के बिना संभव नहीं थीं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की प्रधान सलाहकार सुश्री रूपा दत्ता; और श्री राजकिरन राय जी., प्रबंध निदेशक और सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप निदेशक पद छोड़ने के कारण बैंक के बोर्ड में भी बदलाव हुए हैं। बैंक निदेशक के रूप में उनके अमूल्य योगदान को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है और हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

मैं बैंक के बोर्ड में श्री तरुण शर्मा का भी स्वागत करना चाहंगी, जिन्होंने 18 अप्रैल, 2023 को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तरुण ने एक्जिम बैंक में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया और मजबूती से आगे बढ़े। मुझे यकीन है कि वह अपनी नई भूमिका में जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे।

अन्य बातों के साथ-साथ बैंक का एक सशक्त संस्थागत फ्रेमवर्क है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना, सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति और एकीकृत कोषागार सहित सुदृढ़ संस्थागत ढांचा है जो बैंक के कार्य-निष्पादन का आधार है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बैंक की उपलब्धियों को इसके कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता और परिश्रम को रेखांकित किए बिना दर्ज नहीं किया जा सकता है। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी के समर्पण और योगदान के लिए अपना आभार और प्रशंसा व्यक्त करती हूं।

## आगे की राह

विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक भारत से 2 ट्रिलियन यू एस डॉलर के निर्यात को प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो 2021-22 में निर्यात के स्तर का लगभग तीन गुना है। एक्ज़िम बैंक में, हम इस विकास यात्रा में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। हम अल्पावधि में एमएसएमई के लिए वित्तपोषण की कमी को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी सहित दीर्घावधि में प्रौद्योगिकीगहन परियोजना निर्यात के लिए मध्यम से दीर्घकालिक वित्तपोषण सहायता के अपने पारंपरिक क्षेत्रों को मजबूत कर रहे हैं। टैप के तहत, हम व्यापार निपटान प्रणाली में विश्वास बढ़ाने और अपेक्षाकृत अप्रयुक्त भौगोलिक क्षेत्रों में वृद्धिशील निर्यात की सुविधा के लिए तत्पर हैं। हम सस्टैनेबल फायनेंसिंग में सबसे आगे रहने की भी इच्छा रखते हैं और ऐसी परियोजनाओं और व्यवसायों का समर्थन करते हैं जो सभी के लिए एक बेहतर और सस्टैनेबल दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारी विकास रणनीति के हिस्से के रूप में, अपने विभिन्न हितधारकों की प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए, हम नए कार्यालयों की स्थापना करके और नए उत्पाद विकसित कर अपनी भौतिक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैंक वर्तमान में गुजरात इंटरनैशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में एक सहायक कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह नई सहायक कंपनी हमारे ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात/आयात फैक्टरिंग सहित व्यापार वित्त उत्पाद प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अमृत काल में, निर्यात के वित्तपोषण, सुगमीकरण और बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता 'भारतीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाने और वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार संस्थान के रूप में भागीदार देशों की विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करने' संबंधी हमारे नए मिशन के साथ और मजबूत हुई है।

## छखंबगारी

## हर्षा बंगारी

प्रबंध निदेशक


## वित्तीय कार्य निष्पादन

कुल व्यवसाय ..... (₹ बिलियन में)
वित्तीय वर्ष 19 2,093
वित्तीय वर्ष 21 ..... 2,512
वित्तीय वर्ष 23 ..... 2,923
निवल निवेश ..... (₹ बिलियन में)
वित्तीय वर्ष 19 ..... 93
वित्तीय वर्ष 20 ..... 108
वित्तीय वर्ष 21 ..... 100
वित्तीय वर्ष 22 ..... 109
वित्तीय वर्ष 23 ..... 123
कर पश्चात लाभ(₹ मिलियन में)
वित्तीय वर्ष 19820

| वित्तीय वर्ष 20 | 1,240 |
| :--- | :--- |
| वित्तीय वर्ष 21 | 2,540 | वित्तीय वर्ष 22 7,380

वित्तीय वर्ष 23 ..... 15,560
ग्राहक आस्ति पोर्टफोलियो ..... (₹ बिलियन में)

वित्तीय वर्ष 19 1,077
वित्तीय वर्ष 20 ..... 1,153
वित्तीय वर्ष 21 ..... 1,181
वित्तीय वर्ष 22 ..... 1,329
वित्तीय वर्ष 23 ..... 1,515

निवल ऋण पोर्टफोलियो
(₹ बिलियन में)

| वित्तीय वर्ष 19 | 936 |
| :--- | :---: |
| वित्तीय वर्ष 20 | 994 |
| वित्तीय वर्ष 21 | 1,039 |
| वित्तीय वर्ष 22 |  |

वित्तीय वर्ष $23 \longrightarrow 1,345$

सीआरएआर
(\% में)

| वित्तीय वर्ष 19 | $19.07 \%$ |  |
| :--- | :--- | :--- |
| वित्तीय वर्ष 20 | $20.13 \%$ |  |
| वित्तीय वर्ष 21 |  | $25.89 \%$ |
| वित्तीय वर्ष 22 |  | $30.49 \%$ |
| वित्तीय वर्ष 23 | $\mathbf{2 5 . 4 3 \%}$ |  |

प्रावधान कवरेज अनुपात
(\% में)

| वित्तीय वर्ष 19 |
| :--- |$\quad 84.72 \%$

उधारियां
(₹ बिलियन में)

| वित्तीय वर्ष 19 | 923 |  |
| :--- | :---: | :---: |
| वित्तीय वर्ष 20 | 1,052 |  |
| वित्तीय वर्ष 21 | 1,096 |  |
| वित्तीय वर्ष 22 | 1,075 |  |
| वित्तीय वर्ष 23 |  | $\mathbf{1 , 2 8 4}$ |

## उद्योग और अर्थव्यवस्था का परिदृश्य

## (3) <br> IIII

## वैश्विक अर्थव्यवस्था

विश्व अर्थव्यवस्था को 2022 में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन में संघर्ष, बढ़ती मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंकों की सख्ती ने आर्थिक वृद्धि पर दबाव जारी रखा। तथापि, कई देशों में श्रम बाजार में निरंतर सुधार जैसे कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि सख्त मौद्रिक नीति, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, वित्तीय स्थितियों में गिरावट और यूक्रेन में जारी संघर्ष के चलते 2023 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2.8 प्रतिशत तक ही रहेगी।

## वास्तविक जीडीपी वृद्धि (\%)


—— विश्व
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
नोट: पू. - पूर्वानुमान, आ - आकलन
स्वोत: 'आईएमएफ वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक', अप्रैल 2023


## भारतीय अर्थव्यवस्था

मजबूत घरेलू मांग और निर्यातों के चलते 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, यूक्रेन में जारी संघर्ष और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण मुद्रास्फीति लगभग 6.7 प्रतिशत रही। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2022-23 में ब्याज दरों को छह बार बढ़ाया।

सरकार बुनियादी ढांचागत और सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च को बढ़ाते हुए वृद्धि की राह में आने वाले जोखिमों को कम करने के उपाय कर रही है।

## भारत की आर्थिक वृद्धि



नोट
बैगनी रंग के बॉक्स में आंकड़े बिलियन यूएस डॉलर में नॉमिनल जीडीपी को दर्शाते हैं
सं.पू. - संशोधित अनुमान; अ.अनु. - अग्रिम अनुमान
स्वोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार


स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार


नोटः *कृषि और संबद्ध उत्पादों में चाय, कॉफी और समुद्री उत्पाद शामिल हैं
स्त्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

## भारत के शीर्ष 10 वस्तु आयात (2022-23)

(बिलियन यूएस डॉलर)


नोट: *कृषि और संबद्ध उत्पादों में चाय, कॉफी और समुद्री उत्पाद शामिल हैं
स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार


स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक

## प्रमुख क्षेत्रों में

भारत का निर्यात निष्पादन

ऑटोमोटिव उत्पाद


民20223 4.82\%
(बिलियन यूएस डॉलर में)


टेक्सटाइल्स एवं संबद्ध उत्पाद

30.4


पूंजीगत वस्तुएं

(बिलियन यूूस डॉलर में)

## हिस्सा $2022-23$

39.0 (~) 36.0

इलेक्ट्रॉनिक्स

15.0


पेट्रोलियम उत्पाद


## 

(बिलियन यूसस डॉलर में)


रसायन और संबंधित उत्पाद

56.3
57.4


दवाइयां और फार्मासूटिकल्स


## हिस्सा 2022-23 $5.35 \%$



कृषि उत्पाद*

37.8
32.5

*कृषि उत्पादों में प्लांटेशन और समुद्री उत्पाद शामिल नहीं हैं।


# परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन की समीक्षा 

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी। जिससे बैंक के व्यवसाय में वृद्धि होने के साथ-साथ कॉर्पोरेट लोन बुक में अच्छी वृद्धि देखी गयी। इसका गुणात्मक प्रभाव आर्थिक वृद्धि नवोन्मेष और रोजगार सृजन पर पड़ा। बैंक प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने और भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों को सहायता प्रदान करते हुए भारत सरकार के सहभागी विकास कार्यक्रमों में भी सहभागी बना। वर्ष के दौरान, बैंक न केवल अपनी आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने में सफल रहा बल्कि अपने परिचालनों को भी सुदृढ़ किया।


ऋण आस्तियां
बैंक ने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 669.69 बिलियन के ऋण अनुमोदित किए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित किए गए कुल ₹ 548.08 बिलियन के ऋणों के मुकाबले इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण संवितरण ₹ 648.75 बिलियन के रहे, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संवितरित ₹ 522.71 बिलियन के ऋण से $19 \%$ की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण चुकौती की राशि ₹ 423.90 बिलियन थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यह चुकौती ₹ 546.83 बिलियन की रही। बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण निर्यातों को सुगम बना रहे हैं, भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताएं विकसित कर रहे हैं, निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ा रहे हैं, निर्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने, निर्यात बाजारों का विविधीकरण करने और उनके वैश्वीकरण में सहयोग कर रहे हैं।

यथा 31 मार्च, 2023 को निवल ऋण आस्तियां ₹ 1345.23 बिलियन की रहीं, जिनमें गत वर्ष की तुलना में 14.37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। निवल ऋण आस्तियों में से 26 प्रतिशत रहे और 74 प्रतिशत ऋण और अग्रिम विदेशी मुद्रा में रहे। मध्यम से दीर्घावधि के निर्यात ऋण

प्रदान करने के बैंक के कोर मैंडेट के अनुसार, यथा 31 मार्च, 2023 को निवल ऋणों का अधिकांश (82 प्रतिशत) हिस्सा मध्यम से दीर्घावधि ऋणों का रहा, जबकि अल्पावधि ऋण निवल ऋणों और अग्रिमों के 18 प्रतिशत रहे।


## गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की ₹ 140.55 बिलियन राशि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 127.96 बिलियन की गैर-निधिक ऋण सुविधाएं मंजूर कीं। इनमें परियोजना गारंटियां, वित्तीय गारंटियां और साख पत्र शामिल रहे। वित्तीय वर्ष 2021-22 की ₹ 39.84 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 39.12 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं। वहीं जारी किए गए साख पत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 के ₹ 9.35 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 14.45 बिलियन के रहे।

बैंक का कुल गैर-निधिक पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2022 को ₹ 152.47 बिलियन था, जो यथा 31 मार्च, 2023 को 11.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ मंजूर ऋण सुविधाओं की बढ़ती उपयोगिता के ट्रेंड के साथ ₹ 170 बिलियन का हो गया। बैंक की बहियों में गारंटियां

यथा 31 मार्च, 2022 को ₹ 145.37 बिलियन की तुलना में, यथा 31 मार्च, 2023 को ₹ 162.23 बिलियन की रहीं। वहीं साख पत्र, यथा 31 मार्च, 2022 के ₹ 7.10 बिलियन की तुलना में, यथा 31 मार्च, 2023 को ₹ 7.77 बिलियन के रहे। बैंक द्वारा जारी की गई गारंटियों से परियोजना निर्यातकों को निर्यात और डीम्ड निर्यात कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने और निष्पादित करने में सहायता मिली है।


आय / व्यय
ऋणों पर ब्याज, विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज और शुल्क आदि को मिलाकर कारोबारी आय वित्तीय वर्ष 2021-22 की ₹ 46.67 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 77.69 बिलियन की रही। बैंक जमा राशियों पर ब्याज सहित निवेश आय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के ₹ 36.97 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 37.18 बिलियन की रही। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्याज व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 25.99 बिलियन बढ़कर ₹ 75.56 बिलियन का रहा। प्रशासनिक खर्च, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान को छोड़कर), वित्तीय वर्ष 2021-22 के 5.27 प्रतिशत की तुलना में

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम होकर 4.21 प्रतिशत पर रहा।

बैंक ने सामान्य निधि लेखे में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 21.50 बिलियन के मुकाबले, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 20.89 बिलियन का कर पूर्व लाभ दर्ज किया। आयकर के लिए ₹ 5.33 बिलियन का प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 15.56 बिलियन का रहा, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7.38 बिलियन का था। इस लाभ में से ₹ 14 बिलियन की राशि आरक्षित निधि में अंतरित की गई। शेष ₹ 1.56 बिलियन की राशि, भारतीय निर्यातआयात बैंक अधिनियम, 1981 के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार को अंतरित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निर्यात विकास कोष का कर पूर्व और कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 114.41 मिलियन और ₹ 85.61 मिलियन का रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यह ₹ 123.46 मिलियन का था।


## उधारियां

यथा 31 मार्च, 2023 को बाजार उधारियां कुल उधारियों की 100 प्रतिशत और बैंक के कुल संसाधनों की 87 प्रतिशत रहीं। बैंक के संसाधन आधार में रुपया बॉन्ड, जमा पत्र, वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा, रुपया मीयादी ऋण, विदेशी मुद्रा बॉन्ड, विदेशी मुद्रा ऋण और दीर्घावधि स्वॉप शामिल रहे। यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की कुल उधार राशियां ₹ $1,284.23$ बिलियन की रहीं, जो यथा 31 मार्च, 2022 को ₹ $1,074.77$ बिलियन की तुलना में 19.49 प्रतिशत अधिक रहीं। वर्ष के दौरान, बैंक उचलागत उधारियों के देयता प्रबंधन में सफल रहा, परिणामस्वरूप परिपक्रता अवधि बढ़ने के साथ लागत में कमी आई।


## संसाधन

यथा 31 मार्च, 2023 को ₹ 159.09 बिलियन की चुकता पूंजी और ₹ 47.18 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹ 1490.51 बिलियन के रहे।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अलग-अलग परिपक्वता अवधियों के कुल ₹ 728.67 बिलियन के संसाधन जुटाए। इनमें ₹ 443.87 बिलियन के रुपया संसाधन और 3.47 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। ₹ 66.30 बिलियन के रुपया संसाधन रुपया बॉन्डों और सावधि ऋणों के जरिए तथा ₹ 377.57 बिलियन अल्पकालिक मुद्रा बाजार उपकरणों के जरिए जुटाए गए। 1.26 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा संसाधन बॉन्डों के जरिए, 1.50 बिलियन यूएस डॉलर द्विपक्षीय / क्लब / सिंडिकेटेड ऋणों के जरिए और 706.23 मिलियन यूएस डॉलर स्वॉप ऋणों के जरिए जुटाए गए। यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक के विदेशी मुद्रा संसाधन 13.08 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य और ₹ 257.53 बिलियन के बकाया रुपया संसाधन रहे।


## 1 बिलियन यूएस डॉलर की सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने विभिन्न उपकरणों के माध्यम से 3.47 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए। बैंक ने जनवरी 2023 में पर्यावरणीय सामाजिक गवर्नेंस (ईएसजी) फ्रेमवर्क के अंतर्गत 144ए/रेग एस फॉर्मेट में 1 बिलियन यूएस डॉलर का अपना 10 वर्षीय संपोषी बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया। इस निर्गम के साथ बैंक भारत का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ट्रांच ईएसजी निर्गमकर्ता (इशूअर) रहा।

इंडिया आईएनएक्स जीएसएम ग्रीन प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला यह सबसे बड़ा सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड निर्गम है। सामाजिक, हरित और संपोषी वित्तपोषण को समर्पित अफ्रीनेक्स के प्लेटफॉर्म, एफेक्स ग्रीन पर सूचीबद्ध होने वाला यह पहला सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड है। इन सबके अलावा, इस बॉन्ड को लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध किया गया है।

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, बैंक के पहले सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड में निवेशकों की रुचि को देखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अपना दूसरा सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड जारी किया।


## संसाधन विविधीकरण

बैंक विभिन्न मुद्राओं और संबंधित स्वॉप कर्व्स को लगातार ट्रैक करता रहा है। यूएसडी / एसजीडी स्वॉप कर्व के तुलनात्मक रूप से आकर्षक स्तरों के चलते और मुद्रा विविधीकरण के उद्देश्य से बैंक ने दिसंबर 2022 में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जीएमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत 15 मिलियन एसजीडी का एक वर्षीय बॉन्ड जारी किया। इस निर्गम के जरिए बैंक ने एक दशक बाद एसजीडी संसाधन जुटाए। इससे बैंक को एक नई मुद्रा में विविधीकरण करने, अपने निवेशक आधार को बड़ा करने तथा अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजारों में बैंक की स्थिति को और सुस्थापित करने में मदद मिली।

अब तक बैंक ने विविध मुद्राओं में विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए हैं। यूएस डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानी येन के अलावा बैंक द्वारा अब तक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, हांगकांग डॉलर, मेक्सिकन पेसो, ऑफशोर रेन्मिन्बी, सिंगापुर डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, स्विस फ्रैंक और तुर्किश लीरा में संसाधन जुटाए जा चुके हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने बैंकों से द्विपक्षीय ऋणों और बॉन्डों के निजी प्लेसमेंट के जरिए भी निधियां जुटाई। बैंक ने कोविड-19 से संबंधित भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए 'जापान बैंक फॉर इंटरनैशनल

को-ऑपरेशन' और तीन जापानी निजी वित्तीय संस्थाओं से 100 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण जुटाया।


## लाइबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर में अंतरण (ट्रांज़िशन)

बैंक की बैलेंस शीट का एक बड़ा हिस्सा डॉलरीकृत है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूएसडी लाइबोर से जुड़ा है। 30 जून, 2023 के बाद लाइबोर के लागू नहीं होने के कारण तथा लाइबोर ट्रांजिशन के लिए बैंक के रोडमैप को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वैकल्पिक बेंचमार्क दरों को अपनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंक ने इस अंतरण से होने वाली संभावित समस्याओं, विशेषकर डेरिवेटिव, उधारी और ऋण संबंधी लेनदेनों के समाधान के लिए अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया है। इससे बैंक वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) से जुड़े नए ट्रांज़ैक्शन भी कर सकता है। इस अंतरण के बारे में लगातार जागरूकता पैदा करने और अपने नए व मौजूदा ग्राहकों की सहायता करने के लिए बैंक ने लाइबोर अंतरण को लेकर सामान्यतया प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न यानी एफएक्यू अपनी वेबसाइट में प्रकाशित किए हैं।

बैंक ने लाइबोर से जुड़ी अपनी आस्तियों, देयताओं और डेरिवेटिव एक्सपोज़र तथा संबंधित ब्याज और बेंचमार्क पुनर्निर्धारण को भी मैप किया है। इस अंतरण को सुगम बनाने के लिए बैंक ने 'आईएसडीए 2020 आईबोर फॉलबैक्स प्रोटोकॉल' का भी पालन किया है। इससे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों के लिए वैकल्पिक बेंचमार्क दर अपनाने का जोखिम कम से कम रहने की उम्मीद है। बैंक ने लाइबोर समाप्ति की तारीख काफी पहले ही लाइबोर से जुड़े अपने मौजूदा गैर-यूएसडी मुद्रा एक्सपोज़र को भी सफलतापूर्वक अंतरित कर लिया है।


## आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, उस ऋण / कर्ज को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके संबंध में देय ब्याज और/या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो। बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां यथा 31 मार्च, 2022 की ₹ 43.47 बिलियन ( 3.56 प्रतिशत) की तुलना में यथा 31 मार्च, 2023 को ₹ 56.97 बिलियन की रहीं, जो बैंक के कुल ऋणों और अग्रिमों का 4.09 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की अनर्जक आस्तियां (प्रावधानों को घटाकर) ₹ 9.48 बिलियन की रहीं, जो बैंक के निवल ऋणों और अग्रिमों (प्रावधानों को घटाकर) का 0.71 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2023 को प्रावधान कवरेज अनुपात 94.56 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान सकल एनपीए में उल्लेखनीय वृद्धि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत बैंक के क्रेता ऋण कार्यक्रम के तहत एक संप्रभु उधारकर्ता को एक्सपोज़र में चूक के चलते रही।


## आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियां' वे होती हैं जिनका ब्याज और/या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया होता है। ऐसी अवमानक आस्तियां यदि 12 महीने से अधिक अवधि के लिए अनर्जक आस्ति के रूप में बनी रहती हैं तो उन्हें ‘संदिध्ध आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियां' वे होती हैं जो वसूली योग्य नहीं समझी जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2023 को सकल अनर्जक आस्तियों में 61.99 प्रतिशत की अवमानक आस्तियां रहीं और 38.01 प्रतिशत संदिग्ध आस्तियां रहीं। यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की कोई हानि आस्तियां नहीं रहीं।


## पूंजी पर्याप्तता

जोखिम भारित आस्तियों के तुलना में पूंजी का अनुपात आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मुकाबले यथा 31 मार्च, 2023 को 25.43 प्रतिशत रहा। वहीं 31 मार्च, 2022 को यह 30.49 प्रतिशत था। ऋण-इक्विटी अनुपात यथा 31 मार्च, 2022 के 5.59 की तुलना में यथा 31 मार्च, 2023 को 6.23 रहा।


## अधिकतम ऋण सीमा (एक्सपोज़र) मानदंड

यथा 31 मार्च, 2023 को एकल उधारकर्ताओं और उधारकर्ता समूहों पर बैंक का ऋण एक्सपोज़र आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा (कुल पूंजी निधियों का क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत) के भीतर रहा। उपरोक्त एक्सपोज़र मानदंड भारत सरकार द्वारा गारंटित ऋण एक्सपोज़र पर लागू नहीं होते हैं। ठीक यही बात, भारत सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते से व्यापक ऋण बीमा के अंतर्गत कवर प्राप्त ऋण एक्सपोज़रों पर भी लागू होती है। बैंक द्वारा प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए तय की गई ऋण सीमा, सभी उद्योग क्षेत्रों के लिए बैंक के कुल ऋण एक्सपोज़र का 15 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2023 को वैयक्तिक उद्योग क्षेत्रों के लिए बैंक का कोई भी एक्सपोज़र इसके कुल उद्योग एक्सपोज़र के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा।


## अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय रेटिंग

बैंक को मूडीज द्वारा बीएए3 (स्थिर), एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा बीबीबी - (स्थिर), फिच रेटिंग्स द्वारा बीबीबी - (स्थिर) और जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग दी गई है। वर्ष के दौरान बैंक का आउटलुक बेहतर होकर ऋणात्मक से स्थिर हो गया। उपरोक्त सभी, निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग हैं जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समान हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों की क्रिसिल और इक्रा रेटिंग एजेंसियों से दीर्घावधि ऋण लिखतों के लिए उच्चतम रेटिंग यानी 'एएए (स्थिर)' और अल्पावधि लिखतों के लिए ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है। सावधि जमा राशियों को क्रिसिल ने एएए (स्थिर) और इक्रा ने एएए (स्थिर) रेटिंग दी है।


## मध्यम अवधि की व्यवसाय रणनीति

पिछले लगभग 4 दशकों से बैंक भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस अवधि के दौरान भारत और विश्व के आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। जहां बैंक ने इस गतिशील और रूपांतरकारी परिदृश्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखी वहीं इस बात की जरूरत भी महसूस की गई कि अपने सभी हितधारकों की बदलती जरूरतों को और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए बैंक के मिशन और विजन सहित बैंक के बिजनेस मॉडल, उत्पाद और सेवाओं तथा संगठनात्मक ढांचे की भी एक बार समीक्षा की जाए। तदनुसार बैंक ने अपने कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने, अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों की उत्कृष्ट पद्धतियों के साथ बेंचमार्किंग करने एवं हितधारकों के परामर्श से एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परामर्शक की नियुक्ति की।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मध्यम अवधि की व्यापार रणनीति (एमटीबीएस) लागू की है। एमटीबीएस उभरती प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के साथ बैंक के विजन और मिशन को अलाइन करते हुए आठ प्रमुख तत्वों को कवर करने वाली एक व्यापक रणनीति को प्रदान करता है। अगले पांच साल की अवधि में, बैंक का उद्देश्य परियोजना निर्यात के वित्तपोषण में अपना नेतृत्व बनाए रखना और भारतीय परियोजना निर्यातकों की अगली पीढ़ी के विकास का सहयोग करना है। इस रणनीति में ऋण पोर्टफोलियो में त्वरित वृद्धि की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें भावी निर्यात क्षमता वाले बड़े क्षेत्रों पर केंद्रित वाणिज्यिक ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, रणनीति सस्टैनेबल वित्त प्रदान करने में बैंक की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है और इसका उद्देश्य निर्यातक भारतीय कंपनियों को ईएसजी अनुरूप बनने में सक्षम बनाना है। बैंक अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो में ग्रीन फाइनेंसिंग की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता

है और क्रेडिट ड्यू-डिलिजेंस प्रक्रिया में मजबूत ईएसजी मानकों को अपनाना चाहता है।

जहां बैंक विदेशी निवेश वित्त, दीर्घकालिक क्रेता ऋण और निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए वित्तपोषण जैसे मौजूदा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, वहीं इसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए कार्यक्रम शुरू करना भी है ताकि उनकी अव्यक्त निर्यात क्षमताओं को उजागर किया जा सके। इस संबंध में, बैंक ने व्यापार सहायता कार्यक्रम की शुरुआत और गुजरात इंटरनैशनल फाइनेंस टेक-सिटी में व्यापार वित्त के लिए प्रस्तावित सहायक कंपनी खोलने जैसे ठोस कदम उठाए हैं। एमएसएमई पर अपने बढ़ते फोकस के साथ, बैंक वाणिज्यिक बैंकों / वित्तीय संस्थानों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करेगा और विशेष रूप से 'निर्यात हब पहल के रूप में जिले के तहत निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम शुरू करेगा।

एक नीतिगत बैंक के रूप में, भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था पोर्टफोलियो बैंक के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना रहेगा। बैंक का उद्देश्य साझेदार देशों द्वारा सुविधा के बेहतर उपयोग और इनके विकासात्मक प्रभाव को और प्रभावी बनाने के लिए एलओसी परियोजनाओं के जीवनचक्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना है।

एमटीबीएस में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक अपनी संगठन संरचना और मानव संसाधन रणनीति में बदलाव कर रहा है, प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है और अपनी भौगोलिक पहुंच का विस्तार कर रहा है। बैंक भारतीय निर्यातकों को दिए जाने वाले अपने उत्पाद और सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों के अधिक से अधिक उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा, बैंक अपने हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बना रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 रणनीति अवधि का पहला वर्ष है, जिसमें बैंक का प्रदर्शन एमटीबीएस में अनुमानों के अनुरूप रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ऋण पोर्टफोलियो और परिचालन लाभ के लक्ष्यों को पार कर लिया है।

बैंक ने मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के विस्तार और पोर्ट लुई एवं कुरेपिप के बीच लाइट रेल ट्रांज़िट सिस्टम के निर्माण के लिए निधिक सहायता प्रदान की है। इससे देश में किफ़ायती और तीव्रतर आवागमन की सुविधा मिल रही है। इस परियोजना से सड़कों पर यातायात कम हुआ है और कनेक्टिविटी में सुधार आया है। इससे सड़कों पर जाम और भीड़ से होने वाले प्रत्यक्ष और आकस्मिक क्षतियां कम हुई हैं। इसके अलावा, यह परियोजना लोगों को परिवहन का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करेगी, जिससे निजी वाहनों का इस्तेमाल कम होगा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। यह परियोजना मॉरीशस को पर्यटन तथा व्यवसाय के लिहाज से भी एक आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल, जीवंत और आकर्षक गंतव्य के


बैंक के ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत तंज़ानिया में दार एस सलाम और चालिंजे क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए दी गई सहायता से इस क्षेत्र में लगभग 200,000 लोगों को स्वच्छ पेय जल मिल रहा है। यह परियोजना यहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाने और स्थानीय समुदायों में सतत विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। ऐसी परियोजनाओं


## निर्यात वित्तपोषण

> बैंक भारतीय निर्यातक कंपनियों को एक व्यापक वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है, जिसमें निधिक सहायता सहित परियोजना संबंधी गारंटियाँ शामिल हैं। बैंक निर्यात ऋण के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है, जिसमें परियोजना निर्यात के लिए वित्तपोषण, परामर्शी सेवाएँ, पूंजी उपकरण वित्त, परिजोजना निर्यात नकदी घाटे का वित्तपोषण और गारंटियाँ शामिल हैं।


## निर्यात संविदाएँ

वर्ष के दौरान बैंक ने 30 से अधिक भारतीय कंपनियों द्वारा एशिया- प्रशांत, अफ्रीका, दोनों अमेरिका और यूरोप में प्राप्त किए गए 75 निर्यात संविदाओं को 5.30 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की सहायता प्रदान की है । वर्ष के दौरान एक्जिम बैंक द्वारा साहायता प्रदान की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :


बैंक ने चिली में एक सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण हेतु एक भारतीय कंपनी को सहायता दी। इससे कंपनी को लैटिन अमेरिकी बाजार में एक मजबूत आधार बनाने में मदद मिली।


बैंक ने यू ए ई में एक समुद्री जल के रिवर्स ओसमोसिस परियोजना का निष्पादन करने वाली एक कंपनी की सहायता की है। यह परियोजना जल के डिसैलीनेशन के लिए ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देती है। इस कंपनी का यू ए ई में यह पहला आदेश था जो कंपनी की तकनीकी क्षमताओं और नवोन्मेषी समाधान प्रदान करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है।


बैंक ने नेपाल में अरुण-3 परियोजना के सिविल कार्यों के निष्पादन को सुगम बनाया। यह नेपाल में सबसे बड़ी परियोजना है और नेपाल में भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश भी है। परियोजना के निर्यात से होने वाले लाभों के साथ-साथ इसने भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' को भी बढ़ावा दिया है।


बैंक ने कुवैतसऊदी अरब संपर्क परियोजना के अंतर्गत कुवैत में एक कंपनी को एक बड़ी ट्रांसमीशन लाइन परियोजना को प्राप्त करने में मदद की है। यह कंपनी कुवैत में एक बार फिर प्रवेश कर मध्य पूर्व बाज़ारों में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। यह परियोजना खाड़ी देशों के बीच बेहतर पॉवर वितरण में मदद करेगी।

बैंक ने फिलीपींस में एक बड़ी कागज निर्माता कंपनी की विनिर्माण इकाई में एक मदजल उपचार संयंत्र लगाने में मदद की है। इससे कागज निर्माता कंपनी को प्रभावी पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित के साथ ही जल प्रदूषण को कम करके सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने में मदद मिली है।


## निर्यात ऋण और गारंटियां

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने परियोजना निर्यातों के लिए भारतीय निर्यातकों को क्रेता ऋण और निधिक / गैर-निधिक सहायता के जरिए कुल ₹ 156.62 बिलियन के निर्यात ऋणों और गारंटियों को अनुमोदित किया। वर्ष के दौरान ₹ 45.88 बिलियन राशि के संवितरण किए गए और कुल ₹ 39.12 बिलियन की गारंटियां जारी की गई। ये गारंटियां मुख्य रूप से ईपीसी सेवाओं, इंजीनियरी माल, पूंजीगत वस्तुओं, कृषि और खाद्य उत्पादों, निर्माण, विद्युत, खनन और खनिजों जैसे अनेक क्षेत्रों की परियोजनाओं से संबंधित रहीं। बैंक की सहायता से कई भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों में बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मदद मिली।

## क्रेता ऋण

बैंक आस्थगित भुगतान शर्तों पर विदेशी गंतव्यों में ऋण योग्यता वाले उधारकर्ताओं को क्रेता ऋण की पेशकश करके भारत से निर्यात में सहायता कर रहा है और इस प्रकार भारत से व्यापारिक निर्यात, पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना निर्यात के लिए बाजार के विकास को सक्षम कर रहा है। वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से उपकरण/मशीनरी आयात करके यू ए ई में एक वायर रोप प्लांट में क्षमता वृद्धि में सहायता किया। एक अन्य कंपनी ने भारत से कई अफ्रीकी देशों को कमोडिटी निर्यात का सम थ्न करने के लिए रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। बैंक ने बांग्लादेश में एक इस्पात मिल में क्षमता वृद्धि के लिए एक सुविधा को भी मंजूरी दी है, जोकि भारत से पूंजी और इंजीनियरिंग वस्तुओं का उपयोग कर रही है।

क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक का संवितरण ₹ 6.30 बिलियन था, जिससे घाना, सेनेगल, मालदीव, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, यू ए ई, आदि सहित कई देशों में भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।


क्रेडिट लाइनें
बैंक परियोजनाओं निष्पादन के साथ-साथ वृद्धिशील व्यापार को सहायता प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों/निर्यात-आयात बैंकों/विदेशी बैंकों आदि को भी ऋण प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने एशिया और अफ्रीका के बैंकों को कुल 254 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइनें प्रदान की है। ये क्रेडिट लाइनें भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खोलने का अवसर प्रदान करती हैं और भारत और दुनिया भर के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के बीच बैंकिंग संबंधों को भी बढ़ावा देती हैं।


## ऋण-व्यवस्थाएं

बैंक मित्र देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए संप्रभु सरकारों, क्षेत्रीय विकास बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं को भारत सरकार की ओर से तथा भारत सरकार के सहयोग से ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। 'भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना' (आइडियाज़) के अंतर्गत दी जाने वाली भारत सरकार की ऋण-व्यवस्थाएं, मित्र देशों के साथ भारत के विकास अनुभव साझा करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं मित्र देशों में आर्थिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सहयोग, उन देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने, वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और क्षमता विकास तथा कौशल हस्तांतरण में सहयोग के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत से परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों को सहयोग के उद्देश्य से 670.32 मिलियन यूएस डॉलर की 7 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा आर्मेनिया, क्यूबा, मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका और सूरीनाम की सरकारों को ऋणव्यवस्थाएं प्रदान की गईं। ये ऋण-व्यवस्थाएं

रक्षा उत्पादों, उर्वरकों और चावल के निर्यातों और सामाजिक बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए हैं। बैंक द्वारा कुल 31.85 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार की ओर से 303 ऋणव्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अपनी लगातार बढ़ती पहुंच के साथ ये ऋण-व्यवस्थाएं अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 68 देशों में आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं।

आयडियाज 2022 के संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर एलओसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। बैंक आयडियाज़ के वांछित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बैंक ने एक अलग अवसंरचना समूह भी बनाया है। यह समूह परियोजना को चिह्नित करने, डीपीआर सत्यापन, प्रोक्योरमेंट में तेजी लाने और ऋण-व्यवस्था द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन में बैंक की भूमिका को बढ़ाएगा। वर्ष के दौरान, ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 1.24 बिलियन यूएस डॉलर के 41 कॉन्ट्रैक्ट शामिल किए गए।
'न्यू ई-ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन' (नेत्र) सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री सुश्री निर्मला सीतारामन द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सॉफ्टवेयर आइडियाज़ के अंतर्गत बैंक के पोर्टफोलियो की सटीक रिपोर्टिंग के लिए रियल टाइम सूचना प्रदान करता है। साथ ही, ऋण-व्यवस्था / रियायती वित्तपोषण के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के पूरे चक्र के दौरान 100 से अधिक अहम पड़ावों के कार्यान्वयन को ट्रैक करता है।

भारत सरकार की रियायती वित्तपोषण योजना के अंतर्गत वित्तपोषित बांग्लादेश के रामपाल में 1320 मेगावाट ( $2^{*} 660$ मेगावाट) की अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना की यूनिट-1 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान उन्हें सौंपी गई। यह संयंत्र अब बांग्लादेश के नैशनल ग्रिड से कनेक्टेड है और देश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और खुलना क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुगम होगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।


राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत

## क्रेता-ऋण

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता-ऋण (बीसी-एनईआईए) एक अनूठी वित्तपोषण व्यवस्था है। इसमें भारतीय निर्यातकों को उत्तरदायित्व रहित (नॉनरिकोर्स) वित्तपोषण का एक सुरक्षित तरीका मिलता है और यह मध्यम या दीर्घावधि आस्थगित ऋण की जरूरत वाले विकासशील देशों में पारंपरिक तथा नए बाजारों में प्रवेश का प्रभावी माध्यम है। बैंक द्वारा बीसी-

एनईआईए के अंतर्गत यथा 31 मार्च, 2023 को 3.72 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 36 परियोजनाओं के लिए 3.38 बिलियन यूएस डॉलर की कुल राशि मंजूर की गई।

बैंक ने बीसी-एनईआईए के अंतर्गत सेनेगल में तंबाकुंडा-कोल्डा-ज़िगुइनकोर लिंक के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण और इन क्षेत्रों में नेटवर्क के विस्तार तथा पुनरुद्धार के लिए एक भारतीय कंपनी को परियोजना निर्यात में सहयोग दिया। इस परियोजना से सेनेगल में विद्युत अवसंरचना सुदृढ़ होगी और इस देश के दक्षिणी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये ट्रांसमिशन लाइनें कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि तथा पर्यटन में इस क्षेत्र की मजबूत क्षमता का

लाभ उठाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एक अन्य उदाहरण मॉरिटानिया का है, जहां बैंक ने एक ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए सहायता प्रदान की है, जो इस देश की क्षेत्रीय एकीकरण योजना का हिस्सा है। ये इस देश में बिजली की पहुंच बढ़ाने में योगदान देगा। ये प्रभावशाली परियोजनाएं भारतीय कंपनियों और विकासशील देशों, दोनों के लिए परस्पर महत्त्व के अवसर पैदा कर रही हैं। बैंक ने मालदीव में सड़कों के नेटवर्क विकास में भी सहयोग किया है और शहर की बढ़ती भीड़भाड़ की समस्या का एक प्रभावी समाधान दिया है, जिससे देश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। ऐसी परियोजनाएं सामाजिक- आर्थिक विकास के प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

बैंक झारखंड में एक उर्वरक इकाई की स्थापना का आंशिक वित्तपोषण कर रहा है। इससे देश के पूर्वी हिस्से में कृषि के लिए यूरिया की उपलब्धता बढ़ेगी, क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और इस क्षेत्र से निर्यात योग्य सरप्लस उत्पादन हो सकेगा। यह सहायता यूरिया के लिए भारत की आयात निर्भरता को कम करने, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और इन उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत में योगदान देगी।


बैंक कैमरून में आठ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कसावा की किस्मों में सुधार लाने के लिए कसावा वृक्षारोपण परियोजना के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत, भारतीय कंपनियां वृक्षारोपण के लिए भूमि तैयार करने, भूमि प्रबंधन, फसल की बुवाई और उसके रखरखाव तथा कटाई जैसे कार्यों के लिए उपकरण एवं मशीनरी की आपूर्ति कर रही हैं। यह परियोजना विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से सामने आने वाली चुनौतियों के बीच कैमरून में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान देगी।


# निर्यात स्पर्धात्मकता 

## का सृजन

# बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न वित्तपोषण कार्यक्रमों के जरिए सहयोग देता है। 2022-23 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल ₹ 198.59 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ₹ 136.79 बिलियन की राशि का संवितरण किया गया और ₹ 53.57 बिलियन की गारंटियां/साख पत्र जारी किए गए। 



निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण
बैंक निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण प्रदान करता है, जिसमें मुख्य रूप से परियोजना वित्त, उपकरण वित्त, कार्यशील पूंजी, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और निर्यात उन्मुख ग्रीनफील्ड परियोजनाएं कवर होती हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने 51 निर्यात उन्मुख इकाइयों को ₹ 56.67 बिलियन के मीयादी ऋण अनुमोदित किए। वर्ष के दौरान ₹ 36.12 बिलियन का संवितरण किया गया।

बैंक से मिलने वाला यह सहयोग भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ‘मेक इन इंडिया' पहल में भी इसका योगदान है। भारत मोबाइल फोन संबंधित उपकरण के विनिर्माण के क्षेत्र में प्रमुखता से उभरा है। वित्तीय वर्ष 2023 में सभी क्षेत्रों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, जिससे भारत के निर्यात बास्केट में यह क्षेत्र 5 वां सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बनकर उभरा है। बैंक ने तमिलनाडु में एक आधुनिक मोबाइल विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए एक भारतीय कंपनी को सहयोग दिया है। जिसे एक ग्लोबल मोबाइल ब्रांड से बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिला है। ऐसी विनिर्माण इकाइयों को बैंक का सहयोग, भारत में मोबाइल फोन निर्माण की मूल्य शृंखला के स्थानीयकरण में मदद कर रहा है।

भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम (पीएलआई) को कार्यान्वित कर एक सुगम वातावरण निर्मित करने में सहयोग दिया है। बैंक ने ऐसी कुछ इकाइयों को चिह्नित किया है, जिन्हें पीएलआई योजना का लाभ मिला है। बैंक इन इकाइयों को ज़रूरत के अनुसार वित्तीय प्रदान कर रहा है। बैंक ने एक ऑटो पुर्जा विनिर्माण कंपनी को उसकी सुविधा के विस्तार के लिए सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही बैंक ने एक मेडिकल डिवाइस विनिर्माता कंपनी, जिसने कई स्वदेशी मेडिकल उपकरण बनाए हैं, को उनकी क्षमता विस्तार के लिए सहायता प्रदान की है।

टेक्सटाइल क्षेत्र का देश में रोजगार सृजन और देश निर्यात बास्केट में महत्त्वपूर्ण योगदान है। बैंक ने बचों के कपड़े बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी को तेलंगाना में एक नई सुविधा की स्थापना में सहायता की है। वर्ष के दौरान, बैंक ने कई भारतीय कंपनियों को उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता की है। यह कंपनियां यार्न, सिंथेटिक यार्न, कताई और परिधान निर्माण क्षेत्र में हैं। बैंक वस्त्र मंत्रालय, सरकार भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक प्रमुख नोडल एजेंसियों में से एक है जिसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत नई इकाइयां स्थापित करने, अनुमोदित करने और अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सब्सिडी जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यथा 31 मार्च, 2023 तक बैंक ने 192.79 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 236 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की।

उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के तहत बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 21 निर्यात कंपनियों को उत्पादन उपकरणों के आयात के लिए ₹ 11.81 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान, इन कंपनियों को उनकी विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए ₹ 8.86 बिलियन की राशि संवितरित की गई जिससे उनकी विनिर्माण क्षमताएं और दक्षता में सुधार आया। इसके अलावा, कार्यक्रम के तहत 10 कंपनियों को दीर्घावधि कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में ₹ 51.22 बिलियन की मंजूरी दी गई जिसके अंतर्गत संवितरण राशि ₹ 32.63 बिलियन रही है।

बैंक निरंतर नवाचार और क्षमता विस्तार के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के महत्व को समझता है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा एक अग्रणी आटोमोबाइल कंपनी को आर एंड डी के लिए मदद की गई है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के तहत मुंबई में बन रहे नए एयरपोर्ट के लिए एक सुविधा को मंजूरी दी। ये सुविधा एयर कार्गो निर्यात और परिवहन सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देगी। बैंक ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी ऋण दिया है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे बंदरगाह, कंटेनर टर्मिनल, एयरपोर्ट अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आदि शामिल हैं, जिससे टर्न अराउंड टाइम में कमी, दक्षता में सुधार और क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार देश में बेहतर निर्यात बुनियादी ढांचे को तैयार किया जा सकेगा।


बैंक ने एक भारतीय कंपनी को कनाडा में एक रणनीतिक अधिग्रहण के लिए मदद की है। इससे कंपनी को ग्लोबल पेटेंट और विशिष्ट उत्पाद के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका और मध्यपूर्व के ग्राहकों को एंगेज करने में मदद मिलेगी। बैंक की यह सहायता भारतीय कंपनियों को वहां के बाजारों तक पहुंचने और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।


## विदेशी निवेश वित्त

भारत के जावक निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक का यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें इक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 18 कंपनियों को 8 देशों में उनके विदेशी निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 34.55 बिलियन की निधिक और गैरनिधिक सहायता मंजूर की गई। अब तक एक्ज़िम बैंक ने 78 देशों में 495 कंपनियों द्वारा स्थापित 671 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के तहत बैंक ने भारत की दो प्रमुख ईपीसी कंपनियों को ब्राज़ील में अपने परिचालन करने के लिए सहायता प्रदान की


आपाती साख पत्र (एसबीएलसी) /साख पत्र (एलसी)

निर्यातोन्मुखी इकाइयों के व्यापार को सुगम बनाने के लिए बैंक मुख्य रूप से बैंक द्वारा वित्तपोषित आयातों के लिए साख पत्र जारी करता है। बैंक निर्यातोन्मुखी इकाइयों को उनके विदेशी उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने के लिए गारंटियों/आपाती साख पत्रों के माध्यम से वित्तीय गारंटियां भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 19.98 बिलियन की वित्तीय गारंटियां जारी कीं। बैंक का वित्तीय गारंटी पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2022 के ₹ 67.97 बिलियन के मुकाबले यथा 31 मार्च, 2023 को ₹ 64.31 बिलियन का रहा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने कुल ₹ 14.45 बिलियन के साख पत्र जारी किए। बैंक निर्यात दस्तावेजों के निगोशिएशन/ कलेक्शन संबंधी कार्य भी संभालता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 151.08 बिलियन के 1,672 निर्यात दस्तावेज संभाले।

बैंक ने विशाखापट्टनम बंदरगाह के आउटर हार्बर स्थित नए कंटेनर टर्मिनल की निर्माण और परिचालन के लिए आंशिक वित्तपोषण प्रदान किया है। विशाखा कंटेनर टर्मिनल देश का सबसे गहरा टर्मिनल है, जो भारत के पूर्वी तट पर 'कंटेनर हब पोर्ट' के रूप में काम करने के लिए आदर्श स्थिति में है। बैंक की सहायता से यह क्षेत्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और भारत की व्यापार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ कर रहा है।

# नवोन्मेषी कार्यक्रमों के जरिए एमएसएमई को सहायता 


#### Abstract

एमएसएमई का भारत के आर्थिक विकास, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान है। एमएसएमई की अप्रयुक्त निर्यात क्षमता का दोहन करने और इस खंड में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, बैंक ने हाल के वर्षों में कई पहलें शुरू की हैं। ये पहल निर्यात क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान कर रही हैं, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे रही हैं, व्यापार निपटान में विश्वास पैदा कर रही हैं और एमएसएमई क्षेत्र से वृद्धिशील निर्यात को सुविधाजनक बना रही हैं।




उभरते सितारे कार्यक्रम
उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) का लक्ष्य निर्यातों की अच्छी संभावनाओं वाली कंपनियों को चिह्नित करना है, जो भावी चैंपियन हो सकती हैं। इसके अंतर्गत ऐसी भारतीय कंपनियों को चिह्नित किया जाता है, जो प्रौद्योगिकी, उत्पाद या प्रोसेस के लिहाज से बेहतर स्थिति में हैं, किन्तु फिलहाल बड़ी कंपनी के रूप में उभरने के लिए अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रही हैं। यूएसपी के अंतर्गत वित्तीय और सलाहकारी सेवाओं, दोनों प्रकार का सहयोग दिया जाता है। यह सहयोग ऋण (निधिक और गैर निधिक सुविधाएं), इक्विटी/इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश और तकनीकी सहायता के जरिए प्रदान किया जाता है।

यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक ने निधि और गैर-निधि आधारित, दोनों में कुल ₹ 6.38 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की और ₹ 3.19 बिलियन का संवितरण किया। ये मंजूरियां एरोस्पेस और रक्षा, ऑटो और ऑटो पुर्जे, फार्मासूटिकल, इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़े के उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएं, रोबोटिक्स, मेडिकल उपकरण आदि जैसे विविधतापूर्ण क्षेत्रों में प्रदान की गई। वर्ष के दौरान बैंक ने दो कंपनियों में इक्विटी निवेश भी किया है।

बैंक प्रौद्योगिकी-आधारित 22 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को यह मुकाम हासिल करने की उनकी विकास यात्रा में सहायता कर रहा है। ये कंपनियां चिकित्सा प्रौद्योगिकी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), उद्योग 4.0 और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अग्रणी हैं। यूएसपी के अंतर्गत बैंक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी 9 कंपनियों को सहायता प्रदान कर रहा है, जो अपने क्रांतिकारी फार्मासूटिकल उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य सेवा समाधानों के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रगति को गति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त, ये कंपनियां यूएसपी के अंतर्गत बहुआयामी सहायता से लाभान्वित होते हुए शेष विश्व को भी किफायती चिकित्सा समाधान उपलब्ध करा सकती हैं। यूएसपी के अंतर्गत व्यापक सहयोग के जरिए बैंक पर्यावरणीय सस्टैनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी समाधान प्रदान करने वाली ऐसी 8 कंपनियों के लिए सकारात्मक वृद्धि वाला परिवेश तैयार कर रहा है।

बैंक ने सोसायटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप, आईआईटी बॉम्बे और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आईआईटी दिल्ली को कुल ₹ 30 मिलियन की तकनीकी सहायता भी प्रदान की। बैंक द्वारा प्रदान की गई यह तकनीकी सहायता इन संस्थानों के जरिए चिह्नित की गई निर्यात की संभावनाओं वाली भावी वृद्धिशील कंपनियों को सहयोग के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी।

बैंकों, उद्योग संगठनों, वाणिज्य संघों, शिक्षाविदों और कंपनियों के साथ स्टेकहोल्डर

परामर्श के जरिए बैंक द्वारा निरंतर गहन बाजार संपर्क जारी रखा गया है। बैंक ने 'उभरते सितारे' की विशिष्ट ब्रांड पहचान भी बनाई है जिसे संपर्क गतिविधियों को बढ़ावा देने में उपयोग किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 'उभरते सितारे फंड' (यूएसएफ) नाम से एक वैकल्पिक निवेश फंड का शुभारंभ माननीय केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री सुश्री निर्मला सीतारामन द्वारा किया गया था। यह एक्ज़िम बैंक और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित फंड है। यूएसएफ का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा उद्योगों में निर्यात की अच्छी संभावनाओं वाले छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में इक्विटी या इक्विटी जैसे इंस्ट्रमेंट्स के माध्यम से निवेश करना है। यूएसएफ के अंतर्गत, यथा 31 मार्च, 2023 को 10 बैंकों, संस्थाओं और निधियों की निधि से ₹ 2.95 बिलियन की प्रतिबद्धताएं रहीं। यथा 31 मार्च, 2023 को कंपनियों को संचयी मंजूर प्रतिबद्धताएं ₹ 850 मिलियन की रहीं।


## व्यापार सहायता कार्यक्रम

बैंक ने व्यापार वित्त के क्षेत्र में अंतर को दूर करने के लिए एक नई व्यापार सुविधा 'व्यापार सहायता कार्यक्रम' (TAP) विकसित किया है। टैप के तहत, बैंक व्यापार लिखतों

को क्रेडिट एनहंसमेंट सुविधा प्रदान करता है। जिससे विदेशें में व्यापा ट्रान्जैक्शनों को सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की क्षमता में वृद्धि होती है। बैंक उन बाजारों से जुड़े व्यापार ट्रान्जैक्शनों को चिह्हित करने के बाद उनको सहायता प्रदान कर दुनिया भर में अपनी साझेदारी का लाभ उठा रहा है, जहां व्यापार समान्यत: बाधित हैं या जहां क्षमता का दोहन नहों किया गया है।

यथा 31 मार्च, 2023 तक, बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत 17 देशों में कुल 304.76 मिलियन यूएस डॉलर ( $\sim$ ₹ 25 बिलियन) के 122 ट्रान्जैक्शनों को सहायता प्रदान की, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दी गई क्रेडिट लाइन / पुनर्वित्त सुविधाएं शामिल हैं। परिचालन के पिछले एक वर्ष में, बैंक ने 15 देशों में 44 विदेशी बैंकों को कुल 528 मिलियन यूएस डॉलर की सीमा निर्धारित कर क्रेडिट लाइने प्रदान की हैं।

इस कार्यक्रम से व्यापार सेटलमेंट में विश्वास बढ़ रहा है, जिससे बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ साथ एमएसएमई निर्यातकों एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों की कंपनियों के साथ व्यापार बढ़ाने को सक्षम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपेक्षाकृत अदोहित भौगोलिक क्षेत्रों के साथ-साथ उच जोखिम वाले देशों में वित्तीय सुविधा प्रदान कर भारतीय कंपनियों के लिए बाजारों का विस्तार कर रहा है। जबकि टैप में मुख्य रूप से 1 वर्ष तक के अल्पकालिक लेनदेन को शामिल किया जाता है। हालांकि यह कार्यक्रम 1 साल तक की अवधि के लिए ही साख पत्र सुविधाएं प्रदान करता है किन्तु बैंक ने नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं जैसी लंबी अवधि के साख पत्रों को भी किया है। इससे कार्यक्रम के अंतर्गत लंबी अवधि के लेनदेन का समर्थन करने की क्षमता प्रदर्शित होती है, जिससे परियोजना निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।


बैंक ने अपने व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत झांसी स्थित एक एमएसएम ई को पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन सामग्री लाइबेरिया, मॉरिटानिया, कोत दि'वार और रवांडा को निर्यात करने के लिए सहायता प्रदान की। इस कार्यक्रम के जरिए उस कंपनी को अल्प समय में अफ्रीका में नए बाजार तलाशने में मदद मिली। बैंक ने एक मशहूर भारतीय दुपहिया वाहन ब्रांड के वृद्धिशील निर्यात को अर्जेंटीना, इक्राडोर आदि जैसे लैटिन अमेरिकी बाजारों में भी सुगम बनाया है।


## व्यापार वित्त के लिए सहायक कंपनी

फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम ने भारत में फैक्टरिंग सेवाओं के लिए नियामक ढांचे को आसान बना दिया है। बैंक की सहायक कंपनी, इस सक्षम वातावरण का लाभ उठाते हुए, भारतीय कंपनियों को निर्यात फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करेगी। निर्यात फैक्टरिंग, निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सफल वित्तपोषण तरीका है। इसमें निर्यात बिल का एक बड़ा हिस्सा फैक्टरिंग कंपनी द्वारा ग्राहकों को आम तौर पर नॉन रिकोर्स आधार पर, भुगतान कर दिया जाता है। शेष भुगतान आयातक से बिल राशि वसूल करने के बाद निर्यातक

को किया जाता है। एक्जिम बैंक की सहायक कंपनी द्वारा फैक्टरिंग सेवाओं के अंतर्गत, निर्यातकों को तीन प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाएगी: प्राप्यों का वित्तपोषण, गैर-भुगतान के जोखिम का कवरेज और प्राप्य खातों का प्रबंधन। चूंकि फैक्टरिंग सेवाएं मुख्य रूप से प्राप्य खातों की गुणवत्ता पर आधारित होती हैं इसलिए यह उन एमएसएमई निर्यातकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जिनके पास पर्याप्त कोलैटरल ना हो। इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा, क्योंकि वे अपने क्रेताओं को प्रतिस्पर्धी भुगतान शर्तों की पेशकश कर सकते हैं।

व्यापार को बढ़ाने और यूएसपी और टैप जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाने की उपरोक्त क्षमता को मान्यता देते हुए, बैंक ने गुजरात इंटरनैशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में एक सहायक कंपनी के जरिए फैक्टरिंग सेवाओं के लिए एक पहल की है। माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2023 को 'केंद्रीय बजट 2023' पेश करते हुए सहायक कंपनी की स्थापना की घोषणा की थी।

बैंक ने सहायक कंपनी की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए, बैंक की सहायक कंपनी भारतीय कंपनियों को निर्यात फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करेगी। एक्ज़िम बैंक की सहायक कंपनी द्वारा फैक्टरिंग सेवाओं के अंतर्गत निर्यातकों को तीन प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाएंगी- प्राप्तियां वित्तपोषण, गैर-भुगतान के जोखिम का कवरेज और प्राप्य खातों का प्रबंधन। निर्यात फैक्टरिंग के अलावा, सहायक कंपनी व्यापार वित्त के अन्य क्षेत्रों जैसे कि फोरफिटिंग, आपूर्ति श्खें वित्त, आयात फैक्टरिंग, आयात वित्तपोषण आदि को भी कवर करेगी।

बैंक द्वारा 'उभरते सितारे कार्यक्रम' के अंतर्गत सहायता प्राप्त एमटीएआर टेक्नोलॉजीज़ भारतीय परमाणु, रक्षा, अंतरिक्ष एवं स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में प्रीसिशन इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। बैंक ने इस कंपनी को विद्युत यूनिट, विशेष रूप से हॉट बॉक्सों की आपूर्ति के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद की है। हॉट बॉक्स विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में मीथेन और प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, जो थर्मल पावर संयंत्र की तुलना में 66 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। कंपनी ने चंद्रयान-3 मिशन


उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत, बैंक उद्योग 4.0 को सुगम बनाते हुए औद्योगिक और वेयरहाउस ऑटोमेशन कंपनी 'नेक्स्टफर्स्ट' को सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक की सहायता से नेक्स्टफर्स्ट को नकदी प्रवाह की चुनौतियों से निपटने, अपनी साख बनाने और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिली है। नेक्स्टफर्स्ट ने बैंक की सहायता से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नामी समूह से प्राप्त एक ऑर्डर को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है और इसके बाद यूके में एक विख्यात समूह से एक और ऑर्डर हासिल किया है। उभरते सितारे कार्यक्रम, उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के लिहाज़ से अनूठी कंपनियों को सहायता प्रदान करते हुए "मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" मिशन को गति दे रहा है।


# संवर्धन और विकास भूमिका 

व्यापार लगभग सभी सतत विकास लक्ष्यों को आधार प्रदान करता है, जिसमें 6 लक्ष्यों में व्यापार के लिए स्पष्ट लक्ष्य शामिल हैं। सतत विकास में व्यापार के महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैंक अपनी संवर्धन और विकास भूमिका के क्रम में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता है। बैंक वित्तीय सहायता, क्षमता विकास और निर्यात मार्केटिंग के माध्यम से ग्रासरूट स्तर पर उद्यमों और दस्तकारों को सहायता प्रदान करता है। बैंक व्यापार में कंपनियों की प्रतिभागिता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान के माध्यम से नीति निर्माण में योगदान दे रहा है। बैंक बेहतर सहयोग और सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करने के लिए भारत और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में अन्य संस्थानों के साथ संस्थागत संबंधों को भी बढ़ावा दे रहा है।


ग्रासरूट पहलें और विकास
बैंक अपनी ग्रासरूट पहलों के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वैश्वीकरण को सहयोग प्रदान करता है । इस कार्यक्रम का लक्ष्य परिचालन क्षमता बढ़ाने, उच मूल्य वर्धन प्राप्त करने और हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि-आधारित उत्पादों जैसे क्षेत्रों में बाजार पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से समाज के अपेक्षाकृत वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है।

बैंक क्षमता निर्माण, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार पहुंच में क्लस्टरों, एसएचजी, गैर सरकारी संगठनों, एफपीओ, ग्रामीण कारीगरों, ग्रासरूट उद्यमों की सहायता के लिए एजेंसियों के साथ काम करता है और उत्पाद और डिजाइन, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है।

इस प्रयास के भाग के रूप में, बैंक ने वर्ष के दौरान, प्रशिक्षण और कौशल विकास के जरिए कई हस्तक्षेप किए। बैंक ने कर्नाटक के बीदर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहम दाबाद के सहयोग से 40 बिदरीवेयर कारीगरों

के लिए 'उत्पाद और डिजाइन संवेदीकरण' पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बैंक ने राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र, नई दिल्ली के सहयोग से महिला कारीगरों के लिए 20 दिनों की अवधि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जयपुर स्थित एक माइक्रो उद्यम अनूठी को सहयोग प्रदान किया । बैंक ने क्षमता निर्माण बढ़ाने हेतु स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए वर्कस्टेशन स्थापित करने में भी अनूठी की सहायता की है।

भारत सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) और 'निर्यात हब के रूप में जिला' (डीईएच) कार्यक्रम के तहत जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की है और जिलों को निर्यात केंद्रों में बदलने के लिए हितधारकों के साथ काम कर रही है। इन पहलों का समर्थन करने के लिए, बैंक ने अपने ग्रिड कार्यक्रम के तहत हस्तक्षेप के लिए ओडीओपी/डीईएच के तहत जिलों / उत्पादों की पहचान की है। वर्ष के दौरान, बैंक ने लीची की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची बागान किसानों के लिए ग्रिड कोल्ड स्टोरेज सुविधा और कीट प्रबंधन उपकरण खरीदने के लिए लीची उत्पादक एसोसिएशन ऑफ बिहार को सहायता प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप लीची की शेल्फ लाइफ बढ़ गई। बैंक ने एकीकृत कीट प्रबंधन पहल के

अंतर्गत गुंटूर, आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च बागान किसान संगठन को भी सहायता प्रदान की।


## मार्केटिंग सलाहकारी समूह

एक्ज़िम बैंक अपने एमएएस कार्यक्रम के म ाध्यम से सफलता शुल्क के आधार पर अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए विदेशी वितरकों / खरीदारों / भागीदारों का पता लगाने में सक्रिय रूप से सहायता करके भारतीय फर्मों को उनके वैश्वीकरण के प्रयासों में मदद करना चाहता है। ग्रास रूट स्तर के उद्यमों और कारीगरों तक अपनी पहुंच और समर्थन का विस्तार करने के लिए, बैंक के पास एक प्रमुख कार्यक्रम है, - 'एक्जिम बाजार',। यह कारीगरों के लिए एक विशेष विपणन मंच है जिसकी स्थापना , भारत की पारंपरिक कला और शिल्प के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए 2017 में की गई है । बैंक द्वारा अब तक विभिन्न भारतीय शहरों में 'एक्जिम बाजार' के नौ संस्करण आयोजित किए गए हैं। 'एक्जिम बाजार' के नौवें संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 20 राज्यों के 55 कारीगरों और बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार,

नेपाल और श्रीलंका के 26 कारीगरों ने भाग लिया। बैंक ने मुंबई में 9 दिन तक चलने वाले 'काला घोड़ा कला महोत्सव' को भी सहयोग दिया है जिससे 20 राज्यों के 60 कारीगरों को सहयोग मिला।


## शोध एवं विश्लेषण

बैंक का शोध एवं विश्लेषण समूह अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार और निवेश के विभिन्न पहलुओं पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शोध तकनीकों के जरिए शोध अध्ययन करता है। ये शोध अध्ययन मुख्य रूप से क्षेत्रीय, उद्योग खंड और नीति संबंधी श्रेणियों के अंतर्गत किए जाते हैं और इन्हें प्रासंगिक आलेखों तथा कार्यकारी आलेखों, पत्रों, विशेष प्रकाशनों, पुस्तकों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

वर्ष के दौरान 18 शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए। इनमें भारत के लिए काउंटरट्रेड रणनीति; रूस-यूक्रेन संघर्ष का आर्थिक प्रभाव: भारतीय परिप्रेक्ष्य; भारत में निर्यात और रोजगार के बीच अंतर-संबंध: अपडेट; व्यापार वित्त अंतर को भरने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना: जी-20 देशों के लिए इनसाइट्स जैसे अध्ययन शामिल हैं। सेक्टर अध्ययनों में रसायन, लौह और इस्पात, चीनी और एथेनॉल जैसे क्षेत्रों पर किए गए शोध अध्ययन शामिल हैं। क्षेत्रीय अध्ययनों में दक्षिणी अफ्रीका, यूरोपीय संघ, कनाडा, लीथियम त्रिकोण देश और ऑस्ट्रेलिया को कवर किया गया है।

बैंक राज्य स्तर पर निर्यात निष्पादन के मूल्यांकन और निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर सक्रियता से काम करता रहा है। बैंक द्वारा अब तक हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, सिक्किम और मिजोरम के लिए रणनीति शोध पत्र तैयार किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय निर्यात रणनीति शोध पत्र प्रकाशित किए।


हमारे शोध पत्र डाउनलोड करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

बैंक ने भारत के निर्यातों में आने वाले उतार-चढ़ावों का पूर्वानुमान लगाने और उनका ट्रैक रखने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) तैयार करने के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया था। ईएलआई मॉडल के आधार पर बैंक ने पूर्ण वर्ष (अर्थात 2022-23) के लिए निर्यातों का पूर्वानुमान जारी किया। इसके अनुसार, वर्ष के दौरान वस्तु निर्यात 447.3 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-तेल निर्यात 350.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहने का पूर्वानुमान रहा। ये पूर्वानुमान भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी वास्तविक आकलन के अनुरूप रहे।


## उत्कृष्टता को सम्मान

वर्ष 2016 में बैंक ने 'ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार' (ब्रिक्स पुरस्कार) की स्थापना की। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए प्रासंगिक समसामयिक विषयों पर केंद्रित उन्नत डॉक्टोरल शोध को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार डॉ. अपूर्व गुप्ता को 'वित्त और विकास पर निबंध' शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए प्रदान किया गया।

बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध और डॉक्टोरेट डिग्री को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2021 के लिए

यह पुरस्कार डॉ. कनिका पठानिया को 'इन्वर्टे ड शुल्क संरचना और संरक्षण की प्रभावी दरें: सैद्धांतिक और अनुभवजन्य विश्लेषण’ शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए प्रदान किया गया।

बैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों के लिए सीआईआईएक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार के माध्यम से भारतीय कंपनियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। 2022 में सत्रह कंपनियों को अलग-अलग स्तरों पर पुरस्कृत किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद इकाई और गोदरेज कंस्ट्रक्शन को व्यवसाय उत्कृष्ता के लिए सीआईआई-एक्जिम बैंक पुरस्कार के लिए चुना गया।


लोकसंपर्क कार्यक्रम
बैंक भारतीय निर्यातकों और आयातकों को जानकारियां प्रदान करने और भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सुगम बनाने के क्रम में कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निर्यातकों के लिए 34 सेमिनारों का आयोजन किया गया। ये सेमिनार मुख्य रूप से निर्यात क्षमता सृजन, व्यवसाय अवसर, उद्योग, देश और क्षेत्रगत फोकस तथा भारतीय राज्यों की निर्यात संभाव्यताओं जैसे विषयों पर केंद्रित रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के क्रम में बैंक ने देशभर में और विदेशों में खास तौर पर अगस्त 2022 और फरवरी 2023 के विशेष माहों में कई सेमिनारों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और हितधारक संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया। बैंक ने 'भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसरों को बढ़ाना’ विषय पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय परियोजना निर्यातकों को संबोधित किया। बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निधिक परियोजनाओं में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के क्रम में, बैंक ने एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के साथ मिलकर चर्चापरक कार्यशालाओं का भी आयोजन किया।

बैंक ने विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ मिलकर विशेष रूप से अपने उभरते सितारे कार्यक्रम और व्यापार सहायता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विभिन्न टियर ॥ और टियर ॥I शहरों में सेमिनार आयोजित किए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी नीति आदि से संबंधित विषयों में रुचि रखने वाले अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के क्रम में, 'एक्जिम बैंक की मास्टर क्लास' का आयोजन किया गया। ये मास्टर क्लास 'अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंच बनाने के लिए व्यवसाय और परिचालन उत्कृष्टता', 'अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहुंच बढ़ाने के लिए एमएसएमई को सहायता' और 'चुंनिदा क्षेत्रों पर केंद्रीय बजट का प्रभाव जैसे विषयों पर आयोजित की गईं।

बैंक भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर 2005 से 'भारत-अफ्रीका विकास भागीदारी' पर सीआईआई-एक्ज़्म बैंक कॉन्क्लेव का आयोजन करता रहा है। इस क्रम में, 17 वें कॉन्क्लेव का आयोजन 1920 जुलाई, 2022 के दौरान नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया गया। इस कॉन्क्लेव में अफ्रीका से पांच राष्ट्राध्यक्षों और 30 मंत्रियों तथा 41 अफ्रीकी देशों से एक हजार से ज्यादा व्यवसाय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।


## एक्ज़िम मित्र

एक्ज़िम बैंक का एक्ज़िम मित्र पोर्टल मौजूदा और भावी निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां, हैंडहोल्डिंग और सहायता सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही, उन्हें अंतरराष्ट्रीय जोखिमों, निर्यात अवसरों को भुनाने और स्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करता है। बैंक ने निर्यातकों को विभिन्न व्यापार सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्यात संवर्धन में अपने विशद अनुभव का सदुपयोग किया है। बैंक इस पोर्टल को उपयोत्ता अनुभव और

फंक्शनैलिटी के लिहाज से रीवैम्प करने की प्रक्रिया में है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के क्रम में मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रहा है।


## संस्थागत संबद्धताएं

बैंक ने व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में सहयोग के उद्देश्य से बहुप्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्धन निकायों और निवेश संवर्धन बोर्डों के साथ अपने संस्थागत संबंधों के नेटवर्क के साथसाथ संस्थागत संबद्धताएं विकसित की हैं।

एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम (एईबीएफ) का उद्देश्य अपनी सदस्य संस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि और मजबूत संस्थागत संबंध स्थापित करना है, ताकि एशियाई एक्जिम बैंक समुदाय में दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए जा सकें।

एईबीएफ की 27 वीं वार्षिक बैठक नवंबर 2022 में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया द्वारा कुआलालम्पुर में आयोजित की गई थी। वर्ष के दौरान, एक्ज़िम बैंक की मेज़बानी में 'व्यापार सहायता के लिए वित्तीय उत्पाद' शीर्षक पर एईबीएफ का 45 वां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक्ज़िम बैंक अपने विकास अनुभव, इनपुट और इनसाइट साझा करने तथा अन्य संस्थाओं के अनुभवों से लाभान्वित होने के लिए एशिया और प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) के वार्षिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से हिस्सा लेता रहा है। वर्ष के दौरान, एक्ज़िम बैंक को एडफिएप फोरम में इसके उभरते सितारे कार्यक्रम और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन) के लिए पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार, विकास वित्त संस्थाओं के लैटिन अमेरिकी संघ (एलिडे) से बैंक को उभरते सितारे कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया।

एक्ज़िम बैंक अफ्रीकी विकास बैंक समूह (एएफडीबी) की वार्षिक बैठकों से संबद्ध कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में 2013 से 'अफ्रीका-भारत भागीदारी दिवस' (एआईपीडी) का आयोजन करता रहा है।

एएफडीबी की 2022 की वार्षिक बैठकों के अनुरूप, एआईपीडी का फोकस 'सौर के जरिए अफ्रीका में ऊर्जा ट्रांज़िशन: भारत के अनुभव साझा करना' विषय पर रहा। चूंकि यह महामारी के बाद पहली बैठक थी, इसलिए यह हाइब्रिड मोड में हुई। एएफडीबी की ओर से वक्ताओं में विद्युत, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और नीति और वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय उद्योग से हरित वृद्धि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

एक्जिम बैंक, अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक (अफ्रेक्जिम) से सक्रियता से जुड़ा रहा है। एक्जिम बैंक ने भारत से अफ्रीका को निर्यात को सुगम बनाने के लिए क्रेडिट लाइनें भी प्रदान की हैं। बैंक, व्यापार और विकास बैंक तथा पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक में भी शेयरधारक है और भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन वित्तीय संस्थाओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।

एक्ज़िम बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्सिड), जेनेवा दक्षिण-दक्षिण व्यापार, निवेश और परियोजना वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं का फोरम है। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और हिस्सा लिया।

ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत एक्जिम बैंक, भारत की ओर से नामित सदस्य विकास बैंक है। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने जून 2022 में वार्षिक बैठक एवं ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र के वित्तीय फोरम तथा संबद्ध बैठकों की ऑनलाइन मेज़बानी की। इस दौरान, ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार 2022 के विजेता की आधिकारिक घोषणा की गई। बैंक, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के वित्तीय सेवाएं कार्य समूह में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है।

बैंक ने विकासशील विश्व में विभिन्न संस्थाओं को निर्यात वित्त में सहयोग प्रदान करने के लिए अपने विशद अनुभव का सदुपयोग किया है। बारबाडोस सरकार ने देश में निर्यात के लिए अनुकूल परिवेश तैयार कर 2030 तक देश से निर्यात 350 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर 1 बिलियन यूएस डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य के अनुरूप, 'एक्सपोर्ट बारबाडोस' बारबाडोस में एक निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) के लिए स्थापना संबंधी योजना चाहता है। एक्ज़िम बैंक, एक्सपोर्ट बारबाडोस को ईसीए की स्थापना के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

बैंक बांग्लादेश के रामपाल में रणनीतिक अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल मैन्री सुपर थर्मल पावर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस परियोजना को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को चुना गया है। चालू होने के बाद यह परियोजना बांग्लादेश में सबसे बड़े विद्युत संयंत्रों में से एक होगी। सितंबर 2022 में भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को इस परियोजना की यूनिट-1 सौंपी गई थी। यह संयंत्र अब बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ चुका है। बांग्लादेश के खुलना क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता और बिजली आपूर्ति पर इस परियोजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, इससे इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। यह परियोजना भारत की ‘पड़ोसी प्रथम नीति’ में योगदान का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

# संस्थागत <br> अवसंरचना 

संस्थागत अवसंरचना हमारे परिचालनों को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। अन्य के साथसाथ, मानव संसाधन, आईटी प्रणालियों, एकीकृत ट्रेजरी, सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन पद्धतियों और ऋण निगरानी तथा वसूली क्रियाकलापों के रूप में मजबूत आधार बैंक की सुचारू और प्रभावी कार्य पद्धति सुनिश्चित करते हैं।


## मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक के स्टाफ में यथा 31 मार्च, 2023 को प्रबंधन स्नातक, सनदी लेखाकार, बैंकर, अर्थशास्त्री, विधि, पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर, भाषाविद, मानव संसाधन, मार्केटिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 357 है। बैंक अपने स्टाफ के कौशल का निरंतर उन्नयन करने के लिए विभिन्न सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। अधिकारियों को विशिष्ट पोर्टफोलियो संभालने के लिए उनके कौशल विकास के उद्देश्य से उन्हें ई-लर्निंग सहित विशिष्ट समूह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमि नारों के लिए नामित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के 349 अधिकारियों ने 80 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम क्रेडिट रेटिंग, भारतीय ट्रेजरी बाजार, डिस्ट्रेस्ड आस्तियों का समाधान, प्रोक्योरमेंट नीति फ्रेमवर्क, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बॉन्ड गणित, क्लाउड सिक्योरिटी, वेंचर इक्रिटी और ऑडिट और धनशोधन निवारण जैसे बैंक के परिचालनों से संबंधित विषयों पर थे। स्टाफ को तनाव प्रबंधन, वर्क लाइफ बैलेंस, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत प्रभाविता पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।


अनुरूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की सेवा में कुल 357 स्टाफ सदस्यों में 36 अनुसूचित जाति (एससी), 24 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 66 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से रहे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के इन स्टाफ सदस्यों को बैंक द्वारा समान अवसर और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

"'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद और प्रतितोष) अधिनियम, 2013'" के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति

बैंक में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में जीरो टॉलरैन्स की नीति अपनाई गयी है। बैंक में उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष

के संबंध मे नीति लागू है। बैंक के सभी कर्मचारियों ने बैंक द्वारा कार्यान्वित इस नीति को पढ़ लिया है, स्वीकार किया है तथा वे इससे अवगत हैं।

इस अधिनियम के अनुपालन में, बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की शिकायतों पर विचार करने के लिए अधिनियम में परिभाषित अनुसार आंतरिक समितियों का गठन किया है। इन समितियों की नियमित बैठकें हुई हैं और बैंक के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए इस संबंध में ऑनलाइन जागरूकता सत्रों का आयोजन भी किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आंतरिक शिकायत समितियों को कोई शिकायत नहीं मिली।


राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति
बैंक के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति की तिमाही आधार पर समीक्षा की। अधिकारियों को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से हिस्सा

लिया तथा अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया। वर्ष के दौरान बैंक के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय एवं गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय को राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय कार्य करने हेतु संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट और एक्ज़िम मित्र पोर्टल दोनों हिंदी और अंग्रेजी में हैं। वार्षिक कार्यक्रम में निर्देशित अनुसार, बैंक के परिचालनों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित साहित्य के अलावा, बैंक के न्यूज़लेटर 'एक्ज़िमिअसः निर्यात लाभ' और द्विमासिक प्रकाशन 'कृषि निर्यात लाभ' के सभी अंकों को हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया। बैंक की गृह पत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में एक हिन्दी खंड भी है। बैंक के नई दिल्ली कार्यालय से प्रकाशित ई-पत्रिका 'एक्ज़िम स्पर्श' को दिल्ली बैंक नराकास से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। बैंक ने फरवरी 2023 में नादी, फिजी में आयोजित 12 वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में भी सहभागिता की।


## सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने नई परियोजनाएं क्रियान्वित करते हुए और डिजिटलीकरण, व्यवसाय आसूचना, डिजिटल दस्तावेजीकरण, ऑटोमेडेट वर्कफ्लो, नेटवर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा सहित मौजूदा सिस्टम्स को अपग्रेड करते हुए टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए अपनी पहलें जारी रखीं।

बैंक ने आईटी गवर्नंस के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए अपनी पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया। बैंक के विभिन्न ऋण कार्यक्रमों, गतिविधियों और परामर्श सेवाओं से संबंधित जानकारियां बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइटों के जरिए प्रदान की जाती है। बैंक का अत्याधुनिक डेटा सेंटर और आपदा बहाली स्थल है। बैंक ने सुरक्षित रिमोट एक्सेस आधारित प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्रियान्वित किया है। बैंक के कोर बैंकिंग

सिस्टम और भुगतान चैनलों (आरटीजीएस/ एनईएफटी और स्विफ्ट) के बीच एकीकरण से बेहतर निधि प्रबंधन और निधियों का रियल टाइम में बेहतर विनियोजन होता है।

बैंक ने प्रौद्योगिकी-आधारित "ई-भुगतान" और "ई-नोट" प्रक्रियाएं विकसित की हैं जिन्होंने कागजी काम को न्यूनतम बनाया है और मैनुअल काम को भी न्यूनतम किया है। बैंक ने निगेटिव लिस्ट और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से प्राप्त सूचनाओं का आंतरिक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया है। ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। बैंक विभिन्न देशों के बीच वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए स्विफ्ट अलायंस एक्सेस सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। ये संदेश फिनैकल ऐप्लिकेशन (कोर और ट्रेजरी) में बनाए जाते हैं और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के जरिए स्विफ्ट ऐप्लिकेशन को भेजे जाते हैं।


ट्रेजरी
बैंक की एकीकृत ट्रेजरी, सरप्लस निधियों के निवेश, मुद्रा बाजार, फॉरेक्स परिचालनों और प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री सहित निधि प्रबंधन का कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट, मिडल और बैक ऑफिस कार्यों को अलगअलग किया है और आधुनिकतम डीलिंग रूम बनाया हुआ है। बैंक की ट्रेजरी अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा विनिमय सौदे, निर्यात दस्तावेजों की वसूली, परक्रामण, अंतरदेशीय, विदेशी साख पत्र और गारंटियां, संरचित ऋण आदि विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करती है। बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से, न्यून लागत पर निधियां जुटाने और बैलेंस शीट एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए वित्तीय डेरिवेटिव संव्यवहारों का भी उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) का सदस्य है और बैंक को प्रमाणीकरण प्राधिकरण, इंस्टीट्यूट फॉर

डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी का दर्जा प्राप्त है।

बैंक को आरबीआई के निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट के जरिए सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त है। यह भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रयविक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूति / विदेशी मुद्रा ट्रांज़ैक्शन मुख्यतः भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किए जाते हैं। बैंक 'ट्राय-पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम' (ट्रेप्स) और सीसीआईएल के रेपो डीलिंग सिस्टम्स 'क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम' (क्रोम्स) का सदस्य है। बैंक सीसीआईएल के फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम 'एफएक्स-क्लीयर' सेग्मेंट का सदस्य भी है। बैंक में लंदन शाखा से कनेक्टिविटी के साथ केंद्रीकृत स्विफ्ट सुविधा भी है, जो 'मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स' संभालने में सक्षम है।


## आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के जोखिम प्रबंधन समूह के सहयोग से बाजार जोखिम की निगरानी और प्रबंधन का कार्य करती है। एल्को द्वारा लिक्विडिटी / ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक एएलएम / लिक्विडिटी नीतियों के अनुसार किया जाता है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई / बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक लिक्विडिटी और ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ब्याज दर जोखिम के आधार पर एक उपयुक्त एएलएम रणनीति तैयार करना शामिल है। ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर में उतार चढ़ाव की तुलना में अवधि अंतराल विश्लेषण के जरिए (क) निवल ब्याज आय

की संवेदनशीलता के विश्लेषण और (ख) आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता से मापा जाता है। मुद्रा-वार लिक्विडिटी स्थिति के दबाव परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और प्रत्येक मुद्रा की उपलब्धता में कमी की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर आकस्मिक फंडिंग योजना बनाई जाती है। निधि प्रबंधन समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निधि प्रबंधन / संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों और संसाधन जुटाने के संबंध में निर्णय लेती है और वर्ष के दौरान इसकी समीक्षा करती है।


## जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों की निगरानी और उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन से संबंधित जोखिमों के संबंध में एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति संबंधी कार्य देखती है।

साथ ही एल्को, एफएमसी, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों की देखरेख भी करती है, जिनमें से सभी का क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होता है। एल्को जहां बैंक में एएलएम नीति और प्रक्रियाओं सीआरएमसी, बैंक के ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन और नियंत्रण करती है। बैंक में एक उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सीआरएम) है, जिससे (क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैमानों के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने और ऋण जोखिमों के आधार पर उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण ग्रेडिंग करने में मदद मिलती है।

ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिमों की समीक्षा करती है और पुनः ऐसा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही यह बैंक की आईटी आस्तियों से संबंधित / उत्पन्न

होने वाले परिचालन जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने और / अथवा मापने, निगरानी करने और नियंत्रण करने / जोखिमों को कम करने का काम भी करती है। बैंक व्यवसाय निरंतरता और अपने सभी कार्यालयों की डिजास्टर रिकवरी योजनाओं की भी वार्षिक समीक्षा करता है। जोखिमों के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक योजना की भली-भांति जांच की जाती है कि ये योजनाएं संकट की स्थिति में व्यवसाय निरंतरता को बनाए रखने के लिए कितनी कारगर हैं और जोखिम से सुरक्षा के उपाय कैसे हैं।

बैंक ने अपने रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता नीति को अपनाया है। जोखिम वहन क्षमता विवरण के भाग के रूप में प्रमुख आयामों में पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, परिचालन जोखिम, प्रतिष्ठा और अनुपालन जोखिम सम्मिलित हैं। इन जोखिम आयामों के अधीन प्रत्येक पैरामीटर हेतु निर्धारित टॉलरैंस सीमा सहित जोखिम वहन पैरामीटर होते हैं। जोखिम वहन पैरामीटर के मापदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति को छमाही समीक्षा प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष के दौरान, जोखिम क्षमता वहन विवरण में सकल एनपीए के अलावा अधिकांश पैरामीटर 'ग्रीन ज़ोन' (सर्वोत्कृष्ट सीमाओं में) रहे। कवरेज अनुपात और ईपीसी के लिए क्षेत्रगत सीमा 'ऑरेंज ज़ोन' (निगरानी की आवश्यकता) में रहे। यह परिवर्तन बीसीएनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत एक संप्रभु उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकौती में चूक के चलते एनपीए में अभिवृद्धि के चलते हुई है।

बैंक ने व्यापक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क सहित, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है। आईसीएएपी नीति में बैंक के सभी जोखिमों के जारी मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है। इसमें ऐसे मूल्यांकन शामिल हैं कि बैंक उन जोखिमों के प्रभावों को कम कैसे करेगा, और जोखिम करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए वर्तमान और भविष्य में

कितनी पूंजी आवश्यक होगी। बैंक, वित्तीय वर्ष 2023-24 से आईसीएएपी मूल्यांकन करवाएगा और इसकी रिपोर्ट प्रतिवर्ष जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत करेगा। दबाव परीक्षण गतिविधि अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा इसके परिणाम जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाएंगे।


## ऋण निगरानी एवं वसूली

ऋण आस्तियों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग से 'ऋण परिचालन और निगरानी समूह' है, जिस पर निधिक और गैर-निधिक आस्तियों की आवधिक निगरानी और परिचालन का उत्तरदायित्व है। यह समूह उन्नत 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' (ईडब्ल्यूएस) के जरिए किसी ऋण खाते के संबंध में जेनरेट होने वाले संकेतों का मूल्यांकन करता है और समय रहते उपचारात्म क कार्रवाई करता है। यह मामले की गंभीरता पर कार्रवाई करता है। यह समूह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, स्थल दौरों के माध्यम से ऋण खातों के परिचालन की बारीकी से निगरानी करता है, खातों में अतिदेय राशि की निगरानी करता है, सिक्योरिटी में बदलाव संबंधी अनुरोधों और मंजूरी के अन्य नियम एवं शर्तों को प्रोसेस करता है, कंपनी के अन्य उधारदाताओं के साथ नियमित रूप से सूचना का आदान-प्रदान करता है और ऋण खातों के निष्पादन की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है। यह समूह निधियों के संवितरण, बैंक गारंटियों, साख पत्रों तथा ऐसे अन्य लिखतों को जारी करने के साथ-साथ ऋण चुकौती का विनियोजन भी करता है। ऋण और मूल्यांकन कार्यों को अलग करने से ऋण परिचालन और निगरानी कार्यों से बैंक को ग्राहकों को संतोषजनक सेवा प्रदान करने में मदद मिली है, साथ ही प्रदान की गई ऋण सुविधाओं में बैंकों के हित को सुनिश्चित करने में भी सुविधा हुई है।

दबावग्रस्त ऋण खातों की निगरानी और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के वसूली उपायों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक में अलग से एक विशेष परिस्थिति समूह (एसएसजी) है।

यह समूह बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण निगरानी एवं वसूली नीति के अनुसार ऋण वसूली के लिए सक्रियता से कदम उठाता है। साथ ही ऐसी अनर्जक आस्तियां, जिन्हें अर्जक बनाना व्यवहार्य हो, उन्हें अर्जक बनाने के उपाय करता है और उन अनर्जक खातों से वसूली पर फोकस करता है, जहां कानूनी कार्रवाई की जानी हो। एसएसजी में एक आंतरिक समिति द्वारा अनर्जक आस्तियों की मासिक समीक्षा की जाती है। अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए बैंक बहुआयामी रणनीति के जरिए अनर्जक आस्तियों की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस रणनीति में रीस्ट्रक्चरिंग, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट रिसीवर के जरिए आस्तियों की बिक्री, निगोशिएशन, एकबारगी निपटान, अनर्जक आस्तियों का अंतरण / समनुदेशन, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत आस्तियों पर कब्जा लेना और उनकी बिक्री करना तथा उधारकर्ता कंपनी के मामले को शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में ले जाना शामिल है।

केवाईईसी, एएमएल एवं सीएफटी उपाय

बैंक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) म नददंडों, 'धनशोधन निवारण' (एएमएल) मानकों और 'आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध' (सीएफटी) पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है। केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी नीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति; ख) जोखिम प्रबंधन ; ग) ग्राहक पहचान प्रक्रिया ; और घ) संव्यवहारों की निगरानी। बैंक द्वारा बैंकरों के एक्युटी डेटाबेस का उपयोग किया जाता है, जो ऑनलाइन डेटाबेस सेवा है। एक्युटी की ग्लोबल वॉचलिस्ट काफी व्यापक है और यह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व के सभी प्रमुख निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय नियामकों की चेतावनी सूचियों का संग्रह है। बैंक के सभी ग्राहकों को केवाईसी मानकों के अधीन लाया जाता है। इससे स्वाभाविक/

कानूनी व्यक्ति और 'हितकारी स्वामित्व' की पहचान में मदद मिलती है। केवाईसी नीतियों तथा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं, सावधि जमा खाताधारकों, प्रतिनिधि बैंकों और भर्ती हुए नए स्टाफ सदस्यों की पहचान करना शामिल है। बैंक अपने काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा केवाईसी मानदंडों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पद्धति के अनुरूप वुल्फ्सबर्ग ग्रुप एएमएल प्रश्नावली के माध्यम से अपेक्षित डाटा प्राप्त करता है। बैंक, आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार, कतिपय संव्यवहारों के संबंध में जानकारियों का रिकॉर्ड भी रखता है। ये रिकॉर्ड, संव्यवहार की प्रकृति के अनुसार व्यवसाय संबंध सम प्त होने की तारीख से न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक में मुख्य महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बैंक के केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी उपायों के लिए उत्तरदायी हैं। केवाईसी, एएमएल और सीएफटी नीति का सारांश बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।


## ईएसजी नीति

बैंक ने बोर्ड से अनुमोदित अपनी ईएसजी नीति - 'संपोषी विकास / उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन नीति' को और सुदृढ़ किया। इसके अंतर्गत कवरेज के विस्तार के लिए इस नीति को संशोधित किया गया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कंपनियों की ईएसजी स्पर्धात्मकता को बढ़ाना; सरकार के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना; सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना; और ईएसजी जोखिमों के आकलन तथा प्रबंधन के जरिए बैंक के वित्तपोषण संबंधी निर्णयों की तर्कसंगतता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। संपोषी वित्त के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को

सुविचारित तरीके से सुदृढ़ करने के अलावा, संशोधित नीति को बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया से एकीकृत किया गया है और उसमें ईएसजी जोखिम मूल्यांकन जोड़ा गया है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक प्रस्ताव की जांच एक 'एक्सक्लूज़न लिस्ट' से की जाती है और बैंक की एसएफसी द्वारा उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है।


## ईएसजी फ्रेमवर्क

बैंक ने दिसंबर, 2021 में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस फ्रेमवर्क (ईएसजी फ्रेमवर्क) विकसित किया था, जिसके तहत बैंक संपोषी बॉन्ड और ऋण जारी करता है और इनकी प्राप्य राशियों का इस्तेमाल, संपोषी अर्थव्यवस्था में अंतरण को सुगम बनाने वाली और विकासशील देशों में सामाजिक लाभ प्रदान करने वाली मौजूदा या भावी परियोजनाओं के आंशिक या पूर्ण वित्त या पुनर्वित्त के लिए करता है। ईएसजी फ्रेमवर्क छह हरित (पात्र हरित श्रेणियां - अक्षय ऊर्जा, सतत अपशिष्ट और जल प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन, ऊर्जा दक्षता) और चार सामाजिक क्षेत्रों (आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच, खाद्य सुरक्षा और सतत खाद्य प्रणाली, एमएसएमई वित्तपोषण, किफायती आवास) में पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है।

इस फ्रेमवर्क की समीक्षा एक सेकंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) प्रदाता 'सस्टेनलिटिक्स' द्वारा की गई है। एसपीओ ने पुष्टि की है कि यह फ्रेमवर्क 'विश्वसनीय और प्रभावशाली' है और 'सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड गाइडलाइन्स 2021', ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत 2021 और सामाजिक बॉन्ड सिद्धांत 2021 के अनुरूप है तथा अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजार संघ (आईसीएमए), एवं हरित ऋण सिद्धांत 2021 और सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021 द्वारा प्रशासित है। साथ ही, लोन मार्केट एसोसिएशन (एलएमए), एशिया पैसिफिक

लोन मार्केट एसोसिएशन (एपीएलएमए) और ऋण सिंडिकेशन और ट्रेडिंग एसोसिएशन (एलएसटीए) द्वारा भी प्रशासित है। एसपीओ ने यह भी कहा कि बैंक परियोजनाओं से जुड़े सामान्य पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से निपटने के लिए समुचित उपाय करने की स्थिति में है।


## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, कौशल विकास, जीविकोपार्जन गतिविधियों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में छह राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में 10 परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की। इनमें से कई ऐसे जिलों में थीं, जहां इन परियोजनाओं की महती आवश्यकता है।

एक्ज़िम बैंक ने विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने में सहायता करने के उद्देश्य से भारत में 15 शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्तियां स्थापित की हैं। बैंक द्वारा स्थापित छात्रृवत्ति से सुयोग्य विद्यार्थियों, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक खर्चों की पूर्ति और उच्च शिक्षा के लिए सहायता मिली है।


## सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार, एक्ज़िम बैंक एक लोक प्राधिकरण है और इस अधिनियम का अनुपालन करता है। भारतीय नागरिक, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए बैंक के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय

में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा बैंक के भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने आवेदन भेज सकते हैं। इनका विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक ने सरकारी प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक को कुल 168 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार, 30 दिनों की समयसीमा के भीतर इनके जवाब दिए गए। इसके साथ ही बैंक ने www.dsscic.nic.in पोर्टल पर त्रैमासिक आरटीआई रिटर्न भी दाखिल किए।


केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स)

केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम है। इसे मंत्रालयों/ विभागों/भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा शिकायतों के शीघ्र निपटान और प्रभावी निगरानी के लिए विकसित किया गया है। बैंक में एक समुचित शिकायत निवारण व्यवस्था है और उधारकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी का विवरण बैंक की वेबसाइट पर दिया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक को सीपीग्राम्स पोर्टल पर एक भी शिकायत नहीं मिली है।


संयुक्त उद्यम
वर्ष 1996 में निजी क्षेत्र की संस्था के रूप में स्थापित और प्रवर्तित, जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, एक्जिम बैंक तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 9 अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है।

जीपीसीएल लिमिटेड एक अग्रणी अवधारणा थी जिसकी स्थापना कृषि, ऊर्जा, उद्योग, खनन, परिवहन, जल संसाधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी अग्रणी कंपनियों की भागीदारी में की गई थी। जीपीसीएल लिमिटेड ने गत वर्ष अपनी प्रोक्योरमेंट सेवाओं के दायरे को बढ़ाया है, जिनमें बिड परामर्श, प्रोक्योरमेंट प्रशिक्षण, ईप्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन, परियोजना को चिह्नित करना, पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करना, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना और उनकी समीक्षा करना, ऋणदाता के इंजीनियर के रूप में कार्य करना, परियोजनाओं की सम्यक जांच करना, परियोजना की निगरानी करना, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण एजेंसियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 202223 में कंपनी ने क 21.26 मिलियन के कर-पूर्व लाभ के साथ क 67.86 मिलियन की कुल आय दर्ज की।

कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी), मॉरीशस, अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फायनैंशल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) समूह के साथ एक्ज़िम बैंक द्वारा सह-प्रायोजित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी स्थापना अफ्रीका में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी को सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई थी। केपीडीसी को वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर हानि हुई।


ऋणदाताओं के लिए आचार संहिता
बैंक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋणदाताओं के लिए आचार संहिता के संबंध में नीति विद्यमान है, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। यह संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बैंक ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण के तहत सेनेगल में तंबाकुंडा-कोल्डा-ज़िगुइनकोर लिंक के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण और इन क्षेत्रों में नेटवर्क के विस्तार तथा सुधार के लिए एक भारतीय कंपनी को परियोजना निर्यात में सहयोग दिया। इस परियोजना से सेनेगल में विद्युत अवसंरचना सुदृढ़ होगी और देश के दक्षिणी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये ट्रांसमिशन लाइनें कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि तथा पर्यटन में इस क्षेत्र की मजबूत क्षमता का लाभ उठाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

## कॉर्पोरेट गवर्नैंस रिपोर्ट

## 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ("एक्ज़िम बैंक"') कॉर्पोरेट गवर्नैंस के सिद्धांतों और महत्त्व को समझता है। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, बल्कि बैंक ने स्वेच्छा से सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नैंस पद्धतियां भी तैयार की हैं।

एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। एक्ज़िम बैंक का निदेशन, प्रबंधन और व्यवसाय संचालन भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (" एक्ज़िम बैंक अधिनियम"') के अंतर्गत बनाए गए और इसके साथ पठित भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 ("एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियम"') और अन्य लागू कानूनों के अनुसार निर्धारित किया गया है। एक्ज़िम बैंक अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015
("लिस्टिंग विनियम"') के विनियम 15 से 27 की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एक्ज़िम बैंक एक विशिष्ट अधिनियम (एक्ज़िम बैंक अधिनियम) के अंतर्गत स्थापित एक वित्तीय संस्था है और इसे कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित नहीं किया गया है। बैंक, यथा लागू अनुसार, अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रकटीकरण करने और स्टेकहोल्डर मूल्य को बढ़ाने की दृष्टि से अन्य सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।

एक्ज़िम बैंक की असंपरिवर्तनीय (नॉन-कन्वर्टिबल) ऋण प्रतिभूतियां, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("'एनएसई") पर सूचीबद्ध हैं और ये 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021' और लिस्टिंग विनियमों द्वारा शासित होती हैं।

## 2. निदेशक मंडल

एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6 में एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल के गठन का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नलिखित अनुसार रही:

| धारा | निदेशक की प्रकृति | निदेशक का विवरण | वर्ग* | टिप्पणियां |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6[1][क] | अध्यक्ष | रिक्त | - | 20 फरवरी, 2017 से |
|  | प्रबंध निदेशक | सुश्री हर्षा बंगारी | कार्यपालक निदेशक | 08 सितंबर, 2021 से नियुक्त |
| 6[1][कक] | दो पूर्णकालिक निदेशक | श्री एन. रमेश | कार्यपालक निदेशक | 23 नवंबर, 2020 <br> से नियुक्त |
|  |  | रिक्त** | - | 08 सितंबर, 2021 से |
| 6[1][ख] | एक निदेशक <br> (आरबीआई द्वारा नामनिर्दिष्ट) | श्री आर. सुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक | गैर-कार्यकारी निदेशक | $\begin{aligned} & 13 \text { फरवरी, } 2021 \\ & \text { से नियुक्त } \end{aligned}$ |
| 6[1][ग] | एक निदेशक <br> (विकास बैंक से नामनिर्दिष्ट) | श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक और सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | गैर-कार्यकारी निदेशक | 21 दिसंबर, 2018 <br> से नियुक्त |
| 6[1][घ] | एक निदेशक <br> (ईसीजीसी द्वारा नामनिर्दिष्ट) | श्री एम. सेंथिलनाथन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड | गैर-कार्यकारी निदेशक | $\begin{aligned} & 22 \text { नवंबर, } 2019 \\ & \text { से नियुक्त } \end{aligned}$ |
| 6[1][ङ][i] | पांच निदेशक <br> (केंद्र सरकार के अधिकारी) | श्री दम्मू रवि सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय | गैर-कार्यकारी निदेशक | 20 सितंबर, 2021 <br> से नियुक्त |
|  |  | सुश्री रूपा दत्ता <br> प्रधान सलाहकार, <br> उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | गैर-कार्यकारी निदेशक | 31 जनवरी, 2023 <br> को सेवानिवृत्त |


| धारा | निदेशक की प्रकृति | निदेशक का विवरण | वर्ग* | टिप्पणियां |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | श्री रजत कुमार मिश्रा अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग | गैर-कार्यकारी निदेशक | 03 नवंबर, 2021 से नियुक्त |
|  |  | श्री सुचीन्द्र मिश्र अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग | गैर-कार्यकारी निदेशक | 31 मार्च, 2022 <br> से नियुक्त |
|  |  | श्री विपुल बंसल संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग | गैर-कार्यकारी <br> निदेशक | 03 दिसंबर, 2021 से नियुक्त |
| 6[1][ङ][ii] | अधिकतम तीन निदेशक (अनुसूचित बैंकों से) | श्री दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक | गैर-कार्यकारी निदेशक | 24 दिसंबर, 2020 से नियुक्त |
|  |  | श्री ए. एस. राजीव प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र | गैर-कार्यकारी निदेशक | 01 नवंबर, 2019 <br> से नियुक्त |
|  |  | श्री राजकिरण राय जी. प्रबंध निदेशक और सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | गैर-कार्यकारी निदेशक | 31 मई, 2022 <br> को सेवानिवृत्त |
|  |  | श्री एम.वी. राव प्रबंध निदेशक और सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | गैर-कार्यकारी निदेशक | 21 सितंबर, 2022 से नियुक्त |
| 6[1][ङ][iii] | निर्यात, आयात, या इनके वित्तपोषण में विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव वाले अधिकतम चार निदेशक | श्री अशोक कुमार गुप्ता कर परामर्शदाता | गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशक | 21 दिसंबर, 2021 <br> से नियुक्त |
|  |  | रिक्त | - | 05 जून, 2009 से |
|  |  | रिक्त | - | 18 अप्रैल, 2015 से |
|  |  | रिक्त | - | 18 अप्रैल, 2015 से |

* लिस्टिंग विनियमों के विनियम $16(1)$ (ख) के अनुसार, "स्वतंत्र निदेशक"' से तात्पर्य गैर-कार्यकारी निदेशक से है, जो सूचीबद्ध इकाई के नामिती निदेशक के अलावा है।

स्पष्टीकरण - 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (क) जो एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसे उस कानून के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना है, जिसके तहत उस निकाय की स्थापना की गई है, के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

विनियम $17(1)($ (क) के अनुसार, 'निदेशक मंडल' में कार्यपालक और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक और कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हों।

तदनुसार, एक्ज़िम बैंक अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त/नामित किए जा रहे बैंक के बोर्ड में निदेशकों को लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।
** एक्जिम बैंक अधिनियम (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल, 2023 की अपनी अधिसूचना के जरिए, एक्ज़िम बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, श्री तरुण शर्मा को एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री तरुण शर्मा ने 18, अप्रैल, 2023 को एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान एक्जिम बैंक के कार्यपालक और गैर-कार्यकारी निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल
निदेशक का विवरण
सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक
श्री एन. रमेश, उप प्रबंध निदेशक

श्री आर. सुबुमणियन कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

## संक्षिप्त प्रोफाइल

सुश्री हर्षा बंगारी बैंक की प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले वे एक्जिम बैंक की उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। सुश्री बंगारी कॉमर्स ग्रेजुएट एवं चार्टर्ड अकाउंटैंट हैं।

उन्होंने 1995 में एक्जिम बैंक जॉइन किया था। सुश्री बंगारी अनुभवी फायनैंस प्रोफेशनल हैं और उन्हें वित्तीय क्षेत्र में 27 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्हें बैंक की सभी प्रक्रियाओं और व्यवसाय नीतियों की विशद जानकारी है। उन्हें ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा संसाधनों से लेकर जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा, देयता प्रबंधन जैसे बैंक के समस्त क्रियाकलापों का अनुभव है।
श्री एन. रमेश एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक हैं। वह 1999 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक में नियुक्ति से पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। 2016 से 2019 तक वह वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। यहां उन्होंने कृषि, निर्यात निरीक्षण, बायोटेक्नोलॉजी और संयंत्र प्रभागों का कार्यभार संभाला। 2010-2016 के दौरान श्री एन. रमेश समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक (मार्केटिंग) के रूप में सेवारत रहे।

श्री रमेश बैंगलोर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बैंगलोर से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रैजुएट हैं।
श्री आर. सुब्रमणियन भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। उन्हें रिज़र्व बैंक में बैंकिंग पर्यवेक्षण, प्रवर्तन, वित्तीय बाजार विनियमन, आरक्षित निधि प्रबंधन, आंतरिक ऋण प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।
श्री सुस्रमणियन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट), आणंद से प्रबंधन में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा धारक हैं। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया से एसोसिएट के रूप में प्रोफेशनल शिक्षा हासिल की और वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनैंस के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं।
श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक और सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

श्री राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पहले वह केनरा बैंक तथा लक्ष्मी विलास बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। केनरा बैंक में कार्यरत रहते हुए वह केनरा बैंक की समूह कंपनियों में अध्यक्ष के पद पर भी रहे।
2014 में लक्ष्मी विलास बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री शर्मा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें एसबीआई में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव रहा है। वहां वह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिड कॉर्पोरेट खातों के प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिटेल परिचालनों के पर्यवेक्षण, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बैंकिंग परिचालन, विशेषीकृत शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों आदि में क्रेडिट असाइनमेंट जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यभार भी संभाले हैं। वह अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रैजुएट और सीएआईआईबी हैं।

## निदेशक का विवरण

श्री एम. सेंथिलनाथन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड

श्री दम्मू रवि
सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय

## संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री एम. सेंथिलनाथन ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने ईसीजीसी में 1988 में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने देशभर में ईसीजीसी के विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न कार्यभार संभाले हैं। वस्तु और सेवा निर्यातकों की जरूरतों को समझते हुए निर्यातकों और बैंकों के लिए विशिष्ट बीमा उत्पाद तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है। वह कुवैत में बहुपक्षीय निर्यात ऋण एजेंसी इंटर अरब इन्वेस्टमेंट गारंटी कॉर्पोरेशन में भी कार्यरत रहे हैं और वर्ष 2006-07 के दौरान पुनर्बीमा परामर्शदाता के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वह दिसंबर 2015 से ईसीजीसी के पूर्णकालिक निदेशक होने के साथ-साथ भारत सरकार के ट्रस्ट, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के प्रबंध ट्रस्टी भी हैं, जिसके अंतर्गत मध्यम और दीर्घावधि परियोजना निर्यात आते हैं।
वह अक्टूबर 2017 से ईसीजीसी के प्रतिनिधि के रूप में बर्न यूनियन (इंटरनैशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरर्स) प्रबंधन समिति और अल्पावधि समिति के सदस्य हैं। श्री सेंथिलनाथन फायनैंस में एमबीए हैं।
श्री दम्मू रवि ने 1989 में भारतीय विदेश सेवा में अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने वर्ष 1991 से 2001 तक मेक्सिको, क्यूबा, ब्रसेल्स स्थित भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह 2001 से 2006 तक विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में पश्चिम यूरोप और संयुक्त राष्ट्र प्रभागों में उप सचिव/निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने मार्च 2006 से मई 2009 तक पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। वह अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2013 तक विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे, जहां उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारतीय संबंधों का कार्यभार संभाला।

उन्होंने जनवरी 2014 से फरवरी 2020 तक वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने व्यापार संबंधी विवादों, एनएएमए, मत्स्यपालन वार्ताओं, व्यापार नीति संबंधी समीक्षा आदि जैसे डब्ल्यूटीओ से जुड़े विषयों सहित भारत की व्यापार नीति का उत्तरदायित्व संभाला। वह नवंबर 2015 में नैरोबी (एमसी $X$ ) और दिसंबर 2017 में ब्यूनस आयर्स (एमसी XI) में होने वाले डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। उन्होंने जी 20 , ब्रिक्स, राष्ट्रमंडल, एससीओ, एपेक, आईओआरए, एएसईएम, अंकटाड आदि जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों का उत्तरदायित्व भी संभाला है। वह वृहद् क्षेत्रीय मुक्त व्यापार करार 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)' में भारत के मुख्य वार्ताकार भी रहे हैं। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) हैं।
उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।
निदेशक का विवरण
श्री रजत कुमार मिश्रा
अपर सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

श्री सुचीन्द्र मिश्र
अपर सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय

श्री विपुल बंसल
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य विभाग

## संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री रजत कुमार मिश्रा वर्तमान में आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार में अपर सचिव के रूप में सेवारत हैं। यहां वह संपोषी वित्त, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र संबंधी समस्त मामलों सहित सभी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय फंडिंग एजेंसियों के साथ काम करने वाले प्रभागों के प्रभारी हैं। इसके अलावा, वर्तमान में वह न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड सदस्य भी हैं। साथ ही, एशियाई विकास कोष, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ के उप / वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी सेवारत हैं तथा सारटैक (एसएएआरटीएसी) में भारत के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं।
वह आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव और अपर सचिव सहित भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। आर्थिक कार्य विभाग में रहते हुए वह दो केंद्रीय बजट (20202021 और 2021-2022) तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। इसी दौरान, वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में कागजरहित डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था। 2020-2021 में कोविड-19 संकट के दौरान भारत सरकार के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने में भी उनका योगदान रहा है।
वह 'आयडियाज' के अंतर्गत विकास सहयोग प्रदान करने के लिए अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों से परियोजना प्रस्तावों का चयन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति के सह-अध्यक्ष भी रहे हैं।
श्री सुचीन्द्र मिश्र भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं और रक्षा लेखा विभाग में विभिन्न उत्तरदायित्व संभाल चुके हैं। उन्होंने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में उप सचिव / निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा व्यय विभाग में निदेशक और वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
वह दिल्ली विश्वविद्यालय और एक्सएलआरआई-ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के छात्र रहे हैं।

श्री विपुल बंसल 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, वह वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत रहे हैं। श्री बंसल ने 2001 में अपनी चार्टर्ड अकाउंटैंसी पूरी की। वह श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, जहां से उन्होंने 1998 में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की।

श्री दिनेश खारा देश के सबसे बड़े बैंक-भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष हैं। 1984 में उन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में एसबीआई जॉइन किया। उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में सभी विषयों का गहन अनुभव है। श्री खारा एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले एसबीआई में कई मुख्य पदों पर कार्य कर चुके हैं। वह प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग और सहयोगी कंपनियां), प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां), प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (एसबीआई म्यूचुअल फंड्स) और मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल सर्कल रहे हैं। विदेशी कार्यभार संभालने के दौरान वह शिकागो में भी पदस्थापित रहे हैं।

प्रबंध निदेशक के रूप में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, बड़े कॉर्पोरेट्स और ट्रेजरी परिचालनों के प्रमुख रहने के अतिरिक्त वह बैंक की एसबीआई क्रेडिट कार्ड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल जैसी गैर-बैंकिंग सहायक कंपनियों के भी प्रमुख रहे। उन्होंने अपने पांच पूर्व सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय संबंधी कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन किया। इसके अतिरिक्त वह अलग-अलग समय पर बैंक के जोखिम, आईटी और अनुपालन कार्यों के प्रमुख भी रहे हैं। श्री खारा दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से कॉमर्स में पोस्ट ग्रैजुएट हैं और एफएमएस, नई दिल्ली से एमबीए हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं।

## निदेशक का विवरण

श्री ए. एस. राजीव प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

## संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री ए.एस. राजीव ने 2 दिसंबर, 2018 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और सीईओ का पदभार संभाला। इससे पहले वह इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक थे। श्री राजीव को सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक और इंडियन बैंक में लगभग तीन दशकों का प्रोफेशनल बैंकिंग का अनुभव है। वह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटैंट हैं और उन्हें कॉर्पोरेट क्रेडिट, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, ऋण निगरानी और पर्यवेक्षण, एनपीए प्रबंधन, योजना और विकास, मानव संसाधन, वित्त, लेखा और कराधान, सतर्कता, कॉर्पोरेट अभिशासन, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा जैसे बैंकिंग के सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है। इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में वह एनपीसीआई और बैंक की सहायक कंपनियों- मेसर्स इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड और मेसर्स इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड के निदेशक भी रहे। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी काम किया है।

विजया बैंक में श्री राजीव बेंगलूरु और चेन्नै क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

श्री एम.वी. राव प्रबंध निदेशक और सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

श्री अशोक कुमार गुप्ता
कर सलाहकार

श्री एम.वी. राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। उन्होंने 1 मार्च, 2021 से यह कार्यभार संभाला है। वर्तमान पदभार से पूर्व वह तीन वर्ष से अधिक समय तक केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे।

कृषि में स्नातकोत्तर श्री राव ने पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें नेतृत्व वाली भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक समय का प्रोफेशनल बैंकिंग का अनुभव रहा है। उन्हें कॉर्पोरेट ऋण, रिटेल परिसंपत्तियों, ट्रेज़री प्रबंधन, मानव संसाधन, ऋण नीति और निगरानी, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन, डिजिटल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन जैसे बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक होने के साथ-साथ श्री राव बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, मुंबई और भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के भी सदस्य हैं। आप भारतीय रिज़र्व बैंक, आईआरडीएआई और भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित विभिन्न समितियों के भी सदस्य हैं।

श्री अशोक कुमार गुप्ता कर परामर्शदाता ए.के. गुप्ता एंड कं. के प्रॉप्राइटर हैं। उन्हें कर एवं विनियामकीय क्षेत्रों में लगभग 34 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। साथ ही उन्हें कर आयोजना, कानूनी सहयोग, सम्यक् जांच, फेमा और अन्य कर कानूनों में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक और कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। श्री गुप्ता डायरेक्ट टैक्सेज़ प्रफेशनल्स एसोसिएशन के आजीवन सदस्य हैं।

निदेशकों की गैर-निरर्हता का प्रमाण पत्र :
लिस्टिंग विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसरण में, एक्ज़िम बैंक ने एक संचालनरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

## निदेशक मंडल की बैठक

बोर्ड की बैठकों की तारीखें समय रहते काफी पहले निर्धारित की जाती हैं और इस संबंध में निदेशकों को सूचित कर दिया जाता है। बोर्ड सदस्यों को बोर्ड और समिति(यों) की प्रत्येक बैठक से पहले संबंधित आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी के

साथ कार्यसूची संबंधी कागजात प्रदान किए जाते हैं। बोर्ड, बैंक पर लागू कानूनों और विनियमों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। समितियों की संस्तुतियों को आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और बैंक के निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है, ताकि वे बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुई: (i) 11 मई, 2022 (ii) 04 अगस्त, 2022, (iii) 11 नवंबर, 2022, (iv) 14 फरवरी, 2023, (v) 21 मार्च, 2023 को।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| निदेशक का नाम | वर्ग | वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या |  | निदेशन/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षता की संख्या |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | आयोजित | भाग लिया | निदेशन विनियम $(17 \mathrm{~A})(1)$ | समिति की सदस्यता* (विनियम) $26(1)$ |  |
| सुश्री हर्षा बंगारी | कार्यपालक निदेशक | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| श्री एन. रमेश | कार्यपालक निदेशक | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| श्री दम्मू रवि | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| श्री रजत कुमार मिश्रा | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| श्री सुचीन्द्र मिश्र | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| श्री विपुल बंसल | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| श्री आर. सुब्रमणियम | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| श्री एम. सेंथिलनाथन | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| श्री दिनेश कुमार खारा | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| श्री राकेश शर्मा | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| श्री ए. एस. राजीव | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| श्री एम.वी. राव | गैर-कार्यकारी निदेशक | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| श्री अशोक कुमार गुप्ता | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |

*लिस्टिंग विनियमों का विनियम 26(1)(ख): सीमा के निर्धारण के प्रयोजन से, केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता और सदस्यता को शामिल किया गया है।

## टिप्पणियां:

1. बोर्ड में कोई भी निदेशक 7 से अधिक सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक / स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
2. पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंध निदेशक में से कोई भी तीन से अधिक सूचीबद्ध इकाइयों में स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
3. बोर्ड में कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हैं और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक हैं।
4. हमारी जानकारी के अनुसार, निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।
5. यथा 31 मार्च, 2023 को किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास एक्जिम बैंक की प्रतिभूतियां नहीं रहीं।
6. यथा 31 मार्च, 2023 को सूचीबद्ध इकाइयों में अन्य निदेशक पद (केवल वही, जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) जहां एक्ज़िम बैंक के कोई बोर्ड सदस्य निदेशक हैं, निम्नलिखित अनुसार हैं:

यथा 31 मार्च, 2023 को सूचीबद्ध इकाई(यों) में निदेशकों का विवरण

| निदेशक का नाम | सूचीबद्ध इकाई(यों) में निदेशक पद | निदेशक पद/ अध्यक्षता की श्रेणी | समितियों में अध्यक्ष/सदस्यता |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| श्री विपुल बंसल | एमएमटीसी लिमिटेड | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक | शून्य |
|  | स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक | शून्य |
| श्री सुचीन्द्र मिश्र | केनरा बैंक | सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक | लेखा परीक्षा समिति (सदस्य) |
| श्री दिनेश कुमार खारा | भारतीय स्टेट बैंक | अध्यक्ष | शून्य |
|  | एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड | अध्यक्ष | शून्य |
|  | एसबीआई लाइफ इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड | अध्यक्ष | शून्य |
| श्री ए.एस. राजीव | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | प्रबंध निदेशक और सीईओ | शून्य |
|  | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक | 1. लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष) <br> 2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (अध्यक्ष) <br> 3. हितधारक संबंध समिति (अध्यक्ष) <br> 4. जोखिम प्रबंधन समिति (सदस्य) |
| श्री राकेश शर्मा | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | प्रबंध निदेशक और सीईओ | जोखिम प्रबंधन समिति (सदस्य) |
| श्री एम. वी. राव | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | प्रबंध निदेशक और सीईओ | 1. हितधारक संबंध समिति (सदस्य) <br> 2. जोखिम प्रबंधन समिति (सदस्य) |

## स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:

एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा $6(1)(ड ़)$ के अनुसार, केंद्र सरकार एक्ज़िम बैंक के बोर्ड में उन व्यक्तियों को नामित करती है जिन्हें निर्यात या आयात अथवा इसके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो। तदनुसार, कराधान का विशेष रूप से ज्ञान रखने वाले एक गैर-सरकारी निदेशक, श्री अशोक कुमार गुप्ता को एक्ज़िम बैंक के बोर्ड में नामित किया गया है। बैंक ने गैर-सरकारी निदेशकों को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ("एफएसआईबी") द्वारा आयोजित "'निदेशक विकास कार्यक्रम"‘ विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की व्यवस्था की है।

## निदेशक मंडल की समितियां

एक्ज़िम बैंक के बोर्ड ने बैंक के व्यावसायिक मामलों में मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की दृष्टि से विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठकें एक्जिम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की विभिन्न समितियां निम्नलिखित अनुसार रहीं:

1. लेखा परीक्षा समिति (एसी)
2. प्रबंध समिति (एमसी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति (एससीएमएफएफ)
5. उधारकर्ता को गैर-सहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)
6. उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ताओं के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीआईडब्ल्यूडी)
7. बैंक के पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति (ओसीपीबी)
8. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
9. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

बोर्ड की बैठकों के आयोजन से संबंधित बैंक के दिशानिर्देश यथासंभव व्यवहार्यता तक, समिति की बैठकों पर भी लागू होते हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यात्मक प्रमुखों को वांछित विभिन्न विवरण प्रस्तुत करने के लिए समिति द्वारा अपनी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

यदि बोर्ड द्वारा गठित की गई किसी कतिपय उप-समिति के पदनामित अध्यक्ष किसी आपात स्थिति के चलते बैठक में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, तो बैठक में भाग लेने वाले सबसे लंबे समय तक सेवारत गैर-कार्यकारी निदेशक (एनईडी) बैठक की अध्यक्षता करते हैं, भले ही वह एनईडी बोर्ड की किसी अन्य उप-समिति के अध्यक्ष हों।

## विभिन्न समितियों का गठन निम्नानुसार है:

लेखा परीक्षा समिति (एसी)
बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों के लिए मार्गदर्शन देती है, ताकि एक प्रबंधन माध्यम के रूप में, इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और बैंक सांविधिक, बाहरी, आंतरिक और संगामी लेखापरीक्षा रिपोट्टों और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। लेखा परीक्षा समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है।

समिति को बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा समूह के कार्यकलापों के अन्वेक्षण और इसकी प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा करने, बैंक के लेखों को अंतिम रूप देने और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें, अर्थात, (i) 11 मई, 2022 (ii) 04 अगस्त, 2022 (iii) 09 नवंबर, 2022 (iv) 20 दिसंबर, 2022 (v) 13 फरवरी, 2023 (vi) 20 मार्च, 2023 को हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 120 दिनों से अधिक का नहीं रहा।

यथा 31 मार्च, 2023 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना और समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी का विवरण इस प्रकार है:

| निदेशक का नाम | वर्ग | निदेशन कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | $\begin{aligned} & \text { बैठकों की } \\ & \text { संख्या, जिनमें } \\ & \text { भाग लिया } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| श्री ए.एस. राजीव | गैर-कार्यकारी निदेशक | 6 | 5 |
| श्री दिनेश कुमार खारा | गैर-कार्यकारी निदेशक | 6 | 0 |
| श्री राजकिरण राय जी. (31 मई, 2022 तक) | गैर-कार्यकारी निदेशक | 1 | 1 |
| श्री एम. सेंथिलनाथन | गैर-कार्यकारी निदेशक | 6 | 5 |
| श्री राकेश शर्मा | गैर-कार्यकारी निदेशक | 6 | 0 |
| श्री एम.वी. राव (21 सितंबर, 2022 से) | गैर-कार्यकारी निदेशक | 4 | 2 |
| श्री अशोक कुमार गुप्ता | गैर-कार्यकारी निदेशक | 6 | 6 |
| श्री एन. रमेश | उप प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक | 6 | 4 |

## वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति में परिवर्तन

1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री राजकिरण राय जी. 31 मई, 2022 को सेवानिवृत्त हो गए।
2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री एम.वी. राव को भारत सरकार द्वारा 21 सितंबर, 2022 से बैंक के बोर्ड में नामित किया गया।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
बैंक में कोई नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं है। निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और भत्ते (यथा लागू) एक्ज़िम बैंक अधिनियम और एक्ज़िम बैंक सामान्य विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार हैं।

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
एक्जिम बैंक के बोर्ड ने 21 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में हितधारक संबंध समिति का गठन किया। इस समिति का उत्तरदायित्व बैंक के हितधारकों की शिकायतों पर नजर रखना और उनका समाधान करना है। यथा 31 मार्च, 2023 को एसआरसी की कोई बैठक नहीं हुई है। हितधारक संबंध समिति का गठन निम्नलिखित अनुसार किया गया है:

| धारा | प्रकृति | निदेशक का नाम |
| :---: | :---: | :---: |
| 6(1)(कक) | दो उप प्रबंध निदेशक | 1. श्री एन. रमेश <br> 2. रिक्त |
| 6(1)(घ) | ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक | 1. श्री एम. सेंथिलनाथन |
| 6(1)(ड़)(ii) | अनुसूचित बैंकों के तीन निदेशकों में से कोई एक | 1. श्री दिनेश कुमार खारा <br> 2. श्री ए. एस. राजीव <br> 3. श्री एम. वी. राव |
| 6(1)(ड़)(iii) | बोर्ड में नामांकन के क्रम में चार निदेशकों में से कोई एक जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव है | 1. श्री अशोक कुमार गुप्ता |

## अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम: सुश्री सिद्धि केलुस्कर, अनुपालन अधिकारी

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या और उनके निस्तारण संबंधी विवरण:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शिकायतों/अनुरोधों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:

1. वर्ष की शुरुआत में निवेशकों की लंबित शिकायतों की संख्या- शून्य
2. वर्ष के दौरान निवेशकों की प्राप्त शिकायतों की संख्या- शून्य
3. वर्ष के दौरान निवेशकों की निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या- शून्य
4. वर्ष के अंत में निवेशकों की अनसुलझी शिकायतों की संख्या - शून्य

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
जोखिम प्रंधन समिति बैंक की जोखिम प्रंधन नीति को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक / बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न जोखिम सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करती है और अन्य आंतरिक जोखिम प्रंधन समितियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व की समीक्षा भी करती है। बैंक की ऐसी विभिन्न नीतियां, जिनकी बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है और अनुमोदित किया जाता है, उन्हें पहले आरएमसी को समीक्षा और बोर्ड को संस्तुति करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 5 बैठकें, अर्थात, (i) 11 मई, 2022 (ii) 04 अगस्त, 2022, (iii) 09 नवंबर, 2022, (iv) 13 फरवरी, 2023 और (v) 20 मार्च, 2023 को हुईं।

यथा 31 मार्च, 2023 को जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी का विवरण निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | वर्ग | निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| श्री दिनेश कुमार खारा | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 0 |
| श्री राजकिरण राय जी. <br> (31 मई, 2022 तक) | गैर-कार्यकारी निदेशक | 1 | 1 |
| श्री एम. सेंथिलनाथन | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 5 |
| श्री राकेश शर्मा | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 0 |
| श्री ए.एस. राजीव | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 4 |
| श्री एम.वी. राव (21 सितंबर, 2022 से) | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 0 |
| श्री अशोक कुमार गुप्ता | गैर-कार्यकारी निदेशक | 5 | 5 |
| श्री एन. रमेश | उप प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक | 5 | 5 |

## पारिश्रमिक नीति

निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और भत्ते (यथा लागू) एक्जिम बैंक अधिनियम और एक्जिए बैंक सामान्य विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार हैं।

## पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक (अन्य भत्तों और परिलब्धियों सहित) ₹ 65.29 लाख और बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री एन. रमेश को ₹ 45.85 लाख रहा।

## बैंक के गैर-सरकारी निदेशकों को देय शुल्क:

| बैठकें | प्रति बैठक देय शुल्क |
| :--- | :--- |
| बोर्ड | ₹ 40,000 (बोर्ड बैठक की अध्यक्षता के <br> लिए ₹ 10,000 अतिरिक्त) <br>  <br> समिति |
| ₹ 20,000 (बैठक की अध्यक्षता के लिए <br> ₹ 5,000 अतिरिक्त) |  |

नोट: एक्ज़िम बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक और सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी भी बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-सरकारी निदेशक को भुगतान किया गया कुल बैठक शुल्क:

| निदेशक का नाम |
| :--- |
| श्री अशोक कुमार गुप्ता |
| ₹ $6,00,000$ |

## टिप्पणियां:

- बैंक के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, उनमें से किसी के पास यथा 31 मार्च, 2023 को एक्ज़िम बैंक की कोई भी प्रतिभूतियां नहीं रहीं;
- स्टॉक ऑप्शंस - लागू नहीं;
- बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के यथा 31 मार्च, 2023 को बकाया ऋणों से संबंधित जानकारी के लिए 'वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियां' के 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' संबंधी "'टिप्पणी 22" का संदर्भ लीजिए।
- पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निष्पादन आधारित कोई प्रोत्साहन लागू नहीं रहे।
- चूंकि पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए नोटिस अवधि और विच्छेद (सीवरैंस) शुल्क लागू नहीं होते हैं।


## संचार के साधन

एक्जिम बैंक के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी - सभी संस्करण) में प्रकाशित किए गए थे। वित्तीय परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियां और अन्य आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां बैंक की वेबसाइट (www.eximbankindia.in) पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

## सामान्य जानकारी:

एक्जिम बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के जरिए स्थापित और प्रशासित है और यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। तथापि, एक ‘उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई' होने के कारण, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधान अनुपालन के लिए एक्ज़िम बैंक पर भी लागू होते हैं।

|  | वार्षिक आम बैठक | लाग नहीं |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | वित्तीय वर्ष | तिमाही / वित्तीय वर्ष के लिए त्रैमासिक/वार्षिक परिणामों का अंगीकरण | बोर्ड बैठक की तारीख | प्रकाशन की तिथि | समाचार पत्र का नाम |
|  |  | 30 जून, 2022 <br> (तिमाही परिणाम) | 04 अगस्त, 2022 | 05 अगस्त, 2022 | बिजनेस स्टैंडर्ड |
|  |  | 30 सितंबर, 2022 <br> (तिमाही और छमाही परिणाम) | 11 नवंबर, 2022 | 12 नवंबर, 2022 | बिजनेस स्टैंडर्ड |
|  |  | 31 दिसंबर, 2022 (तिमाही परिणाम) | 14 फरवरी, 2023 | 15 फरवरी, 2023 | बिजनेस <br> स्टैंडर्ड |
|  |  | 31 मार्च, 2023 <br> (तिमाही और वार्षिक परिणाम) | 11 मई, 2023 | 13 मई, 2023 | बिजनेस स्टैंडर्ड |

तिमाही/वार्षिक परिणामों के लिए वेबलिंक:
https://www.eximbankindia.in/investor-relations
3 लाभांश भुगतान की तारीख एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है।
निवल लाभ शेष राशि, निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को अंगीकृत किए जाने के बाद केंद्र सरकार को अंतरित की जाती है।
4 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को किया गया है।
5 स्टॉक कोड
लागू नहीं
एक्जिम बैंक, निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय (नॉन-कन्वर्टिबल), अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।

6 बाजार मूल्य डेटा - पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महीने के दौरान उच्च, निम्न

लागू नहीं
एक्ज़िम बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय (नॉनकन्वर्टिबल), अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।

7 बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल
लागू नहीं

8 यदि प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग लागू नहीं
से निलंबित कर दिया जाता
है, तो निदेशकों की रिपोर्ट
में उसके कारण स्पष्ट किए
जाएं
9 किसी निर्गम और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार

डेटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड
पता: प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र, 400093।
ईमेल: ubiinvestors@datamaticsbpm.com
टेलीफोन: 022-66712001-06
एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और आवंटन, हस्तांतरण और शमन के संबंध में सभी गतिविधियों का रखरखाव डेटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

10 शेयर हस्तांतरण प्रणाली
नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और आवंटन, हस्तांतरण और शमन के संबंध में सभी गतिविधियां केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं।

11 शेयरधारिता का वितरण
लागू नहीं
और शेयरों और
लिक्विडिटी का अमूर्तिकरण
(डिमैटेरिअलाइजेशन)
एक्जिम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।
12 बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी
रसीदें या अमेरिकी
डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

## 13 कमोडिटी मूल्य जोखिम लागू नहीं

या विदेशी मुद्रा जोखिम और 'वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियां' की 'टिप्पणी 11. डेरिवेटिव' का संदर्भ लीजिए। हेजिंग गतिविधियां

14 संयंत्र के स्थान

## लागू नहीं

एक्जिम बैंक का प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400005 में स्थित है।
बैंक के दस घरेलू क्षेत्रीय कार्यालय हैं और आठ विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा एक विदेशी शाखा है।

15 पत्राचार के लिए पता

16 सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपने सभी ऋण इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों को भारत या विदेश में लगाने की किसी योजना या प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग, उनमें संशोधन हुए हों तो, उन संशोधनों सहित सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची

एक्जिम बैंक का प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400005 में स्थित है।

| इंस्ट्रेंट्स | क्रिसिल (पुनः पुष्टि) | इक्रा (पुन: पुष्टि) |
| :---: | :---: | :---: |
| बॉन्ड | क्रिसिल एएए; स्थिर (₹ $45,531.90$ करोड़) | इक्रा एएए; स्थिर <br> (₹ $33,812.60$ करोड़) |
| दीर्घावधि जमा प्रमाण पत्र | क्रिसिल एएए; स्थिर (₹ $25,844.42$ करोड़) | इक्रा एएए; स्थिर (₹ $25,844.42$ करोड़) |
| अल्पावधि जमा प्रमाण पत्र | क्रिसिल ए1+ <br> (₹ $25,844.42$ करोड़) | $\begin{aligned} & \text { इक्रा ए1+ } \\ & \text { (₹ 25,844.42 करोड़) } \end{aligned}$ |
| वाणिज्यिक पत्र | क्रिसिल ए1+ <br> (₹ $25,844.42$ करोड़) | इक्रा ए1+ <br> (₹ $25,844.42$ करोड़) |
| बैंक ऋण सुविधाएं | क्रिसिल एएए; स्थिर (₹ 3,000 करोड़) | इक्रा एएए; स्थिर <br> (₹ 3000 करोड़) |
| मीयादी जमा | क्रिसिल एएए; स्थिर | इक्रा एएए; स्थिर |
| टियर 1 बॉन्ड (बेसल ॥II के तहत) | क्रिसिल एए+ ; स्थिर <br> (₹ 1,100 करोड़) | इक्रा एए + ; स्थिर <br> (₹ 600 करोड़) |


| रेटिंग एजेंसी | दीर्घावधि/ अल्पावधि | रेटिंग | रेटिंग दिनांक | आउटलुक |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| मूडीज | दीर्घावधि | बीएए3 | 28/09/2022 | स्थिर |
| फिच | दीर्घावधि | बीबीबी- | 25/11/2022 | स्थिर |
| एस एंड पी | दीर्घावधि | बीबीबी- | 05/09/2022 | स्थिर |
| जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी | दीर्घावधि | बीबीबी+ | 03/02/2023 | स्थिर |

1 प्रमुख रूप से उल्लेखनीय संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शनों पर प्रकटीकरण, जिनमें बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है :
2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा एक्ज़िम बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, अननुपालन के चलते स्टॉक एक्सचेंज(जों) या बोर्ड कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंड या बाध्यता का विवरण :

3 सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण / सचेतक बैंक ने एक सतर्कता तंत्र और बोर्ड द्वारा एक विसल ब्लोअर नीति लागू (विसल ब्लोअर) नीति, और पुष्टि कि कोई भी कर्मी की है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है:
ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं रहा :
4 अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैरअनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण :
www.eximbankindia.in
लिस्टिंग विनियमों के विनियम 15-27 के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नैंस मानदंड, 31/03/2024 तक अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू हैं।

5 सेबी विनियमों के अनुसार नीतियों के लिए वेब लिंक: बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां यहां उपलब्ध हैं:

- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार https://www.eximbankindia.in/investor-relations संहिता संबंधी नीति।
- भौतिक सब्सिडियरी संबंधी नीति
- संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शन के प्रभाव संबंधी नीति।
- अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता और प्रक्रियाओं संबंधी नीति
- नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग विनियमन, निगरानी और रिपोर्ट करने तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता।
6 कमोडिटी मूल्य जोखिमों और कमोडिटी हेजिंग लागू नहीं
गतिविधियों का प्रकटीकरण।
7 विनियम 32 (7क) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन अथवा अर्हता प्राप्त संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण।

8 जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी समिति की कोई भी संस्तुति स्वीकार नहीं की है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से अपेक्षित है, उसका प्रकटीकरण कारण सहित किया जाए।

परन्तु यह खंड केवल वहीं लागू होगा जहां निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समिति द्वारा संस्तुति / प्रस्तुतीकरण अपेक्षित हो और यह वहां लागू नहीं होगा, जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए संबंधित समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो।
9 सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को सभी सेवाओं के लिए समेकित आधार पर भुगतान किया गया कुल शुल्क।
10 कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण :
11 सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिमों का प्रकटीकरण, जिनमें निदेशक नाम और राशि से हित रखते हैं :

परंतु यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी :
12 सूचीबद्ध इकाई की भौतिक सहायक कंपनियों का शून्य विवरण; निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख।

## प्रबंध निदेशक का प्रमाण पत्र/घोषणा

मैं घोषणा करती हूं कि बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं यह भी घोषणा करती हूं कि बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(हर्षा बंगारी)
प्रबंध निदेशक

## प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
01-04-2022 से 31-03-2023 तक की अवधि के लिए

## प्रति

सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई 400005.

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (आगे "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचार/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

बैंक के बही-खातों, दस्तावेजों, मिनट बुक और दाखिल किए गए रिटर्न और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य के दौरान बैंक तथा बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 , मार्च 2023 तक की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालनतंत्र हैं और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, मिनट बुक, और रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:
i. भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ('"एक्ज़िम बैंक अधिनियम"');
ii. भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020;
iii. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (लागू नहीं हैं क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित नहीं है)
iv. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
v. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू)
vi. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
vii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; (लागू सीमा तक)

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021;

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; (लागू सीमा तक)

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों का बाय-बैक विनियम, 1998; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) और बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग करार। (लागू सीमा तक)।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय IV के प्रावधान 31 मार्च, 2024 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर उपरोक्त एक्ज़िम बैंक अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्दे शों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- एक्जिम बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अनुसरण में निदेशक मंडल में केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष (गैरकार्यकारी) की नियुक्ति प्रतीक्षित है। एक्ज़िम बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत नियुक्त प्रबंध निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तथापि, बैंक अपने बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के साथ मासिक आधार पर संपर्क में रहता है।


## हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

एक्ज़िम बैंक के निदेशक मंडल का गठन एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विधिवत किया गया है, जिसमें कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के पद हैं और इसे उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक पर लागू सीमा तक सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप देखा जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और नियुक्तियों/नामांकन आदेशों के अनुसार रहे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पर्याप्त समय रहते भेजे गए, और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है।

निदेशकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, कार्यसूची मदों पर आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है, ताकि बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिशचित की जा सके। संबंधित बैठक में हुई चर्चाओं को उचित रूप से दर्ज किया जाता है और उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप, बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में कोई विशिष्ट घटना या कार्रवाई नहीं रही जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कार्यों पर प्रभाव डाल सकती है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

रागिनी चोकशी
(पार्टनर)
सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390
स्थान: मुंबई
दिनांक: 10/05/2023

## इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्रक 'क' के रूप में संलग्र है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

## अनुलग्नक "‘क"

प्रति
सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई 400005.

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की परिशुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा विश्वास है कि हम जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करते हैं, वे हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और बही खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के संबंध में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. यह सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10/05/2023
UDIN: F002390ए000285631

# सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट <br> भारतीय निर्यात-आयात बैंक 

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क के अंतर्गत सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांकित 08 फरवरी, 2019 के साथ पठित]

## हमने निम्नलिखित की जांच की है:

(क) हमें भारतीय निर्यात-आयात बैंक ("उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई") द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण,
(ख) इस सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई फाइलिंग/ प्रस्तुतीकरण,
(ग) इस सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट,
(घ) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज/फाइलिंग, जिस पर इस प्रमाणन को बनाने के लिए निर्भर रहा गया है,

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष ("समीक्षा अवधि'") के लिए निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में:
(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ('"एक्ज़िम बैंक अधिनियम"');
(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 ;
(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("'सेबी अधिनियम"‘) और इसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश ; और
(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए), इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; (लागू सीमा तक)

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में निम्लिखित शामिल हैं:-
(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और समय-समय पर यथासंशोधित; (लागू सीमा तक)
(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और समय-समय पर यथासंशोधित; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और समय-समय पर यथा संशोधित; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक) विनियम, 2018; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 और समय-समय पर यथासंशोधित; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 और समय-समय पर यथा संशोधित;
(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड असंपरिवर्तनीय मोचनीय (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल) अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता विनियम, 2013; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और समय-समय पर यथासंशोधित; (लागू सीमा तक)
(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 (लागू सीमा तक);
(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में ; (लागू सीमा तक)

हम एतद्वद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान इस सूचीबद्ध इकाई की अनुपालन स्थिति नीचे दी गई है:

| क्र. सं. | विवरण | अनुपालन स्थिति (हां/ नहीं/लागू नहीं) | पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां* |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | सचिवीय मानक: <br> इस सूचीबद्ध इकाई के अनुपालन, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार हैं। | लागू नहीं | यह लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित नहीं है। |
| 2 | नीतियों का अंगीकरण और समय पर अपडेशन: <br> - सेबी विनियमों के अंतर्गत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल के अनुमोदन से अंगीकृत किया जाता है। <br> - सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं और सेबी द्वारा जारी विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है और इन्हें समय पर अपडेट किया गया है। | हां | कोई नहीं |
| 3 | वेबसाइट रखरखाव और प्रकटीकरण: | हां | कोई नहीं |

- इस सूचीबद्ध इकाई की कार्यात्मक वेबसाइट है
- वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन के तहत दस्तावेजों / सूचनाओं का समय पर प्रसार किया जाता है।
- विनियम 27(2) के अंतर्गत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नैंस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिंक सटीक और विशिष्ट हैं जो वेबसाइट के संबिंत दस्तावेज / सेक्शन पर ले जाते हैं।

4 निदेशक की निरहर्ता:
बैंक का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निरह नहीं है।

5 सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों से संबंधित विवरणों
(क) 'मैटीरियल' सहायक कंपनियों का चिह्नीकरण
(ख) 'मैटीरियल' और अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण के संबंध में अपेक्षाएं

## की जांच करने के लिए:

6 दस्तावेजों का संरक्षण:
यह सूचीबद्ध इकाई सेबी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित रिकॉर्डों का संरक्षण और रखरखाव कर रही है और सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित, 'दस्तावेजों का संरक्षण नीति' और 'अभिलेखीय नीति' के अनुसार रिकॉर्डों का निस्तारण कर रही है।

हां बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शासित है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 लागू नहीं होता है।

यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की कोई 'मैटीरियल' सहायक कंपनी नहीं रही।


8 संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शन:
(क) इस सूचीबद्ध इकाई ने सभी संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है
(ख) यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो सूचीबद्ध इकाई लेखा परीक्षा समिति द्वारा ट्रांज़ैक्शन को बाद में अनुमोदित/ सत्यापित/ अस्वीकृत किए जाने की पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान करेगी।

9 घटनाओं या सूचना का प्रकटीकरण: हां कोई नहीं
इस सूचीबद्ध इकाई ने सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची ॥। के साथ विनियम 30 के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रकटीकरण इसके तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान किए हैं।

## 10 इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध: <br> हां कोई नहीं

इस सूचीबद्ध इकाई द्वारा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध)
विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) का अनुपालन किया गया है।

11 सेबी या स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो:
इस सूचीबद्ध इकाई/ इसके प्रवर्तकों/ निदेशकों/ सहायक कंपनियों के विरुद्ध सेबी विनियमों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं सहित) के अंतर्गत सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यह लागू नहीं है, क्योंकि सभी निदेशकों को एक्ज़िम बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूर्णकालिक निदेशकों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रमुख निष्पादन संकेतकों के साथ निष्पादन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किया जाता है।

नहीं सभी संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों को 'लेखों पर टिप्पणियां' में शामिल किया गया है जिन्हें समीक्षा के लिए वार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाता है और 'लेखों पर टिप्पणियां' के
हिस्से के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में भी जाता है और ‘लेखों पर टिप्पणियां' के
हिस्से के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रकट किया जाता है।

```
\
```

पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां* संकेतकों के साथ निष्पादन मल्यांकन

सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी $1 / 114 / 2019$ के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं और उनकी ‘मैटीरियल’ सहायक कंपनियों से सांविधिक लेखा परीक्षकों के त्यागपत्र से संबंधित अनुपालन:

| क्र. सं. | विवरण | अनुपालन स्थिति (हां/ नहीं/लागू नहीं) | पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन/ टिप्पणियां |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | लेखा परीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के समय निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन |  |  |
|  | i. यदि लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर त्यागपत्र दे दिया है, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसी तिमाही के लिए सीमित समीक्षा / लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है; या | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |
|  | ii. यदि लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 45 दिनों के बाद त्यागपत्र दिया है, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसी तिमाही के साथ-साथ अगली तिमाही के लिए सीमित समीक्षा / लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है; या | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |
|  | iii. यदि लेखा परीक्षक ने किसी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए सीमित समीक्षा/लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऐसे त्यागपत्र से पहले लेखा परीक्षक ने ऐसे वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए सीमित समीक्षा/ लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। | लागू नहीं | समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं |

## 2 सांविधिक लेखा परीक्षक के त्यागपत्र से संबंधित अन्य शर्तें

i. लेखा परीक्षा समिति को सूचीबद्ध इकाई/ उसकी ‘मैटीरियल’ सहायक कंपनी के संबंध में लेखा परीक्षक की चिंता के विषयों की रिपोर्टिंग:
क. ऐसे किसी भी मामले में जिसमें सूचीबद्ध इकाई/ ‘मैटीरियल’ सहायक कंपनी के प्रबंधन को लेकर कोई चिंता का विषय रहा हो जैसे- सूचना की अनुपलब्धता/ प्रबंधन द्वारा असहयोग, जिससे लेखा परीक्षा प्रक्रिया बाधित हुई हो, लेखा परीक्षक ने सूचीबद्ध इकाई की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया है और लेखा परीक्षा समिति द्वारा तिमाही लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की विशेष रूप से प्रतीक्षा किए बिना, चिंता के ऐसे विषयों को सीधे और तुरंत लिया जाएगा।
ख. यदि लेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र देने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो प्रस्तावित त्यागपत्र के संबंध में सभी चिंताओं को संबंधित दस्तावेजों के साथ लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया लाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित त्यागपत्र कंपनी से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण है, लेखा परीक्षक ने मांगी गई और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई जानकारी/ स्पष्टीकरण के विवरण के बारे में लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है।
ग. लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, ने उपर्युक्त अनुसार त्यागपत्र देने के प्रस्ताव से संबंधित लेखा परीक्षक से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मामले पर विचार-विमर्श किया और प्रबंधन तथा लेखा परीक्षक को अपने विचारों से अवगत कराया।
ii. जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में अस्वीकरण:

लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एक ऐसे मामलों में आईसीएआई/ एनएफआरए द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, उपयुक्त अस्वीकरण प्रदान किया है, जहां सूचीबद्ध इकाई/ उसकी 'मैटीरियल’ सहायक कंपनी ने लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित अनुसार जानकारी प्रदान नहीं की है।
3 सूचीबद्ध इकाई/इसकी सहायक कंपनी ने त्यागपत्र देने पर लेखा परीक्षक से 18 अक्टूबर, 2019 के सेबी परिपत्र सीआईआर/ सीएफडी/ सीएमडी1/ 114/ 2019 अनुलग्रक-क में निर्दिष्ट प्रारूप में सूचना प्राप्त की है।

लागू नहीं समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं

सूचीबद्ध इकाई ने नीचे विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, उपर्युक्त विनियमों और उनके तहत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है: -

| क्र. <br> सं. | अनुपालन अपेक्षा <br> (विनियम/ <br> परिपत्र/ <br> दिशा-निर्देश सहित विशिष्ट खंड) | विनियम/ परिपत्र | विचलन | संस्था <br> द्वारा <br> की गई <br> कार्रवाई | कार्रवाई का प्रकार | उल्लंघन का विवरण | दंड राशि | कार्यरत कंपनी <br> सचिव के <br> ऑब्ज़्वेशन/ <br> टिप्पणियां | प्रबंधन की प्रतिक्रिया | टिप्पणियां |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसे कोई मामले नहीं हैं। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

टिप्पणियां:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय IV के प्रावधान 31 मार्च, 2024 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे ;
2. संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 द्वारा शासित है। इस प्रकार, उपरोक्त अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है।

सूचीबद्ध इकाई ने पिछली रिपोटों में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है:

| क्र. <br> सं. | अनुपालन अपेक्षा <br> (विनियम/ <br> परिपत्र/ <br> दिशा-निर्देश सहित विशिष्ट खंड) | विनियम/ परिपत्र | विचलन | द्वारा की गई कार्रवाई | कार्रवाई <br> का प्रकार | उल्लंघन का विवरण | दंड राशि | कार्यरत कंपनी <br> सचिव के <br> ऑब्ज़र्वेशन/ <br> टिप्पणियां | प्रबंधन प्रतिक्रिया | टिप्पणियां |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | लागू नहीं |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29 मार्च, 2023 के एनएसई परिपत्र सं. एनएसई/सीएमएल/25 के अनुसरण में; हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम $3(5)$ और $3(6)$ की अपेक्षाओं के अनुसार एसडीडी अनुपालन का अनुपालन किया जा रहा है।

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र 

[सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची $\vee$ के भाग ड़ के अनुसार]

## प्रति

सदस्यगण,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई 400005.
हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 , विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ), विनियम 62 और इसकी अनुसूची $V$ के पैरा-ग, घ और ड़ में निर्धारित अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') द्वारा एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक पर लागू सीमा तक कॉर्पोरेट गवर्नैंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नैंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नैंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और भारतीय निर्यातआयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 द्वारा शासित है। इस प्रकार, उपरोक्त अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व बाध्यताएं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक एक उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए अध्याय IV के प्रावधान 31 मार्च, 2024 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' आधार पर लागू होंगे।

हम यह उल्लेख भी करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

रागिनी चोकशी
(पार्टनर)
सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390
स्थान: मुंबई
दिनांक: 10/05/2023

# निदेशकों की निरर्हता का प्रमाण पत्र 

## (सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची $v$ पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसार)

प्रति
सदस्यगण
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई 400005.
हमने इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची $V$ के पैरा ग खंड 10(झ) के साथ पठित विनियम 34(3) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्ज़िम बैंक अधिनियम") के अनुसार, केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई 400005 में अपने प्रधान कार्यालय वाले भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित रजिस्टरों, रिकॉर्डों, फॉर्मों, रिटर्नों और निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरण की जांच की है

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी के अनुसार, और पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सत्यापित स्थिति के अनुसार (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित और बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे उल्लिखित अनुसार किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों / बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त होने या इस पद पर बने रहने के लिए निरह घोषित नहीं किया गया है।

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | डीआईएन | बैंक में नियुक्ति की तिथि |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | सुश्री हर्षा बंगारी | 01807838 | 08/09/2021 |
| 2. | श्री एन. रमेश | 03266520 | 23/11/2020 |
| 3. | श्री दम्मू रवि | - | 20/09/2021 |
| 4. | श्री रजत कुमार मिश्रा | - | 03/11/2021 |
| 5. | श्री सुचीन्द्र मिश्र | 01873568 | 31/03/2022 |
| 6. | श्री विपुल बंसल | 02687229 | 03/12/2021 |
| 7. | श्री आर. सुब्रमणियन | - | 13/02/2021 |
| 8. | श्री एम. सेंथिलनाथन | 07376766 | 22/11/2019 |
| 9. | श्री दिनेश कुमार खारा | 06737041 | 24/12/2020 |
| 10. | श्री राकेश शर्मा | 06846594 | 21/12/2018 |
| 11. | श्री ए.एस. राजीव | 07478424 | 01/11/2019 |
| 12. | श्री एम.वी. राव | 06930826 | 21/09/2022 |
| 13. | श्री अशोक कुमार गुप्ता | 01187193 | 21/12/2021 |

बैंक के बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/नामांकन एक्ज़िम बैंक अधिनियम में विनिदिष्ट अनुसार, केंद्र सरकार/संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर अभिमत व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

## वित्तीय <br> विवरण

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 

सेवा में<br>भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

## अभिमत

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2023 को तुलन-पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे एवं नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त लेखा विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (i) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वित्तीय निष्पादन स्थिति तथा नकदी प्रवाह स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं।

## अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के ‘वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा’ खंड में आगे ‘लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता और विशिष्ट वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

## लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले वे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्त्व के रहे। इन मामलों का समाधान, संपूर्ण रूप में, वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उस पर हमारा अभिमत बनाने के संदर्भ में किया गया और हम उन मामलों के संबंध में अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिए गए मामलों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के रूप में वर्णित करने का निर्णय लिया है:

## क्रमांक लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधानीकरणः
अग्रिम, बैंक की आस्तियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन अग्रिमों की गुणवत्ता को, बैंक के सकल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक के अग्रिम, कुल आस्तियों के $83.31 \%$ रहे और बैंक का सकल एनपीए अनुपात $4.09 \%$ रहा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) दिशानिर्देशों में एनपीए तथा ऐसी आस्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान का निर्धारण और वर्गीकरण करने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कारकों का प्रयोग करते हुए एनपीए का निर्धारण करने और उनके लिए अपेक्षित प्रावधान करने के संबंध में बैंक पर भी लागू होते हैं। एनपीए का निर्धारण कुछ निश्चित क्षेत्रों में स्ट्रेस और लिक्विडिटी जैसे कारकों से प्रभावित होता है।

## हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया

## हमने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं

 अपनाई हैं:- एनपीए निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की नीतियों को ध्यान में रखना तथा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करना।
- मौजूदा आईआरएसीपी दिशानिर्देशों और केवल बैंक के संबंध में दिए गए आरबीआई के अतिरिक्त निदेशों के आधार पर ह्रासित खातों का निर्धारण करने के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा परीक्षण करना।
- यथोचित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की गई और बैंक की निगरानी प्रक्रिया के अनुसार की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं तथा आरबीआई निरीक्षण की टिप्पणियों के संबंध में अनुपालन की जांच की गई।


## क्रमांक लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधानीकरण, उन एनपीए के कालिक क्षय और वर्गीकरण, वसूली अनुमान, सिक्योरिटी के मूल्य और अन्य क्वालिटेटिव कारकों के आधार पर आकलित किया जाता है तथा यह प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन है।

इसके अतिरिक्त, बैंक, कुछ निश्चित क्षेत्रों में अग्रिमों और एनपीए हो जाने की आशंका वाले चिह्हित अग्रिमों अथवा समूह अग्रिमों सहित उन एक्सपोज़रों के लिए भी प्रावधान करता है, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। इन्हें आकस्मिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
बैंक ने इस संबंध में अपनी लेखा नीति में, नोट । (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर्गत "महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां" में विवरण दिया है।
चूंकि एनपीए का निर्धारण और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण में महत्त्वपूर्ण आकलन अपेक्षित होता है और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्त्व को देखते हुए, हमने एनपीए के निर्धारण और प्रावधानीकरण को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामला माना है।

2 आयकर के लिए आकस्मिक देयता:
बैंक में कुछ महत्त्वपूर्ण कर मामले चल रहे हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो विवादित हैं और उन विवादों में संभावित परिणाम के लिए निर्णय महत्त्वपूर्ण होगा।
चूंकि इन कर मामलों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्तर का निर्णय अपेक्षित है, इसलिए हमने इसे लेखा संबंधी प्रमुख मामलों में शामिल किया।

## हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया

- चिह्नित उधारकर्ताओं के लेखा विवरणों और अन्य संबंधित जानकारियों की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जोखिम कारकों के आधार पर समीक्षा करना।
- बैंक द्वारा तनावग्रस्त ऋण खातों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई पूर्व चेतावनी रिपोटों की जांच करना।
- जहां कहीं भी ऋण जोखिम माना गया, उन मामलों में बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट चर्चा करना और जोखिमों को कम करने के उपाय करना।
- हमने एनपीए के संबंध में, संबंधित लेखा मानकों और आरबीआई की अपेक्षाओं के एवज में प्रकटीकरण की सुसंगतता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया। साथ ही, विनियामकीय पैकेज और समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण का भी मूल्यांकन किया।


## अग्रिमों के प्रावधानीकरण के संबंध में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाईः

- अग्रिमों के प्रावधानीकरण के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ बनाई।
- आरबीआई विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना तथा प्रावधानीकरण के लिए आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई नीतियों की सैंपल आधार पर जांच की गई।
- ऐसे ऋण खातों के लिए, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं और बैंक ने उनके लिए प्रावधान किए हैं, हमने उन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की।
- कर देयताएं और कर प्रावधान निर्धारित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में समझ बनाना।
- रिपोर्टिंग की तारीख को कर मामलों के संबंध में कानूनी वरीयता, अन्य निर्णयों और नई जानकारी पर विचार करने के बाद महत्त्वपूर्ण कर जोखिमों के लिए देयता की संभावना और उसके स्तर के मूल्यांकन को समझने के लिए बाहरी कर विशेषज्ञों को शामिल किया।
- कर प्राधिकारों के साथ हुए पत्राचार सहित संबंधित दस्तावेजीकरण का संदर्भ लेते हुए कर मांग की समीक्षा की गई।
- इस संबंध में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया।
- हमने विवादित आयकर देयताओं के प्रावधानीकरण पर बैंक के मत को रेखांकित किया। बैंक तथा बाह्य कर विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा के आधार पर आयकर के लिए आकस्मिक देयता के तहत ₹ 0.55 बिलियन का प्रकटीकरण (गत वर्ष: ₹0.50 बिलियन) किया गया है।


## अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय परिचालन, प्रबंधन और कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नैंस) शामिल हैं, किन्तु इनमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नंस संबंधी प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

## अन्य मामले

भारत में बैंक के दस क्षेत्रीय कार्यालय हैं, विदेश में बैंक की एक शाखा और आठ कार्यालय स्थित हैं। भारत और विदेश स्थित कार्यालयों के लिए बैंक की वित्तीय लेखा प्रणालियां केंद्रीकृत हैं। हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में, हमने दस क्षेत्रीय कार्यालयों में से आठ का दौरा किया है। वर्ष के दौरान हमारे द्वारा विदेश स्थित किसी भी कार्यालय का दौरा नहीं किया गया।

हमने 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही तक के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2023 माह तक के लिए संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा कर ली है। हम समझते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। इसलिए ये रिपोर्टें हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं रहीं।

इस मामले के संबध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने तथा प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन से रहित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। गवनैंस से जुड़ा प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

## वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना है कि ये वित्तीय विवरण, पूर्ण रूप में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन से रहित हैं और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा, यदि कोई महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन है तो सदैव उसका पता लगा लेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और उन्हें तब महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जब अलग-अलग या सकल रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना रखते हों। लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान प्रोफेशनल संशयात्मकता रखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी के चलते बनने वाले महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि के चलते होने वाले मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- परिचालन जारी रखने के लेखांकन आधार और हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना, कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के परिचालन जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढांचे और सामग्री का मूल्यांकन करना, और देखना कि वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं और घटनाएं इस रूप में हैं कि उचित प्रस्तुति प्रदर्शित करती हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी महत्त्वपूर्ण विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नैंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नैंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

## अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों I, II और III के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- इस रिपोर्ट में लिए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।
- बैंक के कार्यालयों और विदेश स्थित शाखा से प्राप्त लेखांकन विवरण, जानकारी और रिटर्न हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

कृते जीएमजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 103429W

सीए अतुल जैन
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097
यूडीआईएन: 23037097BGWDIZ6814
स्थानः मुंबई,
दिनांकः 11 मई, 2023

|  |  | इस वर्ष <br> (यथा 31.03.2023 को) | गत वर्ष (यथा 31.03.2022 को) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ₹ | ₹ |
| देयताएं | अनुसूचियां |  |  |
| 1. पूँजी | । | 1,59,09,36,63,881 | 1,59,09,36,63,881 |
| 2. आरक्षित निधियां | II | 47,18,25,89,123 | 33,18,21,68,229 |
| 3. लाभ और हानि खाता | III | 1,55,80,00,000 | 73,76,00,000 |
| 4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर |  | 9,15,33,00,48,500 | 9,11,44,57,43,000 |
| 5. देय बिल |  |  | - |
| 6. जमा राशियां | IV | 1,52,61,65,868 | 1,77,48,64,091 |
| 7. उधार राशियां | V | 3,67,37,61,08,842 | 1,61,55,39,99,474 |
| 8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान |  | 63,57,92,78,636 | 47,75,85,79,490 |
| 9. अन्य देयताएं |  | 59,02,32,97,198 | 51,86,86,72,455 |
| योग |  | 16,14,66,91,52,048 | 13,67,41,52,90,620 |
| आस्तियां |  |  |  |
| 1. नकदी एवं बैंक शेष | VI | 25,22,03,32,051 | 32,73,37,83,010 |
| 2. निवेश | VII | 1,23,10,85,20,849 | 1,09,02,52,61,755 |
| 3. ऋण एवं अग्रिम | VIII | 12,92,33,40,28,165 | 11,45,61,58,12,525 |
| 4. भुनाए गए/पुनः भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र | IX | 52,90,00,00,000 | 30,57,58,00,000 |
| 5. अचल आस्तियां | X | 3,74,69,20,156 | 3,68,93,39,694 |
| 6. अन्य आस्तियां | XI | 1,17,35,93,50,827 | 45,77,52,93,636 |
| योग |  | 16,14,66,91,52,048 | 13,67,41,52,90,620 |
| आकस्मिक देयताएं |  |  |  |
| i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व |  | 1,54,18,10,42,151 | 1,38,11,20,09,528 |
| ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर |  | 2,27,37,040 | - |
| iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर |  | - | - |
| iv) अंशतः प्रदट्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं |  | 18,91,62,520 | 17,82,79,005 |
| v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है |  | 5,05,02,00,000 | 5,08,19,97,787 |
| vi) संग्रहण के लिए बिल |  | - | - |
| vii) सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर |  | - | - |
| viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल |  | - | - |
| ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है |  | 16,60,68,79,596 | 15,07,61,62,871 |
| योग |  | 1,76,05,00,21,307 | 1,58,44,84,49,191 |

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

## निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

| श्री तरुण शर्मा | श्री एन. रमेश | सुश्री हर्षा बंगारी |
| :---: | :---: | :---: |
| उप प्रबंध निदेशक | उप प्रबंध निदेशक | प्रबंध निदेशक |
| श्री दम्मू रवि | श्री रजत कुमार मिश्रा | श्री सुचीन्द्र मिश्र |
| श्री आर. सुब्रमणियन | श्री ए. एस. राजीव | श्री अशोक कुमार गुप्ता |
|  | कृते जीएमजे एंड कंपनी <br> सनदी लेखाकार <br> फर्म पंजी. सं. 103429 W |  |
|  | (सीए अतुल जैन) |  |
| स्थानः मुंबई | पार्टनर सदस्यता |  |
| दिनांक: 11 मई, 2023 | सं. 037097 |  |

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

## निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

| श्री तरुण शर्मा उप प्रबंध निदेशक | श्री एन. रमेश उप प्रबंध निदेशक | सुश्री हर्षा बंगारी प्रबंध निदेशक |
| :---: | :---: | :---: |
| श्री दम्मू रवि | श्री रजत कुमार मिश्रा | श्री सुचीन्द्र मिश्र |
| श्री आर. सुब्रमणियन | श्री ए. एस. राजीव | श्री अशोक कुमार गुप्ता |
|  | कृते जीएमजे एंड कंपनी सनदी लेखाकार <br> फर्म पंजी. सं. 103429 W |  |
|  | (सीए अतुल जैन) |  |
| स्थानः मुंबई | पार्टनर सदस्यता |  |
| दिनांक: 11 मई, 2023 | स.. 037097 |  |

## वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में अनुसूचियां

## सामान्य निधि

## इस वर्ष

गत वर्ष
(यथा 31.03.2023 को) (यथा 31.03.2022 को)
अनुसूची I: पूँजी:

1. प्राधिकृत
2. निर्गमित एवं प्रद्तःः (केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)

अनुसूची II: आरक्षित निधियां:

1. आरक्षित निधि
2. सामान्य आरक्षित राशियां
3. अन्य आरक्षित राशियां:

निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएं)
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा $36(1)$ (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि

अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:

1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष

7,37,65,24,558
2. घटाएं: विनियोजनः

- आरक्षित निधि को अंतरित

14,00,04,20,894
6,63,89,24,558

- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित
- ऋण शोधन निधि को अंतरित
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित

3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)

| 2,00,00,00,00,000 | 2,00,00,00,00,000 |
| :---: | :---: |
| 1,59,09,36,63,881 | 1,59,09,36,63,881 |
| 29,64,79,73,659 | 15,64,75,52,765 |
| - |  |
| 1,93,92,96,400 | 1,93,92,96,400 |
| 1,95,53,19,064 | 1,95,53,19,064 |
| 13,64,00,00,000 | 13,64,00,00,000 |
| 47,18,25,89,123 | 33,18,21,68,229 |
| 15,55,84,20,894 | 7,37,65,24,558 |
| 14,00,04,20,894 | 6,63,89,24,558 |
|  |  |
| - |  |
| - |  |
| 1,55,80,00,000 | 73,76,00,000 |
| 1,52,61,65,868 | 1,77,48,64,091 |
| - |  |
| 1,52,61,65,868 | 1,77,48,64,091 |

अनुसूची V : उधार राशियां:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर
(ख) विनिमय बिलों पर
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण
(दीर्घावधि परिचालन) निधि से
2. भारत सरकार से
3. अन्य स्वोतों से:
(क) भारत में
(ख) भारत के बाहर

90,47,56,28,920
22,84,04,42,293
2,76,90,04,79,922
3,67,37,61,08,842

1,38,71,35,57,181
1,61,55,39,99,474

## वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में अनुसूचियां

सामान्य निधि

|  | (यथा 31.03.2023 को) |  |
| :---: | :---: | :---: |
| अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष: |  |  |
| 1. हाथ में नकदी | 2,01,986 | 2,02,366 |
| 2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष | 1,00,74,381 | 1,30,14,82,828 |
| 3. अन्य बैंकों में शेष: |  |  |
| (क) भारत में |  |  |
| i) चालू खातों में | 2,50,89,99,192 | 1,67,01,37,227 |
| ii) अन्य जमा खातों में | 9,96,43,13,945 | 1,75,00,00,000 |
| (ख) भारत के बाहर | 12,73,67,42,547 | 28,01,19,60,589 |
| 4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ट्रेप के अंतर्गत ऋण |  |  |
|  | 25,22,03,32,051 | 32,73,37,83,010 |
| अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में हास का निवल, यदि कोई है) |  |  |
| 1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां | 1,06,83,76,64,874 | 92,76,41,20,000 |
| 2. इक्विटी शेयर और स्टॉक | 2,13,67,83,687 | 1,78,76,31,245 |
| 3. अधिमानी शेयर एवं स्टॉक | 40,61,99,960 |  |
| 4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड | 2,13,03,59,328 | 3,30,84,00,010 |
| 5. अन्य | 11,59,75,13,000 | 11,16,51,10,500 |
|  | 1,23,10,85,20,849 | 1,09,02,52,61,755 |
| अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम: |  |  |
| 1. विदेशी सरकारें | 5,56,97,47,43,079 | 5,33,18,36,76,763 |
| 2. बैंक: |  |  |
| (क) भारत में | 1,36,25,95,00,000 | 1,39,15,85,00,000 |
| (ख) भारत के बाहर | 2,46,51,00,000 | 2,34,95,67,500 |
| 3. वित्तीय संस्थाएं: |  |  |
| (क) भारत में |  |  |
| (ख) भारत के बाहर | 1,16,48,37,74,169 | 90,19,00,94,780 |
| 4. अन्य | 4,80,15,09,10,917 | 3,80,73,39,73,482 |
|  | 12,92,33,40,28,165 | 11,45,61,58,12,525 |
| अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र: |  |  |
| (क) भारत में | 52,90,00,00,000 | 30,57,58,00,000 |
| (ख) भारत के बाहर |  |  |
|  | 52,90,00,00,000 | 30,57,58,00,000 |
| अनुसूची X : अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यह्लास घटाकर) |  |  |
| 1. परिसर |  |  |
| सकल राशि (आगे लाई गई) | 5,13,54,13,642 | 5,12,00,83,818 |
| वर्ष के दौरान परिवर्द्धन | 11,13,18,521 | 1,53,29,824 |
| वर्ष के दौरान निपटान |  |  |
| वर्ष के अंत में सकल राशि | 5,24,67,32,163 | 5,13,54,13,642 |
| संचित ह्रास | 1,93,19,79,947 | 1,70,20,85,519 |
| निवल राशि (ब्लॉक) | 3,31,47,52,216 | 3,43,33,28,123 |

## वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में अनुसूचियां

सामान्य निधि

|  | इस वर्ष (यथा 31.03.2023 को) | (यथा 31.03.2022 को) |
| :---: | :---: | :---: |
| 2. अन्य |  |  |
| सकल राशि (आगे लाई गई) | 1,49,19,44,300 | 1,43,24,61,033 |
| वर्ष के दौरान परिवर्द्धन | 42,27,33,039 | 11,38,79,687 |
| वर्ष के दौरान निपटान | 5,45,87,263 | 5,43,96,420 |
| वर्ष के अंत में सकल राशि | 1,86,00,90,076 | 1,49,19,44,300 |
| संचित ह्रास | 1,42,79,22,136 | 1,23,59,32,729 |
| निवल राशि (ब्लॉक) | 43,21,67,940 | 25,60,11,571 |
|  | 3,74,69,20,156 | 3,68,93,39,694 |
| अनुसूची XI: अन्य आस्तियां: |  |  |
| 1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज: |  |  |
| (क) निवेशों /बैंक जमाओं पर | 14,68,26,12,658 | 11,01,78,09,688 |
| (ख) ऋण एवं अग्रिम | 19,41,59,36,548 | 6,43,23,99,561 |
| 2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां | 5,80,06,510 | 5,72,93,416 |
| 3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल) | 9,38,09,84,168 | 3,45,65,21,868 |
| 4. अन्य [₹ $17,87,80,13,378$ की निवल आस्थगित कर आस्तियों सहित (गत वर्ष ₹ $16,64,29,69,567$ )] | 73,82,18,10,943 | 24,81,12,69,103 |
|  | 1,17,35,93,50,827 | 45,77,52,93,636 |
| अनुसूची XII: अन्य व्यय: |  |  |
| 1. निर्यात संवर्धन व्यय | 2,90,39,189 | 70,30,733 |
| 2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय | 35,05,130 | 12,50,341 |
| 3. मरम्मत और रखरखाव | 47,21,26,829 | 34,75,63,495 |
| 4. मुद्रण और लेखन सामग्री | 1,11,42,760 | 95,44,157 |
| 5. अन्य | 96,77,39,691 | 75,80,64,936 |
|  | 1,48,35,53,599 | 1,12,34,53,662 |
| अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टाः |  |  |
| 1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा | 74,08,44,14,205 | 43,39,25,77,052 |
| 2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय | 35,31,02,17,113 | 36,37,12,57,080 |
|  | 1,09,39,46,31,318 | 79,76,38,34,132 |
| अनुसूची XIV: अन्य आय: |  |  |
| 1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ | 52,93,14,303 | (28,39,96,746) |
| 2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ | $(5,52,707)$ | 22,57,350 |
| 3. अन्य | 57,98,45,118 | 43,65,36,112 |
|  | 1,10,86,06,714 | 15,47,96,716 |

## टिप्पणीः

'देयताओं' के अंतर्गत जमाओं [अनुसूची IV (क) देखिए] में 8.30 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 12.63 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं। 'आस्तियों' के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची VII 4 देखिए] कुल ₹ 0.39 बिलियन की बॉन्ड राशि (गत वर्ष ₹ 0.59 बिलियन) शामिल है, जो स्वॉप्स के चलते है।

## नकदी प्रवाह विवरण

|  | राशि (₹ मिलियन में) |  |
| :---: | :---: | :---: |
| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
| परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह |  |  |
| कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मदें | 20,890.85 | 21,497.52 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन: |  |  |
| - अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) | 0.55 | (2.26) |
| - निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) | (529.31) | 284.00 |
| - मूल्यह्यास | 474.94 | 391.21 |
| - बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय | 127.92 | 166.57 |
| - निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर | - | - |
| - ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना | 15,100.82 | 9,806.68 |
| - अन्य उल्लेख करें | - | - |
|  | 36,065.77 | 32,143.72 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन: |  |  |
| - अन्य आस्तियां | $(76,291.77)$ | (540.24) |
| - चालू देयताएं | 1,307.04 | 16,159.32 |
| परिचालनों से नकदी निर्माण | $(38,918.97)$ | 47,762.80 |
| आय कर/ब्याज कर का भुगतान | $(5,924.46)$ | $(1,131.99)$ |
| परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क) | $(32,994.50)$ | 48,894.78 |
| निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह |  |  |
| - अचल आस्तियों की निवल खरीद | (533.07) | (119.14) |
| - निवेशों में निवल परिवर्तन | $(13,553.94)$ | (9,137.02) |
| निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी (ख) | $(14,087.02)$ | (9,256.16) |
|  |  |  |
| वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह |  |  |
| - प्राप्त इक्विटी पूँजी | - | 7,500.00 |
| - लिए गए ऋण (चुकौती घटाकर) | 2,09,348.08 | (21,395.45) |
| - दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती घटाकर) | (1,69,042.42) | (1,37,678.16) |
| - इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष) | (737.60) | (253.90) |
|  |  |  |
| वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह (ग) | 39,568.07 | (1,51,827.51) |
| नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि / (गिरावट) (क+ख+ग) | $(7,513.45)$ | (1,12,188.88) |
| प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य | 32,733.78 | 1,44,922.67 |
| अंतिम नकदी एवं समतुल्य | 25,220.33 | 32,733.78 |

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक
श्री दम्मू रवि
श्री आर. सुब्रमणियन

स्थानः मुंबई
दिनांक: 11 मई, 2023

श्री एन. रमेश उप प्रबंध निदेशक

श्री रजत कुमार मिश्रा
श्री ए. एस. राजीव
कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W
(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

सुश्री हर्षा बंगारी प्रबंध निदेशक

श्री सुचीन्द्र मिश्र
श्री अशोक कुमार गुप्ता

## महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

## I. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां

(i) वित्तीय विवरण

## (क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात विकास कोष), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां गत वर्ष प्रयोग की गई लेखा नीतियों के अनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 में दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16, दिनांकित 23 जून, 2016 में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े, "लेखों पर टिप्पणियां" के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

## (ख) आकलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को स्वीकृत मानक लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की जाने वाली अवधि तक के लिए आय एवं व्यय की तारीख को आस्तियों, देयताओं और प्रावधानों (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में कुछ आकलन और पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए ये आकलन प्रबंधन की राय में विवेकसम्मत और तार्किक हैं।
(ii) राजस्व की गणना

अनर्जक आस्तियों /अनर्जक निवेशों और "तनावग्रस्त आस्तियों", रणनीतिक ऋण पुनसंसचना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा गारंटित ऋणों, जिनमें 90 दिन से अधिक का अतिदेय है, शुल्क आय, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बॉन्डों पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।
(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन-पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्योरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया हैः मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।
(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः
(क) "परिपक्वता तक धारित"(परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),
(ख) "क्रय-विक्रय के लिए धारित" (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और
(ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया हैः
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
iii) शेयरों में निवेश
iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
vi) अन्य (वाणिज्यिक-पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।
(v) अचल आस्तियां तथा मूल्यहास
(क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।
(ख) मूल्यहास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया हैः

| आस्ति |
| :--- |
| स्वामित्व वाले भवन |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर |
| कार्यालय उपकरण |
| अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर |
| मोटर वाहन |
| कम्प्यूटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यह्नास, प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार |
| पर लिया गया है |
|  |
| मोबाइल फोन |

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यहास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।
(घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।
(vi) ह्वास

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन-पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए हास के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई हास हानियों यथा लागू प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। हास हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।
(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन
(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अंतरित किया गया है।
(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।
(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।
(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।
(viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।
(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं जैसे ब्याज दर स्वाप, करंसी स्वाप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वाप तथा वायदा दर करार करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर, हेजिंग के उद्देश्य से किए गए डेरिवेटिव संव्यवहारों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। यथा तुलन-पत्र की तारीख को बकाया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों से संबंधित क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रकटीकरणों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियां' में रिपोर्ट किया जाता है।
(x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान
(क) बैंक में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं। इन निधियों में बैंक के अंशदान को संबंधित वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है।
(ख) ग्रेच्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण परिभाषित कर्मचारी लाभ देयताएं हैं। इन देयताओं के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है।
(xi) आय पर करों का लेखांकन
(क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।
(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन-पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।
(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 29 - 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार, बैंक प्रावधानों को केवल तभी हिसाब में लेता है, जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं, जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।
(xiii) भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के क्रियान्वयन का स्थगन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र दिनांकित 04 अगस्त, 2016 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर 01 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए और 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ लागू थे। आरबीआई ने एक्जिम बैंक को संबोधित 15 मई, 2019 के अपने पत्र के जरिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए इन मानकों का क्रियान्वयन अगली सूचना तक स्थगित करने के संबंध में सूचित किया है।

## II. लेखों पर टिप्पणियां - सामान्य निधि

## 1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्जिम बैंक इराक में भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 51.03 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 47.07 बिलियन) की राशि सहित बैंक को सूचित एजेंसी खाते में धारित ₹ 56.47 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 52.09 बिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

## 2. आकस्मिकताएं और तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाएं

संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI में अन्य आस्तियों में भारत सरकार से प्राप्य ₹ 46.35 बिलियन की कुल राशि शामिल है, जो अप्रैल 2023 में प्राप्त हो गई है।

## 3. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 2.35 बिलियन की समाप्त हो चुकी गारंटियां (गत वर्ष ₹ 1.17 बिलियन) शामिल हैं, जिन्हें बहियों में निरस्त करना शेष है।

## (ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत "बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" के रूप में दिखाई गई ₹ 5.05 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 5.08 बिलियन) की राशि अधिकांशत: बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा अभिमत में रखने योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है ; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

## (ग) आयकर के चलते आकस्मिक देयता

विभिन्न निर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित आयकर मामलों के चलते ₹ 0.55 बिलियन (गत वर्ष 0.50 बिलियन) की राशि को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनके बैंक के मूल्यांकन में देयता में फलीभूत होने की संभावना कम है और इनके एवज में ₹ 1.06 बिलियन का रिफंड प्राप्य (गत वर्ष ₹ 0.90 बिलियन) है।

## (घ) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वाप

(i) यथा 31 मार्च, 2023 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति-देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर स्वाप, वायदा दर करार तथा मुद्रा-सह-ब्याज दर स्वाप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदे करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान भी करता है। ऐसे बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों को हिसाब में लिया जाता है, जिन पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'वर्तमान एक्सपोज़र' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
(ii) बैंक को एफएक्स स्वाप, मुद्रा स्वाप और विदेशी मुद्रा ब्याज स्वाप में बिना किसी परिपक्वता समय या मुद्रा प्रतिबंधों के 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

## (ङ) मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव पर लाभ / हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित आय के इस प्रकार के अंतरण पर सांकेतिक लाभ ₹ 0.28 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.07 बिलियन की सांकेतिक हानि) है।
4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

## 5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

5.1 पूँजी
(क)

|  |  | (₹ बिलियन) |
| :---: | :---: | :---: |
| विवरण | यथा | यथा |
|  | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| (i) सामान्य इक्विटी | 182.19 | 168.40 |
| (ii) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी |  | - |
| (iii) कुल टियर 1 पूँजी (i+ii) | 182.19 | 168.40 |
| (vi) टियर 2 पूँजी | 13.51 | 11.26 |
| (v) कुल पूँजी (टियर 1+ टियर 2) | 195.70 | 179.66 |
| (vi) कुल जोखिम भारित आस्तियां | 769.47 | 589.28 |
| (vii) सामान्य इक्विटी अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कॉमन इक्विटी) | 23.68\% | 28.58\% |
| (viii) टियर 1 अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी) | 23.68\% | 28.58\% |
| (ix) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी) | 25.43\% | 30.49\% |
| (x) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | 100\% | 100\% |
| (xi) भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी पूँजी राशि | शून्य | 7.50 |
| (xii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें से |  |  |
| क) बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर | शून्य | शून्य |
| ख) बेमियादी ऋण लिखत | शून्य | शून्य |
| (xiii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें से |  |  |
| क) ऋण पूँजी लिखतें | शून्य | शून्य |
| ख) बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर | शून्य | शून्य |
| ग) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर | शून्य | शून्य |
| घ) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर | शून्य | शून्य |

(ख) यथा 31 मार्च, 2023 को टियर-॥ पूँजी के रूप में जुटाए गए और बकाया गौण ऋण की राशिः ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ शून्य)

## (ग) जोखिम भारित आस्तियां

| विवरण | यथा | (₹ बिलियन) |
| :--- | ---: | ---: |

(घ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप: भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त पूँजी।

- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- बासेल III मानकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित संशोधित रूपरेखा अभी मसौदा चरण में है। बैंक सीआरएआर के निर्धारण हेतु बासेल III मानकों को इनके प्रभावी होने की तारीख से लागू करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षित है।


## 5.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

| (₹ बिलियन) |  |  |
| :--- | ---: | ---: |
| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | $(3.22)$ | 8.11 |

(ख) कोविड-19 विनियामकीय पैकेज पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार लेखों में किए गए प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज-आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी आरबीआई के परिपत्रों डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 47/21.04.048/2019-20 दिनांकित 27 मार्च, 2020 ('विनियामकीय पैकेज'), डीओआर. सं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2019-20 दिनांकित 17 अप्रैल, 2020 और डीओआर. एफआईडी. सं. 8140/01.02.000/2019-20 दिनांकित 08 मई, 2020 के अनुसार, ऋणदाता संस्थाओं को ऐसे खातों के संबंध में किए गए प्रावधानों का प्रकटीकरण करना आवश्यक है, जिन्हें मॉरेटोरिअम प्रदान किया गया था और आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्रदान किया गया था। ऐसे प्रावधानों का विवरण निम्नलिखित अनुसार हैः

|  | (₹ बिलियन) |  |
| :--- | ---: | ---: |
| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |

उधारकर्ताओं की संख्य

| - | - |
| :---: | :---: | :---: |
|  | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

(ग) अस्थायी प्रावधान

|  |  | (₹ बिलियन) |
| :--- | ---: | ---: |
| विवरण | $2022-23$ | 2021-22 |

(क) अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि
(घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष

## 5.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
| :---: | :---: | :---: |
| (i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (\%) | 0.71 | - |
| (ii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल) |  |  |
| (क) प्रारंभिक शेष | 43.47 | 74.13 |
| (ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी | 78.94 | 5.09 |
| (ग) वर्ष के दौरान कमी | 65.44 | 35.75 |
| (घ) अंतिम शेष | 56.97 | 43.47 |
| (iii) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ |  |  |
| (क) प्रारंभिक शेष | - | 5.33 |
| (ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी | 9.48 | - |
| (ग) वर्ष के दौरान कमी | - | 5.33 |
| (घ) अंतिम शेष | 9.48 | - |
| (iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर) |  |  |
| (क) प्रारंभिक शेष | 43.47 | 68.80 |
| (ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 26.68 | 0.86 |
| (ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन | 22.66 | 26.19 |
| (घ) अंतिम शेष | 47.49 | 43.47 |

## (ख) अनर्जक निवेश

| विवरण |  | (₹ बिलियन) |
| :--- | ---: | ---: |
| (i) निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (\%) | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | 2021-22 |
| (ii) अनर्जक निवेशों में घट-बढ़ (सकल) | $0.08 \%$ | $0.54 \%$ |
| (क) प्रारंभिक शेष |  |  |
| (ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी | 13.75 | 7.05 |
| (ग) वर्ष के दौरान कमी | 0.73 | 8.82 |
| (घ) अंतिम शेष | 11.53 | 2.12 |
| (iii) निवल अनर्जक निवेशों में घट-बढ़ | 2.95 | 13.75 |
| (क) प्रारंभिक शेष |  | 0.59 |
| (ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी | 0.04 | 0.31 |
| (ग) वर्ष के दौरान कमी | 0.54 | 0.06 |
| (घ) अंतिम शेष | 0.09 | 0.59 |
| (iv) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ |  |  |
| (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर) | 13.16 | 6.74 |
| (क) प्रारंभिक शेष | 0.76 | 8.54 |
| (ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 11.07 | 2.12 |
| (ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन | 2.85 | 13.16 |
| (घ) अंतिम शेष |  |  |

## (ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

## विवरण

2022-23
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां
0.59\% 0.05\% (अग्रिम + निवेश) (\%)
(ii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल अग्रिम + सकल निवेश)
(क) प्रारंभिक शेष 87.22 81.18
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी 13.91
(ग) वर्ष के दौरान कमी 76.97
37.87
(घ) अंतिम शेष 59.92
57.22
(iii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़
(क) प्रारंभिक शेष 0.59
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी 0.34
(ग) वर्ष के दौरान कमी 0.54
(घ) अंतिम शेष 9.5
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़
(मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)
(क) प्रारंभिक शेष
56.63
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान 27.44
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन
33.73
28.31
(घ) अंतिम शेष 50.34
56.63
5.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण वर्तमान वर्ष

| (₹ बिलियन) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| क्र.सं. | पुनर्संरचना का प्रकार | विवरण | कंपनी कर्ज पुनर्सरंचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत |  |  |  |  | एसएमई ऋण पुनर्सरंचना प्रक्रिया के अंतर्गत |  |  |  |  | अन्य |  |  |  |  | कुल |
|  | आस्ति वर्गीकरण |  | मानक | अवमानक | संदिध | हानि | कुल | मानक | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल | मानक | अवमानक | संदिगध | हानि | कुल |  |
| 1 | वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्सरंरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या |  | - - | 3 | - | 3 |  | - - |  | - | - 1 | 4 | - | 11 |  | 15 | 19 |
|  |  | बकाया राशि |  | - - | 0.91 | - | 0.91 |  | - - | 0.0 |  | 0.01 | 7.06 | - | 13.37 |  | 20.43 | 21.35 |
|  |  | उस पर प्रावधान |  | - - | 0.91 | - | 0.91 |  | - - | 0.0 | - | 0.01 | 1.83 |  | 13.37 |  | 15.20 | 16.12 |
| 2 | वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त | उधारकर्ताओं की संख्या |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - - | 1 | 2 | - |  | 3 | 3 |
|  |  | बकाया राशि |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - | 6.66 | 3.67 | - |  | 10.33 | 10.33 |
|  |  | उस पर प्रावधान |  | - - | - | - | - |  | - - |  |  | - | 0.31 | 1.59 |  |  | 1.90 | 1.90 |
| 3 | वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन | उधारकर्ताओं की संख्या |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | बकाया राशि |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | उस पर प्रावधान |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - - | - | - |  |  | - |  |
| 4 | वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्सरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है | उधारकर्ताओं की संख्या |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | बकाया राशि |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | उस पर प्रावधान |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - - | - | - | - |  | - |  |
| 5 | वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत | उधारकर्ताओं की संख्या |  | - - | 2 | - | 2 |  | - - |  | - | - | 2 | - | 5 | - | 7 | 9 |
|  |  | बकाया राशि |  | - - | 0.40 | - | 0.40 |  | - - |  | - | - | 3.54 | - | 7.02 | . | 10.56 | 10.96 |
|  |  | उस पर प्रावधान |  | - - | 0.40 | - | 0.40 |  | - - |  | - | - | 1.62 | - | 7.02 |  | 8.64 | 9.04 |
| 6 | वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना | उधारकर्ताओं की संख्या |  | - - | - | - | - |  | - - |  | - | - 1 | - | - | - |  | - | 1 |
|  |  | बकाया राशि |  | - - | - | - | - |  | - - | 0.0 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 |
|  |  | उस पर प्रावधान |  | - - | - | - | - |  | - - | 0.0 | - | 0.01 | - | - | - | . | - | 0.01 |
| 7 | वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या |  | - - | 1 | - | 1 |  | - - |  | - | - | 3 | 2 | 6 | . | 11 | 12 |
|  |  | बकाया राशि |  | - - | 0.51 | - | 0.51 |  | - - |  | - | - | 10.18 | 3.67 | 6.35 |  | 20.20 | 20.71 |
|  |  | उस पर प्रावधान |  | - - | 0.51 | - | 0.51 |  | - - |  | - | - | 0.52 | 1.59 | 6.35 | . | 8.46 | 8.97 |

गत वर्ष :

| गत वर्ष |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | लियन) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| क्र.सं. | पुनर्संरचना का प्रकार |  | कंपनी कर्ज पुनर्रंरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत |  |  |  |  | एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत |  |  |  |  | अन्य |  |  |  |  | कुल |
|  | आस्ति वर्गीकरण | विवरण | मानक | अवमानक | संदिध | हानि | कुल | मानक | अवमानक | संदिध | हानि | कुल | मानक | अवमानक | संदिध | हानि | कुल |  |
| 1 | वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्सरंरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या | 2 | - | 5 | - | 7 |  | - - | 1 | - | - 1 | 1 | - | 10 |  | 11 | 19 |
|  |  | बकाया राशि | 0.07 | - | 1.02 | - | 1.09 |  | - - | 0.01 |  | 0.01 | 0.24 | - | 8.45 |  | 8.69 | 9.79 |
|  |  | उस पर प्रावधान | 0.04 | - | 1.02 | - | 1.06 |  | - - | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 | - | 8.45 |  | 8.48 | 9.55 |
| 2 | वर्ष के दौरान नवीन पुनर्सरचना/बढ़त | उधारकर्ताओं की संख्या | - | - | - | - | - |  | - - | - |  | - - | 3 | - | 2 |  | 5 | 5 |
|  |  | बकाया राशि | - | - | - | - | - |  | - - | - | - | - - | 6.91 | - | 6.40 |  | 13.31 | 13.31 |
|  |  | उस पर प्रावधान | - | - | - | - | - |  | - - | - |  | - | 1.80 | - | 6.40 |  | 8.20 | 8.20 |
| 3 | वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन | उधारकर्ताओं की संख्या |  | - | - | - | - |  | - - | - | - | - - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | बकाया राशि |  | - | - | - | - |  | - - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | उस पर प्रावधान |  | - |  | - | - |  | - - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 4 | वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्सर्रचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है | उधारकर्ताओं की संख्या | - | - | - | - | - |  | - - | - | - | - - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | बकाया राशि | - | - | - | - | - |  | - - | - | - | - - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | उस पर प्रावधान | - | - | - | - | - |  | - - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 5 | वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत | उधारकर्ताओं की संख्या | 2 | - | - | - | 2 |  | - - | - | . | - | - | - | - |  | - | 2 |
|  |  | बकाया राशि | 0.07 | - | 0.03 | - | 0.10 |  | - - | - | - | - - | 0.09 | - | 0.82 | . | 0.91 | 1.01 |
|  |  | उस पर प्रावधान | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.07 |  | - - | - | - | - | - | - | 0.82 |  | 0.82 | 0.89 |
| 6 | वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना | उधारकर्ताओं की संख्या | - | - | 1 | - | 1 |  | - - | - | . | - - | - | - | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | बकाया राशि | - | - | 0.07 | - | 0.07 |  | - - | - | - | - | - | - | 0.66 | . | 0.66 | 0.73 |
|  |  | उस पर प्रावधान | - | - | 0.07 | - | 0.07 |  | - - | - | - | - | - | - | 0.66 | . | 0.66 | 0.73 |
| 7 | वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्सरचित खाते (अंतिम आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या | - | - | 4 | - | 4 |  | - - | 1 | - | - 1 | 4 | - | 11 |  | 15 | 20 |
|  |  | बकाया राशि | - | - | 0.92 | - | 0.92 |  | - | 0.01 | - | 0.01 | 7.06 | - | 13.37 | - | 20.43 | 21.36 |
|  |  | उस पर प्रावधान | - | - | 0.92 | - | 0.92 |  | - - | 0.01 |  | - 0.01 | 1.83 | - | 13.37 | . | 15.20 | 16.13 |

## 5.5 अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़

| (₹ बिलियन) |  |  |
| :--- | ---: | ---: |
| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
| यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) | 43.47 | 74.13 |
| वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां) | 76.70 | 2.47 |
| ब्याज निधीयन | 0.07 | 1.18 |
| विनिमय दर घट-बढ़ | 2.17 | 1.44 |
| उपखंड योग (क) | 122.41 | 79.22 |
| घटाएं: |  | 5.74 |
| (i) उन्नयन | 49.29 | 6.91 |
| (ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर) | 8.74 | 10.10 |
| (iii) तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते | 1.67 | 18.02 |
| (iv) बट्टे खाते, उपर्युक्त (iii) के अलावा | - | 0.72 |
| (v) विनिमय दर घट-बढ़ | 65.44 | - |
| उपखंड योग (ख) | 56.97 | $\mathbf{3 5 . 7 5}$ |
| यथा आगामी वर्ष की 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां |  | 43.47 |
| (अंतिम शेष) (क-ख) |  |  |

आरबीआई के मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 2/21.04.048/2015-16 दिनांकित 1 जुलाई, 2015 के परिशिष्ट भाग सी-2 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

## 5.6 बट्टे खाते और वसूली

| - |  | (₹ बिलियन) |
| :---: | :---: | :---: |
| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
| बट्टे खाते डाले गए खातों का यथा 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष तकनीकी/ विवेकसम्मत बट्टे खाते | 107.62 | 89.19 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते | 8.63 | 18.02 |
| जोड़ें/(घटाएं): विनिमय में उतार-चढ़ाव | 3.41 | 0.97 |
| उपखंड योग (क) | 119.66 | 108.18 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते डाले गए खातों से की गई वसूली (ख) | 2.21 | 0.56 |
| यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख) | 117.45 | 107.62 |

## 5.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

नीचे दिए गए आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं, जिसने अक्टूबर 2010 में परिचालन शुरू किया था।

| विवरण | (₹ बिलियन) |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| कुल आस्तियां | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | 2021-22 |
| कुल अनर्जक आस्तियां | 67.22 | 49.58 |
| कुल राजस्व | 2.73 | - |


| 5.8 निवेशों पर मूल्यहास और प्रावधान |  | (₹ बिलियन) |
| :---: | :---: | :---: |
| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
| (1) निवेश |  |  |
| (i) सकल निवेश | 147.41 | 132.74 |
| क) भारत में | 145.39 | 131.64 |
| ख) भारत से बाहर | 2.02 | 1.10 |
| (ii) मूल्यह्नास के लिए प्रावधान | 24.31 | 23.72 |
| क) भारत में | 22.39 | 22.72 |
| ख) भारत से बाहर | 1.92 | 1.00 |
| (iii) निवल निवेश | 123.11 | 109.02 |
| क) भारत में | 123.00 | 108.92 |
| ख) भारत से बाहर | 0.11 | 0.10 |
| (2) निवेशों पर मूल्यह्नास के लिए किए गए प्रावधानों में घट-बढ़ |  |  |
| (i) प्रारंभिक शेष | 23.72 | 22.43 |
| (ii) जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 2.97 | 3.47 |
| (iii) वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है | - | - |
| (iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर बट्टा खाता/प्रतिलेखन | 2.38 | 2.18 |
| (v) घटाएंः अस्थिर आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरण, यदि कोई है | - | - |
| (vi) अंतिम शेष | 24.31 | 23.72 |

## 5.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

| (₹ बिलियन) |
| :--- |
| लाभ एवं हानि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और <br> आकस्मिक व्यय का विवरण |
| निवेश पर मूल्यह्नास के लिए प्रावधान |
| अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान |
| 2021-22 |
| आयकर के लिए किए गए प्रावधान |
| अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय* |

*इसमें बैंक गारंटियों के लिए ₹ 4.60 बिलियन (गत वर्ष ₹ 7.41 बिलियन) और देशगत जोखिम प्रावधानीकरण के लिए ₹ 0.03 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.14 बिलियन) का राइट बैक और हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली संस्थाओं को एक्सपोज़र के चलते ₹ 0.25 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.06 बिलियन) का प्रावधानीकरण शामिल है।
5.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

| विवरण | 2022-23 | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| :--- | ---: | ---: |
| प्रावधान कवरेज अनुपात | $94.56 \%$ | $100 \%$ |

### 5.11 वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामले और उनके लिए किए गए प्रावधान

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी नए खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है (गत वर्ष 6 मामलों में ₹ 4.01 बिलियन)। इसके अतिरिक्त, यथा वर्ष की समाप्ति को अपरिशोधित प्रावधान की कोई भी राशि 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट नहीं की गई है।

## 6. निवेश पोर्टफोलियोः संघटक एवं परिचालन

## 6.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

| (₹ बिलियन) |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |

गत वर्ष:
(₹ बिलियन)

|  | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | यथा 31 मार्च, |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| विवरण | न्यूनतम बकाया | अधिकतम | दैनिक औसत | 2022 को |
|  |  | बकाया | बकाया | बकाया |

रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां

| i) सरकारी प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | -- | -- | -- | -- |

रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई
प्रतिभूतियां
i) सरकारी प्रतिभूतियां -- -
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां -- -- --
6.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:
(₹ बिलियन)

| क्र. सं. | निवेशकर्ता | राशि |  |  |  | धारित <br> "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | राशि | निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश | "निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां | धारित <br> "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | सार्वजनिक उपक्रम | - | - | - | - |  |
| 2 | वित्तीय संस्थाएं | 0.80 | 0.80 | - | 0.06 | 0.80 |
| 3 | बैंक | 0.002 | 0.002 | - | - |  |
| 4 | निजी कॉर्पोरेट | 38.14* | 38.14 | - | 6.37 | 35.20 |
| 5 | अनुषंगी संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 |
| 6 | अन्य | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 7 | मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान* | 24.31 | 24.31 | - | - |  |
|  | कुल | 38.96 | 38.96 | - | 6.43 | 36.02 |

\# कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18.60 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 7.55 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में है।
उपर्युक्त कॉलम $4,5,6$ और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

गत वर्ष:
(₹ बिलियन)

|  |  |  |  |  |  | (₹ बिलियन) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | राशि |  |  |  |
| क्र. सं. | निवेशकर्ता | राशि | निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश | "निवेश ग्रेड से नीचे" धारित प्रतिभूतियां | धारित <br> "अश्रेणीकृत" प्रतिभूतियां | धारित "असूचीबद्ध" प्रतिभूतियां |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | सार्वजनिक उपक्रम | - | - | - | - |  |
| 2 | वित्तीय संस्थाएं | 1.00 | 1.00 | - | 0.06 | 1.00 |
| 3 | बैंक | 0.002 | 0.002 | - | - | - |
| 4 | निजी कॉर्पोरेट | 38.27* | 38.27 | - | 6.97 | 35.63 |
| 5 | अनुषंगी संस्थाएं/संयुक्त उपक्रम | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 |
| 6 | अन्य | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 7 | मूल्यह्यास के लिए किए गए प्रावधान* | 23.72 | - | - | - | - |
|  | कुल | 39.30 | 39.30 | - | 7.03 | 36.65 |

\# कॉलम 3 में प्रकट किए गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 19.34 बिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश और ₹ 6.91 बिलियन ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में निवेश को दर्शाती हैं।
उपर्युक्त कॉलम $4,5,6$ और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।


## 6.3 हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में / से बिक्री और अंतरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में से निवेशों का कोई विक्रय और अंतरण नहीं किया गया। (गत वर्षः शून्य)।
7. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण
7.1 आस्ति पुनर्संचरना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

| - | (₹ बिलियन) |  |
| :---: | :---: | :---: |
| क्र. विवरण <br> सं. | 2022-23 | 2021-22 |
| (i) खातों की संख्या | 1 | 2 |
| (ii) आस्ति प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों (प्रावधानों को घटाकर) का कुल मूल्य | - | - |
| (iii) कुल प्राप्ति | 0.16 | 0.10 |
| (iv) गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि | 0.51 | 0.91 |
| (v) निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति / (हानि) | 0.67 | 1.01 |

- "आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई आस्तियों" को आरबीआई के मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या एफआईडी.एफआईसी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 01 जुलाई, 2006 और उसके बाद परिभाषित अनुसार माना गया है।

ख. प्रतिभूति जमाओं में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

| क्र. <br> सं. <br> विवरण | प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 2022-23 | 2021-22 |
| (i) बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित | 0.84 | 1.38 |
| (ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटित | -- | -- |
| कुल | 0.84 | 1.38 |

## 7.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क
क्र. विवरण

1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या
(ख) कुल बकाया
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या
(ख) कुल बकाया


ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क्र. विवरण
2022-23
2021-22

| 1. बेचे गए खातों की संख्या | 1 | - |
| :--- | :--- | ---: | :--- |
| 2. कुल बकाया | 0.30 | - |
| 3. कुल प्राप्त राशि | 0.16 | - |

## 7.3 वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहीत किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

क. हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

| (सभी राशियां ₹ बिलियन में) | एआरसी को | $\begin{array}{r} \text { अनुमत } \\ \text { हस्तांतरणकर्ताओं } \\ \text { को* } \end{array}$ | अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| खातों की संख्या | 1 | - | - |
| हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन बकाया | 0.30 | - | - |
| हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि | शून्य | - | - |
| हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) | शून्य | - | - |
| कुल प्रतिफल | 0.16 | - | - |
| पूर्व वर्षों में हस्तांतरित ऋणों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली | 0.51* | - | - |

\#वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समनुदेशित मामलों से वसूली
ख. वर्ष के दौरान दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

| (सभी राशियां ₹ बिलियन में)खंड 3 में सूचीबद्ध <br> ऋणदाताओं की सूची <br> से* |
| :--- |
| अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया |
| कुल प्रदत्त प्रतिफल से |
| अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत शेष अवधि |
| *अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं और ऋणदाताओं की गणना आरबीआई के मास्टर निदेश डीओआर.एसटीआर. आरईसी.51/ |
| 21.04.048/2021-22, दिनांकित 24 सितंबर, 2021 और इसके बाद के निदेशों में परिभाषित अनुसार की गई है। |

## 8. परिचालन परिणाम

| क्र. विवरण |
| :--- |
| सं. |
| (i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय |
| (ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय |
| 2022-23 |

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है ("कार्यशील निधियों" का संदर्भ निवल अर्जक आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।


## 9. ऋण संकेंद्रण जोखिम

9.1 पूँजी बाजार एक्सपोज़र

क्र.
क्र.
सं.
इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी
(i) उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं हैं;
शेययों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय
डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स में निवेश के
(ii) लिए शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अग्रिम अथवा गैर प्रतिभूति आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम; अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या
(iii) परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;
अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों/
डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल
(iv) सिक्योरिटी, अर्थात ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों /परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती; शेयर दलालों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर
(v)

दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;
संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक
(vi) इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण; शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी
(viii) उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;
(ix) शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी 2022-23

| 0.18 |  |
| :---: | :---: |
|  | 0.09 |
| -- |  |
|  | -- |
| -- |  |
|  | -- |
| -- |  |
|  | -- |
|  |  |
| -- | -- |
|  |  |
| -- |  |
|  | -- |
| -- | -- |
| -- |  |
|  | -- |
| -- | -- |
| 0.16 |  |
|  | -- |
| 0.34 | 0.09 |

## 9.2 देशगत जोखिम एक्सपोज़र

|  |  |  |  | (₹ बिलियन) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| जोखिम श्रेणी | यथा 31 मार्च, 2023 को एक्सपोज़र (निवल) | यथा 31 मार्च, 2023 को रखे गए प्रावधान | यथा 31 मार्च, 2022 को एक्सपोज़र (निवल) | यथा 31 मार्च, 2022 को प्रावधान |
| नगण्य | 50.21 | 0.21 | 39.69 | 0.23 |
| न्यून | 86.72 | - | 385.37 |  |
| मध्यम | 558.20 | - | 381.76 |  |
| उच्च | 420.33 | - | 263.32 |  |
| बहुत ज्यादा | 121.52 | - | 69.53 |  |
| प्रतिबंधित | - | - | - |  |
| ऑफ क्रेडिट | - | - | - |  |
| कुल | 1,236.98 | 0.21 | 1,139.67 | 0.23 |

9.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

| विवरण | (₹ बिलियन) |  |
| :--- | ---: | ---: |
| खातों की संख्या | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | 2021-22 |
| कुल बकाया राशि | 1 | 1 |
| इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि | - | - |

## 9.4 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की गई समाधान योजना

निधि आधारितः
(₹ बिलियन)

| उधारकर्ताओं की संख्या | बकाया ऋण <br> (पुनर्संरचना से पहले) | बकाया ऋण <br> (पुनर्संरचना के बाद) | पुनर्संरचना के बाद <br> वसूली राशि | यथा 31 मार्च, 2023 <br> को बकाया राशि |
| :---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | 0.22 | - | 0.22 |  |

गैर-निधि आधारितः
(₹ बिलियन)

| उधारकर्ताओं की <br> संख्या* | बकाया ऋण <br> (पुनर्संरचना से पहले) | बकाया ऋण <br> (पुनर्संरचना के बाद) | पुनर्संरचना के बाद <br> वसूली राशि | या 31 मार्च, 2023 <br> को बकाया राशि |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 5.54 | 5.99 | गैर-निधिक सुविधा होने के चलते लागू नहीं |  |

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, दो उधारकर्ताओं के मामले में समाधान योजना को क्रियान्वित किया गया, जिनमें से एक उधारकर्ता पर बैंक का निधिक और गैर-निधिक एक्सपोज़र है।

- अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी.5/21.04.048/2022-23 दिनांकित 01 अप्रैल, 2022 के अनुसार।
9.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोज़र

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |  |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या, जिन पर एस4ए लागू होता है | 2 | 2 |  |
| कुल बकाया राशि | भाग क में | -- | -- |
| बकाया राशि | भाग ख में | 2.94 | 2.94 |
| किया गया प्रावधान | 2.59 | 2.59 |  |

9.6 यथा 31 मार्च, 2023 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत ₹ 14.17 बिलियन (गत वर्ष: ₹ 26.35 बिलियन) के बकाया ऋण के साथ 70 खातों (गत वर्षः 66 खाते) को एनसीएलटी में दाखिल किया गया या संदर्भित किया गया, जिनके एवज में बैंक ने $100 \%$ प्रावधान किया है (गत वर्षः $100 \%$ )।

## 9.7 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले-एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामलों की संख्या और राशि
(₹ बिलियन)

गत वर्ष
(₹ बिलियन)

| क्र. सं. | पैन | उधारकर्ता का नाम | उद्योग कोड | उद्योग का <br> नाम | क्षेत्र | निधिक राशि | गैरनिधिक राशि | पूँजीगत निधियों के \% के रूप में एक्सपोज़र |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. |  | अफ्रीकी <br> निर्यात-आयात बैंक | 65102 | वित्तीय सेवाएं | वित्तीय सेवाएं | 24.16 | 0.00 | 15.49 |

ख. पूँजीगत निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण
वर्तमान वर्ष

| विवरण | पूँजीगत निधियों <br> की तुलना में <br> प्रतिशत* | कुल ऋण एक्सपोज़र <br> (टीसीई) की तुलना <br> में प्रतिशत | कुल आस्तियों <br> की तुलना में <br> प्रतिशत |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | 14.01 | 1.17 | 1.56 |
| i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता | 26.41 | 2.21 | 2.94 |
| ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह | 149.33 | 12.47 | 16.62 |
| iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता | 157.45 | 13.15 | 17.52 |
| iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह |  |  |  |

* यथा 31 मार्च, 2022 को पूँजीगत निधियां
@ टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।
2) यथा 31 मार्च, 2023 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोज़र कुल पूँजीगत निधियों के $15 \%$ की आधार सीमा से अधिक रहा हो। इसके अतिरिक्त, कोई समूह उधारकर्ता नहीं रहा, जिसे ऋण एक्सपोज़र पूँजीगत निधियों के $40 \%$ की आधार सीमा से अधिक रहा हो। विवरण उपर्युक्त पैरा 9.7.क में दिया गया है।

गत वर्ष:

| विवरण | पूँजीगत निधियों <br> की तुलना में <br> प्रतिशत* | कुल ऋण एक्सपोज़र <br> (टीसीई) की तुलना <br> में प्रतिशत | कुल आस्तियों <br> की तुलना में <br> प्रतिशत |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता | 15.49 | 1.23 | 1.77 |
| ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह | 23.07 | 1.84 | 2.63 |
| iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता | 149.97 | 11.94 | 17.11 |
| iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह | 154.85 | 12.33 | 17.67 |

[^0]1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र में शामिल नहीं किया गया है।
2) यथा 31 मार्च, 2022 को एक एकल उधारकर्ता था, जिसे ऋण एक्सपोज़र कुल पंजीगत पूँजी निधियों के $15 \%$ से अधिक रहा, जिसके लिए निदेशक मंडल से पूर्व में अनुमोदन ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई समूह उधारकर्ता नहीं रहा, जिसे ऋण एक्सपोज़र पूँजीगत निधियों के $40 \%$ की सीमा से अधिक रहा हो। विवरण उपर्युक्त पैरा 9.7.क में दिया गया है।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र
वर्तमान वर्ष:

| क्षेत्र | कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) <br> की तुलना में प्रतिशत | ऋण आस्तियों की <br> तुलना में प्रतिशत |
| :--- | ---: | ---: |
| i) वित्तीय सेवाएं | 4.57 | 7.06 |
| ii) ईपीसी सेवाएं | 4.53 | 6.99 |
| iii) रसायन और रंजक (डाई) | 3.31 | 5.12 |
| iv) निर्माण | 3.30 | 5.09 |
| v) लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण | 2.85 | 4.41 |

गत वर्ष:

| क्षेत्र | कुल ऋण एक्सपोज़र (टीसीई) <br> की तुलना में प्रतिशत | ऋण आस्तियों की <br> तुलना में प्रतिशत |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| i) ईपीसी सेवाएं | 4.28 | 6.88 |
| ii) वित्तीय सेवाएं | 3.75 | 6.02 |
| iii) रसायन और रंजक (डाई) | 3.10 | 4.98 |
| iv) निर्माण | 2.96 | 4.76 |
| v) पेट्रोरसायन | 2.07 | 3.33 |

- "ऋण एक्सपोज़र" की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोज़र की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिया गया वह ऋण जिसके लिए भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से गारंटी दी गई है को, भारत सरकार की ओर से दिया गया ऋण माना गया है और उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

घ. अप्रतिभूतित अग्रिम

| विवरण | यथा | (₹ बिलियन) |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| य1 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |  |
| बैंक के कुल अप्रतिभूतित अग्रिम | 159.50 | 77.95 |
| i)जिसमें से कॉर्पोरेट / व्यक्तिगत गारंटियों, वचन पत्रों, ट्रस्ट रसीदों <br> आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के एवज में बकाया अग्रिम की राशि | 16.33 | 7.95 |
| ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनुसार अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित <br> मूल्य |  |  |

ङ. फैक्टरिंग एक्सपोज़र
फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक का कोई एक्सपोज़र नहीं है (गत वर्ष: ₹ शून्य)।
च. वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा पार की गई विवेकसम्मत ऋण सीमा वाले एक्सपोज़र
(₹ बिलियन)

गत वर्ष
(₹ बिलियन)

| क्र. सं. | पैन | उधारकर्ता का नाम | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | क्षेत्र | निधिक राशि | गैर- <br> निधिक <br> राशि | पूँजीगत निधियों के \% के रूप में एक्सपोज़र |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | - | अफ्रीकी <br> निर्यात- <br> आयात बैंक | 65102 | वित्तीय <br> सेवाएं | वित्तीय <br> सेवाएं | 24.16 | 0.00 | 15.49 |

10. उधारियों / ऋण-व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण
(क) उधारियों और ऋण-व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

| विवरण |  | (₹ बिलियन) |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां | 2022-23 | 2021-22 |
| बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बडेे ऋणदाताओं से कुल | 276.90 | 138.71 |
| उधारियों का प्रतिशत |  |  |

(ख) ऋण एक्सपोज़रों का संकेंद्रण

| विवरण | (₹ बिलियन) |  |
| :--- | ---: | ---: |
| 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | 2021-22 |
| बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल <br> एक्सपोज़र का प्रतिशत | 268.29 | 233.95 |
| 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र | $19.26 \%$ | $19.18 \%$ |
| उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में 20 सबसे <br> बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोज़र का प्रतिशत | 268.29 | 233.95 |
| एक्ज़िम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोज़र की तुलना में शीर्ष 10 देशों के | $12.47 \%$ | $11.94 \%$ |
| एक्सपोज़र का प्रतिशत |  |  |

ऋण और निवेश एक्सपोज़र पर आधारित एक्सपोज़र की गणना वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर.एफआईडी.एफआईसी.संख्या 4/01.02.00/2015-16 दिनांकित 01 जुलाई, 2015 के अनुसार की गई है।
(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण
(₹ बिलियन)

| क्र. क्षेत्रसं. | 2022-23 |  |  | 2021-22 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { कुल } \\ & \text { बकाया } \\ & \text { अग्रिम } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \text { सकल } \\ \text { अनर्जक } \\ \text { आस्तियां } \end{array}$ | क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत | $\begin{aligned} & \text { कुल } \\ & \text { बकाया } \\ & \text { अग्रिम } \end{aligned}$ |  | क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत |
| क घरेलू क्षेत्र | 308.47 | 13.17 | 4\% | 374.03 | 28.52 | 8\% |
| 1 कुल निर्यात वित्त | 254.42 | 10.42 | 4\% | 330.93 | 25.20 | 8\% |
| कृषि क्षेत्र |  |  | - | - |  |  |
| औद्योगिक क्षेत्र | 209.99 | 10.10 | 5\% | 151.99 | 17.59 | 12\% |
| लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण | 36.99 | 0.35 | 1\% |  |  |  |
| रसायन और रंजक | 11.74 | - | 0\% | 9.96 | - | 0\% |
| पेट्रोलियम उत्पाद | 42.48 | - | 0\% | 25.44 | - | 0\% |
| टेक्सटाइल और गारमेंट |  |  | - | 22.62 | 5.16 | 23\% |
| अन्य | 118.78 | 9.75 | 8\% | 93.97 | 12.43 | 13\% |
| सेवा क्षेत्र | 44.43 | 0.32 | 1\% | 178.94 | 7.61 | 4\% |
| वित्तीय सेवाएं | 12.33 | - | 0\% | 139.16 |  | 0\% |
| अन्य | 32.11 | 0.32 | 1\% | 39.78 | 7.61 | 19\% |
| 2 कुल आयात वित्त | 54.05 | 2.75 | 5\% | 43.10 | 3.33 | 8\% |
| कृषि क्षेत्र | - | - | - | - |  |  |
| औद्योगिक क्षेत्र | 35.72 | 2.11 | 6\% | 25.50 | 2.66 | 10\% |
| लौह धातु और धातु प्रसंस्करण | 2.29 | - | 0\% | - |  |  |
| रसायन और रंजक | 18.37 | - | 0\% | 16.48 | - | 0\% |
| अन्य | 15.06 | 2.11 | 14\% | 9.03 | 2.66 | 29\% |
| सेवा क्षेत्र | 18.33 | 0.64 | 3\% | 17.60 | 0.66 | 4\% |
| वित्तीय सेवाएं | 16.44 | - | 0\% | 15.16 | - | 0\% |
| अन्य | 1.89 | 0.64 | 34\% | 2.44 | 0.66 | 27\% |
| 3 <br> (क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र |  | - | - | - | - |  |
| ख बाह्य क्षेत्र | 128.13 | 12.18 | 10\% | 105.00 | 14.95 | 14\% |
| 1 कुल निर्यात वित्त | 128.13 | 12.18 | 10\% | 105.00 | 14.95 | 14\% |
| कृषि क्षेत्र |  |  |  | - | - |  |
| औद्योगिक क्षेत्र | 72.20 | 9.49 | 13\% | 62.94 | 12.47 | 20\% |
| लौह धातु और धातु प्रसंस्करण | 2.31 | - | 0\% | - | - |  |
| रसायन और रंजक | 14.40 | - | 0\% | 5.92 | 3.90 | 66\% |
| टेक्सटाइल और गारमेंट |  | - | - | 3.44 | - | 0\% |
| अन्य | 55.49 | 9.49 | 17\% | 53.59 | 8.57 | 16\% |
| सेवा क्षेत्र | 55.93 | 2.69 | 5\% | 42.06 | 2.48 | 6\% |
| वित्तीय सेवाएं | 50.85 |  | 0\% | 37.42 | - | 0\% |
| अन्य | 5.08 | 2.69 | 53\% | 4.65 | 2.48 | 53\% |


|  |  |  |  |  |  | (₹ बिलियन) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| क्र. क्षेत्रसं. | 2022-23 |  |  | 2021-22 |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { कुल } \\ & \text { बकाया } \\ & \text { अग्रिम } \end{aligned}$ |  | क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत | $\begin{aligned} & \text { कुल } \\ & \text { बकाया } \\ & \text { अग्रिम } \end{aligned}$ |  | क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत |
| 2 कुल आयात वित्त |  |  |  |  |  |  |
| कृषि क्षेत्र |  |  |  |  |  |  |
| औद्योगिक क्षेत्र | - | - | - |  | - |  |
| सेवा क्षेत्र | - | - | - |  | - |  |
| 3 <br> (ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटित एक्सपोज़र | - |  | - | - | - |  |
| ग अन्य एक्सपोज़र* | 956.12 | 31.62 | 3\% | 740.63 | - | 0\% |
| $\begin{aligned} & \text { घुल एक्सपोज़र } \\ & \text { (क+ख+ग) } \\ & \hline \end{aligned}$ | 1,392.72 | 56.97 | 4.09\% | 1,219.66 | 43.47 | 3.56\% |

ःइसमें ऋण-व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रतिगारंटित अग्रिम शामिल हैं।

## घ. हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने आरबीआई के मास्टर निदेश डीबीआर.एफआईडी.सं. 108/01.02.000/2015-16 दिनांकित 23 जून, 2016 के अनुसार, पूँजी के प्रावधान की आवश्यकताओं के संबंध में एक आंतरिक नोट के अनुसार अरक्षित (हेज न किया गया) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली कंपनियों को एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील रूप से प्रावधान करने के नियम को लागू किया है। यथा 31 मार्च, 2023 को मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए ₹ 0.57 बिलियन (गत वर्षः ₹ 0.33 बिलियन) की राशि रखी गई और मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आवंटित पूँजी ₹ 13.14 बिलियन (गत वर्ष: ₹ 8.26 बिलियन) रही।

## 11. डेरिवेटिव

## 11.1 वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वाप

| क्र. <br> सं. <br> विवरण |  | (₹ बिलियन) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |  |  |
|  | हेजिंग | ट्रेडिंग | हेजिंग | ट्रेडिंग |
| 1. स्वाप करारों का मूल कल्पित मूल्य | 502.34 | - | 446.01 | - |
| 2. प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि | - | - | 1.48 | - |
| 3. स्वाप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल | ${ }^{-}$ | - | - | - |
| स्वाप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का <br> 4. संकेंद्रण | सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं। ${ }^{*}$ | - | सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं। ${ }^{*}$ | - |
| 5. स्वाप बही का सही मूल्य | (37.14) | - | (13.70) | - |

*सभी ब्याज दर स्वाप बैंकों के साथ किए गए हैं।
स्वाप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

| लिखत | प्रकृति | संख्या | अनुमानित <br> मूलधन | बेंचमार्क | शर्तें |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | :--- |
| आईआरएस | हेजिंग | 21 | 369.75 | लाइबोर | फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय |
| आईआरएस | हेजिंग | 1 | 0.27 | लाइबोर | फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय |
| आईआरएस | हेजिंग | 1 | 12.33 | लाइबोर | फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय |
| आईआरएस | हेजिंग | 1 | 1.11 | टोना | फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय |
| आईआरएस | हेजिंग | 7 | 102.58 | सोफर | फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय |
| आईआरएस | हेजिंग | 2 | 16.30 | आईएनटीबीफिक्स 3 माह |  |

## 11.2 एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव

(₹ बिलियन)

## क्र.

सं.
विवरण

1. वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि
2. यथा 31 मार्च, 2023 को एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि
3. एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं
एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं

## 11.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटन

क. क्वालिटेटिव प्रकटन

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।
2. डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से समग्र आस्ति देयता स्थिति को संव्यवहार स्तर पर ही प्रबंधित कर लेना है। यह नीति बैंक के व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमत डेरिवेटिव उत्पादों के प्रयोग को परिभाषित करती है, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली निर्धारित करती है और नियामकीय, प्रलेखन तथा लेखा संबंधी विषयों के बारे में बताती है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्री-सेटलमेंट लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।
3. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करती है।
4. यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा एएलएम बही में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।
5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर आईआरएस/करंसी स्वाप शामिल नहीं हैं जो डेरिवेटिव नीति के अनुपालन में है।

ख. क्वांटिटेटिव प्रकटन
(₹ बिलियन)

| क्र. सं. | विवरण | 2022-23 |  | 2021-22 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | करंसी डेरिवेटिव्स | ब्याज दर डेरिवेटिव्स | करंसी डेरिवेटिव्स | ब्याज दर <br> डेरिवेटिव्स |
|  | डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि) |  |  |  |  |
|  | क) हेजिंग के लिए | 372.74 | 502.34 | 361.01 | 446.01 |
|  | ख) ट्रेडिंग के लिए | - | - | - | - |
| 2 | मार्क्ड-टू-मार्केट स्थितियां |  |  |  |  |
|  | क) आस्ति (+) | - | - | - | - |
|  | ख) देयता (-) | (51.65) | (37.14) | (40.54) | (13.70) |
| 3 | ऋण एक्सपोजर | 12.74 | 3.19 | 14.40 | 3.43 |
| 4 | ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) | - | - | - | - |
|  | क) हेजिंग डेरिवेटिव पर | 8.44 | 25.10 | 8.73 | 20.61 |
|  | ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर | - | - | - | - |
|  | वर्ष के दौरान $100^{*}$ पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम |  |  |  |  |
|  | क) हेजिंग पर |  |  |  |  |
|  | (i) अधिकतम | 9.74 | 25.66 | 10.90 | 25.28 |
|  | (ii) न्यूनतम | 8.44 | 19.48 | 8.73 | 20.61 |
|  | ख) ट्रेडिंग पर | - | - | - | - |
|  | (i) अधिकतम | - | - | - | - |
|  | (ii) न्यूनतम |  |  |  |  |

## 12. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23) के दौरान, बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया (गत वर्षः शून्य) और बकाया प्रतिबद्धताओं के लिए कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं रहा। यथा 31 मार्च, 2023 को, साख पत्र / आपाती साख पत्रों के अंतर्गत बैंक का बकाया एक्सपोज़र कुल ₹ 3.23 बिलियन का है, जिसके एवज में बैंक द्वारा ₹ 3.30 बिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र प्राप्त किया गया है (गत वर्षः साख पत्र के अंतर्गत बकाया एक्सपोज़रः ₹ 2.44 बिलियन, जिसके एवज में चुकौती आश्वासन पत्रः ₹ 3.30 बिलियन)।

## 13. आस्ति-देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्ष:
(₹ बिलियन)

| विवरण | 1 से <br> 14 दिन | 15 से 28 दिन | $\begin{aligned} & 29 \text { दिन } \\ & \text { से } 3 \text { माह } \end{aligned}$ | 3 माह से <br> 6 माह तक | 6 माह से <br> 1 साल तक | 1 साल से 3 साल तक | 3 साल से <br> 5 साल तक | 5 साल <br> से ज्यादा | कुल |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| रुपया अग्रिम | 29.76 | 27.59 | 45.72 | 16.97 | 103.51 | 42.83 | 12.31 | 33.82* | 312.51 |
| रुपया निवेश | 2.97 | 0.00 | 0.73 | 15.04 | 16.36 | 16.16 | 15.99 | 54.14 | 121.40 |
| रुपया अन्य आस्तियां | 59.59 | 2.92 | 65.76 | 48.08 | 103.96 | 236.10 | 110.30 | 265.64 | 892.36 |
| रुपया जमा राशियां | 0.02 | 0.00 | 28.41 | 28.22 | 26.00 | 0.32 | 0.14 | 0.00 | 83.12 |
| रुपया उधारियां | 40.48 | 1.50 | 26.62 | 26.88 | 100.52 | 146.03 | 34.30 | 46.75 | 423.08 |
| रुपया अन्य देयताएं | 49.15 | 14.81 | 70.80 | 26.61 | 78.07 | 65.81 | 10.20 | 248.27 | 563.71 |
| विदेशी मुद्रा आस्तियां | 71.63 | 15.51 | 69.97 | 54.98 | 152.51 | 349.79 | 292.07 | 558.71 | 1,565.18 |
| विदेशी मुद्रा देयताएं | 70.33 | 16.55 | 85.43 | 53.70 | 200.90 | 360.74 | 326.87 | 366.00 | 1,480.51 |

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

गत वर्ष:
(₹ बिलियन)

| विवरण | $\begin{aligned} & 1 \text { से } \\ & 14 \text { दिन } \end{aligned}$ | 15 से 28 दिन | 29 दिन <br> से 3 माह | 3 माह से 6 माह तक | 6 माह से <br> 1 साल तक | 1 साल से <br> 3 साल तक | 3 साल से 5 साल तक | 5 साल <br> से ज्यादा | कुल |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| रुपया अग्रिम | 25.21 | 11.87 | 28.80 | 19.32 | 94.34 | 28.61 | 35.36 | 0.12 * | 243.62 |
| रुपया निवेश | 7.75 | 0.50 | 1.09 | 10.63 | 0.05 | 5.40 | 27.94 | 54.88 | 108.24 |
| रुपया अन्य आस्तियां | 41.91 | 2.11 | 74.35 | 73.93 | 42.65 | 280.13 | 131.86 | 266.48 | 913.41 |
| रुपया जमा राशियां | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 27.02 | 33.44 | 8.84 | 0.20 | 0.00 | 69.67 |
| रुपया उधारियां | 70.38 | 0.55 | 46.44 | 41.91 | 19.94 | 93.51 | 52.35 | 56.50 | 381.58 |
| रुपया अन्य देयताएं | 8.86 | 11.82 | 70.09 | 53.82 | 64.11 | 92.72 | 13.82 | 255.45 | 570.70 |
| विदेशी मुद्रा आस्तियां | 32.42 | 2.98 | 66.38 | 66.75 | 107.82 | 286.42 | 255.80 | 493.87 | 1312.44 |
| विदेशी मुद्रा देयताएं | 34.64 | 2.88 | 82.06 | 82.14 | 132.97 | 371.99 | 177.36 | 300.45 | 1184.48 |

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

## 14. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है।
15. व्यवसाय अनुपात

| विवरण | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| :--- | ---: | ---: |
| इक्विटी पर रिटर्न | $9.78 \%$ | $4.75 \%$ |
| आस्तियों पर रिटर्न | $1.04 \%$ | $0.54 \%$ |
| प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन) | 0.04 | 0.02 |

## 16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया।
17. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

| क्र. |  |
| :--- | :---: | :---: |
| सं. विवरण | 2021-22 |

(क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें - - -
(ख) वर्ष के दौरान मिली शिकायतें 3
(ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें $\quad$ - 3
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें $\quad$ - -
18. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम

| घरेलू | विदेशी |
| :---: | :---: |
| -- | - |

## विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

19. अचल आस्तियों का विवरण

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

| वर्तमान वर्ष: |  | (₹ बिलियन) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| विवरण |  | परिसर | अन्य | कुल |
| सकल ब्लॉक |  |  |  |  |
| यथा 31 मार्च, 2022 को लागत |  | 5.13 | 1.50 | 6.63 |
| परिवर्द्धन |  | 0.11 | 0.42 | 0.53 |
| निपटान |  | - | 0.05 | 0.05 |
| यथा 31 मार्च, 2023 को लागत | (क) | 5.24 | 1.87 | 7.11 |
| मूल्यहास |  |  |  |  |
| यथा 31 मार्च, 2022 को संचित |  | 1.70 | 1.24 | 2.94 |
| वर्ष के दौरान प्रावधान |  | 0.23 | 0.25 | 0.48 |
| निपटान पर हटाया गया |  | - | 0.05 | 0.05 |
| यथा 31 मार्च, 2023 को संचित | (ख) | 1.93 | 1.44 | 3.37 |
| निवल ब्लॉक (क-ख) |  | 3.31 | 0.43 | 3.74 |

गत वर्ष:
(₹ बिलियन)

| विवरण |  | परिसर | अन्य | कुल |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| सकल ब्लॉक |  |  |  |  |
| यथा 31 मार्च, 2021 को लागत |  | 5.12 | 1.44 | 6.56 |
| परिवर्द्धन |  | 0.01 | 0.11 | 0.12 |
| निपटान |  | - | 0.05 | 0.05 |
| यथा 31 मार्च, 2022 को लागत | (क) | 5.13 | 1.50 | 6.63 |
| मूल्यहास |  |  |  |  |
| यथा 31 मार्च, 2021 को संचित |  | 1.48 | 1.12 | 2.60 |
| वर्ष के दौरान प्रावधान |  | 0.22 | 0.17 | 0.39 |
| निपटान पर हटाया गया |  | - | 0.05 | 0.05 |
| यथा 31 मार्च, 2022 को संचित | (ख) | 1.70 | 1.24 | 2.94 |
| निवल ब्लॉक (क-ख) |  | 3.43 | 0.26 | 3.69 |

## 20.सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

## 21. खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है अर्थात वित्तीय गतिविधियां, अतएव इसे एकल व्यवसाय खंड वाली संस्था के रूप में माना गया है।

बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित है।
(₹ बिलियन)

| विवरण | घरेलू परिचालन |  | अंतरराष्ट्रीय परिचालन |  | कुल |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ | 2022-23 | 2021-22 |
| राजस्व | 111.61 | 82.16 | 2.98 | 1.47 | 114.59 | 83.63 |
| आस्तियां | $1,547.60$ | $1,317.80$ | 67.07 | 49.61 | $1,614.67$ | $1,367.41$ |

## 22. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्षकारों का प्रकटन निम्नलिखित अनुसार हैः

## - संबंध

(i) संयुक्त उपक्रम:

- जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड (जीपीसीएल)
- कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी
(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अधिकारी:
- श्रीमती हर्षा बंगारी
- श्री एन. रमेश (उप प्रबंध निदेशक)
- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियों तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है:

| विवरण | संयुक्त उपक्रम |  | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| प्रदत्त ऋण | - | - | - | - |
| जारी गारंटियां | - | - | - | - |
| प्राप्त ब्याज | - | - | 0.01 | - |
| प्राप्त गारंटी कमीशन | - | - | - | - |
| प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान | 0.03 | - | - | - |
| स्वीकार की गई सावधि जमा राशियां | - | - | 9.05 | 3.54 |
| सावधि जमा राशियों पर ब्याज | - | - | 0.75 | 0.77 |
| बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशियां | - | - | - | - |
| बकाया सावधि जमा राशियां | - | - | 10.24 | 9.56 |
| वर्ष के अंत में बकाया ऋण | - | - | 0.15 | 0.36 |
| वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में बकाया निवेश (प्रावधानों के निवल) | 3.23 | 144.04 | - | - |
| प्राप्त लाभांश | 0.51 | 0.42 | - | - |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण | - | - | 0.36 | 0.56 |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया गारंटियां | - | - | - | - |
| परिलब्धियों सहित वेतन | - | - | 11.11 | 16.24 |
| भुगतान किया गया किराया | - | - | - | 0.59 |
| व्ययों की प्रतिपूर्ति | 5.52 | 4.77 |  | - |
| निदेशक की प्राप्त फीस | 0.04 | 0.04 | - | - |
| परामर्श के लिए भुगतान की गई फीस | 18.43 | 9.91 | - | - |

23.आय पर कर के संबंध में लेखांकन
(क) कर के लिए प्रावधान संबंधी विवरण:

| (₹ बिलियन) |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| विवरण | 2022-23 | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |  |
| आय पर कर | 6.57 | 0.21 |  |
| जोड़ें / (घटाएं): निवल आस्थगित कर देयता | $(1.24)$ | $\mathbf{5 . 3 3}$ | $\mathbf{1 4 . 9 1}$ |
| कुल |  | $\mathbf{1 4 . 1 2}$ |  |

(ख) आस्थगित कर आस्ति:
प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
| :--- | ---: | ---: |
| आस्थगित कर आस्तियां |  |  |
| 1. अस्वीकृत प्रावधान (निवल) | 21.38 | 20.08 |
| 2. अचल आस्तियों पर मूल्यहास | 0.01 | - |
| घटाएं: आस्थगित कर देयता |  |  |
| 1. अचल आस्तियों पर मूल्यह्तास | 0.40 | 0.0007 |
| 2. बॉन्ड निर्गम व्ययों का परिशोधन | 3.12 | 0.32 |
| 3. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि | $\mathbf{1 7 . 8 8}$ | $\mathbf{3 . 1 2}$ |
| निवल आस्थगित कर आस्तियां तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में | $\mathbf{1 6 . 6 4}$ |  |
| 'अन्य आस्तियां' में शामिल |  |  |

## 24.संयुक्त उपक्रमों में हित की रिपोर्टिंग

I.

| संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं | देश | धारिता का प्रतिशत |  |
| :--- | :---: | ---: | ---: |
|  |  | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
| क जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड | भारत | $28 \%$ | $28 \%$ |
| ख कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी | मॉरीशस | $36.36 \%$ | $36.36 \%$ |

II. संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी लेखा मानक-27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नलिखित अनुसार हैः

| देयताएं | 2022-23 | 2021-22 | आस्तियां | (₹ मिलियन) |  |
| :--- | ---: | ---: | :--- | ---: | ---: | ---: |
| पूँजी एवं आरक्षित निधियां | 64.73 | 21.89 | अचल आस्तियां | 2022-23 | 2021-22 |
| ऋण | - | - | निवेश | 0.88 | 0.12 |
| अन्य देयताएं | 98.84 | 26.24 | अन्य आस्तियां | 44.99 | 10.39 |
| कुल | $\mathbf{1 6 3 . 5 7}$ | $\mathbf{4 8 . 1 3}$ | कुल | 117.70 | 37.62 |

[^1]|  |  |  |  | (₹ मिलियन) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| व्यय | 2022-23 | 2021-22 | आय | 2022-23 | 2021-22 |
| ब्याज और वित्तपोषण व्यय | 1.14 | 1.05 | परामर्शी आय | 72.65 | 13.28 |
| अन्य व्यय | 128.31 | 50.66 | ब्याज आय तथा निवेश से आय | 3.77 | 0.72 |
| प्रावधान | 5.50 | 1.51 | अन्य आस्तियां | 0.30 | 0.65 |
|  |  |  | हानि | 58.24 | 38.57 |
| कुल | 134.96 | 53.22 | कुल | 134.96 | 53.22 |

नोट: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी और जीपीसीएल से संबंधित आंकड़े लेखा परीक्षित नहीं हैं और अनंतिम हैं।

## 25.आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में अधिकांश आस्तियां "वित्तीय आस्तियां" हैं, जिन पर "आस्तियों का हास" संबंधी लेखा मानक 28 लागू नहीं होता है। बैंक की राय में, जिन आस्तियों पर ये मानक लागू होते हैं, उनमें उक्त लेखा मानकों के संबंध में हिसाब में लेने के लिए यथा 31 मार्च, 2023 को कोई हास नहीं हुआ है।

## 26. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी लाभों पर यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखा मानक-15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन-पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।
क) तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

| विवरण | पेंशन निधि | (₹ बिलियन) |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य | 1.61 | ग्रेच्युटी |
| अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य | $(1.69)$ | $(0.31$ |
| निधीयन स्थिति | $(0.07)$ | $(0.001)$ |
| अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत | - | - |
| अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता | - | - |
| अवधि के अंत में तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता | (0.07) | (0.001) |

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

| विवरण | पेंशन निधि | (₹ बिलियन) |
| :--- | ---: | ---: |
| वर्तमान सेवा लागत | 0.04 | ग्रेच्युटी |
| ब्याज लागत | 0.12 | 0.02 |
| योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न | 0.11 | 0.02 |
| बीमांकिक हानि/(लाभ) | 0.05 | $(0.02)$ |
| विगत सेवा लागत - गैर-निहित लाभ | - | - |
| विगत सेवा लागत - निहित लाभ | - | - |
| परिवर्ती देयता | 0.09 | - |
| लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय | $(0.13)$ | 0.002 |
| नियोक्ता द्वारा अंशदान |  |  |

## ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

| विवरण | पेंशन निधि | ग्रेच्युटी |
| :--- | :---: | ---: |
| बट्टा दर (प्रति वर्ष) | $7.52 \%$ | $7.49 \%$ |
| आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष) | $7.52 \%$ | $7.49 \%$ |
| वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष) | $7.00 \%$ | $7.00 \%$ |

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ दायित्व की राशि ₹ 0.0192 बिलियन रही (गत वर्षः ₹ 0.0138 बिलियन), जिसका पूर्णतः प्रावधान किया जा चुका है।
27. सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

## डिबेंचर ट्रस्टी

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
प्राधिकृत व्यक्ति: श्री अनिल ग्रोवर, ऑपरेशंस हेड
सुश्री दीपा रथ, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

## पता:

पंजीकृत कार्यालय:
एक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई - 400025
कॉर्पोरेट कार्यालय:
द रूबी, दूसरी मंज़िल, एसडब्ल्यू
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई - 400028
फोन: (022) 62300451
ईमेल: Debenturetrustee@axistrustee.in
वेबसाइट: www.axistrustee.in
28. आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत, कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक दबाव में आए सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की गई:
(₹ बिलियन)

| योजना | 2022-23 |  |  |  | 2021-22 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | मंजूरी | संवितरित* | बकाया |  | मंजूरी | संवितरित | बकाया |  |
|  |  |  | उधारकर्ताओं की संख्या | राशि |  |  | उधारकर्ताओं की संख्या | राशि |
| ईसीएलजीएस 1.0 | 0.04 | - | 4 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 5 | 0.20 |
| ईसीएलजीएस 2.0 | 0.04 | 0.13 | 14 | 1.19 | 0.48 | 1.11 | 13 | 1.22 |
| ईसीएलजीएस 3.0 | - | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.22 | - | - | - |
| कुल योग | 0.08 | 0.14 | 19 | 1.30 | 0.73 | 1.22 | 18 | 1.42 |

(*) वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान मंजूर ऋणों के लिए किए गए संवितरण शामिल हैं।
29. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक
श्री दम्मू रवि
श्री आर. सुब्रमणियन

स्थानः मुंबई
दिनांक: 11 मई, 2023

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक
श्री रजत कुमार मिश्रा
श्री ए. एस. राजीव

कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429W
(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

सुश्री हर्षा बंगारी प्रबंध निदेशक

श्री सुचीन्द्र मिश्र
श्री अशोक कुमार गुप्ता

## निदेशकों की रिपोर्ट

## निर्यात विकास कोष

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारत से ईरान को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों के वित्तपोषण के लिए चुनिंदा ईरानी बैंकों को ₹ 9 बिलियन की क्रेता ऋण सुविधा के रूप में निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) से राशि प्रदान करने के लिए एक्ज़िम बैंक अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन सूचित किया। सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भारत से ईरान को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए ईडीएफ के अंतर्गत सात ईरानी बैंकों को ₹ 9 बिलियन की क्रेता-ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 23 दिसंबर, 2014 को अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गए। ईरानी बैंकों को प्रदान की जाने वाली इस क्रेता ऋण सुविधा को ईरान सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त है। तत्पश्चात, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, भारत से स्टील रेलों के आयात के वित्तपोषण और ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए इस क्रेता ऋण सुविधा की राशि ₹ 30 बिलियन तक बढ़ाई गई।

इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत, भारत से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रेलवे को 150,000 टन स्टील रेलों की आपूर्ति के लिए ₹ 8.19 बिलियन मूल्य के प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को क्रेता ऋण सुविधा के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) क्रस्ट ने उक्त ऋण सुविधा के लिए प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को कवर करते हुए क्रेता ऋण (व्यापक जोखिम) कवर प्रदान किया है।

इस ऋण सुविधा के अंतर्गत कुल ₹ 8.11 बिलियन के संवतिरण किए जा चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय पूर्णता प्राप्त कर ली गई है। चुकौती में लंबे समय से चूक के चलते, एनईआईए ट्रस्ट से कवर को इन्वोक किया गया है और वित्तीय वर्ष के दौरान इस ऋण सुविधा के अंतर्गत संपूर्ण बकाया मूलधन की वसूली कर ली गई है। यथा 31 मार्च, 2023 को इस ऋण सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि शून्य रही।

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति
लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

## अभिमत

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') के निर्यात विकास कोष वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2023 को तुलन-पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त लेखा विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (ii) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और यथा 31 मार्च, 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी वित्तीय निष्पादन स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं।

## अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'कित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में आगे 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) के अनुरूप बैंक से स्वतंत्र हैं। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

## अन्य जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय परिचालन, प्रबंधन और कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नेंस) शामिल हैं, किन्तु इनमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिहित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी

से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नैंस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

## वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने तथा प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन से रहित वित्तीय विवरणों को तैयार के लिए आवश्यक ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। गवर्नैंस से जुड़ा प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

## वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना है कि ये वित्तीय विवरण, पूर्ण रूप में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन से रहित हैं और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है।

तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा, यदि कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है तो सदैव उसका पता लगा लेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और उन्हें तब महत्वपूर्ण माना जाता है, जब अलग-अलग या सकल रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना रखते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान प्रोफेशनल संशयात्मकता रखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, कित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी के चलते बनने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि के चलते होने वाले मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- परिचालन जारी रखने के लेखांकन और हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के परिचालन जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, कित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढांचे और सामग्री का मूल्यांकन करना, और देखना कि वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं और घटनाएं इस रूप में हैं कि उचित प्रस्तुति प्रदर्शित करती हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्हित किए गए किसी महत्वपूर्ण विचलन सहित अन्य मामलों में, गवनैंस से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नैंस से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

## अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि खाता, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों। क और ॥ क के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
i. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
ii. हमारी राय, इस रिपोर्ट में लिए गए तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा विवरण, लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
iii. कोष के संब्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।
iv. हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

## कृते जीएमजे एंड कं.

सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 103429W

## सीए अतुल जैन

पार्टनर
सदस्यता सं. 037097
यूडीआईएन: 23037097BGWDIY8037
स्थान: मुंबई
दिनांक: 11 मई, 2023

## तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2023 को

निर्यात विकास कोष


## निर्यात विकास कोष



## टिप्पणी:

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास निधि की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक
श्री दम्मू रवि
श्री आर. सुब्रमणियन

स्थानः मुंबई,
दिनांकः 11 मई, 2023

## श्रीमती हर्षा बंगारी

प्रबंध निदेशक
श्रीमती रूपा दता
श्री एम. सेंथिलनाथन
श्री राजकिरन राय जी.
कृते जीएमजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429 W
(सीए अतुल जैन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 037097

श्री सुचीन्द्र मिश्र
श्री दिनेश कुमार खारा
श्री अशोक कुमार गुप्ता

## लाभ और हानि लेखा, यथा 31 मार्च, 2023 को

निर्यात विकास कोष


निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक
श्री दम्मू रवि
श्री आर. सुब्रमणियन

स्थानः मुंबई
दिनांक: 11 मई, 2023

श्री एन. रमेश
उप प्रबंध निदेशक
श्री रजत कुमार मिश्रा
श्री ए. एस. राजीव
कृते जीएमजे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 103429 W
(सीए अतुल जैन)
पार्टनर सदस्यता
सं. 037097

सुश्री हर्षा बंगारी प्रबंध निदेशक

श्री सुचीन्द्र मिश्र
श्री अशोक कुमार गुप्ता

## भारतीय निर्यात-आयात बैंक

## प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई - 400005. फोन : +91 2222172600
ई-मेल : ccg@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

## अहमदाबाद

साकार ॥, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास, एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद - 380006.
फोन: (+9179) 6576852/26576843
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

## बेंगलूरु

रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड,
बेंगलूरु - 560001.
फोन: +91 80 25585755/25589101-04
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

## चंडीगढ़

सी-213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय,
औद्योगिक क्षेत्र फेज -1
चंडीगढ़ - 160002.
फोन: +91 172 4629171-73,
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

## चेन्नै

ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवीं
मंज़िल,756-एल, अन्ना सलाई
चेन्नै- 600002.
फोन: +9144 28522830/31
ई-मेलः eximchro@eximbankindia.in

## गुवाहाटी

नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस.
रोड, दिसपुर, गुवाहाटी 781006.
फोन: +91 361 2237607/609
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

## हैदराबाद

गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-
639/640, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500004.
फोन: +9140 23307816-21
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र), $1 / 1$ वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700016.
फोन: +91 3368261301
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

## मुंबई

8वीं मंज़िल, मेकर चैंबर खत, नरीमन
पॉइंट, मुंबई - 400021.
फोन: +91 2222861300
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in
नई दिल्ली
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1 , सातवीं मंज़िल, रिंग रोड के पास, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110023.
फोन: +91 11 61242600/24607700
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in
पुणे
नं. 402 और 402 (बी), चौथी मंज़िल, सिग्रेचर बिल्डिंग, भाम्बुर्डा, भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411004.
फोन: +91 2026403000
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

## विदेश स्थित

लंदन (शाखा)
5 वीं मंजिल, 35, किंग स्ट्रीट, लंदन-
ईसी 2 वी 8 बीबी, यूनाइटेड किंगडम
फोन: +44 2077969040
ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in
आबिदजान
5 वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग, 18- दॉक्तर
क्रोज़े रोड, प्लेत्यो- आबिदजान, कोत
दि'वार
फोन: +225-27 202429 51/ 37
ईमेल: eximabidjan@eximbankindia.in
अदिस अबाबा
हाउस नं. 46 , जैक्रोस एस्टेट कंपाउंड,
वोरेडा 07 , बोले सब-सिटी, अदिस
अबाबा, इथियोपिया.
फोन: +251 11822296
ई-मेल : aaro@eximbankindia.in

ढाका
मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल, प्लॉट संख्या 11, रोड नंबर 11, ब्लॉक जी, बानानी, ढाका - 1213 बांग्लादेश फोन: (880) 255042444

ईमेल: eximdhaka@eximbankindia.in

## दुबई

लेवल 5 , टेनेंसी 1 बी,गेट प्रीसिंक्ट
बिल्डिंग नं.3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यूएई
फोन: +97143637462
ई-मेल: eximdubai@eximbankindia.in
जोहांस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स
ईस्ट,सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3, सैंटन 2196, जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन : +27 11 3265103/13
ई-मेल : eximjro@eximbankindia.in
सिंगापुर
20, कोलियर क्के, \#10-02, सिंगापुर
049319
फोन: +65 65326464
ई-मेल: eximsingapore@
eximbankindia.in
वाशिंगटन डी.सी.
1750 पेंसिल्वेनिया एनेन्यू एन. डब्ल्यू, सूइट 1202, वाशिंगटन डी.सी. 20006, संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन: +1 2022233238
ई-मेल: eximwashington@
eximbankindia.in
याँगॉन
हाउस नं. 54/ए, तल मंज़िल, बोयारन्युत मार्ग, डैगन टाउनशिप, याँगॉन, म्यांमार. फोन: +95 9423694109 / 9750139774
ई-मेल: eximmyangon@
eximbankindia.in


To know more about us

## CONTENTS

| $04-48$ |  |
| :---: | :---: |
| Operational Overview |  |
| Empowering Indian Companies to Tap Global Opportunities | 04 |
| Board of Directors | 06 |
| Managing Director's Statement | 08 |
| Our Management | 11 |
| Financial Performance | 12 |
| Industry and Economy Overview | 14 |
| India's Export Performance in Select Sectors | 18 |
| Directors' Report |  |
| Review of Operations and Financial Performance | 21 |
| Financing Exports | 27 |
| Building Export Competitiveness | 32 |
| Supporting MSMEs through Innovative Programmes | 35 |
| Promotional \& Developmental Role | 39 |
| Institutional Infrastructure | 43 |
| 49-75 |  |
| Statutory Reports |  |
| Corporate Governance | 49 |
| 76-114 |  |
| Financial Statements |  |
| Independent Auditor's Report | 76 |
| Balance Sheet | 80 |
| Profit \& Loss Account | 81 |
| Schedules forming part of Financial Statements | 82 |
| Cash Flow Statement | 85 |
| 115-119 |  |
| Export Development Fund |  |
| Directors' Report | 115 |
| Financial Statements | 116 |

For over four decades, the Export-Import Bank of India (Exim Bank) has played a crucial role in financing, facilitating and promoting India's international trade and investment. The Bank has emerged as a trusted partner in the globalisation efforts of Indian companies, providing a broad range of support at all stages of the business cycle. The Bank's financial offerings are tailored to the varied requirements of Indian exporters, including import of technology, development of export products, manufacturing, marketing, shipment and international investment for market access and value chain linkages, among others.

As a policy bank, Exim Bank has also been instrumental in facilitating the development partnerships of the Government of India, by extending finance to partner countries to meet their development priorities and create a positive socio-economic impact in projects across an array of diverse sectors, while concomitantly creating large opportunities for Indian companies in high value-added and technology-intensive sectors.

Stakeholders of the Bank also benefit from a wide array of value-added services provided by the Bank, including research, marketing assistance, capacity building workshops and training for grassroots enterprises and information dissemination through seminars, webinars and the Exim Mitra portal.

Recognising that economic growth must go hand in hand with social and environmental responsibility, the Bank is committed to sustainability as a principle across its operations. The Bank's focus is two-fold - it "finances the green" by providing support to companies and projects in green sectors, while actively "greening the finance" through the integration of Environmental, Social and Governance (ESG) risk assessments into credit appraisals. This dual approach ensures responsible and environmentally conscious financing.

Rooted in the belief that our world is interconnected and interdependent, the theme of India's G20 presidency, "One Earth, One Family, One Future" resonates with the Bank's vision, activities and business culture. By helping Indian companies in their internationalisation efforts, the Bank contributes to the creation of a more interconnected world. As an agent of development partnerships of the Government of India, the Bank plays a vital role in supporting sustainable and inclusive economic growth in developing countries. The Annual Report 2022-23 highlights these activities and the Bank's commitment to fostering a more equitable, sustainable and prosperous future.

## 100\%

owned by
Government of India

## 40+

years of operations in medium-to-long term export credit

## Policy Bank

supporting development priorities of partner countries

## Robust

## Regulatory Capital position

## Investment Grade Credit Rating

by international credit rating agencies, at par with Sovereign

Globalisation of Indian Businesses and Empowering Growth of Partner Countries


Mission
Facilitate Indian Trade and Investment and Support Partner Countries' Development Priorities as a Financially, Socially and Environmentally Responsible Institution

## EMPOWERING INDIAN COMPANIES TO TAP GLOBAL OPPORTUNITIES

Expanding Horizons

Buyer's Credit under NEIA
Commercial Buyer's Credit

- Overseas Investment Finance

Trade Assistance Programme
Guarantees

Marketing Advisory Services


## BOARD OF DIRECTORS

Directors representing the Government of India


Dammu Ravi
Secretary (Economic Relations) Ministry of External Affairs


Suchindra Misra
Additional Secretary
Department of Financial Services Ministry of Finance


Rajat Kumar Mishra
Additional Secretary
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance


Vipul Bansal
Joint Secretary
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry

Director representing Trade and Industry


Ashok Kumar Gupta
Tax Consultant

## Directors from Institutions and Commercial Banks


R. Subramanian

Executive Director
Reserve Bank of India


Rakesh Sharma
Managing Director \& CEO IDBI Bank Ltd.


Dinesh Kumar Khara
Chairman
State Bank of India

A.S. Rajeev

Managing Director \& CEO Bank of Maharashtra

M. Senthilnathan

Chairman-cum-Managing Director ECGC Ltd.


Matam Venkata Rao
Managing Director \& CEO Central Bank of India


Harsha Bangari
Managing Director

N. Ramesh

Deputy Managing Director


Tarun Sharma
Deputy Managing Director

## MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT



As India moves from the milestone of Azadi ka Amrit Mahotsav to the Amrit Kaal, the growth story remains resolutely positive. India has emerged as a bright spot witnessing the fastest growth among major economies against the backdrop of challenging global economic landscape characterised by slowdown in advanced economies, geo political conflicts, persistent inflationary trends and tightening monetary policies.

During the year, India's real GDP registered a strong growth of over 7 per cent with contribution from all sectors of the economy. Agriculture and allied sector remained resilient and services sector witnessed broad based recovery. In the industrial sector as well, infrastructure/construction goods recorded robust growth. The economic growth was supported by recovery in discretionary spending, increased consumer confidence and focus on infrastructure investments by the Government of India.

Despite the global headwinds, this was another record year for exports from India, with total exports at US\$ 774 billion. Merchandise exports at US\$ 451 billion had a larger share of high value added and technology intensive sectors such as electronics, machinery and automotive making India's exports less prone to commodity price cycles. Project exports, which are indicative of technical maturity and industrial capability of a country, also exhibited an upward trajectory.

As India steers collective action for inclusive, resilient and sustainable development during its G20 presidency, Exim Bank is aligning its business operations with a renewed vision of 'Globalisation of Indian Businesses and Empowering Growth of Partner Countries'.

Financial and Business Results
The Bank's loan portfolio at ₹ $1,345.23$ billion, witnessed a growth of 14.37
percent. The corporate loan book recorded a remarkable growth of 35 percent reflecting the positive growth sentiments in the economy. The Bank's non-funded portfolio, which mainly includes project related guarantees, also increased by 11.50 per cent during the year.

During the year, the Bank approved credit facilities aggregating ₹ 798 billion to enhance export capabilities of Indian companies and support development priorities of partner countries. This support is contributing to exportoriented production, enhancing export competitiveness of Indian companies and fulfilling the globalisation ambitions of Indian companies amid heightened global uncertainties.

The asset quality of the Bank's corporate portfolio remains strong with nearly 85 per cent of the portfolio being rated investment grade. As on March 31, 2023, net NPAs stood at
0.71 per cent of the net loans, with a Provision Coverage ratio of 95.56 per cent, implying minimal legacy pain going forward.

The Bank maintained its trend of profitability with operating profit increasing by 14.98 per cent primarily on account of improved margins, increase in fee-based income and efficient liability management. Profit after tax more than doubled during the year to ₹ 15.56 billion.

The Bank supported a wide range of developmental projects in partner countries through the Lines of Credit (LOCs) extended under the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) at the behest of the Government of India (GOI). As of March 31, 2023, the Bank had a portfolio of 303 LOCs, spanning 68 countries and encompassing credit commitments of US\$ 31.85 billion. These LOCs are supporting socio economic development in partner countries, while facilitating access to new markets and opportunities for Indian companies. As on March 31, 2023, 928 contracts valued at over US\$ 14 billion have been covered under LOCs, creating opportunities for over 300 Indian companies across traditional and emerging sectors, and benefitting a multitude of MSMEs in the value chain. We remain grateful to the Government of India for its continued confidence in our capacity to facilitate the development partnership programmes.

## Medium Term Business Strategy

Over the past four decades of Bank's operations, the economic landscape has undergone significant changes, both in India and globally. While the Bank has continued to progressively evolve in line with this dynamic and transforming landscape, there was a need to develop a forward-looking roadmap based on its evolving priorities and aspirations. Accordingly, the Bank undertook a comprehensive review of its operations and developed its Medium-term Business Strategy (MTBS). With a renewed Vision and Mission, the strategy focuses on, inter alia, maintaining the Bank's leadership in financing project exports, increasing focus on support for Micro, Small
and Medium Enterprises (MSMEs), contributing towards development of India's big bet sectors with future export potential, deepening the Bank's role in the LOC lifecycle, leveraging digitalisation for new product offerings, strengthening Environmental, Social and Governance (ESG) commitment and expanding presence in India and other geographies.

In line with the MTBS, the Bank has taken several measures for strengthening implementation and monitoring of LOCs for expeditious delivery of quality projects. A dedicated Infrastructure Group has been formed for identifying projects, validating detailed project reports, expediting procurement processes, and monitoring and evaluating LOC projects. The Bank has also developed a dynamic monitoring platform NETRA (New E-Tracking and Remote Administration) which was launched by the Hon'ble Finance Minister. The platform provides seamless and secure access to real time information on projects covered under LOCs. The NETRA platform, along with the revised IDEAS guidelines and toolkit of model documents, would be harbingers of a new era of development cooperation for India.

As a part of its strategy, the Bank is also endeavouring to address the financing challenges faced by MSMEs, that are export-oriented or have the potential to export. The Ubharte Sitaare Programme (USP) of the Bank is identifying and nurturing Indian companies that exhibit strong export potential, and possess distinct advantages in technology, products, or processes. Under the USP, the Bank has extended credit facilities of more than ₹ 6 billion to 42 companies as also launched the equity window to boost competitiveness of Indian MSMEs. Among the companies supported under the programme, there are several that are leading the way in breakthrough technology, revolutionising the healthcare industry, and providing innovative solutions for environmental sustainability. The Bank is effectively addressing the specific challenges faced by the companies and facilitating their accelerated growth in the global export market. Several companies supported under USP can provide the world with innovative solutions for adopting the
'Lifestyle for Environment' movement proposed by India in its G20 presidency.

Also, given the recent challenges in the global environment, our new initiative - the Trade Assistance Programme (TAP) - is supporting businesses, especially MSMEs, in expanding their global presence. Under TAP, the Bank offers partial or full guarantees to cover payment risks on banks in developing, emerging, and untapped markets. In the pilot phase itself, the Bank has successfully supported 122 transactions under TAP, facilitating incremental exports of US\$ 304.76 million across diverse sectors, as of March 31, 2023. This programme facilitates businesses in tapping new geographies by increasing confidence in trade settlements.

The Bank has also proactively aligned its activities with global best practices in sustainability. During the year, the Bank strengthened its 'Environmental, Social and Governance Policy for Sustainable Development / Responsible Financing'. The policy integrates ESG risk assessment in the Bank's credit appraisal process. Each credit proposal of the Bank is subjected to thorough screening and categorisation based on ESG risk assessment. This ensures that ESG factors are meticulously considered in our lending decisions, promoting sustainable and responsible financial practices.

In January 2023, the Bank successfully issued a 10-year Sustainability Bond of US\$ 1 billion under its ESG Framework, becoming India's largest ever single tranche investment-grade ESG issuer. The overwhelming response from investors demonstrated their trust and confidence in the Bank's sustainability commitment. The funds raised through this issuance will be directed towards financing eligible projects in six green and four social areas aligned with our ESG Framework.

As part of its efforts to promote inclusive growth, the Bank is supporting grassroots enterprises and artisans based largely out of rural areas of the country. During the year, the Bank continued its handholding support by way of design, product and packaging workshops for grassroots enterprises.

The Bank also actively contributed to various CSR initiatives in the areas of health, nutrition and sanitation, education and sports, skill development and livelihood support, and environmental sustainability.

The Bank is aligning its grassroots initiatives in line with the 'Districts as Export Hubs' (DEH) initiative of the Government of India. During the year, we carried out capacity building interventions to promote litchi plantation in Muzaffarpur, Bihar, and red chillies plantation in Guntur, Andhra Pradesh. These initiatives are aimed at fostering local economic development and promoting exports from these regions.

Through its research initiatives, the Bank is supporting informed policy making in India. We continued to engage with the Government of India and undertook research studies on opportunities for India from bilateral trade and investment agreements with countries/regions. The Bank's quarterly forecasts of India's exports using an Export Leading Index model developed in-house, have also been remarkably accurate, positioning the Bank as a reliable source of information on the likely near-time trajectory of India's exports. During the year, the Bank also facilitated policy evolution in partner countries, through consultancy services for establishment of an Export Credit Agency in Barbados.

## Guidance from the Board of

 DirectorsThe Bank has a wealth of expertise within its Board of Directors, who have been guiding the Bank towards attaining its objectives. They include our Directors representing the Government of India - Shri Dammu Ravi, Secretary (Economic Relations), Ministry of External Affairs; Shri Rajat Kumar Mishra, Additional Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance; Shri Suchindra Misra, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance; and Shri Vipul Bansal, Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. We
continue to benefit and learn from the expertise of Directors from various institutions and commercial banks, which include Shri R. Subramanian, Executive Director, Reserve Bank of India; Shri Dinesh Kumar Khara, Chairman, State Bank of India; Shri M. Senthilnathan, Chairman-cumManaging Director, ECGC Ltd.; Shri Rakesh Sharma, Managing Director \& CEO, IDBI Bank Ltd.; Shri A. S. Rajeev, Managing Director \& CEO, Bank of Maharashtra; and Shri M.V. Rao, Managing Director \& CEO, Central Bank of India; apart from my colleague, Shri N. Ramesh, Deputy Managing Director of the Bank. The Bank has also benefitted from the guidance of Shri Ashok Kumar Gupta, Tax Consultant, who is the nonofficial director on our Board. The achievements outlined in this report would not have been possible without their support.

There have also been changes on the Board of the Bank due to relinquishment of directorships consequent upon achieving superannuation. These include Ms. Rupa Dutta, Principal Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry; and Shri Rajkiran Rai G, Managing Director and CEO, Union Bank of India. The Bank gratefully acknowledges their invaluable contribution as Directors and will always remain indebted to them.
| would also like to welcome Shri Tarun Sharma on the Board who took charge as the Deputy Managing Director of the Bank on April 18, 2023. Tarun started his career in Exim Bank as a Management Trainee and has grown from strength to strength. I am sure he will be a tremendous success in his new role.

Strong institutional framework including inter alia, Information Technology systems, comprehensive risk management architecture, robust compliance culture, and integrated treasury form the bedrock of the Bank's performance. Most importantly, the achievements of the Bank have been underpinned by the hard work, commitment to
excellence and diligence of its staff. I would like to express my gratitude and appreciation for the dedication and contribution of each and every employee of the Bank.

## Looking Ahead

The Foreign Trade Policy 2023 has set an ambitious target of achieving US\$ 2 trillion of exports from India by 2030 - nearly three-fold the level of exports in 2021-22. At Exim Bank, we are gearing up to play a catalytic role in this growth journey. We are bolstering our traditional areas of medium-to long-term financing support for technology-intensive project exports, while expanding our support in the short-term spectrum to meet the financing gap for MSMEs. Under TAP, we look forward to increasing the confidence in trade settlements and facilitating incremental exports to relatively untapped geographies. We also aspire to be at the forefront of sustainable finance, supporting projects and businesses that are committed to creating a better and more sustainable world for all.

As part of our growth strategy, and to effectively serve our various stakeholders, we are committed to expand our physical presence by establishing new offices, and develop new product offerings. The Bank is currently in the process of setting up a subsidiary in the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City). This new subsidiary will focus on providing trade finance products, including export/import factoring, to cater to the needs of our customers.

In the Amrit Kaal, our commitment to finance, facilitate and promote exports remains resolute with our renewed mission to 'Facilitate Indian Trade and Investment, and Support Partner Countries' Development Priorities as a Financially, Socially and Environmentally Responsible Institution'


## Harsha Bangari

Managing Director


## FINANCIAL PERFORMANCE

Total Business ..... (₹ in Billion)

FY19 2,093

| FY20 | 2,313 |
| :--- | :---: |
| FY21 | 2,377 |
| FY22 | 2,512 |

FY23 ..... 2,923
Net Investments (₹ in Billion)
FY19 ..... 93
FY20 ..... 108
FY21 ..... 100
FY22 ..... 109
FY23
PAT ..... (₹ in Million)
FY19 820
FY20 1,240

| FY21 |  |
| :--- | ---: |
| FY22 |  |

FY23 ..... 15,560
Customer Asset Portfolio ..... (₹ in Billion)
FY19 ..... 1,077
FY20 ..... 1,153
FY21 ..... 1,181
Net Loan Portfolio (₹ in Billion)

| FY19 | 936 |
| :--- | :--- |
| FY20 | 99 |


| FY21 | 1,039 |
| :--- | :--- |
| FY22 | 1,176 |

FY23 ..... 1,345
CRAR ..... (in \%)

| FY19 | $19.07 \%$ |
| :--- | :--- |
| FY20 | $20.13 \%$ |

FY21 25.89\%
Provision Coverage Ratio ..... (in \%)

| FY19 | $84.72 \%$ |
| :---: | :---: |
| FY20 | $88.76 \%$ |
| FY21 | $96.74 \%$ |
| FY22 | $100 \%$ |
| FY23 | $\mathbf{9 4 . 5 6 \%}$ |

Borrowings (₹ in Billion)

| FY19 | 923 |
| :--- | :---: |
|  |  |
| FY20 | 1,052 |
| FY21 | 1,096 |
| FY22 | $\mathbf{1 , 0 7 5}$ |
| FY23 |  |

## INDUSTRY AND ECONOMY <br> OVERVIEW

## 111

## Global Economy

The global economy faced a number of challenges in 2022. The conflict in Ukraine, rising inflation and central bank tightening continued to weigh on economic growth. However, there were some positive signs, such as the continued recovery in the labour market in many countries.

The IMF projects that global GDP growth will moderate to $2.8 \%$ in 2023, due to monetary policy tightening, slowdown in advanced economies, deterioration in financial conditions and the ongoing conflict in Ukraine.

## Real GDP Growth (\%)



Note: F - Forecast, E - Estimate
Source: IMF World Economic Outlook, April 2023

## Global Exports Growth (\% Change in Value)



Source: World Trade Organisation

## Indian Economy

The Indian economy registered a growth of $7.2 \%$ in 2022-23, supported by strong domestic demand and exports However, inflation remained elevated at around $6.7 \%$, due to the ongoing conflict in Ukraine and the rise in global commodity prices. The Reserve Bank of India (RBI) has raised interest rates six times in 2022-23 in an effort to cool inflation.

The government is taking steps to mitigate the risks to the growth outlook, through increase in spending on infrastructure and social programmes.


Agriculture
Industry
Services
—— Real GDP Growth \%

[^2]
## India's Merchandise Trade



Source: Ministry of Commerce \& Industry, Government of India


Note:*Includes tea, coffee and marine products
Source: Ministry of Commerce \& Industry, Government of India

India's Top 10 Merchandise Imports (2022-23)
(US\$ billion)


Note: *Agri \& Allied products also include tea, coffee and marine products
Source: Ministry of Commerce \& Industry, Government of India


[^3]INDIA'S EXPORT PERFORMANCE
IN SELECT SECTORS

Automotive Products

Share
$2022-23$ $4.82 \%$
21.7



Textiles \& Allied Products

Capital Goods


Electronics


## Petroleum Products



## ?



Drugs \& Pharmaceuticals


Chemicals \& Related Products


Agricultural Products*

(in US\$ BILLION)

## 42.3

37.8
32.5


[^4]The Rupsha bridge constructed under the Khulna-Mongla Rail Line Project in Bangladesh was handed over to the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh in September 2022. Supported by Exim Bank, under the Lines of Credit programme, the Rupsha bridge and rail line project has improved connectivity of Bangladesh with India, Nepal and Bhutan. This 5 km bridge is facilitating transportation of goods and enabling easier access to people. The construction of the bridge was a challenging engineering feat and stands as a testament to the advanced capabilities of Indian companies.


# REVIEW OF OPERATIONS AND FINANCIAL PERFORMANCE 

During the year, the Bank demonstrated unwavering commitment to financing India's international trade and investment, leading to strong expansion in its business and a substantial growth in the corporate loan book. This, in turn, had a multiplier effect on economic growth, innovation and employment generation. The Bank's ability to mobilise funds at competitive rates continued to bolster its ability to support globalisation efforts of Indian companies and foster the development partnership programmes of the Government of India. The Bank remained committed towards maintaining asset quality and ensuring resilience in its operations.


LOAN ASSETS
The Bank approved loans aggregating ₹ 669.69 billion under various lending programmes during FY 2022-23, an increase of 22 per cent from ₹ 548.08 billion approved during FY 2021-22. Loan disbursements were ₹ 648.75 billion during FY 2022-23, an increase of 19 per cent from ₹ 522.71 billion during FY 202122. Loan repayments amounted to ₹ 546.83 billion during FY 202223, as against ₹ 423.90 billion in FY 2021-22. The loans provided by the Bank are: facilitating exports; building export capabilities; enhancing export competitiveness; creating export infrastructure; diversifying export markets; and supporting globalisation of Indian companies.

As on March 31, 2023, net loan assets stood at ₹ 1345.23 billion, registering an increase of 14.37 per cent vis-a-vis the previous year. Of the net loan assets rupee loans and advances accounted for 26 per cent and 74 per cent loans and advances were in foreign currency (FC). In line with its
core mandate of extending Medium to Long Term (MLT) export credit, the vast majority of net loans and advances ( 82 per cent) have tenors of medium-to-long term, while shortterm loans account for 18 per cent of net loans and advances as on March 31, 2023.


## NON-FUNDED FACILITIES

During FY 2022-23, the Bank approved non-funded facilities aggregating ₹ 127.96 billion as against ₹ 140.55 billion in FY 202122, comprising project guarantees, financial guarantees and letters of credit. Guarantees issued during FY 2022-23 amounted to ₹ 39.12 billion as against ₹ 39.84 billion in FY 202122. Letters of Credit issued during FY 2022-23 amounted to ₹ 14.45 billion as against ₹ 9.35 billion in FY 2021-22.

The Bank's aggregate non-funded portfolio, increased by 11.50 per cent to ₹ 170 billion as on March 31, 2023, from ₹ 152.47 billion as on March 31, 2022. Guarantees in the books of the Bank as on March 31, 2023, were ₹ 162.23 billion as against
₹ 145.37 billion as on March 31, 2022 Letters of Credit as on March 31, 2023 amounted to ₹ 7.77 billion as against ₹ 7.10 billion as on March 31, 2022 Guarantees issued by the Bank have enabled project exporters to secure and execute export contracts and deemed export contracts.


## INCOME/EXPENDITURE

Business income, including interest on loans, exchange commission, brokerage and fees, etc. during FY 2022-23 was ₹ 77.69 billion as compared to ₹ 46.67 billion in FY 2021- 22. Investment income during FY 2022-23, including interest on bank deposits, was ₹ 37.18 billion as compared to ₹ 36.97 billion in FY 2021-22. Interest expenses in FY 2022-23 at $₹ 75.56$ billion were higher by ₹ 25.99 billion as compared to FY 2021-22. Administrative expenses as a per cent of total expenses (excluding provisions for contingencies) were lower at 4.21 per cent during FY 2022-23, as compared to 5.27 per cent during FY 2021-22.

The Bank registered profit before tax of ₹ 20.89 billion on account of the General Fund during FY 2022-23, as against profit before tax of ₹ 21.50 billion for the year FY 2021-22. After providing for income tax of ₹ 5.33 billion, profit after tax amounted to ₹ 15.56 billion during FY 2022-23 as against a profit after tax of ₹ 7.38 billion during FY 2021-22. Out of this profit, an amount of ₹ 14.00 billion is transferred to the Reserve Fund. The balance of $₹ 1.56$ billion will be transferred to Government of India (GOI) as provided in the Export-Import Bank of India Act, 1981.

Profit before and after tax of the Export Development Fund during FY 2022-23 were ₹ 114.41 million and ₹ 85.61 million respectively as against ₹ 123.46 million for both during FY 2021-22.


## BORROWINGS

Market borrowings as on March 31, 2023, constituted 100 per cent of the total borrowings and 87 per cent of the total resources of the Bank. The Bank's resource base includes, inter alia, rupee bonds, certificate of deposits, commercial papers, term deposits, rupee term loans, foreign currency bonds, foreign currency loans and long-term swaps. Total borrowings of the Bank were at ₹ $1,284.23$ billion as on March 31, 2023, higher by 19.49 per cent than the total borrowings of ₹ $1,074.77$ billion as on March 31, 2022. During the year, the Bank was successful in its liability management exercise by replacing high-cost borrowing, resulting in cost reduction along with tenor elongation.


## RESOURCES

As on March 31, 2023, the Bank's total resources including paidup capital of ₹ 159.09 billion and reserves of ₹ 47.18 billion aggregated ₹ 1490.51 billion.

During the year, the Bank raised borrowings of varying maturities aggregating $₹ 728.67$ billion, comprising rupee resources of ₹ 443.87 billion and foreign currency resources of US\$ 3.47 billion equivalent. Rupee resources of ₹ 66.30 billion were raised through rupee bonds and term loans and ₹ 377.57 billion through short-term money market instruments. Foreign currency resources of US $\$ 1.26$ billion were raised through bonds, US\$ 1.50 billion through bilateral / club / syndicated loans and US\$ 706.23 million equivalent through swaps. As on March 31, 2023, the Bank had a pool of foreign currency resources equivalent to US\$ 13.08 billion and outstanding rupee resources of ₹ 257.53 billion.


## US\$ 1 BILLION SUSTAINABILITY BOND

During FY 2022-23, the Bank raised FC resources aggregating US\$ 3.47 billion equivalent, through a variety of instruments. In January 2023, the Bank successfully issued a 10year Sustainability Bond of US\$ 1 billion under its Environmental Social Governance (ESG) Framework, in the 144A/Reg S format. The issuance made the Bank the largest ever singletranche Investment Grade ESG issuer out of India.

This issuance is the largest sustainability bond issuance to be listed on India INX GSM Green platform and the first sustainability bond to be listed on AFEX Green, AFRINEX's platform dedicated for social, green and sustainable financing. The Bond has also been listed on the London Stock Exchange and the Singapore Exchange.

Given the increased investor interest in the Bank's first sustainability issuance under the Framework, the Bank undertook its second Sustainability Bond issuance during the year by way of private placement.


## RESOURCES DIVERSIFICATION

The Bank has been constantly tracking various currencies and their associated swap curves. Due to the relatively attractive levels of US\$ / SGD swap curve and with an objective of currency diversification, the Bank in December 2022, issued an SGD 15 million bond with a tenor of one year by way of private placement under the GMTN Programme. With this issuance, the Bank raised SGD after a decade, enabling it to diversify into a new currency, widen its investor base and further enhance the Bank's stature in the international debt markets.

So far, the Bank has raised FC resources in diverse currencies. Apart from the United States Dollar, Euro, Great Britain Pound and Japanese Yen, the Bank till date, has raised resources in Australian Dollar, Hong Kong Dollar, Mexican Peso, Offshore Renminbi, Singapore Dollar, South African Rand, Swiss Franc and Turkish Lira.

During the year, the Bank raised funds through bilateral loans from banks and private placement of bonds. The Bank raised US\$ 100 million loan from the Japan Bank
for International Cooperation, along with three Japanese private financial institutions, for the purpose of supporting the Indian healthcare sector related to COVID-19.


## TRANSITION FROM LIBOR TO ALTERNATE REFERENCE RATE

The Bank has a substantially dollarised balance sheet directly or indirectly linked to the US\$ LIBOR. In view of the non-representativeness of LIBOR post June 30, 2023 and the Bank's roadmap for LIBOR transition, the Bank took several steps for being in readiness towards migrating to alternate benchmark rates. The Bank upgraded its IT systems for addressing any issues arising out of this transition, particularly in derivative, borrowing and lending transactions, enabling the Bank to undertake fresh Alternate Reference Rate (ARR) linked transactions. In its endeavour to constantly spread awareness about the transition and to support its existing and new customers, the Bank has published general FAQs on LIBOR transition on its website.

The Bank mapped the assets, liabilities and derivative exposures, which are linked to LIBOR and its respective interest and benchmark resets. To ensure the smooth transition, the Bank adhered to the ISDA 2020 IBOR Fallbacks protocol to minimise the risk of transition to alternate benchmark for derivative contracts. The Bank has also successfully transitioned its existing non-US\$ currency exposure linked to LIBOR, well before the cessation date.


## ASSET QUALITY

As per RBI's prudential norms for Financial Institutions, a credit / loan facility in respect of which interest and / or principal has remained overdue for more than 90 days, is defined as a Non-Performing Asset (NPA). The Bank's gross NPAs at ₹ 56.97 billion stood at 4.09 per cent of the total loans and advances as on March 31, 2023 compared to ₹ 43.47 billion ( 3.56 per cent) as on March 31, 2022. The Bank's NPAs (net of provisions) of ₹ 9.48 billion as on March 31, 2023, were at 0.71 per cent of the net loans and advances (net of provisions) as on March 31, 2023. The Provision Coverage Ratio (PCR) as on March 31, 2023, was 94.56 per cent. The significant accretion to gross NPA during the year is attributed to delinquency observed in an exposure to a sovereign borrower under the Buyer's Credit under National Export Insurance Account programme the Bank.


## ASSET CLASSIFICATION

'Sub-standard assets' are those where interest and / or principal remains overdue for more than 90 days up to 12 months. Sub-standard assets that have remained as NPAs for a period exceeding 12 months are classified as 'doubtful assets.' 'Loss assets' are those considered uncollectable. The gross NPAs as of March 31, 2023, comprised sub-standard assets of 61.99 per cent and doubtful assets of 38.01 per cent. The Bank did not have any loss assets as on March 31, 2023.


## CAPITAL ADEQUACY

The Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) was 25.43 per cent as on March 31, 2023, as compared to 30.49 per cent as on March 31, 2022, as against a minimum 9 per cent norm stipulated by the RBI. The Debt-Equity Ratio as on March 31, 2023, was 6.23 as compared to 5.59 as on March 31, 2022.


## EXPOSURE NORMS

The Bank's credit exposures to single borrower ( 15 per cent of Total Capital Funds (TCF)) and borrower groups (40 per cent of TCF) as on March 31, 2023, were within the limits stipulated by the RBI. The above exposure norms are not applicable for credit exposures that are guaranteed by the Government of India. The same treatment has been considered for credit exposures covered under comprehensive credit insurance from the National Export Insurance Account (NEIA), a Trust established by the Government of India. The exposure limit adopted by the Bank for each industry sector is 15 per cent of the Bank's aggregate credit exposure to all industry sectors. None of the Bank's exposures to individual industry sectors was more than 15 per cent of its total industry exposure as on March 31, 2023.

## INTERNATIONAL AND DOMESTIC RATING

The Bank is rated Baa3 (Stable) by Moody's, BBB - (Stable) by S\&P Global Ratings, BBB - (Stable) by Fitch Ratings and BBB+ (Stable) by Japan Credit Rating Agency. The outlook on the Bank was upgraded from 'Negative' to 'Stable ' during the year by Fitch Ratings, in line with the upgrade in outlook for the sovereign rating. All the above ratings are of investment grade or above and are at par with the sovereign rating. The Bank's domestic debt instruments have the highest rating viz., 'AAA (Stable)' for long-term instruments and $\mathrm{A} 1+$ for short-term instruments from the rating agencies CRISIL and ICRA. The term deposits have been rated as AAA/Stable by CRISIL and ICRA AAA (Stable) by ICRA.


## MEDIUM TERM BUSINESS STRATEGY

The Bank has been a key pillar in supporting India's international trade and investment ecosystem for over four decades. Over this period, the economic landscape has undergone significant changes, both in India and globally. While the Bank has continued to progressively evolve in line with this dynamic and transforming landscape, a need was felt to revisit the Bank's vision and mission along with the business model, products and services, and organisation structure, among others, in order to more effectively meet the needs of stakeholders. Accordingly, the Bank engaged an international
consultant to comprehensively review its performance, benchmark with the best practices of other export credit agencies, and undertake consultations with stakeholders, to recommend a strategic roadmap.

The Bank has since put in place a board-approved Medium Term Business Strategy (MTBS) for the period FY 2022-23 to FY 202627. The MTBS aligns the vision and mission of the Bank with evolving priorities and aspirations, and articulates a comprehensive strategy covering eight key elements. Over the five-year period, the Bank aims to maintain its leadership in financing project exports and support the development of next generation of Indian project exporters. The strategy also envisages an accelerated growth in the credit portfolio, with a focus on sectoral focused commercial lending, targeting the development of big bet sectors with future export potential. Additionally, the strategy underscores the Bank's commitment in providing sustainable finance and aims at enabling Indian companies to become ESG compliant for exports. The Bank seeks to increase the share of green financing in its credit portfolio and adopt robust ESG standards in the credit due-diligence process.

While the Bank would continue to focus on existing programmes like Overseas Investment Finance, longterm Buyer's Credit and financing for Export Oriented Units, it also aims to introduce new programmes for MSMEs to unleash their latent export potential. In this regard, the Bank has already taken substantive steps with the Trade Assistance Programme and the proposed subsidiary for trade finance at the Gujarat International Finance Tec-City. In alignment with its increased focus on MSMEs, the Bank would strengthen its partnerships with commercial banks / financial institutions and undertake facilitation programmes, especially under the Districts as Export Hubs initiative.

As a policy bank, the GOI-supported Lines of Credit would remain a priority area for the Bank. The Bank aims to deepen its presence across the lifecycle of LOC projects for better utilisation of support by partner countries and more effective developmental impact.

In order to achieve the goals set out in the MTBS, the Bank is undertaking changes in the organisation structure and HR strategy, leveraging technology and expanding its geographical reach. The Bank is also focussing on greater usage of digital tools and platforms for improvement in the offerings to Indian exporters. Further, the Bank plans to expand its geographical presence to cater to the needs of its stakeholders.

The Bank's performance for FY 2022-23, the first year of the strategy period, is in line with the projections in the MTBS. During the year, the Bank has exceeded the targets for the asset portfolio and operating profit.

The Bank has funded the construction of light rail transit system in Mauritius between Port Louis and Curepipe, along with extension of the metro express project, which is facilitating cost-effective and faster commutes in the country. The project has significantly reduced traffic congestion and improved connectivity, thereby reducing the direct and incidental losses from road congestion. Furthermore, the project is also reducing the use of private vehicles and resultant greenhouse gas emissions by offering the public an environmentally responsible alternative. The project is helping Mauritius progress towards a modern, ecofriendly, vibrant and attractive place to live in, visit and do business.


The Bank's support for water supply schemes in the Dar es Salaam and Chalinze regions of Tanzania, under the Lines of Credit programme, would provide access to clean drinking water to an estimated 200,000 people in the region. The project is supporting the improvement of the overall quality of life, improve public health and sanitation, and


## FINANCING <br> EXPORTS

The Bank is equipped to offer a comprehensive financing package to Indian project exporters including funded support and project related guarantee facilities. The Bank provides a range of export credit products including finance for export of projects and consultancy services, capital equipment finance, export project cash-flow deficit finance and guarantees.


## EXPORT CONTRACTS

During the year, the Bank supported 75 project export contracts secured by over 30 Indian companies, valued at US $\$ 5.30$ billion in 37 countries across Asia-Pacific, Africa, Americas and Europe. Some major project contracts supported by Exim Bank during the year included the following:

The Bank provided support for engineering, procurement and construction of a solar photovoltaic plant by an Indian company in Chile, thereby helping the company establish a stronger foothold in the Latin American market.


In another noteworthy instance of support aligning with the 'Neighbourhood First Policy', the Bank provided assistance to a company for engineering, procurement and construction services at the West Container Terminal in Colombo, Sri Lanka.


The Bank has supported a company for implementation of a 'sea water reverse osmosis' project in UAE. The Project maximises the use of green energy for production of desalinated water. This was the first order for the company in the UAE, showcasing its technical capabilities and innovative solutions.


The Bank has facilitated a company in consolidating its leadership position in the Middle East market as it re-entered Kuwait and secured a large transmission line contract as part of the Kuwait-Saudi Arabia interconnection project. The project will enable reliable flow of power between the GCC countries.

The Bank provided support to an Indian company for implementation of a wastewater treatment plant in the manufacturing units of a leading paper producer in Philippines. The treatment plant helped the paper manufacturer in effective environmental compliance. It also helped the company reduce its water footprint, promoting circular economy.


## EXPORT CREDITS AND

 GUARANTEESDuring FY 2022-23, the Bank approved Export Credits and Guarantees aggregating ₹ 156.62 billion by way of buyer's credit and funded/non-funded support to Indian exporters for project exports. Disbursements amounted to ₹ 45.88 billion and guarantees aggregating ₹ 39.12 billion were issued during the year. These guarantees mainly pertain to overseas projects in diverse sectors such as EPC services, engineering goods, capital goods, agro and food products, construction, power, mining and minerals, etc. With the Bank's support, several Indian companies have also been securing contracts funded by multilateral development banks across Africa, Asia and Latin America.

## Buyer's Credit

The Bank is supporting exports from India by offering buyer's credit to borrowers with credit worthiness in overseas destinations on deferred payment terms and thus enabling development of market for merchandise exports, capital goods and project exports from India. During the year, the Bank supported the capacity addition in a wire rope plant in UAE by importing equipment/machinery from India. Another company availed revolving credit facilities to support commodity exports from India to several African nations. The Bank has also approved a facility for a capacity addition in a steel mill in Bangladesh which is using capital and engineering goods from india.

The Bank's disbursements under the Buyer's Credit programme amounted to ₹ 6.30 billion, significantly enhancing export opportunities for Indian companies across multiple
countries including Ghana, Senegal, Maldives, Uganda, South Africa, Thailand, UAE, etc.


## CREDITS LINES

The Bank also extends credit lines to multilateral development banks / export-import banks / overseas banks etc. to support incremental trade as also implement projects. During the year, the Bank extended credit lines aggregating US\$ 254 million to banks in Asia and Africa. These credit lines provide an opportunity to open new markets for Indian exporters and also enhance the banking relations between India and other geographies across the globe.


## LINES OF CREDIT

The Bank, on behalf and with the support of the Government of India, extends Lines of Credit to sovereign governments, regional development banks and overseas entities to promote development in partner countries. Lines of Credit (LOCs), extended under the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) of the Government of India, are important instruments for sharing India's development experience with partner countries to support economic and infrastructure projects in partner countries, generate socio-economic benefits in the countries, promote bilateral trade in goods and services and support capacity building and skills transfer.

During the year, the Bank extended 7 LOCs aggregating US\$ 670.32 mn , to support the export of projects, goods and services from India, to the Governments of Armenia, Cuba,

Mauritius, Maldives, Sri Lanka and Suriname. These LOCs finance the supply of defence equipment, fertilser along with rice and execution of social infrastructure projects. The Bank has a portfolio of 303 GOI-LOCs with credit commitments aggregating US\$ 31.85 billion which are at various stages of implementation. With an ever expanding reach, the LOCs have gained momentum in stimulating economic growth across 68 countries in Africa, Asia, Latin America, Oceania and the CIS region.

Several initiatives have been taken to strengthen implementation and monitoring of LOC projects based on revised guidelines of IDEAS 2022. The Bank has also set up a dedicated infrastructure group to enhance the Bank's role in project identification, Detailed Projects Report (DPR) validation, expediting procurement and monitoring and evaluation of LOC projects, for accomplishing the desired objectives of IDEAS. During the year, 41 contracts worth US\$ 1.24 billion were included under various LOCs with projects in several sectors.

The 'New E-tracking and Remote Administration' (NETRA) software dashboard and mobile app were launched by Ms. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister for Finance and Corporate Affairs, Government of India. The software provides real time information for accurate reporting of the Bank's portfolio, tracking implementation of more than 100 milestones during the entire cycle of LOC/CF process under IDEAS.

During the visit of the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh to India, Unit1 of the 1320 MW (2*660 MW) ultra-super-critical Maitree super thermal power project at Rampal, Bangladesh, financed under the Concessional Financing Scheme (CFS) was handed over. The project is now connected to the National Grid of Bangladesh, significantly contributing to the power requirement of the country. The project has a transformational impact on power generation capacity and power supply, with positive spill over effects on economic activities in the region.


## BUYER'S CREDIT UNDER THE NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT

Buyer's Credit under the National Export Insurance Account (BC-NEIA) is a unique financing mechanism that provides a safe mode of nonrecourse financing to Indian exporters and serves as an effective market entry tool to traditional as well as new markets in developing countries that need deferred credit on a medium or long-term basis. As on

March 31, 2023, the Bank has sanctioned an aggregate amount of US\$ 3.38 billion, for thirty-six projects, valued at US\$ 3.72 billion under BC-NEIA.

Under BC-NEIA, the Bank supported project exports from an Indian company for the construction of a transmission line for the Tambacounda - Kolda - Ziguinchor link in Senegal, as well as extensions and rehabilitation of networks in the regions. This project is strengthening the power infrastructure in Senegal and provides a substantial socioeconomic boost to the southern region of the country. The construction of the transmission lines have a pivotal
role in enhancing agricultural output and capitalising on the region's strong potential in agriculture and tourism. In another instance, the Bank supported a transmission lines project in Mauritania, which is part of the regional integration plan of the country. The Bank has supported transmission line and associated sub-stations project in Cameroon for improving access to electricity in the country. The Bank supported the development of road networks in Maldives, offering an effective solution to the growing problem of city congestion and also promoting tourism in the country. Such projects are creating a significant socioeconomic development impact.

The Bank is supporting the setting up of a fertiliser unit in Jharkhand, which will boost availability of urea for agriculture in the Eastern region of the country, accelerate economic development and create exportable surplus from the agriculture sector in the region. The support would also contribute towards reduction in India's long-time dependence on imports of urea, achievement of self-sufficiency in the sector and saving of foreign exchange spent on imports of these products.


The Bank is supporting a cassava plantation project in Cameroon, aimed at improving cassava varieties over an area of eight hectares. Under the project, Indian companies have supplied equipment and machinery for tasks such as clearing and preparation of soils, land management, crop planting and maintenance, and harvesting. The project would contribute towards bolstering food security in Cameroon, especially amid climate change induced challenges.


# BUILDING EXPORT COMPETITIVENESS 


#### Abstract

The Bank operates a range of financial programmes aimed at enhancing the export competitiveness and globalisation of Indian companies. During FY 2022-23, the Bank approved credit facilities (funded / non-funded) aggregating ₹ 198.59 billion. Loan disbursements amounted to ₹ 136.79 billion and guarantees / letters of credit issued amounted to ₹53.57 billion.




LOANS TO EXPORT ORIENTED UNITS

The Bank offers loans to export oriented units to cover primarily project finance, equipment finance, working capital, research and development, technology upgradation and greenfield export oriented projects. During the year, the Bank approved term loans of ₹ 56.67 billion for 51 export-oriented units. Disbursements amounted to ₹ 36.12 billion during the year.

Support from the Bank is playing an instrument role in boosting export capabilities of Indian companies and also contributing towards the 'Make in India' initiative. India is fast emerging as a destination for mobile phone, components and accessories manufacturing. Electronic product exports had seen the fastest growth amongst all sectors in FY 2023 and is now the 5th largest sector in India's total export basket. The Bank has extended facilities to an Indian company for the establishment of a cutting-edge mobile enclosure manufacturing unit in Tamil Nadu, which has been able to secure a large long-term order from a global mobile brand. Support by the Bank for such manufacturing units is helping in localisation of the value chain for mobile phone manufacturing in India.

Government of India has enabled a conducive environment for supporting investment in manufacturing with the introduction of Production Linked Incentive (PLI) scheme in various sectors. The Bank has specifically identified companies who have been selected under the PLI scheme in various sectors for supporting their financing requirements. The Bank supported an auto ancillary manufacturer for expansion of its facility. A medical device manufacturer, who has developed many indigenous medical devices, has been supported by the Bank to enhace capacity.

Textiles is a key contributor to employment generation in the country and a major component of the exports basket. The Bank supported a leading manufacturer of apparels in the babies and children's segment to set up a new facility in the state of Telangana. The Bank has supported many Indian companies in adding capacities in yarn, synthetic yarn, spinning, madeups and apparels during the year. The Bank is one of the nodal agencies appointed by the Ministry of Textiles, Government of India, to establish and approve the eligibility of projects under the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) and release subsidy directly to the approved projects. As on March 31, 2023, the Bank had accorded approval for 236 projects with aggregate cost of $₹ 192.79$ billion.

Under the Production Equipment Finance Programme, 21 exporting companies were sanctioned ₹ 11.81 billion for financing the acquisition of production equipment during 202223. During the year, disbursements amounted to ₹ 8.86 billion under the programme, empowering the supported companies to enhance their manufacturing capabilities and improve efficiency. Further, 10 companies were sanctioned long-term working capital loans aggregating ₹ 51.22 billion and disbursements under the programme amounted to ₹ 32.63 billion.

The Bank recognises the importance of research and development (R\&D) to continuously innovate and build capabilities. A leading automobile player was supported under the R\&D programme of the Bank to enhance competitiveness.

During the year, the Bank has approved a facility under export facilitation programme for developing a new airport in Mumbai. This is expected to facilitate air cargo exports as well as transportation services exports. The Bank has been extending support to infrastructure projects which support exports viz. seaports, berths/container terminals, air ports, inland container depots to facilitate faster turnaround time, improve efficiencies, increase capacity, thus enabling better export infrastructure in the country.

## (a)

The Bank supported an Indian company for a strategic acquisition in Canada, which gave the company access to a global patent portfolio and a niche product line, enabling it to engage with major customers in North America and the Middle East. This support is enhancing the Indian company's market presence and foster its growth in key regions.

## OVERSEAS INVESTMENT FINANCE

The Bank has a comprehensive programme covering equity finance, loans, guarantees and advisory services, to support Indian outward investment. During the year, 18 corporates were sanctioned funded and non-funded assistance aggregating ₹ 34.55 billion for part financing their overseas investments in 8 countries. So far, Exim Bank has provided finance to 671 ventures set up by 495 companies in 78 countries.

Notably, during the year under the overseas investment finance programme, the Bank has provided facilities to two of the leading EPC companies of India for their
operations in Brazil. The facilities extended have enabled them to execute the projects being implemented in the Latin American territory demonstrating capabilities of Indian project exporters in the region. The facilities offered under this programme had supported many Indian companies to facilitate acquisition/establishment of overseas subsidiaries, better manage their working capital requirements, capital expenditure and further equity investments required for operating their overseas subsidiaries.

Aggregate assistance extended towards overseas investment amounts to ₹ 670.82 billion, covering a wide range of sectors including pharmaceuticals, chemicals, auto and auto components, telecommunication, power, engineering goods, shipping services, capital goods and healthcare services.


## STANDBY LETTERS OF CREDIT (SBLC) / LETTERS OF CREDIT (LC)

To facilitate the transactions of Export-Oriented Units, the Bank issues LCs mainly for imports financed by the Bank. The Bank also extends financial guarantees by way of guarantees / SBLCs to enable Export Oriented Units raise funds for their overseas ventures at competitive rates. During the year, the Bank issued financial guarantees amounting to ₹ 19.98 billion. The Bank's financial guarantee portfolio stood at ₹ 64.31 billion as on March 31, 2023, as against ₹ 67.97 billion as on March 31, 2022. During the year 2022-23, the Bank opened LCs aggregating ₹ 14.45 billion. The Bank handles negotiation and collection of export documents. The Bank handled 1,672 export documents worth $₹ 151.08$ billion during the year.

The Bank has part-financed the construction and operation of facilities at the new container terminal located at outer harbour, Visakhapatnam Port. The Visakha Container Terminal is the deepest terminal of the country, ideally situated to serve as 'Container Hub Port' on the East coast of India. With the Bank's support, it is evolving as a regional transhipment hub and strengthening India's trade connectivity.


# SUPPORTING MSMEs THROUGH INNOVATIVE PROGRAMMES 


#### Abstract

MSMEs are significant contributors to India's economic output, exports and employment. With a focus on tapping the latent export potential of MSMEs and facilitating international trade in this segment, the Bank has launched several initiatives over the recent years. These initiatives are supporting export capability creation, boosting export competitiveness, engendering confidence in trade settlements and facilitating incremental exports from the MSME sector.




UBHARTE SITAARE PROGRAMME
The Ubharte Sitaare Programme (USP) is aimed at identifying Indian companies that are future champions with export potential. The identified Indian companies have potential advantages by way of technology, products or processes, but may currently be underperforming or lacking the ability to tap their latent potential to emerge larger. The nature of assistance under the USP includes a mix of structured support, both financial and advisory services through debt (funded and non-funded facilities), investments in equity / equity like instruments and technical assistance.

As on March 31, 2023, the Bank has extended financial support aggregating ₹ 6.38 billion and disbursed ₹ 3.19 billion, both fund and non-fund based. The financial assistance is spread across a diverse range of sectors such as aerospace \& defence, auto \& auto components, pharmaceuticals, engineering, electronics, leather goods, consumer durables, robotics and medical. During the year, the Bank made equity investments in two companies.

The Bank is helping 22 tech-enabled MSMEs take the next leap forward in their growth journey. These companies are leading the way in cutting-edge technologies in areas like medtech, cleantech, artificial intelligence, IoT, Industry 4.0 and drones. Under the USP, the Bank is supporting 9 companies that are driving transformative advancements in the healthcare sector through revolutionary pharmaceutical products, medical devices and healthcare solutions. Through its across-the-board support under the USP, the Bank is creating a positive growth environment for 8 companies with innovative solutions for promoting environmental sustainability.

The Bank extended Technical Assistance (TA) aggregating ₹ 30 million to Society for Innovation and Entrepreneurship, Indian Institute of Technology (IIT) Bombay, and Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi. The TA extended by the Bank will act as catalysts for supporting future growth companies with export potential.

The Bank continues to undertake extensive market outreach by way of organised stakeholder consultations with banks, industry associations, chambers of commerce, academia and companies. The Bank has created
a distinct brand identity of 'Ubharte Sitaare' that is being used in its outreach activities.

Under the Programme, an Alternative Investment Fund, christened 'Ubharte Sitaare Fund (USF)', co-sponsored by Exim Bank and SIDBI was launched by Ms. Nirmala Sitharaman, Hon’ble Minister for Finance and Corporate Affairs, Government of India. The objective of the USF is to identify and invest in small and mid-size ventures in manufacturing and service industries, with good export potential by way of equity and equity like products. The total commitments under the USF, as on March 31, 2023, stood at ₹ 2.95 billion from 10 banks, institutions and fund of funds. Cumulative sanctioned commitments to companies as on March 31, 2023, stood at ₹ 850 million.


TRADE ASSISTANCE PROGRAMME (TAP)

The Bank has developed a new trade facilitation initiative, the 'Trade Assistance Programme' to address the trade finance gap. Under TAP, the Bank provides credit enhancement to
trade instruments, thereby enhancing the capacity of commercial banks to support cross-border trade transactions. The Bank is leveraging its partnerships across the globe in identifying and supporting trade transactions involving untapped markets where trade lines are constrained or where the potential has not been harnessed.

As on March 31, 2023, the Bank supported 122 transactions aggregating US\$ 304.76 million ( ~ ₹ 25 billion) across 17 countries under the programme, which includes credit lines / refinance facilities extended to banks and FIs. In the last one year of operation, the Bank has set limits and extended lines aggregating US\$ 528 million on 44 overseas banks, across 15 countries.

The programme is building confidence in trade settlements, thereby enabling exports by MSMEs as well as large corporates, to countries across Asia, Latin America and Africa. The programme is expanding the markets for Indian companies by facilitating transactions in relatively untapped geographies in Africa and Latin America, as also in countries with higher risk perceptions. While TAP mainly covers short term transactions up to 1 year, the Bank has also supported long tenor letters of credit issued such as hydropower projects in Nepal. This indicates the programme's ability to support longer tenor transactions, thereby facilitating project exports.


The Bank, under its Trade Assistance Programme, has supported a Jhansi-based MSME to export textbooks and study materials to Liberia, Mauritania, Côte d'Ivoire and Rwanda. The programme enabled the company to reach out to unexplored markets in Africa, in a short turnaround time. The Bank has also been able to facilitate incremental exports of a well-known Indian two-wheeler brand to Latin American markets such as Argentina, Ecuador, etc.


## SUBSIDIARY FOR TRADE FINANCE

The Factoring Regulation (Amendment) Act has eased the regulatory framework for factoring services in India. Export factoring in many overseas markets is an established financing mode to support the working capital requirements of exporters, especially MSMEs, wherein a substantial part of the export bill value is settled, usually on a nonrecourse basis, by the factoring company. The remaining payments are made to the exporter after
collection of the bill amount from the importer. As factoring services are primarily based on the quality of accounts receivable, such services are particularly beneficial for MSMEs, who may not have a proven track record or whose creditworthiness may be difficult to assess. It also helps in improving competitiveness of exporters as they are able to offer competitive credit terms to their buyers.

In recognition of the above potential to enhance trade and create synergies with other programmes such as USP and TAP, the Bank has developed an initiative to offer factoring services through a subsidiary in the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City). The announcement for the establishment of the Bank's subsidiary was made by the Hon'ble Finance Minister while presenting the Union Budget 2023.

The Bank has commenced the process of setting up the subsidiary, which would, by leveraging the enabling environment, extend export factoring services to Indian companies. Factoring services by the subsidiary of Exim Bank will provide a combination of three major services to exporters: receivables financing, coverage of the risk of non-payment and management of accounts receivable. Apart from export factoring, the subsidiary will also look to cover other areas of trade finance such as forfaiting, supply chain finance, import factoring, import financing, amongst others.

MTAR Technologies, a company supported by the Bank under its Ubharte Sitaare Programme, is catering to precision engineering requirements of Indian nuclear, defence, space and clean energy sectors. The Bank has helped the company to increase its capacity for supply of power units, specifically hot boxes. The hot boxes use methane and natural gas to generate power in a process which emits 66 per cent less carbon dioxide than thermal power plants. The company has also supplied critical components for the Chandrayaan-3 mission, penning a new chapter


Under the Ubharte Sitaare Programme, the Bank is supporting NextFirst, an industrial and warehouse automation company facilitating Industry 4.0. The Bank's support has enabled NextFirst to overcome cashflow challenges, establish its credentials and expand its footprint in advanced economies. With the Bank's support, NextFirst has successfully executed an order from a renowned conglomerate in the USA and subsequently secured another order from a renowned group in the UK. With support to such companies with differentiated products, processes and technology, the Ubharte Sitaare Programme is adding momentum to the 'Make in India for the World' mission.


# PROMOTIONAL \& DEVELOPMENTAL ROLE 


#### Abstract

Trade underpins almost all Sustainable Development Goals, with explicit targets for trade across 6 goals. Recognising the significance of trade for sustainable development, the Bank is undertaking a wide array of activities as part of its promotional and developmental role. The Bank is supporting enterprises and artisans at the grassroots level by way of financial support, capacity building and export marketing. The Bank is disseminating information to encourage more companies to engage in trade and contributing to policy evolution through research on various aspects of international trade. The Bank is also fostering linkages with other institutions in India and other geographies, for greater cooperation and sharing of best practices.




GRASSROOTS INITIATIVES AND DEVELOPMENT (GRID)

The Bank, through its grassroots initiatives, envisages supporting globalisation of micro and small enterprises, generally based out of rural India. The programme seeks to address the socio-economic needs of relatively disadvantaged sections of society with an aim to augment operational efficiencies, achieve higher value addition and widen market access in areas such as handicraft, handloom and agro-based products.

The Bank works with agencies to support clusters, SHGs, NGOs, FPOs, rural artisans, grassroot and micro-enterprises in capacity building, technological upgradation, quality improvement, market access and also organises product and design sensitisation, skill development and training workshops.

As part of this endeavour, the Bank, during the year, made a number of interventions through support for training and skill development. The

Bank organised a programme on 'Product and Design Sensitisation' for 40 Bidriware artisans in association with National Institute of Design, Ahmedabad, at Bidar, Karnataka. The Bank supported Anoothi, a Jaipur based micro enterprise, by way of a skill development training programme for women artisans, in association with the National Design Centre, New Delhi, for a period of 20 days. The Bank also supported capacity building by supporting the setting up workstations for screen printing.

Government of India, under the 'one district one product' (ODOP) and 'district as an export hub' (DEH) programme has identified products and services with export potential in the districts and is working with stakeholders to transform the districts into export hubs. In order to support these initiatives, the Bank has identified districts / products under the ODOP/ DEH for interventions under its GRID programme. During the year, the Bank extended support to the Litchi Growers Association of Bihar for procuring off grid cold storage solutions and pest management tools for litchi plantation farmers in Muzaffarpur, Bihar, in order to enhance the quality and shelf life of Litchi, resulting in reduction in spoilage
and waste. The Bank also provided support to red chilli plantation farmers organisation in Guntur, Andhra Pradesh for integrated pest management initiatives and procure drones.


## MARKETING ADVISORY SERVICES (MAS)

Exim Bank seeks to help Indian firms in their globalisation efforts, by proactively assisting in locating overseas distributors / buyers / partners for their products and services on a success fee basis through its MAS programme. To expand its outreach and support to grassroots enterprises and artisans, the Bank has a flagship event viz., 'Exim Bazaar', an exclusive marketing platform for artisans. Since its inception in 2017, nine editions of 'Exim Bazaar' have been organised by the Bank in various Indian cities to provide the much-needed recognition and awareness for India's traditional arts and crafts. The ninth edition of 'Exim Bazaar' was organised at the National Crafts Museum and Hastkala

Academy, New Delhi, with participation of 55 artisans from 20 states and 26 artisans from Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal and Sri Lanka. The Bank collaborated with the 'Kala Ghoda Art Festival' at Mumbai, a nine-day exhibition and supported 60 artisans from 20 states.


## RESEARCH AND ANALYSIS

The Bank's Research and Analysis Group offers a range of insights on aspects of international economics, trade and investments through qualitative and quantitative research techniques. The research work carried out in the Group under the broad classification of regional, sectoral and policy related studies, are published in the form of Occasional Papers, Working Papers, special publications, books, etc.

During the year, 18 research studies were published on various topics including Countertrade Strategy for India; Economic Impact of Russia-Ukraine Conflict: An Indian Perspective; Inter-Linkages between Exports and Employment in India; Strengthening Collaborations to Bridge the Trade Finance Gap: Insights for G20 Countries, etc. Sector studies included those relating to chemicals, iron and steel, sugar and ethanol. Regional studies covered Southern Africa, European Union, Canada, lithium triangle nations and Australia.

The Bank has been actively engaging with state governments to evaluate the state-level export performance and potential, and outline strategies for development of export competitiveness. The Bank has so far prepared strategy papers for the states of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh and West Bengal. During

FY 2022-23, the Bank published three state-level export strategy papers covering Andhra Pradesh, Assam and Himachal Pradesh.


To download our research papers, scan this QR code.

As part of its continued research initiatives, Exim Bank had developed an in-house model to generate an Export Leading Index (ELI) for India to track and forecast the movement in India's exports on a quarterly basis. Based on the ELI model, the Bank forecasted total merchandise exports for the full year (i.e., 2022-23) to amount to US\$ 447.3 billion, and nonoil exports at US\$ 350.5 billion. These forecasts were found to be much in line with the actual (preliminary) estimates for total exports and non-petroleum goods exports in FY 2022-23, released by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India.


## RECOGNISING EXCELLENCE

In 2016, the Bank instituted the BRICS Economic Research Annual Award, with the objective to encourage and stimulate advanced doctoral research on topics of contemporary relevance to the member nations of BRICS, in the field of international economics, trade, development and related financing. The winner of the Award for the year 2022 was Dr. Apoorv Gupta for his doctoral thesis 'Essays on Finance and Development'.

The Bank, in 1989, instituted the International Economic Research Annual Award with the objective to promote research in international
economics, trade, development and related financing, by Indian nationals at universities and academic institutions in India and abroad, leading to a doctorate degree. The winner for the year 2021 was Dr. Kanika Pathania for her doctoral thesis titled 'Inverted Duty Structure and Effective Rate of Protection: Theoretical and Empirical Analyses'.

Exim Bank and the Confederation of Indian Industry (CII) promote 'excellence' among Indian companies through the 'CII-Exim Bank Award for Business Excellence' for best Total Quality Management practices adopted by an Indian company. In 2022, there were seventeen companies which received varying levels of recognition. The Ghaziabad Unit of Bharat Electronics Ltd. and Godrej Construction were adjudged the winners of the CII-Exim Bank Award for Business Excellence.


## OUTREACH PROGRAMMES

The Bank conducts programmes, seminars and workshops for Indian exporters and importers with a view to enhance their awareness and to facilitate India's international trade and investment. During FY 2022-23, 34 seminars were organised for exporters, with themes broadly classified into export capability creation, business opportunities, industry, country and region focus and export potential of Indian states. As part of the Azaadi ka Amrit Mahotsav campaign, the Bank conducted multiple seminars, exhibitions, workshops and other stakeholder connect events especially in the anchor months of August 2022 and February 2023, across India and overseas. The Bank organised a summit on 'Enhancing Global Opportunities for Indian Project Exporters' in New Delhi. Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce \& Industry, Consumer Affairs \& Food \& Public Distribution and Textiles, Government of India, addressed the gathering of Indian project exporters at the summit.

To encourage participation of Indian exporters in projects funded by multilateral development banks, the Bank organised interactive workshops with the Asian Development Bank and the World Bank. The Bank partnered with various regional chambers and export promotion councils to conduct seminars for MSMEs in various Tier II and III cities, especially to promote the Ubharte Sitaare Programme and Trade Assistance Programme. 'Exim Bank's Masterclass', were held on topics such as 'How to Achieve Business \& Operational Excellence to Access International Markets?', 'Support to MSMEs for Tapping International Markets' and 'Impact of Union Budget on Select Sectors'.

The Bank, in association with the Confederation of Indian Industry, has been organizing the CII-Exim Bank Conclave on 'India-Africa Growth Partnership', since 2005. The 17th edition of the Conclave was held during July 19-20, 2022, at New Delhi, in partnership with the Ministry of External Affairs and the Ministry of Commerce \& Industry, Government of India. The Conclave was attended by five Heads of State and 30 ministers from Africa, as well as over a thousand business delegates from 41 African countries.


## EXIM MITRA

The Exim Mitra Portal of Exim Bank provides a wide variety of information, handholding and support services, which reach out to potential as well as existing exporters and enables them to evaluate international risks, exploit export opportunities and improve competitiveness. The Bank has leveraged its several decades of institutional linkages and experience in export promotion, to provide exporters with this effective gateway for a wide range of trade information services.

The Bank is in the process of revamping the portal, both in terms of functionality and user experience, and launching the Exim Mitra Mobile app to ensure that the services reach a wider audience.


## INSTITUTIONAL LINKAGES

The Bank has fostered a network of alliances and institutional linkages with multilateral agencies, export credit agencies, banks and financial institutions, trade promotion bodies and investment promotion boards to help create an enabling environment to support trade and investment.

The Asian Exim Banks Forum (AEBF) seeks to enhance economic cooperation and forge stronger linkages amongst its member institutions, thereby fostering a longterm relationship among the Asian Exim Banks' community. The 27th Annual Meeting of the AEBF was organised by the Export-Import Bank of Malaysia in November 2022 at Kuala Lumpur. During the year, Exim Bank hosted the 45th Training Programme of AEBF on the topic 'Financial Products for Assisting Trade'.

The Bank has been regularly participating in the annual events of Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) to share its development experience, inputs, and insights, while also benefitting from the experience of other institutions. During the year the Bank received awards for the Ubharte Sitaare Programme and Corporate Social Responsibility for 'Akshaya Patra Mid-Day Meals Initiative' in the ADFIAP Forum. Similarly Latin American Association of Development Financing Institutions (ALIDE) conferred an award to the Bank for 'Ubharte Sitaare Programme'.

The Bank, since 2013, as part of the events associated with the Annual Meetings of the African Development Bank (AfDB) Group, has been organising the Africa-India Partnership Day (AIPD). In sync with the theme
of the AfDB Annual Meetings 2022, the focus of the AIPD was 'Africa's Energy Transition through Solar: Sharing India's Experience'. Speakers from AfDB included senior officials representing the sectors such as power, energy, climate change and green growth from policy and financial institutions, and Indian industry.

The Bank, as a shareholder, is actively associated with African Export-Import Bank (Afreximbank). The Bank has also extended credit lines towards facilitating exports from India to Africa. The Bank is also a shareholder in the Trade and Development Bank, West African Development Bank, and provides credit facilities to these financial institutions to boost trade between Africa and India.

The Global Network of Exim Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID), Geneva is a forum for Exim Banks and Development Finance Institutions (DFIs) to foster enhanced South-South trade, investment and project finance. The Bank has conducted and participated in various programmes during the year.

The Bank is the nominated member development bank from India under the BRICS Interbank Co-operation Mechanism. The China Development Bank hosted the Annual Meeting and the Financial Forum of the BRICS Interbank Co-operation Mechanism and associated meetings online in June 2022, during which the winner for the BRICS Economic Research Annual Award 2022, was officially announced. The Bank also represents India in the BRICS Business Council's Financial Services Working Group.

The Bank has leveraged its vast experience in export financing to render assistance to several institutions in the developing world. The Government of Barbados aims to boost exports from US\$ 350 million in 2022 to US\$ 1 billion by 2030, through the development of an enabling environment for exports in the country. In line with this objective, Export Barbados seeks to develop an establishment plan for an Export Credit Agency (ECA) in Barbados. Exim Bank is providing consultancy services to Export Barbados for the establishment of an ECA.

The Bank is financing the strategic ultra-super-critical Maitree Super Thermal Power Project at Rampal, Bangladesh. State-of-the-art technologies have been selected for this project to make it an environment friendly project. Once commissioned, the project is expected to be one of the largest power plants in Bangladesh. Unit-1 of the project was handed over to the Hon'ble Prime Minister of Bangladesh during her visit to India in September 2022 and the plant is now connected to the national grid of Bangladesh. The project would have a transformational impact on power generation capacity and power supply in the Khulna region of Bangladesh, with positive spillover effects on economic activities in the region. The project stands as an insignia of India's 'Neighbourhood First' policy.

# INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE 

The institutional infrastructure forms the bedrock of our operation. The solid foundation provided by the human resources, IT systems, integrated treasury, robust risk management practices, and loan monitoring and recovery functions, among others, ensures seamless and effective functioning of the Bank.


HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The Bank's staff, comprising management graduates, chartered accountants, bankers, economists, legal, library and documentation experts, engineers, linguists, human resources, marketing, and IT specialists, numbered 357 as on March 31, 2023. The Bank organises group training programmes, facilitating continuous upgradation of skills of its staff. Officers are nominated for customised training programmes and seminars including e-learning, aimed at enhancing skill sets for handling highly specialised portfolios. During FY 2022-23, 349 officers attended 80 training programmes and seminars on various subjects relevant to the Bank's operations, which include credit rating, Indian treasury market, resolution of distressed assets, procurement policy framework, operational risk management, bond mathematics, cloud security, venture equity and audit and antimoney laundering. Trainings were also imparted in stress management, work-life balance, time management and personal effectiveness.


REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES

Of the total staff of 357 in the Bank's service as on March 31, 2023, there were 36 Scheduled Caste (SC), 24 Scheduled Tribe (ST) and 66 Other Backward Class (OBC) staff members. Equal opportunities and trainings are provided by the Bank to staff members belonging to SCs, STs and OBCs.


INTERNAL COMMITTEE UNDER 'THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013'

The Bank has zero tolerance for sexual harassment at the workplace and has adopted a Policy on Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at the Workplace, in line with the Act
and the Rules made thereunder. All employees of the Bank have read, acknowledged and are aware of the Policy implemented by the Bank. In compliance with the Act, the Bank has constituted Internal Complaints Committees for considering complaints of sexual harassment of women at the workplace as defined under the Act. The committees have held regular meetings and organised an online awareness session for employees at all offices of the Bank. No complaint was received by the Internal Complaints Committees during the FY 2022-23.


## PROGRESS IN

 IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGEThe Official Language Implementation Committees constituted at the Bank's Head Office and Regional Offices reviewed the progress on a quarterly basis. Hindi workshops and orientation programmes were organised to encourage the use of Hindi in day-to-day official work. The Bank has actively participated in the meetings, programmes and competitions organised by Town Official Language

Implementation Committees (TOLICs) and hosted interbank Hindi competitions. During the year, the Bank's Head Office and New Delhi, Kolkata, Chandigarh and Guwahati Regional Offices were awarded for commendable performance in implementing the Official Language by their respective TOLICs.

The Bank maintains its corporate website and Exim Mitra portal, both in Hindi and English. Apart from literature on the Bank's operations and procedures, Hindi versions of all the issues of 'Export Advantage' and 'Agri Export Advantage' were published. The Bank's in-house magazine 'Eximius' includes a Hindi section. 'Exim Sparsh', a half-yearly Hindi e-magazine was published from the Bank's office in New Delhi, was awarded the first prize by the Delhi Bank TOLIC. The Bank also participated in the 12th World Hindi Conference held in Nadi, Fiji during February 2023.

## INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank continued its initiative to strengthen the technology ecosystem by implementing new projects and upgrading existing systems including digitisation, business intelligence, digital documentation, automated workflows, networks, infrastructure and security.

The Bank strengthened its practices and procedures in compliance with international standards for IT governance. The Bank's corporate websites continue to disseminate information on various lending programmes, activities and advisory services of the Bank. The Bank has state-of-the-art Data Centre and Disaster Recovery Site. The Bank has implemented secured remote accessbased IT infrastructure. Seamless integration between the Bank's core banking system
and payment channels (RTGS/ NEFT and SWIFT) supports better fund management and real time appropriation of funds.

The Bank has enhanced technology enabled 'E-Payment' \& 'E-Note' processes that drastically minimise paperwork and ensure seamless processing with negligible manual intervention. The Bank has created an internal online database on negative lists and on information received from the Central Economic Intelligence Bureau, which are being referred during loan appraisal cycles. The Bank uses the SWIFT Alliance Access software platform to securely transmit financial and non-financial messages across countries. The messages are created in the Finacle Application (Core and Treasury) and transmitted to the SWIFT application by a Straight Through Process.


TREASURY

The Bank's integrated treasury handles fund management functions, including investment of surplus funds, money market and forex operations and securities trading. The Bank has segregated front, mid and back-office functions and has set up a state-of-the-art dealing room. The range of products offered by the Bank's treasury to its borrowers include, foreign exchange deals, collection / negotiation of export documents, issuance of inland / foreign letters of credit / guarantees, and structured loans, etc. The Bank uses financial derivative transactions for raising cost-effective funds and hedging its balance sheet exposures, with an objective of reducing market risks. The Bank is a member of the Indian Financial Network (INFINET) and has registration authority status from the Institute for Development Research
in Banking Technology (IDRBT), the certifying authority.

The Bank holds a digital certificate to deal through the Negotiated Dealing System-Order Matching segment (NDS-OM) of the RBI, which provides the electronic dealing platform for trading in Government of India securities. The securities/ foreign exchange transactions of the Bank are routed through the Guaranteed Settlement Facility provided by the Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL). The Bank is a member of TriParty Repo Dealing System (TREPS) and Clearcorp Repo Order Matching System (CROMS), the Repo Dealing Systems of CCIL. The Bank is a member of FX-Clear segment, the forex dealing system of CCIL. The Bank has centralised SWIFT facility (with connectivity to the London Branch), which is capable of handling multiple Bank Identifier Codes.


## ASSET-LIABILITY <br> MANAGEMENT (ALM)

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees the monitoring and management of market risk with support from the Bank's Risk Management Group. Liquidity/ interest rate risks are managed by ALCO as per the comprehensive ALM/ liquidity policies approved by the Board. The role of ALCO includes, inter alia, reviewing the Bank's currency-wise structural liquidity and interest rate sensitivity positions vis-a-vis prudential limits prescribed by the RBI/Board, monitoring results of periodical stress testing of cash flows and identifying a suitable ALM strategy based on the quantum of interest rate risk as measured through (a) assessment of sensitivity of net interest income
and (b) sensitivity of economic value, using duration-gap analysis, to interest rate movement. Regular stress testing of the currencywise liquidity position is carried out and a Contingency Funding Plan is drawn up periodically to estimate the worstcase fund shortfall in each currency. The Fund Management Committee (FMC) decides on the investments / disinvestments and raising of resources as per the Fund Management / Resources Plan approved by the Board at the beginning of each financial year and reviews the position during the year.


## RISK MANAGEMENT

The Risk Management Committee of the Board (RMC) is responsible for monitoring and managing Bankwide risks and overseeing the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk and oversees the operations of the ALCO, the FMC, the Credit Risk Management Committee (CRMC) and the Operational Risk Management Committee (ORMC), all of which have cross-functional representations. CRMC is tasked with management and control of credit risks on a Bankwide basis. The Bank has in place an advanced Credit Risk Model (CRM) that enables a broad-based credit decision support (by incorporating a range of qualitative as well as quantitative parameters / measures) and internal credit grading of borrowers depending on credit risks. The ORMC reviews the occurrence of operational risk events in the Bank and recommends corrective action(s) to prevent recurrence as also includes identification, assessment and / or measurement, monitoring and control/ mitigation of operational risks related to/ emanating from IT-
assets of the Bank. The Bank also undertakes an annual review of the Business Continuity and Disaster Recovery plans of its offices. Each of the plans is vetted for completeness about critical Business Continuity Risk Events and the safeguards in place, for mitigating the impact thereof.

The Bank has adopted a Board approved Risk Appetite Policy aligned to its strategic, financial and operational goals. The key dimensions considered as part of the risk appetite statement include capital adequacy, profitability, credit risk, market risk, concentration risk, liquidity risk, operational risk, reputational and compliance risk. There are risk appetite parameters under these risk dimensions with tolerance limits set for each of the parameters. The risk appetite parameters are reviewed periodically and a half-yearly review is submitted to the Bank's Risk Management Committee. During the year most of the parameters in the risk appetite statement were in the 'green' zone (indicating best control) except for few exposure concentration parameters related to exposures to EPC and financial services sectors and to high risk countries, which moved into 'orange zone' (indicating levels require monitoring). This movement is on account of nature of the Bank's business.

The Bank has put in place a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, including a comprehensive Stress Testing Framework. The ICAAP policy deals with the framework for ongoing assessment of the Bank's entire spectrum of risks, how the Bank intends to mitigate those risks and how much current and future capital will be necessary for the Bank, reckoning other mitigating factors. Starting from 2023-24, the Bank shall conduct the ICAAP assessment and report the same to the RMC and the Board annually. The stress testing
activity will be conducted on a halfyearly basis and the outcome will be reported to the RMC.


## LOAN MONITORING \& RECOVERY

In order to provide focussed approach towards monitoring of loan assets, a separate group 'Loan Operation and Monitoring Group' is tasked with periodic monitoring and operationalisation of the funded and non-funded loan assets. The group has advanced 'Early Warning System' (EWS) in place to assess the triggers generated with respect to a loan account and take remedial action in time. A hierarchical structure deals with the triggers depending on the severity. The group closely monitors the conduct of a loan account through monitoring visits as per prescribed schedule, monitors overdues in the accounts, processes modification in sanction terms, regularly exchanges information with other lenders for the company and undertakes periodic review of the performance of the loan accounts. The above has led to reduction in slippages under the commercial business portfolio of the Bank and enhanced compliances. The group also handles customer requests for funded disbursements and various non-funded requirements including issuance of Bank guarantees for project execution, issuance of LCs etc. The clear separation of loan origination and appraisal functions from that of loan operation and monitoring functions enables the Bank to provide satisfactory service to the customers as well as ensure Banks' interest in the loan facilities provided.

To provide focused attention to monitoring of loan accounts which are under stress and strengthening of recovery measures for NPAs,
the Bank has a dedicated Special Situations Group (SSG). The SSG takes proactive steps towards loan recovery as per the Board-approved Loan Monitoring and Recovery Policy, rehabilitation of NPAs which are viable and focuses on recovery from NPA accounts where legal action is to be pursued. Monthly reviews of NPAs are undertaken by a Committee within the SSG. The Bank accords highest priority to the recovery of NPAs through a multi-pronged strategy comprising restructuring, legal action, sale of assets through court receiver, negotiations, one-time settlements, transfer / assignment of NPAs, possession and subsequent sale of assets under provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act and referring the company to the National Company Law Tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code.


KYC, AML AND CFT MEASURES
The Bank has a policy approved by the Board on 'Know Your Customer (KYC) norms, Anti-Money Laundering (AML) standards, and Combating Financing of Terrorism (CFT)'. The Policy conforms to the RBI guidelines in the matter. The KYC, AML and CFT policy covers: a) Customer Acceptance Policy; b) Risk Management; c) Customer Identification Procedure; and d) Monitoring of transactions. The Bank has access to the Bankers Accuity Database, an online database service. Accuity's enhanced Global Watch List is a comprehensive collection of caution lists from all major sanctioning bodies, law enforcement agencies and financial regulators worldwide. All the customers of the Bank are subjected to KYC standards, which establish the identity of the natural / legal
person and those of the beneficial owners. The implementation of KYC policies and procedures covers identification of corporate borrowers, term deposit holders, correspondent banks, and recruitment of new staff members. The Bank obtains data required for ensuring compliance by its counterparty banks about KYC norms through the Wolfsburg Group AML Questionnaire, in line with international market practice. The Bank maintains information in respect of certain transactions in accordance with the procedure and manner as may be specified by the RBI and Securities and Exchange Board of India from time to time. Records are maintained for minimum period of five years from the end of the business relationship, depending on the nature of transactions. An officer of the rank of Chief General Manager has been appointed as the Principal Officer, who is responsible for the Bank's KYC, AML and CFT measures. An extract of the KYC-AML-CFT Policy is posted on the Bank's website.


## ESG POLICY

The Bank has adopted a Boardapproved 'Environmental, Social and Governance Policy of the Bank for Sustainable Development / Responsible Financing' (ESG Policy). The objective of the Policy is enhancing predictability, transparency, and accountability of Bank's financing decisions through measurement and management of ESG risks, promoting ESG competitiveness of Indian companies, contributing to the Government's Carbon Neutrality Goal and expanding social value creation. Apart from consciously and proactively strengthening the commitments towards sustainable finance, the ESG Policy integrates the Bank's credit appraisal process with an ESG
risk assessment. The Policy provides for an exclusion list and any credit proposal falling under the restricted list of activities is not financed by the Bank. The Bank has developed internal models, drawn from the Equator Principles, local regulations and international best practices, to identify and assess the ESG risks in credit proposals. All the credit proposals, without any threshold, are screened to assess the ESG risks.


## ESG FRAMEWORK

The Bank, in December 2021, developed the Environmental, Social and Governance Framework (ESG Framework) under which it intends to issue sustainability bonds and loans and use the proceeds to finance or refinance in whole or in part, existing or future projects that advance the transition towards a sustainable economy and provide social benefits in developing countries. The ESG Framework defines the eligibility criteria in six green (eligible green categories - renewable energy, sustainable waste and water management, pollution prevention and control, clean transportation, green buildings, and energy efficiency) and four social (access to essential services and basic infrastructure, food security and sustainable food systems, MSME financing, and affordable housing) areas

The Framework has been reviewed by a Second Party Opinion provider Sustainalytics. The SPO has confirmed that the Framework is 'Credible and Impactful' and is aligned with the Sustainability Bond Guidelines 2021, Green Bond Principles 2021, and Social Bond Principles 2021, as administered by International Capital Market Association (ICMA), Green Loan Principles 2021 and Social Loan Principles 2021, as administered by
the Loan Market Association (LMA), Asia Pacific Loan Market Association (APLMA), and Loan Syndications and Trading Association (LSTA). The SPO states that the Bank is well-positioned to address common environmental and social risks associated with projects.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the year, the Bank supported 10 projects / programmes in ten states and two union territory under its Corporate Social Responsibility activities across the areas of healthcare, nutrition, sanitation, skill development, livelihood activities, sports initiative and education. Several of these interventions were targeted in aspirational districts of India.

With the objective of encouraging academic excellence, particularly among the reserved category students, Exim Bank has instituted scholarships at 15 educational institutions in India. The scholarships instituted by the Bank have helped deserving students, mostly from the reserved category, to meet their educational expenses and pursue higher education.


## RIGHT TO INFORMATION

The Bank, as a public authority as defined in the Right to Information (RTI) Act, 2005, is compliant with the Act. Citizens of India may apply for information under the provisions of the Act by communicating the same to the Central Public Information Officer of the Bank at its Head Office
in Mumbai, or to the Assistant Public Information Officers at the Bank's Regional Offices in India, as mentioned on the Bank's website. The Bank has complied with the guidelines of the government authorities, issued from time to time. During FY 2022-23, the Bank had received a total of 168 RTI applications, which were responded within the 30 days permitted for response, as specified under the RTI Act. Also, during the year, the Bank has filed RTI quarterly returns on the portal www.dsscic.nic.in.


## CENTRALIZED PUBLIC GRIEVANCE REDRESS AND MONITORING SYSTEM (CPGRAMS)

CPGRAMS is an online webenabled system developed with the objective of speedy redress and effective monitoring of grievances by Ministries/Departments/ Organizations of Government of India. The Bank has implemented the Grievance Redressal mechanism and details of the Grievance Redressal Officer for Borrowers and the Appellate Authority for Redressal of Grievances of Borrowers are provided on the Bank's website. During the financial year, the Bank did not receive any grievance from borrowers on the CPGRAMS portal.


## JOINT VENTURES

GPCL Consulting Services Ltd. (GPCL), conceived and promoted by Exim Bank as a private sector outfit in the year 1996, is a joint venture between Exim Bank and 10 reputed private and public sector
companies. GPCL was a pioneering concept, brought to reality through a synergetic partnership among industry leaders in sectors such as agriculture, energy, industries, mining, transportation, water resources and others. GPCL has broadened its range of services built around the procurement function to cover areas such as bid advisory, procurement training, e-procurement solutions, project identification, pre-feasibility studies, preparation and review of reports, functioning as a lender's engineer, undertaking due diligence of projects, project monitoring, evaluation, capacity building and a variety of support services to the bilateral and multilateral lending agencies. The company recorded a total income of ₹ 67.86 million in 2022-23 with a pre-tax profit of ₹ 19.50 million.

Kukuza Project Development Company (KPDC), Mauritius is a joint venture company co-promoted by Exim Bank along with African Development Bank, State Bank of India and the Infrastructure Leasing \& Financial Services (IL\&FS) group to facilitate Indian participation in infrastructure projects in Africa. KPDC incurred a loss during 202223 based on unaudited financials.


FAIR PRACTICES CODE FOR LENDERS

The Bank has in place, a Board approved policy on Fair Practices Code for Lenders, framed in line with RBI guidelines. The Code is available on the Bank's website.

The Bank through Buyer's Credit facility under the National Export Insurance Account, supported project exports from an Indian company for the construction of a transmission line for the Tambacounda- Kolda- Ziguinchor link in Senegal, as well as extensions and rehabilitation of networks in the regions. The project strengthens the power infrastructure in Senegal and provides a substantial socio-economic boost to the southern region of the country. The construction of the transmission lines plays a pivotal role in enhancing agricultural output, and capitalising on the region's strong potential in agriculture and tourism.

## CORPORATE GOVERNANCE REPORT

## 1. Bank's Philosophy on Corporate Governance

The Export-Import Bank of India ("Exim Bank") recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has a set of voluntarily formulated strong Corporate Governance practices.

Exim Bank is wholly owned by the Government of India. The direction, management and conduct of business affairs of Exim Bank prescribed under the Export-Import Bank of India Act, 1981 ("Exim Bank Act") read with the Export-Import Bank of India General Regulations, 2020 ("Exim Bank General Regulations") framed thereunder and other applicable laws. The provisions of the Exim Bank Act are preferred over the applicability of the
regulations 15 to 27 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as Exim Bank is a financial institution established under a specific act (Exim Bank Act) and is not incorporated as a company under the Companies Act. To the extent applicable the Bank undertakes compliance(s) with all other laws and regulations with a view to ensure transparency in all its operations, make disclosures and enhance stakeholder value.

The non-convertible debt securities of Exim Bank are listed on the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and are governed by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 and Listing Regulations.

## 2. Board of Directors

Section 6 of the Exim Bank Act provides the constitution of the Board of Directors of Exim Bank. The composition of the Board of Directors of Exim Bank during financial year 2022-23 is as under:

| Section | Nature of the Director | Director Details | Category* | Remarks |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6[1][a] | Chairman | Vacant | - | Since February 20, 2017 |
|  | Managing Director | Ms. Harsha Bangari | Executive Director | Appointed with effect from September 08, 2021 |
| 6[1][aa] | Two Whole-time Directors | Shri N. Ramesh | Executive Director | Appointed with effect from November 23, 2020 |
|  |  | Vacant** | - | Since September 08, 2021 |
| 6[1][b] | One Director (RBI Nominee) | Shri R. Subramanian Executive Director, Reserve Bank of India | NonExecutive Director | Appointed with effect from February 13, 2021 |
| 6[1][c] | One Director (Development Bank) | Shri Rakesh Sharma <br> Managing Director \& CEO, IDBI Bank Ltd | Non- <br> Executive <br> Director | Appointed with effect from December 21, 2018 |
| 6[1][d] | One Director (ECGC Nominee) | Shri M. Senthilnathan <br> Chairman-cum-Managing <br> Director, ECGC Ltd | Non- <br> Executive <br> Director | Appointed with effect from November 22, 2019 |
| $\begin{aligned} & \text { 6[1][e] } \\ & \text { [i] } \end{aligned}$ | Five Directors (Central Government Officials) | Shri Dammu Ravi Secretary (ER), Ministry of External Affairs | Non- <br> Executive Director | Appointed with effect from September 20, 2021 |
|  |  | Ms. Rupa Dutta Principal Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade | Non- <br> Executive <br> Director | Superannuated with effect from January 31, 2023 |


| Section | Nature of the Director | Director Details | Category* | Remarks |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Shri Rajat Kumar Mishra Additional Secretary, Department of Economic Affairs | Non- <br> Executive <br> Director | Appointed with effect from November 03, 2021 |
|  |  | Shri Suchindra Misra Additional Secretary, Department of Financial Services | Non- <br> Executive <br> Director | Appointed with effect from March 31, 2022 |
|  |  | Shri Vipul Bansal <br> Joint Secretary, <br> Department of Commerce | NonExecutive Director | Appointed with effect from December 03, 2021 |
| $6[1][e]$ <br> [ii] | Upto Three Directors (from the Scheduled Banks) | Shri Dinesh Kumar Khara Chairman, State Bank of India | NonExecutive Director | Appointed with effect from December 24, 2020 |
|  |  | Shri A. S. Rajeev <br> Managing Director \& CEO, <br> Bank of Maharashtra | NonExecutive Director | Appointed with effect from November 01, 2019 |
|  |  | Shri. Rajkiran Rai G <br> Managing Director \& CEO, <br> Union Bank of India | NonExecutive Director | Superannuated with effect from May 31, 2022 |
|  |  | Shri. M.V. Rao <br> Managing Director \& CEO <br> Central Bank of India | NonExecutive Director | Appointed with effect from September 21, 2022 |
| 6[1][e] <br> [iii] | Upto Four Directors with special knowledge or professional experience in export, import, or financing thereof | Shri Ashok Kumar Gupta Tax Consultant | NonExecutive Director / Independent | Appointed with effect from December 21, 2021 |
|  |  | Vacant | - | Since June 05, 2009 |
|  |  | Vacant | - | Since April 18, 2015 |
|  |  | Vacant | - | Since April 18, 2015 |

* As per the Regulation 16(1)(b) of Listing Regulations, "Independent Director" means a Non-Executive Director, other than a nominee director of the listed entity.

Explanation - In case of a 'high value debt listed entity': (a) which is a body corporate, mandated to constitute its Board of Directors in a specific manner in accordance with the law under which it is established, the nonexecutive directors on its Board shall be treated as independent directors.

As per Regulation 17(1) (a) "board of directors' shall have an optimum combination of executive and nonexecutive directors with at least one-woman director and not less than fifty per cent of the board of directors shall comprise of non-executive directors.

Accordingly, Directors on the Bank's Board being appointed / nominated in pursuance of Exim Bank Act are to be treated as Independent Directors for compliance with the provisions of Listing Regulations.

[^5]Brief Profile of Executive and Non-executive Directors of Exim Bank during Financial Year 2023.

## Director Details

Ms. Harsha Bangari, Managing Director

Shri N. Ramesh, Deputy Managing Director

## Brief Profile

Ms. Harsha Bangari is the Managing Director of the Bank. Prior to this, she was the Deputy Managing Director and Chief Financial Officer of the Bank. Ms. Bangari is a Bachelor of Commerce and a Chartered Accountant.

Having joined the Exim Bank in 1995, Ms. Bangari is a seasoned finance professional with experience of more than 27 years in the financial sector and has thorough knowledge of the Bank's processes and business policies across functions, covering all products of the Bank including cross border project financing as well as Risk Management, Client Servicing and Liability side management, including Treasury Functions and Foreign Currency Resources.

Shri N. Ramesh is the Deputy Managing Director of Exim Bank. He is an officer of Indian Telecom Service from 1999 Batch. Prior to his appointment at Exim Bank, he served as Executive Director in National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. He served as Director in Department of Commerce, Government of India from 2016 to 2019, where he oversaw Agriculture, Export Inspection, Biotechnology, and Plantations Divisions. Shri N. Ramesh worked as Director (Marketing) at Marine Products Export Development Authority, Ministry of Commerce and Industry from 2010-2016.

Shri Ramesh is a Bachelor of Engineering in Electronics and Communication from Bangalore University and a Postgraduate in Public Policy and Management from Indian Institute of Management, Bangalore.

Shri R. Subramanian is the Executive Director, Reserve Bank of India. He has, over a span of three decades, served in banking supervision, enforcement, financial market regulation, reserve management, internal debt management and other areas in the Reserve Bank.

Shri Subramanian holds a Post Graduate Diploma in Management from the Institute of Rural Management and besides having earned professional qualifications as an Associate of the Institute of Cost Accountants of India and Certified Associate of the Indian Institute of Banking and Finance.
Mr. Rakesh Sharma is the Managing Director \& Chief Executive Officer of IDBI Bank Ltd. Prior to this, Mr. Sharma served as MD \& CEO of Canara Bank and Lakshmi Vilas Bank. While in Canara Bank, he also held the position of Chairman in the group companies of Canara Bank.

Mr. Sharma held the position of Chief General Manager in State Bank of India [SBI] before moving to Lakshmi Vilas Bank Ltd in 2014. He has more than 33 years' experience in SBI, holding key positions, which included Head of mid corporate accounts in Andhra Pradesh region, supervising retail operations in the States of Rajasthan, Uttarakhand \& Western UP, banking operations in International Banking Group, credit assignments in specialized branches/ administrative offices, etc. He is a Postgraduate in Economics and a CAIIB.

| Director Details |
| :--- |
| Shri M. Senthilnathan |
| Chairman-cum-Managing |
| Director, ECGC Ltd |

## Shri Dammu Ravi

Secretary (ER), Ministry of External Affairs

## Brief Profile

Shri M. Senthilnathan is the CMD of ECGC Ltd. He started his career in ECGC in 1988 and has served in various capacities in its different offices across India. He played a major role in redesigning new insurance products for exporters and banks addressing the requirements of merchandise and services exporters and that of relevant lending by banks. He has served at the Inter Arab Investment Guarantee Corporation, a Multilateral Export Credit Agency in Kuwait as a reinsurance consultant for one year during 2006-07. Apart from serving as a whole time Director on the Board of ECGC since December 2015, he is also the Managing Trustee of National Export Insurance Account (NEIA), a Government of India trust that covers Medium and Long Term/Project Exports.

He is a member in the Berne Union (International Union of Credit \& Investment Insurers) Management Committee representing ECGC and the Short Term Committee from October 2017. He holds professional qualification of MBA in Finance.

Shri Dammu Ravi has joined the Indian Foreign Service in 1989. He served in Indian Missions abroad in Mexico, Cuba, Brussels in various capacities from 1991 to 2001. He served at Headquarters in Ministry of External Affairs as Deputy Secretary/Director in West Europe and UN Divisions from 2001 to 2006. He served as Private Secretary to Minister of Tourism and Culture from March 2006 to May 2009. He was Joint Secretary in the Ministry of External Affairs responsible for India's relations with Latin America and Caribbean countries from October 2009 to December 2013.

He served in Ministry of Commerce as Joint Secretary from January 2014 to February 2020 where he handled India's Trade Policy, including WTO issues such as trade disputes, NAMA, fisheries negotiations, trade policy review etc. He was part of Indian delegation to WTO Ministerial Conference in Nairobi (MC X) in November 2015 and (MC XI) in Buenos Aires in December 2017. He also handled India's trade and investment relations with regional groups such as G20, BRICS, Commonwealth, SCO, APEC, IORA, ASEM, UNCTAD etc. He was India's chief negotiator in the mega regional free trade agreement 'Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)'. Currently, he is Secretary (Economic Relations) in Ministry of External Affairs.

He holds a Masters Degree in Political Science from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

## Director Details

Shri Rajat Kumar Mishra Additional Secretary, Department of Economic Affairs

## Brief Profile

Mr. Rajat Kumar Mishra currently serves as the Additional Secretary in the Department of Economic Affairs of the Government of India, where he is in charge of the divisions dealing with all multilateral and bilateral funding agencies, including all matters relating to sustainable finance, the International Monetary Fund and the UN. In addition, he currently serves as a board member of the New Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank, the Deputy/Alternate Governor to the Asian Development Fund, the International Monetary and Financial Committee, the International Fund for Agricultural Development, and the International Development Association, and is India's Principal Representative in SAARTAC.

He has served in a variety of capacities with the Government of India, including as Joint Secretary and Additional Secretary, Department of Economic Affairs, where he was involved in the budget-making process for two Union Budgets (2020-2021 and 2021-2022), during which a paperless digital budget was presented to the Parliament by the Ministry of Finance for the first time. He also helped manage the financial resources of the Government of India during the COVID-19 crisis in 2020-2021.

He also co-chaired the Inter-Ministerial Committee to select project proposals from African and Southeast Asian countries for extending development assistance under IDEAS.

Shri Suchindra Misra is from the 1992 batch of Indian Defence Accounts Service and he has served in various assignments within the Defence Accounts Department. He has also served in the Ministry of Finance, Government of India as Deputy Secretary / Director in the Department of Investment and Public Asset Management and the Department of Expenditure and as Joint Secretary in the Department of Financial Services.
He is an alumnus of Delhi University and XLRI-Xavier School of Management, Jamshedpur.

Shri Vipul Bansal is an officer of the Indian Administrative Services from the 2005 batch, currently serving as the Joint Secretary in the Department of Commerce and Industry. Prior to this, he has served in several ministries of the Government of India, including finance and defence. Shri Bansal completed his Chartered Accountancy in 2001 and is an alumnus of Sri Ram College of Commerce, University of Delhi, where he has completed his Bachelor's degree in Commerce in 1998.
Shri Dinesh Kumar Khara Chairman, State Bank of India

Mr. Dinesh Kumar Khara is Chairman of the country's largest Bank - State Bank of India. Having joined the bank as a Probationary Officer in 1984, he has rich experience in all facets of Banking. Before assuming office as Chairman, Mr. Khara has held several key positions in SBI such as MD (Global Banking \& Subsidiaries), MD (Associates \& Subsidiaries), MD \& CEO (SBI Mutual Funds) and Chief General Manager - Bhopal Circle. He was also posted at Chicago for an overseas assignment.

As Managing Director, he led the International Banking Group, Large Corporate and Treasury operations in addition to the non-banking subsidiaries of the Bank viz., SBI Cards, SBIMF, SBI Life, SBI General etc. He also seamlessly executed the merger of five erstwhile Associate Banks and Bhartiya Mahila Bank, with SBI. Additionally, he also headed the Risk, IT and Compliance functions of the bank at various points. Mr. Khara is a postgraduate in commerce from Delhi School of Economics and an MBA from FMS, New Delhi. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

| Director Details | Brief Profile |
| :---: | :---: |
| Shri A. S. Rajeev <br> Managing Director \& CEO, <br> Bank of Maharashtra | Shri A.S. Rajeev assumed charge as Managing Director \& CEO of Bank of Maharashtra on $2^{\text {nd }}$ December 2018. Prior to this, he was Executive Director of Indian Bank. Shri Rajeev has nearly three decades of professional banking experience in three banks, namely, Syndicate Bank, Vijaya Bank and Indian Bank. A qualified Chartered Accountant, he has expertise in all important areas of banking including Corporate Credit, International Banking, Treasury, Risk Management, Credit Monitoring \& Supervision, NPA Management, Planning \& Development, Human Resources, Finance, Accounts \& Taxation, Vigilance, Corporate Governance, Inspection \& Audit, Cyber Security and Subsidiaries. As Executive Director of Indian Bank, he was Director of NPCl and two of the Bank's Subsidiaries, M/s. IndBank Merchant Banking Services Ltd. and M/s. Ind Bank Housing Ltd. He had also worked as member of various committees constituted by RBI/Government. <br> At Vijaya Bank, Shri Rajeev has also served as the Regional Head in Bangalore and Chennai regions of the bank. |
| Shri. M.V. Rao <br> Managing Director \& CEO <br> Central Bank of India | Shri M.V. Rao is Managing Director \& CEO of Central Bank of India where he took charge with effect from $1^{\text {st }}$ March, 2021. Before his elevation to his current position, Shri Rao was Executive Director of Canara Bank for over three years. <br> A Post Graduate in Agriculture, Shri Rao began his career with erstwhile Allahabad Bank (now Indian Bank) and has over three decades of professional banking experience in leadership roles. His expertise extends to all major areas of banking, including Corporate Credit, Retail Assets, Treasury Management, Human Resources, Credit Policy \& Monitoring, Stressed Assets Management, Digital Banking, Risk Management, Business Process Transformation etc. <br> Besides being a Director of United India Insurance Co. Ltd., Shri Rao is a Member on the Governing Board of Institute of Banking Personnel Selection, Mumbai and Indian Institute of Bank Management, Guwahati. He is also a Member of different committees formed by Reserve Bank of India, IRDAI and Indian Banks' Association. |
| Shri Ashok Kumar Gupta Tax Consultant | Shri Ashok Kumar Gupta is a tax consultant and the proprietor of A. K. Gupta \& Co. He has over 34 years of experience in tax and regulatory domains, having expertise in tax planning, litigation support, due diligence review, FEMA and other tax laws. He holds a bachelor's degree in commerce (hons.) from St. Xavier's College and in law from Calcutta University. Shri Gupta is a life member of Direct Taxes Professionals Association. |

## Certificate Of Non-Disqualification of Directors:

Pursuant to the requirements under Listing Regulations, Exim Bank has obtained a certificate from a Practicing Company Secretary certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors by the SEBI/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

## Meeting of the Board of Directors

The dates for the Board meetings are decided well in advance and communicated to the Directors. Board members are given agenda papers with necessary documents and information in advance
of each meeting for the Board and Committee(s). The Board periodically reviews compliance reports with respect to laws and regulations applicable to the Bank. The recommendations of the Committees are placed before the Board for necessary approvals.

The meetings of the Board of Directors are generally held at the Bank's Head office at Mumbai and Directors of the Bank are also provided with video conferencing facility so as to participate in Board / Committee meetings. During FY 2022-23, the Board of Directors met 5 (five) times on the following dates: (i) May 11, 2022 (ii) August 04, 2022, (iii) November 11, 2022, (iv) February 14, 2023, (v) March 21, 2023.

The details of meetings of the Board for FY 2022-23 are given below:

| Name of the Director | Category | No. of Board Meetings during the FY 2022-23 |  | No. of Directorships/ Committee Memberships/ Chairmanships |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Held | Attended | Directorships Reg (17A)(1) | Committee <br> Memberships* <br> (Reg 26(1) | Committee <br> Chairmanship* <br> (Reg 26(1) |
| Ms. Harsha Bangari | Executive <br> Director | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Shri. N. Ramesh | Executive Director | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Shri. Dammu Ravi | Non- Executive Director | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Shri. Rajat Kumar Mishra | Non- Executive Director | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Shri. Suchindra Misra | Non- Executive Director | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Shri. Vipul Bansal | Non- Executive Director | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Shri. R. Subramanian | Non- Executive Director | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Shri. M. Senthilnathan | Non- Executive Director | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Shri. Dinesh Kumar Khara | Non- Executive Director | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Shri. Rakesh Sharma | Non- Executive Director | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Shri. A.S. Rajeev | Non- Executive Director | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Shri. M.V. Rao | Non- Executive Director | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Shri. Ashok Kumar Gupta | Non- Executive Director | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |

[^6]
## Notes:

1. None of the Directors on the Board is a director / independent director of more than 7 listed entities, whose equity shares are listed on a Stock Exchange.
2. None of the whole -time director / managing director is an independent director in more than three listed entities, whose equity shares are listed on a Stock Exchange.
3. None of the Directors on the Board is a member of more than 10 Committees and Chairman of more than 5 Committees, across all the companies in which he/she is a Director.
4. To the best of our knowledge, there is no relationship between directors inter-se.
5. None of the Non-Executive Directors hold Securities of Exim Bank as on March 31, 2023.
6. Other Directorships in Listed entities, as on March 31, 2023 (only whose equity is listed) where a Board Member of Exim Bank is a Director, are as under:

Details of Directorship in listed entity(s) as on March 31, 2023

| Name of the Director | Directorship in <br> listed entity(s) | Category of <br> Directorship/ <br> Chairmanship |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

## Familiarisation Programme for Independent Directors:

As per Section 6(1)(e) of Exim Bank Act, the Central Government nominates persons who have special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof. Accordingly, one Nonofficial director Shri. Ashok Kumar Gupta, with special knowledge of taxation has been nominated to Exim Bank's Board. The Bank has arranged the Non-Official Directors to attend the Training Programme on "Directors Development Programmes" organised by Financial Services Institutions Bureau ("FSIB"),

## COMMITTEES OF BOARD OF DIRECTORS

The Board of Exim Bank has constituted various Committees with a view to provide direction and supervise the business affairs of the Bank. The meetings of various committees of the Board are convened in accordance with the provisions of Exim Bank Act and Exim Bank General Regulations and other applicable laws. As on March 31, 2023, the various committees of the Bank are as under:

1. Audit Committee (AC)
2. Management Committee (MC)
3. Risk Management Committee (RMC)
4. Special Committee on Monitoring and Follow up of cases of Frauds (SCMFF)
5. Review Committee for classification of borrower as Non Co-operative Borrower (RCNCB)
6. Review Committee for Identification of borrower as Wilful Defaulters (RCIWD)
7. Oversight Committee for the Bank's Policy Business (OCPB)
8. Stakeholders Relationship Committee (SRC)
9. IT Strategy Committee (ITSC)

The Bank's guidelines relating to conduct of Board meetings are applicable also to the committee meetings as far as practicable. Senior officers/ functional heads of Bank are invited to present various details called for by the Committee in its meeting.

In the event the designated chair of a certain sub-committee created by the board is unable to attend a meeting, occasioned due to an exigency or otherwise, the longest serving non-executive director (NED) attending the meeting chairs the meeting, irrespective of such NED being a chair on some other sub-committee of the board.

The Constitution of various Committees are as under:

## AUDIT COMMITTEE (AC)

The Audit Committee of the Board provides direction to the total audit function of the Bank to enhance its effectiveness as a management tool and to follow-up on all issues raised in the statutory, external, internal and concurrent audit reports and RBI inspection reports. The Audit Committee reviews the quarterly and annual financial statements before submission of the same to the Board.

The Committee is entrusted with the responsibility of overseeing the functioning of the Internal Audit Group of the Bank and reviewing its major observations, providing guidance in matters relating to finalisation of accounts of the Bank and observations made in RBI Inspection report. The Audit Committee met 6 (Six) times during the FY 2022-23 i.e., (i) May 11, 2022 (ii) August 04, 2022 (iii) November 09, 2022 (iv) December 20, 2022 (v) February 13, 2023 (vi) March 20, 2023. The maximum gap between two meetings was not more than 120 days.

The composition of the Audit Committee as on March 31, 2023 and the details of Member's participation at the meetings of the committee are:

| Name of the Director | Category | No. of Meetings held during the tenure of directorship | No. of Meetings attended |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Shri. A.S. Rajeev | Non- Executive Director | 6 | 5 |
| Shri. Dinesh Kumar Khara | Non- Executive Director | 6 | 0 |
| Shri. Rajkiran Rai G. (Up to May 31, 2022) | Non- Executive Director | 1 | 1 |
| Shri. M. Senthilnathan | Non- Executive Director | 6 | 5 |
| Shri. Rakesh Sharma | Non- Executive Director | 6 | 0 |
| Shri. M.V. Rao (w.e.f. September 21, 2022) | Non- Executive Director | 4 | 2 |
| Shri. Ashok Kumar Gupta | Non- Executive Director | 6 | 6 |
| Shri. N. Ramesh | Deputy Managing Director/ Executive Director | 6 | 4 |

## Changes in Audit Committee during the Financial Year

1. Shri. Rajkiran Rai G., Managing Director \& CEO, Union Bank of India was superannuated with effect from May 31, 2022.
2. Shri. M.V. Rao, Managing Director \& CEO, Central Bank of India was nominated by the Government of India on the Board of the Bank with effect from September 21, 2022.

## NOMINATION AND REMUNERATION

 COMMITTEE (NRC)The Bank does not have a Nomination and Remuneration Committee. Fees and allowances paid to Directors (as applicable) are as per the provisions of the Exim Bank Act and the Exim Bank General Regulations.

## STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

The Board of Exim Bank, at its meeting dated March 21, 2023, has constituted the Stakeholders Relationship Committee. The role of the SRC is to oversee the grievances of the Stakeholders of the Bank and their redressal. As on March 31, 2023, no meeting of SRC has taken place. The constitution of Stakeholders Relationship Committee is as under:

| Section | Nature | Name of Director |
| :---: | :---: | :---: |
| 6(1)(aa) | Two Deputy Managing Directors (DMD) | 1. Shri. N. Ramesh <br> 2. Vacant |
| 6(1)(d) | Director nominated by ECGC Ltd | 1. Shri M. Senthilnathan |
| 6(1)(e)(ii) | Any one of the three Directors from scheduled banks | 1. Shri Dinesh Kumar Khara <br> 2. Shri A. S. Rajeev <br> 3. Shri M. V. Rao |
| 6(1)(e)(iii) | Any one of the four Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board | 1. Shri Ashok Kumar Gupta |

## Name and Designation of Compliance Officer: Ms. Siddhi Keluskar, Compliance Officer

The details regarding no. of complaints received and disposed during the year:

Details of the Complaints / request during Financial Year 2022-23 as follows:

1. No. of Investor complaints pending at the beginning of the Year- Nil
2. No. of Investor complaints received during the Year- Nil
3. No. of Investor complaints disposed of during the Year- Nil
4. No. of Investor complaints unresolved at the end of the Year- Nil

## RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

The Risk Management Committee is responsible for implementing the Risk Management Policy of the Bank, monitoring adherence to various risk limits specified by the Reserve Bank of India / Board, evaluation of overall risks faced in the activities of the Bank and also reviewing the roles and responsibilities of other internal Risk Management Committees. The various policies of the Bank which are reviewed and approved by the Board, would first be put up to the RMC for review and recommendation to the Board.

The Risk Management Committee met 5 (five) times during the year under review i.e. on (i) May 11, 2022 (ii) August 04, 2022, (iii) November 09, 2022, (iv) February 13, 2023 and (v) March, 20, 2023.

The composition of the Risk Management Committee as on 31 ${ }^{\text {st }}$ March, 2023 and the details of Member's participation at the Meetings of the Committee are as under:

| Name of the Director | Category | No. of Meetings held during the Tenure of directorship | No. of Meetings attended |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Shri. Dinesh Kumar Khara | Non- Executive Director | 5 | 0 |
| Shri. Rajkiran Rai G. (Up to May 31, 2022) | Non- Executive Director | 1 | 1 |
| Shri. M. Senthilnathan | Non- Executive Director | 5 | 5 |
| Shri. Rakesh Sharma | Non- Executive Director | 5 | 0 |
| Shri. A.S. Rajeev | Non- Executive Director | 5 | 4 |
| Shri. M.V. Rao (w.e.f. September 21, 2022) | Non- Executive Director | 5 | 0 |
| Shri. Ashok Kumar Gupta | Non- Executive Director | 5 | 5 |
| Shri. N. Ramesh | Deputy Managing Director/Executive | 5 | 5 |

## REMUNERATION POLICY

Fees and allowances paid to Directors (as applicable) are as per the provisions of the Exim Bank Act and the Exim Bank General Regulations.

## Remuneration of Whole-Time Directors:

During FY 2022-23, the remuneration (inclusive of other allowances / perquisites) paid to Ms. Harsha Bangari, Managing Director of the Bank was ₹ 65.29 Lacs and to Shri. N. Ramesh, Deputy Managing Director of the Bank was ₹ 45.85 Lacs.

Fees payable to the Non-Official Directors of the Bank:

| Meetings | Sittings Fees payable per Meeting <br> Board |
| :--- | :--- |
| ₹ 40,000 (₹ 10,000 additional for <br> chairing the Board Meeting) |  |
| Committee | ₹ 20,000 (₹ 5,000 additional for <br> chairing the Meeting) |

Note: Executive Directors and Government appointed Officials on the Board of the Exim Bank are not entitled for any sitting fees.

The total sitting fees paid to the Non-official Director during FY 2022-23:

| Name of Director | Sitting Fees |
| :--- | ---: |
| Shri. Ashok Kumar Gupta | $₹ 600,000$ |

## Notes:

- As per the disclosure made by the Directors of the Bank, none of them hold any securities of Exim Bank as on March 31, 2023;
- Stock options - Not applicable;
- Refer "Note 22. Related party disclosures" of Notes to Accounts of the Financial Statements for information related to Loans outstanding to Whole Time Directors of the Bank as on March 31, 2023.
- Whole time Directors are appointed by Central Government for a period of 3 years or till further orders whichever is earlier.
- No performance linked incentives were applicable for FY 2022-23.
- As Whole time Directors are appointed by Central Government, notice period and severance fees are not applicable.


## Means of Communication

Exim Bank's quarterly/half yearly/yearly financial results are published in the leading Hindi and English newspapers. The financial results for FY 2022-23 were published in Business Standard (English and Hindi - All Editions). The financial results, Press releases and other official news releases are displayed on Bank's Website (www.eximbankindia.in)

## General Information:

Exim Bank is established and governed by the Export-Import Bank of India Act, 1981 and is wholly owned by the Government of India. However, Exim Bank on account of being a high value debt listed entity, the provisions of Listing Regulations have become applicable for compliance with applicable provisions.

| 1 | Annual General Meeting | Not Applicable |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | Financial Year | Adoption of Quarterly/Annual Results for the Quarter/Financial year ended | Date of Board Meeting | Date of Publication | Name of Newspaper |
|  |  | June 30, 2022 (Quarterly Results) | August 04, 2022 | August 05, 2022 | Business <br> Standard |
|  |  | September 30, 2022 (Quarterly and Half Yearly Results) | November 11, 2022 | November 12, 2022 | Business <br> Standard |
|  |  | December 31, 2022 <br> (Quarterly Results) | February 14, 2023 | February 15, 2023 | Business <br> Standard |
|  |  | March 31, 2023 (Quarterly \& Annual Results) | May 11, 2023 | May 13, 2023 | Business <br> Standard |
|  |  | Weblink for Quarterly/Annual Results: <br> https://www.eximbankindia.in/investor-relations |  |  |  |
| 3 | Dividend Payment Date | Exim Bank is wholly owned by Government of India. <br> Balance of Net profits are transferred to the Central Government after adoption of the Financial Statements by the Board of Directors. |  |  |  |
| 4 | Listing on Stock Exchange | National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. <br> Annual Listing Fee for FY 2022-23 has been paid to National Stock Exchange of India Ltd. |  |  |  |
| 5 | Stock Code | Not Applicable <br> Exim Bank issues only Debt Securities as Redeemable, Taxable, NonConvertible, Unsecured Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis. |  |  |  |
| 6 | Market price data high, low during each month in last financial year | Not Applicable <br> Exim Bank is wholly owned by Government of India. Further Exim Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis. |  |  |  |
| 7 | Performance in comparison to broadbased indices such as BSE sensex, CRISIL Index etc. | Not Applicable |  |  |  |

8 In case the securities
are suspended from
trading, the Directors
report shall explain the
reason thereof
9 Registrar to an issue and share transfer agents

Not Applicable

## Datamatics Business Solutions Ltd

Add: Plot no B-5, Part B Cross Lane, MIDC, Marol, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra,400093.

Email: ubiinvestors@datamaticsbpm.com
Tel: 022-66712001-06
Exim Bank is wholly owned by Government of India. The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, NonConvertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis which are listed on stock exchange and all activities in relation to allotment, transfer, and extinguishment are maintained by Datamatics Business Solutions Ltd.

10 Share transfer system The Exim Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis which are listed on stock exchange and all activities in relation to allotment, transfer and extinguishment are in electronic form only.
11 Distribution of shareholding \& Dematerialisation of shares and liquidity

Not Applicable
Exim Bank is wholly owned by Government of India. The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, NonConvertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis.

Not Applicable
Exim Bank is wholly owned by Government of India. The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, NonConvertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis.
or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

| 13 | Commodity price risk | Not Applicable |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Or foreign exchange risk and hedging activities | Refer "Note 11. Derivatives" of Notes to Accounts of the Financial Statements. |
| 14 | Plant locations | Not Applicable |
|  |  | Exim Bank's Head office is situated at Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005. |
|  |  | The Bank has ten domestic Representative Offices (ROs), eight overseas representative offices and one foreign branch. |
| 15 | Address for correspondence | Exim Bank's Head office is situated at Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005. |


| 16 | List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilisation of funds, whether in India or abroad. | Instruments | CRISIL (Reaffirmed) |  | ICRA (Reaffirmed) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Bonds | CRISIL AAA; Stable (₹ 455.32 bn) |  | ICRA AAA; Stable (₹ 338.13 bn) |  |
|  |  | Long-term Certificate of Deposits | CRISIL AAA; Stable (₹ 258.44 bn) |  | ICRA AAA; Stable (₹ 258.44 bn) |  |
|  |  | Short-term Certificate of Deposits | CRISIL A1+ (₹ 258.44 bn) |  | ICRA A1+ (₹ 258.44 bn) |  |
|  |  | Commercial Paper | CRISIL A1+ (₹ 258.44 bn) |  | $\begin{aligned} & \text { ICRA A1+ } \\ & \text { (₹ } 258.44 \mathrm{bn}) \end{aligned}$ |  |
|  |  | Bank Loan facilities | CRISIL AAA; Stable (₹ 30 bn) |  | ICRA AAA; Stable (₹ 30 bn ) |  |
|  |  | Term Deposit | CRISIL AAA; Stable |  | ICRA AAA; Stable |  |
|  |  | Tier 1 Bonds (under Basel III) | CRISIL AA+; Stable ( $₹ 11 \mathrm{bn}$ ) |  | ICRA AA+; Stable (₹ 6 bn) |  |
|  |  | Rating Agency | Long term / <br> Short term | Rating | Rating date | Outlook |
|  |  | Moody's | Long Term | Baa3 | 28/09/2022 | Stable |
|  |  | Fitch | Long Term | BBB- | 25/11/2022 | Stable |
|  |  | S\&P | Long Term | BBB- | 05/09/2022 | Stable |
|  |  | Japanese Credit Rating Agency | Long Term | BBB+ | 03/02/2023 | Stable |

Other Disclosures:
1 Disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of listed entity at large:
2 Details of non-compliance by the listed entity, penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years :

3 Details of establishment of vigil mechanism [/] whistle blower policy, and affirmation that no personnel has been denied access to the audit committee:

4 Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the nonmandatory requirements:
5 Web link for the policies as per SEBI Regulations:

Exim Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis. which are listed on stock exchange.
No penalties, strictures have been imposed on Exim Bank by stock exchange(s) or the board or any statutory authority.
The Bank has put in place a Vigil Mechanism and a Board approved Whistle Blower Policy which is available on Bank's website:
www.eximbankindia.in
The Corporate Governance norms as per regulation 15-27 of Listing Regulations are applicable on comply or explain basis till 31/03/2024.
The Board approved policies are available at: https://www.eximbankindia.in/investor-relations

- Policy on Code of Conduct for Directors and Senior Management.
- Policy on Material Subsidiary
- Policy on Materiality of Related Party Transactions.
- Policy on Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information.
- Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons \& their Immediate Relatives and for Fair Disclosure.

6 Disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities.
7 Details of utilisation of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A).

8 Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the Board, which is mandatorily required, in the relevant financial year, the same to be disclosed along with reasons thereof. Provided that the clause shall only apply where recommendation of / submission by the committee is required for the approval of the Board of Directors and shall not apply where prior approval of the relevant committee is required for undertaking any transaction under these Regulations.
9 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part.
10 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

11 Disclosure by listed entity and its subsidiaries of Loans and advances in the nature of loans to firms/companies in which Directors are interested by name and amount:
Provided that this requirement shall be applicable to all listed entities except for listed banks:

12 Details of material subsidiaries of the listed entity; including the date and place of incorporation and the name and date of appointment of the statutory auditors of such subsidiaries.

Exim Bank is wholly owned by Government of India. The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis.

## Certificate / Declaration of the Managing Director

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management of the Bank in compliance with Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Code of Conduct is available on the website of the Bank. I further declare that all Board members and Senior Management of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the year ended March 31, 2023.

# FORM NO. MR-3 <br> SECRETARIAL AUDIT REPORT <br> For the period 01-04-2022 to 31-03-2023 

## To,

The Members,

## EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,

Cuffe Parade, Mumbai 400005.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by EXPORT-
IMPORT BANK OF INDIA (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering $1^{\text {st }}$ April, 2022 to $31^{\text {st }}$ March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliancemechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, and returns filed and other records maintained by the Bank for the audit period April 01, 2022 to March 31, 2023 according to the provisions of:
i. The Export-Import Bank of India Act, 1981("Exim Bank Act");
ii. The Export -Import Bank of India General Regulations, 2020;
iii. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; (Not Applicable as Bank is not incorporated under Companies Act, 2013)
iv. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under; (Not Applicable to the Bank during the period under review)
v. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed there under; (Applicable to the Bank during the period under review)
vi. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowing;
vii. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; (Not applicable to the Bank during the period under review)
b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; (To the extent applicable)
c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; (Not applicable to the Bank during the period under review)
d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999
(Not applicable to the Bank during the period under review)
e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (To the extent applicable)
g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not applicable to the Bank during the period under review)
h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
(Not applicable to the Bank during the period under review)

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:
a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. (Not applicable during the period under review)
b) The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) and the Listing Agreements entered into by the Bank with Stock Exchanges. (To the extent applicable)

In accordance with Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is a High value Debt listed entity therefore the provisions of Chapter IV shall be applicable on a 'comply or explain' basis till March 31, 2024.

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the EXIM Bank Act, Rules, Regulations, Guidelines etc. mentioned above except the following:

- Pursuant to Section 6(1)(a) of Exim Bank Act, the appointment of the Chairman (Non- Executive) by the Central Government on the Board of Directors is awaited. The meetings of the Board are chaired by the Managing Director appointed under Section 6 (1) (a) of the Exim Bank Act, in accordance with provisions of the Exim Bank Act. However, the Bank maintains active interaction with the Department of Financial Services, Government of India in order to fill up the vacancies on its Board, on monthly basis.


## We further report that

The Board of Directors of Exim Bank is duly constituted as per Section 6 of the Exim Bank Act with positions for Executive Directors and Non- Executive Directors and is seen to be compliant with the provisions of SEBI LODR Regulations to the extent applicable to the Bank as a high value debt listed entity. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act and in terms of appointments / nomination orders.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent sufficiently in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

The requisite information / clarification on agenda items, if requested, is provided to the Directors to facilitate meaningful participation at the meeting. The discussions at the relevant meeting are appropriately recorded and decisions arrived at through consent of all members present.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had no specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

For Ragini Chokshi \& Co. (Company Secretaries)
Firm Registration No. 92897

## Ragini Chokshi

(Partner)
C.P.No: 1436

FCS No: 2390
Place: Mumbai
Date: 10/05/2023

## This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure ' $A$ ' and forms an integral part of this report.

## Annexure "A"

To
The Members,
Export-Import Bank of India
Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005.

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2023 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

Date: 10/05/2023

# SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT OF EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2023<br>[Under Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019"]

We have examined:
(a) all the documents and records made available to us and explanation provided by Export-Import Bank of India ("the high value debt listed entity"),
(b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges,
(c) website of the listed entity,
(d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,

For the year ended March 31, 2023 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of:
(a) The Export-Import Bank of India Act, 1981 ("Exim Bank Act");
(b) The Export-Import Bank of India General Regulations, 2020;
(c) The Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and
(d) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"); (To the extent applicable)

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/guidelines issued thereunder, have been examined, include:-
(a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as amended from time to time; (To the extent applicable)
(b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and as amended from time to time; (Not Applicable to the Bank during the period under review)
(c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and as amended from time to time; (Not Applicable to the Bank during the period under review)
(d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not Applicable to the Bank during the period under review)
(e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and as amended from time to time; (Not Applicable to the Bank during the period under review)
(f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 and as amended from time to time;
(g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; (Not Applicable to the Bank during the period under review)
(h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as amended from time to time; (To the extent applicable)
(i) Securities and Exchange Board of India (Depositories \& Participants) Regulations, 2018 (To the extent applicable);
(j) Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; (Not Applicable to the Bank during the period under review)
(k) Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009; (Not Applicable to the Bank during the period under review)
(l) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (To the extent applicable)

We hereby report that, during the Review Period the Compliance status of the listed entity is appended below:

| Sr. No. | Particulars | $\begin{gathered} \text { Compliance } \\ \text { status } \\ \text { (Yes/No/NA) } \end{gathered}$ | Observations/Remarks by PCS* |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Secretarial Standards: <br> The compliances of the listed entity are in accordance with the applicable Secretarial Standards (SS) issued by the Institute of Company Secretaries India (ICSI) | NA | This is not applicable as Bank is not incorporated under the Companies Act. |
| 2 | Adoption and timely updation of the Policies: <br> - All applicable policies under SEBI Regulations are adopted with the approval of board of directors of the listed entities <br> - All the policies are in conformity with SEBI Regulations and has been reviewed \& timely updated as per the regulations/ circulars/ guidelines issued by SEBI | Yes | None |

Maintenance and disclosures on Website: Yes None

- The Listed entity is maintaining a functional website
- Timely dissemination of the documents/ information under a separate section on the website
- Web-links provided in annual corporate governance reports under Regulation 27(2) are accurate and specific which re-directs to the relevant document(s)/ section of the website

4 Disqualification of Director: Yes The Bank is governed under
None of the Director of the Bank are disqualified under Section 164 of Companies Act, 2013
the Export-Import Bank of India Act, 1981, therefore the Companies Act, 2013 is not applicable.

The Bank does not have any material subsidiary as on March 31, 2023.
(a) Identification of material subsidiary companies
(b) Requirements with respect to disclosure of material as well as other subsidiaries

The listed entity is preserving and maintaining records as prescribed under SEBI Regulations and disposal of records as per Policy of Preservation of Documents and Archival policy prescribed under SEBI LODR Regulations, 2015.

| Sr. <br> No. | Particulars | $\begin{gathered} \hline \text { Compliance } \\ \text { status } \\ \text { (Yes/No/NA) } \\ \hline \end{gathered}$ | Observations/Remarks by PCS* |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7 | Performance Evaluation: <br> The listed entity has conducted performance evaluation of the Board, Independent Directors and the Committees at the start of every financial year as prescribed in SEBI Regulations | NA | Not applicable as all directors are appointed by Government of India in accordance with the Exim Bank Act. The Whole-time Directors are evaluated on the basis of performance evaluation framework with Board approved Key Performance Indicators. |
| 8 | Related Party Transactions: <br> (a) The listed entity has obtained prior approval of Audit Committee for all Related party transactions <br> (b) In case no prior approval obtained, the listed entity shall provide detailed reasons along with confirmation whether the transactions were subsequently approved/ratified/rejected by the Audit committee | No | All the related party transactions are included in the Notes to Accounts which are reported to the Audit Committee for review on an annual basis and are also disclosed in the Annual Report as a part of Notes to Accounts. |
| 9 | Disclosure of events or information: <br> The listed entity has provided all the required disclosure(s) under Regulation 30 along with Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 within the time limits prescribed there under. | Yes | None |
| 10 | Prohibition of Insider Trading: <br> The listed entity is in compliance with Regulation 3(5) \& 3(6) SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 | Yes | None |
| 11 | Actions taken by SEBI or Stock Exchange(s), if any: <br> No Actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under SEBI Regulations and circulars/ guidelines issued there under. | No | No actions taken by SEBI or Stock Exchange(s), were found for the period under review. |
| 12 | Additional Non-compliances, if any: <br> No additional non-compliance observed for all SEBI regulation/ circular/ guidance note etc. | No | No non- compliances were found for the period under review. |

Compliances related to resignation of statutory auditors from listed entities and their material subsidiaries as per SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/114/2019 dated $8^{\text {th }}$ October, 2019:

| Sr. <br> No. | Particulars | Compliance Status (Yes/No/ NA) | Observations/ <br> Remark by PCS |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Compliances with the following conditions while appointing/re-appointing an auditor |  |  |
|  | i. If the auditor has resigned within 45days from the end of a quarter of a financial year, the auditor before such resignation, has issued the limited review/ audit report for such quarter; or | NA | Not applicable during the period under review |
|  | ii. If the auditor has resigned after 45days from the end of a quarter of a financial year, the auditor before such resignation, has issued the limited review/ audit report for such quarter as well as the next quarter; or | NA | Not applicable during the period under review |
|  | iii. If the auditor has signed the limited review/ audit report for the first three quarters of a financial year, the auditor before such resignation has issued the limited review/ audit report for the last quarter of such financial year as well as the audit report for such financial year. | NA | Not applicable during the period under review |

2 Other conditions relating to resignation of statutory auditor
i. Reporting of concerns by Auditor with respect to the listed entity/ its material subsidiary to the Audit Committee:
a In case of any concern with the management of the listed entity/material subsidiary such as non-availability of information / non-cooperation by the management which has hampered the audit process, the auditor has approached the Chairman of the Audit Committee of the listed entity and the Audit Committee shall receive such concern directly and immediately without specifically waiting for the quarterly Audit Committee meetings.
b In case the auditor proposes to resign, all concerns with respect to the proposed resignation, along with relevant documents has been brought to the notice of the Audit Committee. In cases where the proposed resignation is due to non-receipt of information / explanation from the company, the auditor has informed the Audit Committee the details of information /explanation sought and not provided by the management, as applicable.
c The Audit Committee/ Board of Directors, as the case may be, deliberated on the matter on receipt of such information from the auditor relating to the proposal to resign as mentioned above and communicate its views to the management and the auditor.
ii. Disclaimer in case of non-receipt of information:

The auditor has provided an appropriate disclaimer in its audit report, which is in accordance with the Standards of Auditing as specified by ICAI/ NFRA, in case where the listed entity/ its material subsidiary has not provided information as required by the auditor.
3 The listed entity / its material subsidiary has obtained information from the Auditor upon resignation, in the format as specified in Annexure-A in SEBI Circular CIR/ CFD/ CMD1/114/2019 dated $18^{\text {th }}$ October, 2019

NA Not applicable during the period under review

The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of matters specified below: -

| Sr No. | Compliance Requirement (Regulations/ circulars/ guidelines including specific clause) | Regulation/ Circular | Deviations | Action taken by | Type of action | Details <br> Of <br> violation | Fine <br> Amount | Observations/ <br> Remarks <br> of <br> The <br> Practicing <br> Company <br> Secretary | Management response | Remarks |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| There are no such matters during the year under review. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Notes:

1. In accordance with Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is a High value Debt listed entity therefore the provisions of Chapter IV shall be applicable on a 'comply or explain' basis till March 31, 2024;
2. Based on clarification received from concerned officials, the Bank is governed by The Export-Import Bank of India Act, 1981 and The Export-Import Bank of India General Regulations, 2020. Thus, provisions of the said Act and Regulation are preferred over the applicability of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

| Sr No. | Compliance Requirement (Regulations) circulars/ guidelines including specific clause) | Regulation/ Circular | Deviations | Action taken by | Type of action | Details of violation | Fine Amount | Observations/ <br> Remarks of <br> The Practicing <br> Company <br> Secretary | Management response | Remarks |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Not Applicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pursuant to NSE Circular No. NSE/CML/25 dated 29th March, 2023; we further report that the Bank is in compliance with the SDD Compliance as per the requirements of Reg 3(5) and 3(6) of SEBI (PIT) Regulations, 2015.

For Ragini Chokshi \& Co.
(Company Secretaries)
Firm Registration No. 92897

Ragini Chokshi
(Partner)
C.P.No: 1436

FCS No: 2390
Place: Mumbai
PR Certificate No: 659/2020
Date: 10/05/2023
UDIN: F002390E000285783

# CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE 

[As per Part E of schedule V of SEBI (LODR) Regulations, 2015]

To,<br>The Members<br>Export-Import Bank of India<br>Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005.

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Export-Import Bank of India ('the Bank') for the financial year ended March 31, 2023, as stipulated in Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46, Regulation 62 and para-C, D and E of Schedule $V$ of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent as applicable to the Bank as a high value debt listed entity.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on clarification received from concerned officials, the Bank is governed by the Export-Import Bank of India Act, 1981("Exim Bank Act") and the Export-Import Bank of India General Regulations, 2020 ("Exim Bank General Regulations"). Thus, provisions of the said Act and Regulation are preferred over the applicability of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In accordance with Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is a High value Debt listed entity therefore the provisions of Chapter IV shall be applicable on a 'comply or explain' basis till March 31, 2024.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

## For Ragini Chokshi \& Co. (Company Secretaries)

Firm Registration No. 92897

# CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS 

# (Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015) 

To,
The Members of

## Export-Import Bank of India

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Export-Import Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') having Head Office at Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005., produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Export-Import Bank of India Act, 1981 ("Exim Bank Act").

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank \& its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended March 31, 2023 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies / banks by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

| Sr. No. | Name of Director | DIN | Date of Appointment in Bank |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | Ms. Harsha Bangari | 01807838 | 08/09/2021 |
| 2. | Shri. N. Ramesh | 03266520 | 23/11/2020 |
| 3. | Shri. Dammu Ravi | - | 20/09/2021 |
| 4. | Shri. Rajat Kumar Mishra | - | 03/11/2021 |
| 5. | Shri. Suchindra Misra | 01873568 | 31/03/2022 |
| 6. | Shri. Vipul Bansal | 02687229 | 03/12/2021 |
| 7. | Shri. R. Subramanian | - | 13/02/2021 |
| 8. | Shri. M. Senthilnathan | 07376766 | 22/11/2019 |
| 9. | Shri. Dinesh Kumar Khara | 06737041 | 24/12/2020 |
| 10. | Shri. Rakesh Sharma | 06846594 | 21/12/2018 |
| 11. | Shri. A.S. Rajeev | 07478424 | 01/11/2019 |
| 12. | Shri. M.V. Rao | 06930826 | 21/09/2022 |
| 13. | Shri. Ashok Kumar Gupta | 01187193 | 21/12/2021 |

The appointment / nomination of every Director on the Board of the Bank is done by the Central Government/ institutions specified in the Exim Bank Act. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

## For Ragini Chokshi \& Co. (Company Secretaries)

Firm Registration No. 92897

Ragini Chokshi
(Partner)
C.P.No: 1436

FCS No: 2390
Place: Mumbai
Date: 10/05/2023

## Financial Statements

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

To,<br>The President of India

Report on the Audited Financial Statements

## Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of General Fund of "Export-Import Bank of India" ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Profit and Loss account, Statement of Cash flows for the year then ended and Notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Bank as at March 31, 2023, of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Regulation 14 (i) of EXIM Bank of India General Regulations, 2020 and the accounting principles generally accepted in India.

## Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr Key Audit Matters
No

## Identification of Non-performing advances and provisioning of advances:

Advances constitute a significant portion of the Bank's assets and the quality of these advances is measured in terms of ratio of Non-Performing Advances ("NPA") to the gross advances of the Bank. The Bank advances constitute $83.31 \%$ of the total assets and the gross NPA ratio of the Bank is $4.09 \%$ as at March 31, 2023.

The Reserve Bank of India's ("RBI") directives / guidelines on Income Recognition Asset Classification and Provisioning ("IRACP") prescribe the prudential norms for identification and classification of NPAs and the minimum provision required for such assets. The Bank is also required to apply its judgement to determine the identification and provision required against NPAs by applying quantitative as well as qualitative factors. The identification of NPAs is affected by factors like stress and liquidity concerns in certain sectors.

How the matter was addressed in our Audit

We performed the following audit procedures, among others, included:

- Considering the Bank's policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the IRACP norms.
- Understanding, evaluating and testing the design and operating effectiveness of key controls (including application controls) around identification of impaired accounts based on the extant guidelines on IRACP and additional RBI directives provided solely for the Bank.

Examined the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations/ directives of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank, RBI Inspection.

## Sr Key Audit Matters

 NoThe provisioning for identified NPAs is estimated based on ageing and classification of NPAs, recovery estimates, value of security and other qualitative factors and is subject to the minimum provisioning norms specified by RBI.

Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPAs including advances in certain sectors and identified advances or group advances that can potentially slip into NPA. These are classified as contingency provisions.

The Bank has detailed its accounting policy in this regard in Significant Accounting Policies and Notes to Accounts under Note I (iii) Asset Classification and Provisioning.

Since the identification of NPAs and provisioning for advances require significant level of estimation and given its significance to the overall audit, we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.

How the matter was addressed in our Audit

Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors.

Examining the early warning reports generated by the Bank to identify stressed loan accounts.

- Holding specific discussions with the management of the Bank where there is perceived credit risk and the steps taken to mitigate the risks.
- We assessed the appropriateness and adequacy of disclosures against the relevant accounting standards and RBI requirements relating to NPAs including the additional disclosures required in accordance with the Regulatory Package and Resolution Framework.


## With respect to provisioning of advances, we performed the following procedures:

- Gained an understanding of the Bank's process for provisioning of advances.
- Tested on a sample basis the calculation performed by the management for compliance with RBI regulations and internally laid down policies for provisioning.
- For loan accounts, where the Bank made provisions which were not classified as NPA, we reviewed the Bank's assessment for these provisions.
- Gained an understanding of the Bank's process for determining tax liabilities and the tax provisions.

Involved external Tax experts to understand the evaluation of likelihood and level of liability for significant tax risks after considering legal precedence, other rulings and new information in respect of open tax positions as at reporting date.

- Reviewed the tax demand by referring to supporting documentation, including correspondence with tax authorities.
- Assessed the disclosures within the standalone Financial Statements in this regard.
- On discussion with the Bank and external tax experts duly appointed by the Bank, a total disclosure of ₹ 0.55 Bn ( PY : ₹ 0.50 Bn ) is made under Contingent Liability for Income Tax.


## Other Information

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Directors' Report, Overall Business Operations, Management and Corporate Governance but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance / conclusion thereon. In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. When we read the Annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, then we will communicate the matter to those charged with governance.

## Other Matters

The Bank has ten domestic Representative Offices (ROs), eight overseas offices and one foreign branch. The financial accounting systems of the Bank are centralized for the Domestic and Overseas Offices. Out of ten domestic ROs we have visited eight domestic ROs. No foreign offices/branch were visited by us during the year.

We have reviewed the Risk Based Internal Audit Report up to the quarter ended 31st December, 2022 and Concurrent Audit Reports up to the month ended 31st March, 2023. We understand that the completion of the Risk Based Internal Audit for the quarter ended 31st March, 2023 is still under process and thus the same are not made available to us for our review.

Our opinion on this statement is not modified in respect of this matter.

## Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management of Bank is responsible for the preparation and fair presentation of the Financial Statements in accordance with the provisions of the Act and the Regulations framed thereunder and for such internal controls as management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Government of India either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain Professional Skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement have been drawn up as per Schedules I, II and III of the EXIM Bank of India General Regulations, 2020.

We further report that:

- We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
- The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with Books of Account.
- The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- The accounting statements, information and returns received from the representative/branch offices and a foreign branch of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- In our opinion, the aforesaid Financial Statements dealt with by this report comply with the applicable Accounting Standards.


## For GMJ \& Co.

Chartered Accountants
FRN: 103429W

## CA Atul Jain

Partner
Mem No. 037097
UDIN: 23037097BGWDIZ6814

Place: Mumbai
Date: May 11, 2023

## BALANCE SHEET AS AT 31T MARCH, 2023

GENERAL FUND

|  |  | This year <br> (As at 31.03.2023) | Previous year <br> (As at 31.03.2022) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ₹ | ₹ |
| LIABILITIES | SCHEDULES |  |  |
| 1. Capital | \| | 159,093,663,881 | 159,093,663,881 |
| 2. Reserves | 11 | 47,182,589,123 | 33,182,168,229 |
| 3. Profit \& Loss Account | III | 1,558,000,000 | 737,600,000 |
| 4. Notes, Bonds and Debentures |  | 915,330,048,500 | 911,445,743,000 |
| 5. Bills Payable |  |  |  |
| 6. Deposits | IV | 1,526,165,868 | 1,774,864,091 |
| 7. Borrowings | V | 367,376,108,842 | 161,553,999,474 |
| 8. Current Liabilities and Provisions for contingencies |  | 63,579,278,636 | 47,758,579,490 |
| 9. Other Liabilities |  | 59,023,297,198 | 51,868,672,455 |
| Total |  | 1,614,669,152,048 | 1,367,415,290,620 |
| ASSETS |  |  |  |
| 1. Cash \& Bank Balances | VI | 25,220,332,051 | 32,733,783,010 |
| 2. Investments | VII | 123,108,520,849 | 109,025,261,755 |
| 3. Loans and Advances | VIII | 1,292,334,028,165 | 1,145,615,812,525 |
| 4. Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted /Rediscounted | IX | 52,900,000,000 | 30,575,800,000 |
| 5. Fixed Assets | X | 3,746,920,156 | 3,689,339,694 |
| 6. Other Assets | XI | 117,359,350,827 | 45,775,293,636 |
| Total |  | 1,614,669,152,048 | 1,367,415,290,620 |
| CONTINGENT LIABILITIES |  |  |  |
| (i) AcceptancesGuarantees, endorsements and other obligations |  | 154,181,042,151 | 138,112,009,528 |
| (ii) On outstanding forward exchange contracts |  | 22,737,040 | - |
| (iii) On underwriting commitments |  | - - | - |
| (iv) Uncalled Liability on partly paid investments |  | 189,162,520 | 178,279,005 |
| (v) Claims on the Bank not acknowledged as debts |  | 5,050,200,000 | 5,081,997,787 |
| (vi) Bills for collection |  | - | - |
| (vii) On participation certificates |  | - | - |
| (viii) Bills Discounted/Rediscounted |  | - | - |
| (ix) Other monies for which the Bank is contingently liable |  | 16,606,879,596 | 15,076,162,871 |
| Total |  | 176,050,021,307 | 158,448,449,191 |

'Notes to Accounts' attached.
For and on behalf of the Board

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director
Shri Dammu Ravi
Shri R. Subramanian

Place: Mumbai
Dated: May 11, 2023

Shri N. Ramesh
Deputy Managing Director
Shri Rajat Kumar Mishra
Shri A. S. Rajeev
For GMJ \& Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 103429W
(CA Atul Jain)
Partner
M. No. 037097

Ms. Harsha Bangari
Managing Director
Shri Suchindra Misra
Shri Ashok Kumar Gupta

# PROFIT \& LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED $31^{\text {sT }}$ MARCH, 2023 

|  |  | This year (2022-23) ₹ | Previous year (2021-22) ₹ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| EXPENDITURE | SCHEDULES |  |  |
| 1. Interest |  | 74,832,298,013 | 48,891,292,969 |
| 2. Credit Insurance, fees and charges |  | 732,090,012 | 683,294,538 |
| 3. Staff Salaries, Allowances etc. and Terminal Benefits |  | 978,702,641 | 875,750,434 |
| 4. Directors' and Committee Members' Fees and Expenses |  | 546,721 | 239,800 |
| 5. Audit Fees |  | 1,198,100 | 1,198,100 |
| 6. Rent, Taxes, Electricity and Insurance Premia |  | 304,084,447 | 277,875,453 |
| 7. Communication expenses |  | 42,104,140 | 42,983,915 |
| 8. Legal Expenses |  | 36,309,370 | 42,755,953 |
| 9. Other Expenses | XII | 1,483,553,599 | 1,123,453,662 |
| 10. Depreciation |  | 474,937,412 | 391,207,376 |
| 11. Provision for loan losses/contingencies depreciation on investments |  | 15,100,818,219 | 9,806,678,917 |
| 12. Profit/(Loss) carried down |  | 20,890,846,605 | 21,497,517,260 |
| Total |  | 114,877,489,279 | 83,634,248,377 |
| Provision for Income Tax (Net of deferred tax) [including Deferred tax of ₹ $1,23,50,43,812$ (previous year - ₹13,91,50,30,279)] |  | 5,332,425,711 | 14,120,992,702 |
| Balance of Profit/(Loss) transferred to Balance Sheet |  | 15,558,420,894 | 7,376,524,558 |
|  |  | 20,890,846,605 | 21,497,517,260 |
| INCOME |  |  |  |
| 1. Interest and Discount | XIII | 109,394,631,318 | 79,763,834,132 |
| 2. Exchange, Commission, Brokerage and Fees |  | 4,374,251,247 | 3,715,617,529 |
| 3. Other Income | XIV | 1,108,606,714 | 154,796,716 |
| Total |  | 114,877,489,279 | 83,634,248,377 |
| Profit/(Loss) brought down |  | 20,890,846,605 | 21,497,517,260 |
| Excess Income/Interest tax provision of earlier years written back |  | - | - |
|  |  | 20,890,846,605 | 21,497,517,260 |

'Notes to Accounts' attached.

## For and on behalf of the Board

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director
Shri Dammu Ravi

Shri R. Subramanian

Place: Mumbai
Dated: May 11, 2023

## Shri N. Ramesh

Deputy Managing Director
Shri Rajat Kumar Mishra
Shri A. S. Rajeev
For GMJ \& Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 103429W
(CA Atul Jain)
Partner
M. No. 037097

## Ms. Harsha Bangari

Managing Director
Shri Suchindra Misra

Shri Ashok Kumar Gupta

## SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

|  |  | AL FUND |
| :---: | :---: | :---: |
|  | This year <br> (As at 31.03.2023) | Previous year <br> (As at 31.03.2022) |
| Schedule I: Capital: |  |  |
| 1. Authorised | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| 2. Issued and Paid-up : (Wholly subscribed by the Central Government) | 159,093,663,881 | 159,093,663,881 |
| Schedule II : Reserves: |  |  |
| 1. Reserve Fund | 29,647,973,659 | 15,647,552,765 |
| 2. General Reserve | - | - |
| 3. Other Reserves: |  |  |
| Investment Fluctuation Reserve | 1,939,296,400 | 1,939,296,400 |
| Sinking Fund (Lines of Credit) | 1,955,319,064 | 1,955,319,064 |
| 4. Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act,1961 | 13,640,000,000 | 13,640,000,000 |
|  | 47,182,589,123 | 33,182,168,229 |
| Schedule III : Profit \& Loss Account: |  |  |
| 1. Balance as per annexed accounts | 15,558,420,894 | 7,376,524,558 |
| 2. Less: Appropriations: |  |  |
| - Transferred to Reserve Fund | 14,000,420,894 | 6,638,924,558 |
| - Transferred to Investment Fluctuation Reserve | - | - |
| - Transferred to Sinking Fund | - | - |
| - Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act,1961 | - | - |
| 3. Balance of the net profits (Transferable to the Central Government in terms bof Section 23(2) of the EXIM Bank Act,1981) |  |  |
|  | 1,558,000,000 | 737,600,000 |
| Schedule IV : Deposits: |  |  |
| (a) In India | 1,526,165,868 | 1,774,864,091 |
| (b) Outside India | - | - |
|  | 1,526,165,868 | 1,774,864,091 |
| Schedule V : Borrowings: |  |  |
| 1. From Reserve Bank of India : |  |  |
| (a) Against Trustee Securities | - | - |
| (b) Against Bills of Exchange | - | - |
| (c) Out of the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund | - | - |
| 2. From Government of India | - | - |
| 3. From Other Sources: |  |  |
| (a) In India | 90,475,628,920 | 22,840,442,293 |
| (b) Outside India | 276,900,479,922 | 138,713,557,181 |
|  | 367,376,108,842 | 161,553,999,474 |

## SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

GENERAL FUND

|  | This year (As at 31.03.2023) | Previous year (As at 31.03.2022) |
| :---: | :---: | :---: |
| Schedule VI : Cash \& Bank Balances: |  |  |
| 1. Cash in Hand | 201,986 | 202,366 |
| 2. Balance with Reserve Bank of India | 10,074,381 | 1,301,482,828 |
| 3. Balances with other Banks: |  |  |
| (a) In India |  |  |
| i) in current accounts | 2,508,999,192 | 1,670,137,227 |
| ii) in other deposit accounts | 9,964,313,945 | 1,750,000,000 |
| (b) Outside India | 12,736,742,547 | 28,011,960,589 |
| 4. Money at call and short notice / Lending under TREPS | - |  |
|  | 25,220,332,051 | 32,733,783,010 |
| Schedule VII : Investments: (net of diminution in value, if any) |  |  |
| 1. Securities of Central and State Governments | 106,837,664,874 | 92,764,120,000 |
| 2. Equity Shares and Stocks | 2,136,783,687 | 1,787,631,245 |
| 3. Preference Shares and Stocks | 406,199,960 |  |
| 4. Notes Debentures and Bonds | 2,130,359,328 | 3,308,400,010 |
| 5. Others | 11,597,513,000 | 11,165,110,500 |
|  | 123,108,520,849 | 109,025,261,755 |
| Schedule VIII : Loans \& Advances: |  |  |
| 1. Foreign Governments | 556,974,743,079 | 533,183,676,763 |
| 2. Banks: |  |  |
| (a) In India | 136,259,500,000 | 139,158,500,000 |
| (b) Outside India | 2,465,100,000 | 2,349,567,500 |
| 3. Financial Institutions: |  |  |
| (a) In India | - |  |
| (b) Outside India | 116,483,774,169 | 90,190,094,780 |
| 4. Others | 480,150,910,917 | 380,733,973,482 |
|  | 1,292,334,028,165 | 1,145,615,812,525 |
| Schedule IX : Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/ Rediscounted: |  |  |
| (a) In India | 52,900,000,000 | 30,575,800,000 |
| (b) Outside India |  |  |
|  | 52,900,000,000 | 30,575,800,000 |
| Schedule X : Fixed Assets: (At cost less depreciation) |  |  |
| 1. Premises |  |  |
| Gross Block b/f | 5,135,413,642 | 5,120,083,818 |
| Additions during the year | 111,318,521 | 15,329,824 |
| Disposals during the year | - |  |
| Gross Block as at the end of the year | 5,246,732,163 | 5,135,413,642 |
| Accumulated Depreciation | 1,931,979,947 | 1,702,085,519 |
| Net Block | 3,314,752,216 | 3,433,328,123 |

## SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

GENERAL FUND

|  | This year <br> (As at 31.03.2023) | Previous year <br> (As at 31.03.2022) |
| :---: | :---: | :---: |
| 2. Others |  |  |
| Gross Block b/f | 1,491,944,300 | 1,432,461,033 |
| Additions during the year | 422,733,039 | 113,879,687 |
| Disposals during the year | 54,587,263 | 54,396,420 |
| Gross Block as at the end of the year | 1,860,090,076 | 1,491,944,300 |
| Accumulated Depreciation | 1,427,922,136 | 1,235,932,729 |
| Net Block | 432,167,940 | 256,011,571 |
|  | 3,746,920,156 | 3,689,339,694 |
| Schedule XI : Other Assets: |  |  |
| 1. Accrued interest on |  |  |
| a) investments / bank balances | 14,682,612,658 | 11,017,809,688 |
| b) Loans and advances | 19,415,936,548 | 6,432,399,561 |
| 2. Deposits with sundry parties | 58,006,510 | 57,293,416 |
| 3. Advance Income Tax paid (Net) | 9,380,984,168 | 3,456,521,868 |
| 4. Others [including Net Deferred tax asset of ₹ $17,87,80,13,378$ (previous year ₹ $16,64,29,69,567$ )] | 73,821,810,943 | 24,811,269,103 |
|  | 117,359,350,827 | 45,775,293,636 |
| Schedule XII : Other Expenses: |  |  |
| 1. Export Promotion Expenses | 29,039,189 | 7,030,733 |
| 2. Expenses on and related to Data Processing | 3,505,130 | 1,250,341 |
| 3. Repairs and Maintenance | 472,126,829 | 347,563,495 |
| 4. Printing and Stationery | 11,142,760 | 9,544,157 |
| 5. Others | 967,739,691 | 758,064,936 |
|  | 1,483,553,599 | 1,123,453,662 |
| Schedule XIII : Interest and Discount: |  |  |
| 1. Interest and Discount on loans and advances/bills discounted/ rediscounted | 74,084,414,205 | 43,392,577,052 |
| 2. Income on Investments/bank balances | 35,310,217,113 | 36,371,257,080 |
|  | 109,394,631,318 | 79,763,834,132 |
| Schedule XIV : Other Income: |  |  |
| 1. Net Profit on sale/ revaluation of investments | 529,314,303 | (283,996,746) |
| 2. Net Profit on sale of land, buildings and other assets | $(552,707)$ | 2,257,350 |
| 3. Others | 579,845,118 | 436,536,112 |
|  | 1,108,606,714 | 154,796,716 |

## Note :

Deposits under 'Liabilities' [ref. Schedule IV (a)] include 'on shore' foreign currency deposits aggregating USD 8.30 mn (Previous year USD 12.63 mn .) kept by counter party banks / institutions with Exim Bank against reciprocal rupee deposits / bonds.
Investments under 'Assets' [ref. Schedule VII 4] include bonds aggregating ₹0.39 bn (Previous year ₹0.59 bn) on account of swaps.

## CASH FLOW STATEMENT

|  |  | Amount (₹ mn) |
| :---: | :---: | :---: |
| Particulars | Year ended <br> March 31, 2023 | Year ended <br> March 31, 2022 |
| Cash flow from Operating Activities |  |  |
| Net Profit / (Loss) before tax and extra-ordinary items | 20,890.85 | 21,497.52 |
| Adjustments for |  |  |
| - (Profit)/Loss on sale of fixed assets (Net) | 0.55 | (2.26) |
| - (Profit)/Loss on sale of Investments (Net) | (529.31) | 284.00 |
| - Depreciation | 474.94 | 391.21 |
| - Discount/Expenses on bond issues written off | 127.92 | 166.57 |
| - Transfer from Investment Fluctuation Reserve | - | - |
| - Provisions/Write Off of Loans/Investments \& other provisions | 15,100.82 | 9,806.68 |
| - Others - to specify | - | - |
|  | 36,065.77 | 32,143.72 |
| Adjustments for |  |  |
| - Other Assets | $(76,291.77)$ | (540.24) |
| - Current liabilities | 1,307.04 | 16,159.32 |
| Cash generated from operations | $(38,918.97)$ | 47,762.80 |
| Payment of income tax/interest tax | $(5,924.46)$ | $(1,131.99)$ |
| Net cash flow from Operating activities (A) | $(32,994.50)$ | 48,894.78 |
| Cash flow from Investing activities |  |  |
| - Net purchase of fixed assets | (533.07) | (119.14) |
| - Net change in investments | $(13,553.94)$ | $(9,137.02)$ |
| Net cash used in / raised from Investing activities (B) | $(14,087.02)$ | $(9,256.16)$ |
| Cash Flow from Financing activities |  |  |
| - Equity capital infusion | - | 7,500.00 |
| - Loans borrowed (net of repayments made) | 209,348.08 | $(21,395.45)$ |
| - Loans lent, bills discounted and rediscounted (net of repayments received) | $(169,042.42)$ | $(137,678.16)$ |
| - Dividend on equity shares and tax on dividend | (737.60) | (253.90) |
| (Balance of Net profits transferred to Central Government) |  |  |
| Net cash used in / raised from Financing activities (C) | 39,568.07 | $(151,827.51)$ |
| Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (a+b+c) | $(7,513.45)$ | $(112,188.88)$ |
| Opening cash and cash equivalents | 32,733.78 | 1,44,922.67 |
| Closing cash and cash equivalents | 25,220.33 | 32,733.78 |

## For and on behalf of the Board

## Shri Tarun Sharma

Deputy Managing Director
Shri Dammu Ravi
Shri R. Subramanian

Place: Mumbai
Dated: May 11, 2023

Shri N. Ramesh
Deputy Managing Director
Shri Rajat Kumar Mishra
Shri A. S. Rajeev
For GMJ \& Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 103429W
(CA Atul Jain)
Partner
M. No. 037097

Ms. Harsha Bangari
Managing Director
Shri Suchindra Misra
Shri Ashok Kumar Gupta

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

## I SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

## (i) Financial Statements

## a) Basis of preparation

The Balance Sheet and Profit and Loss account of Export-Import Bank of India (Exim Bank) (General Fund and Export Development Fund) have been prepared in accordance with the accounting principles followed in India. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis unless otherwise stated. The accounting policies that are applied by the Bank are consistent with those used in the previous year. The form and manner in which the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of Exim Bank are prepared have been provided in the Export-Import Bank of India, General Regulations, 2020 approved by the Board of Directors with the previous approval of Government of India under Section 39 (2) of Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981). Certain important financial ratios / data are disclosed as part of the "Notes to Accounts" in terms of Reserve Bank of India (RBI) Master Direction DBR.FID.No.108/01.02.000/2015-16 dated June 23, 2016.

## b) Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities and provisions (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.
(ii) Revenue Recognition

Income/Expenditure is recognised on accrual basis except in respect of interest on Non-performing Assets (NPA) / Non-performing Investments, Stressed Assets, interest on loans under Strategic Debt Restructuring, Central Government guaranteed loans having overdues more than 90 days, fee income, commission, commitment charges and dividend which are accounted on cash basis. NPAs are determined as per RBI guidelines issued to All-India Financial Institutions. Discount/ redemption premium offered on Exim Bank Bonds has been amortised over the tenure of the bond and included in interest expenses.
(iii) Asset Classification and Provisioning

Loans and Advances shown in the Balance Sheet comprise only principal outstanding net of provisions for Non-Performing Assets (NPA). Interest receivables are grouped under "Other Assets".

Loan Assets are classified into the following groups: Standard Assets, Sub-standard Assets, Doubtful Assets and Loss Assets, taking into consideration the degree of credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation of dues. Classification of loan assets and provisioning are as per RBI directives / guidelines issued to All-India Financial Institutions.
(iv) Investments

The entire investment portfolio is classified under three categories:
(a) "Held to Maturity" (the securities acquired with the intention to hold them to maturity),
(b) "Held for Trading" (the securities acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements, etc.) and
(c) "Available for Sale" (the balance investments).

The investments are further classified as:
i) Government securities
ii) Other approved securities
iii) Shares
iv) Debentures and Bonds
v) Subsidiaries/Joint Ventures
vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, etc.)

The classification of various instruments of investments, categorisation, shifting among categories, valuation and provisioning of investments are done in accordance with the norms laid down by RBI for All-India Financial Institutions.

## (v) Fixed Assets and Depreciation

(a) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.
(b) Depreciation is provided for on straight-line method basis at the following rates:

| ASSET |  | DEPRECIATION RATE |
| :--- | :--- | :--- |
| Owned Buildings | $5 \%$ |  |
| Furniture and Fixtures | $25 \%$ |  |
| Office Equipment | $25 \%$ |  |
| Other Electrical Equipment | $25 \%$ |  |
| Computer Software | $25 \%$ |  |
| Motor Vehicles | $25 \%$ |  |

Computers and other electronic items subject to rapid technological 33.33\% for first two years, obsolescence 33.34\% in third year

Mobile Phones 50\%
(c) In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided for the entire year in the year of purchase and in respect of assets sold during the year, no depreciation is provided in the year of sale.
(d) When a depreciable asset is disposed of, discarded, demolished or destroyed, the net surplus or deficit is adjusted in the Profit and Loss Account.

## (vi) Impairment

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date based on internal / external factors to provide for impairment in the value of the assets or reverse impairment losses recognised in previous periods, as applicable. Impairment loss is recognised when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

## (vii) Accounting for Foreign Currency Transactions

(a) Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the exchange rate notified by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the year end.
(b) Income and expenditure items are translated at the average rates of exchange during the year.
(c) Outstanding foreign exchange contracts are revalued at rates of exchange notified by the FEDAI for specified maturities and the resulting profits / losses are included in the Profit and Loss account.
(d) Contingent liabilities in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the rates of exchange notified by FEDAI at the year end.

## (viii) Guarantees

Provisioning for guarantees is made taking into account the likely losses on projects till their completion, for uncovered portion under ECGC policies.
(ix) Derivatives

The Bank presently deals in derivative contracts such as Interest Rate Swaps, Currency Swaps, CrossCurrency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements, for hedging its assets and liabilities. Based on the RBI Guidelines, derivatives undertaken for hedging purposes are accounted on accrual basis. Qualitative and Quantitative disclosures pertaining to outstanding derivative contracts as on the Balance Sheet date, are reported in the "Notes to Accounts" in accordance with RBI's Master Direction on Presentation, Disclosure and Reporting norms for All India Financial Institutions.

## (x) Provision for Employee Benefits

a) Provident Fund, Gratuity Fund and Pension Fund are defined benefit schemes administered by the Bank and the Bank's contributions to these funds are charged to the Profit and Loss Account for the year.
b) Gratuity, Pension and Leave Encashment are defined benefit obligations. Liabilities towards these obligations are provided for on the basis of actuarial valuation at the end of each financial year based on the projected unit credit method.
(xi) Accounting for Taxes on Income
(a) Provision for current tax is made, based on the tax payable under the relevant statute.
(b) Deferred tax on timing difference between taxable income and accounting income is accounted for, using the tax rates and the tax law enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a virtual certainty of realisation.
(xii) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 - "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liabilities are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

## (xiii) Deferment of Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS)

In terms of Reserve Bank of India's (RBI) circular dated August 04, 2016, Indian Accounting Standards (Ind AS) was applicable to all Banks, NBFCs and AIFIs for the accounting periods beginning from April 01, 2018, onwards with comparatives for the period ending March 31, 2018. RBI vide its letter dated May 15, 2019, addressed to Exim Bank has conveyed deferment of implementation of Ind AS by the AIFIs until further notice.

## II NOTES TO ACCOUNTS - GENERAL FUND

## 1. Agency Account

As Exim Bank is acting only in the capacity of an agency to facilitate certain transactions in Iraq relating to Indian contractors, foreign currency receivables advised to the Bank equivalent to ₹56.47 bn (previous year ₹52.09 bn) held on agency account including a sum of ₹51.03 bn (previous year ₹47.07 bn) assigned to Government of India (GOI) are not included in the above Balance Sheet.

## 2. Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date

The Other Assets in Schedule XI of the accompanying financial statements includes an amount aggregating ₹ 46.35 bn as receivable from GOI, which has since been received in April 2023.

## 3. (a) Contingent Liabilities

Guarantees include expired guarantees amounting to ₹ 2.35 bn (previous year ₹ 1.17 bn ), yet to be cancelled in the books.
(b) Claims not acknowledged as debts

An amount of ₹5.05 bn (previous year ₹5.08 bn) shown under Contingent Liabilities as "Claims on the Bank not acknowledged as debts", pertains to claims / counter-claims filed against the Bank mostly by Bank's defaulting borrowers in response to legal action initiated against them by the Bank. None of the claims / counter-claims is considered as maintainable in the opinion of Bank's solicitors and none of them has reached the stage of final hearing. Based on the professional advice, no provision is considered necessary.
(c) Contingent Liability on account of Income-Tax

An amount of $₹ 0.55$ bn (previous year ₹ 0.50 bn) has been included under Contingent Liabilities on account of disputed income tax matters pending before various adjudicating authorities, which in the Bank's assessment are less likely to result in liability being materialized and against which a refund of ₹ 1.06 bn is receivable (previous year ₹0.90 bn).
(d) Forward Exchange Contracts, Currency / Interest rate Swaps
(i) The outstanding forward exchange contracts as at March 31, 2023 have been fully hedged. The Bank undertakes derivatives transactions (Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Currency-cum-interest rate swaps), for the purpose of Asset-Liability management as per RBI guidelines issued vide circular Ref. No. MPD.BC.187/07.01.279/1999-2000 dated July 7, 1999, and thereafter. The Bank also unwinds and re-enters such transactions based on the requirements/ market conditions. The outstanding derivative transactions are captured in the interest rate sensitivity position, which is monitored by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and reviewed by the Board. The credit equivalent of derivatives is arrived at as per 'Current Exposure' method prescribed by RBI. The fair value and the price value of a basis point (PV01) of derivatives are disclosed separately in the 'Notes to Accounts' as stipulated by RBI. The premium or discount arising at inception of forward exchange contracts is amortized over the life of the contracts. Any profit or loss arising on cancellation of forward exchange contracts is recognized as income / expense for the year.
(ii) The Bank is permitted to be a 'market maker’ in FX Swaps, Currency Swaps and Foreign Currency Interest Rate Swaps without any tenor or currency restrictions.

## (e) Profit / Loss on Exchange fluctuation

Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the exchange rate notified by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the year end. Income and expenditure items are translated at the average rates of exchange during the year. The notional gain on such translation of the retained earnings on FC operations during the current year is ₹ 0.28 bn (previous year notional loss of ₹ 0.07 bn ).
4. Disclosure relating to Micro, Small and Medium Enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006: There have been no reported cases of delayed payments to Micro, Small and Medium Enterprises.

## 5. ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED BY RESERVE BANK OF INDIA

### 5.1 Capital

(a)

| Particulars | As on | As on |
| :--- | ---: | ---: |
|  | March 31, 2023 | March 31, 2022 |


| (i) Common Equity | 182.19 | 168.40 |
| :---: | :---: | :---: |
| (ii) Additional Tier 1 Capital | - | - |
| (iii) Total Tier 1 Capital (i+ii) | 182.19 | 168.40 |
| (iv) Tier 2 Capital | 13.51 | 11.26 |
| (v) Total Capital (Tier $1+$ Tier 2) | 195.70 | 179.66 |
| (vi) Total Risk weighted assets (RWAs) | 769.47 | 589.28 |
| (vii) Common Equity Ratio (Common Equity as a percentage of RWAs) | 23.68\% | 28.58\% |
| (viii) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) | 23.68\% | 28.58\% |
| (ix) Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) | 25.43\% | 30.49\% |
| (x) Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank | 100\% | 100\% |
| (xi) Amount of equity capital infused by the Government of India | Nil | 7.50 |
| (xii) Amount of additional Tier 1 capital raised; of which <br> a) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS); | Nil | Nil |
| b) Perpetual Debt Instruments (PDI) | Nil | Nil |
| (xiii) Amount of Tier 2 capital raised; of which |  |  |
| a) Debt Capital Instruments | Nil | Nil |
| b) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS); | Nil | Nil |
| c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) | Nil | Nil |
| d) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS) | Nil | Nil |

(b) The amount of subordinated debt raised and outstanding as on March 31, 2023, as Tier-II capital: ₹ NIL (previous year: ₹ NIL).
(c) Risk weighted assets -

|  |  | (₹ bn) |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Particulars | As on | As on |
|  | March 31, 2023 | March 31, 2022 |
| (ii) 'Off' balance sheet items | 578.92 | 448.46 |

(d) The share holding pattern as on the date of the balance sheet: Capital wholly subscribed by the Government of India.

- The CRAR and other related parameters have been determined as per the extant capital adequacy norms prescribed by RBI for the Financial Institutions (FIs).
- The revised Framework to be prescribed by the RBI, including the Basel III norms, is still at draft stage. The Bank will implement Basel III norms for determining CRAR from the date they become effective. However, the final notification from RBI is awaited.


### 5.2 Free Reserves and Provisions

(a) Provisions on Standard Assets
(₹ bn)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| :--- | ---: | ---: |
| Provisions towards Standard Assets | $(3.22)$ | 8.11 |

(b) Disclosure on provisions made on accounts in accordance with RBI Circular on COVID-19 Regulatory Package

In terms of the RBI circulars DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated March 27, 2020 ('Regulatory Package'), DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 and DOR. FID.No.8140/01.02.000/2019-20 dated May 08, 2020 on COVID-19 Regulatory Package - Asset Classification and Provisioning, lending institutions are required to disclose the provisions made in respect of accounts for which moratorium was granted and benefit of asset classification was extended. The details of such provisions are as under

|  |  | (₹ bn) |
| :--- | :---: | :---: |
| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| Number of Borrowers | - | - |
| Loan outstanding amount | - | - |
| Amount overdue | - | - |
| Amount for which asset classification benefit extended | - | - |
| Amount of Provision made | - | - |

(c) Floating Provisions

|  | (₹ bn) |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |

(a) Opening balance in the floating provisions accounts
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year
(c) Amount of draw down made during the accounting year
(d) Closing balance in the floating provisions account

### 5.3 Asset Quality and Specific Provisions

(a) Non-Performing Advances
(₹ bn)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| :---: | :---: | :---: |
| (i) Net NPAs to Net Advances (\%) | 0.71 | - |
| (ii) Movement of NPAs (Gross) |  |  |
| (a) Opening Balance | 43.47 | 74.13 |
| (b) Additions during the year | 78.94 | 5.09 |
| (c) Reductions during the year | 65.44 | 35.75 |
| (d) Closing balance | 56.97 | 43.47 |
| (iii) Movement of Net NPAs |  |  |
| (a) Opening balance | - | 5.33 |
| (b) Additions during the year | 9.48 | - |
| (c) Reductions during the year | - | 5.33 |
| (d) Closing balance | 9.48 | - |
| (iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets) |  |  |
| (a) Opening balance | 43.47 | 68.80 |
| (b) Provisions made during the year | 26.68 | 0.86 |
| (c) Write off / write back of excess provisions | 22.66 | 26.19 |
| (d) Closing balance | 47.49 | 43.47 |

(b) Non-Performing Investments

| Particulars |
| :--- |
| (i) Net NPIs to Net Investments (\%) |
| (ii) Movement of NPIs (Gross) |
| (a) Opening Balance |
| (b) Additions during the year |
| (c) Reductions during the year |
| (d) Closing balance |
| (iii) Movement of Net NPIs |
| (a) Opening balance |
| (b) Additions during the year |
| (c) Reductions during the year |
| (d) Closing balance |
| (iv) Movement of Provisions for NPIs |
| (excluding provisions on standard assets) |
| (a) Opening balance |
| (b) Provisions made during the year |
| (c) Write off / write back of excess provisions |
| (d) Closing balance |

(c) Non-Performing Assets (a+b)

|  |  | (₹ bn) |
| :---: | :---: | :---: |
| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| (i) Net NPAs to Net Assets (Advances + Investments) (\%) | 0.59\% | 0.05\% |
| (ii) Movement of NPAs <br> (Gross Advances + Gross Investments) |  |  |
| (a) Opening Balance | 57.22 | 81.18 |
| (b) Additions during the year | 79.67 | 13.91 |
| (c) Reductions during the year | 76.97 | 37.87 |
| (d) Closing balance | 59.92 | 57.22 |
| (iii) Movement of Net NPAs |  |  |
| (a) Opening balance | 0.59 | 5.64 |
| (b) Additions during the year | 9.52 | 0.34 |
| (c) Reductions during the year | 0.54 | 5.39 |
| (d) Closing balance | 9.57 | 0.59 |
| (iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets) |  |  |
| (a) Opening balance | 56.63 | 75.54 |
| (b) Provisions made during the year | 27.44 | 9.40 |
| (c) Write off / write back of excess provisions | 33.73 | 28.31 |
| (d) Closing balance | 50.34 | 56.63 |

5.4 Particulars of Accounts Restructured - Current Year

| Sr. No. | Type of Restructuring | Details | Under CDR Mechanism |  |  |  |  |  | Under SME Debt Restructuring Mechanism |  |  |  |  |  | Others |  |  |  |  |  | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Asset Classification |  | Standard | Substandard | Doubtful | Loss |  | Total | Standard | Substandard | Doubtful | Loss |  | Total | Standard | Substandard | Doubtful | Loss |  | Total |  |
| 1 | Restructured Accounts as on date of opening of the FY (opening figures) | No. of borrowers | - | - | 3 |  | - | 3 | - | - - | 1 |  | - | 1 | 4 | - | 11 |  | - | 15 | 19 |
|  |  | Amount outstanding | - | - | 0.91 |  | - | 0.91 | - | - - | 0.01 |  | - | 0.01 | 7.06 | - | 13.37 |  | - | 20.43 | 21.35 |
|  |  | Provision thereon | - | - | 0.91 |  | - | 0.91 | - | - | 0.01 |  | - | 0.01 | 1.83 | - | 13.37 |  | - | 15.20 | 16.12 |
| 2 | Fresh restructuring / Additions during the year | No. of borrowers | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 | 2 | - |  | - | 3 | 3 |
|  |  | Amount outstanding | - | - | - |  | - | - | - | - - | - |  | - | - | 6.66 | 3.67 | - |  | - | 10.33 | 10.33 |
|  |  | Provision thereon | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | 0.31 | 1.59 | - |  | - | 1.90 | 1.90 |
| 3 | Upgradations to restructured standard category during the FY | No. of borrowers | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  | Amount outstanding | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Provision thereon | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 4 | Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY | No. of borrowers | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  | Amount outstanding | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Provision thereon | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 5 | Down gradations / Reductions of restructured accounts during the FY | No. of borrowers | - | - | 2 |  | - | 2 | - | - | - |  | - | - | 2 | - | 5 |  | - | 7 | 9 |
|  |  | Amount outstanding | - | - | 0.40 |  | - | 0.40 | - | - | - |  | - | - | 3.54 | - | 7.02 |  | - | 10.56 | 10.96 |
|  |  | Provision thereon | - | - | 0.40 |  | - | 0.40 | - | - | - |  | - | - | 1.62 | - | 7.02 |  | - | 8.64 | 9.04 |
| 6 | Write-offs of restructured accounts during the FY | No. of borrowers | - | - | - |  | - | - | - | - | 1 |  | - | 1 | - | - | - |  | - | - | 1 |
|  |  | Amount outstanding | - | - | - |  | - | - | - | - | 0.01 |  | - | 0.01 | - | - | - |  | - | - | 0.01 |
|  |  | Provision thereon | - | - | - |  | - | - | - | - | 0.01 |  | - | 0.01 | - | - | - |  | - | - | 0.01 |
| 7 | Restructured Accounts as on date of closing of the FY (closing figures) | No. of borrowers | - | - | 1 |  | - | 1 | - | - | - |  | - | - | 3 | 2 | 6 |  | - | 11 | 12 |
|  |  | Amount outstanding | - | - | 0.51 |  | - | 0.51 | - | - | - |  | - | - | 10.18 | 3.67 | 6.35 |  | - | 20.20 | 20.71 |
|  |  | Provision thereon | - | - | 0.51 |  | - | 0.51 | - | - | - |  | - | - | 0.52 | 1.59 | 6.35 |  | - | 8.46 | 8.97 |

Previous Year:

| $\begin{aligned} & \text { Sr. } \\ & \text { No. } \end{aligned}$ | Type of Restructuring | Details | Under CDR Mechanism |  |  |  |  |  | Under SME Debt Restructuring Mechanism |  |  |  |  |  | Others |  |  |  |  |  | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Asset Classification |  | Standard | Substandard | Doubtful | Loss |  | Total | Standard | $\begin{aligned} & \text { Sub- } \\ & \text { standard } \end{aligned}$ | Doubtful | Loss |  | Total | Standard | $\begin{gathered} \text { Sub- } \\ \text { standard } \end{gathered}$ | Doubtful | Loss |  | Total |  |
| 1 | Restructured Accounts as on date of opening of the FY (opening figures) | No. of borrowers | 2 | - | 5 |  | - | 7 | - | - | 1 |  | - | 1 | 1 | - | 10 |  | - | 11 | 19 |
|  |  | Amount outstanding | 0.07 | - | 1.02 |  | - | 1.09 | - | - | 0.01 |  | - | 0.01 | 0.24 | - | 8.45 |  | - | 8.69 | 9.79 |
|  |  | Provision thereon | 0.04 | - | 1.02 |  | - | 1.06 | - |  | 0.01 |  | - | 0.01 | 0.03 | - | 8.45 |  | - | 8.48 | 9.55 |
| 2 | Fresh restructuring / Additions during the year | No. of borrowers |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 3 |  | 2 |  |  | 5 | 5 |
|  |  | Amount outstanding |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - | 6.91 | - | 6.40 |  |  | 13.31 | 13.31 |
|  |  | Provision thereon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1.80 |  | 6.40 |  |  | 8.20 | 8.20 |
| 3 | Upgradations to restructured standard category during the FY | No. of borrowers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Amount outstanding | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | Provision thereon | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 4 | Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY | No. of borrowers | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  | Amount outstanding | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  | Provision thereon | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 5 | Down gradations / Reductions of restructured accounts during the FY | No. of borrowers | 2 | - | - |  | - | 2 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | 2 |
|  |  | Amount outstanding | 0.07 | - | 0.03 |  | - | 0.10 | - | - | - |  | - | - | 0.09 | - | 0.82 |  | - | 0.91 | 1.01 |
|  |  | Provision thereon | 0.04 | - | 0.03 |  | - | 0.07 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0.82 |  | - | 0.82 | 0.89 |
| 6 | Write-offs of restructured accounts during the FY | No. of borrowers | - | - | 1 |  |  | 1 | - | - | - |  | - | - | - |  | 1 |  | - | 1 | 2 |
|  |  | Amount outstanding | - | - | 0.07 |  | - | 0.07 | - | - | - |  | - | - | - |  | 0.66 |  | - | 0.66 | 0.73 |
|  |  | Provision thereon | - | - | 0.07 |  | - | 0.07 | - | - | - |  | - | - | - |  | 0.66 |  |  | 0.66 | 0.73 |
| 7 | Restructured Accounts as on date of closing of the FY (closing figures) | No. of borrowers | - | - | 4 |  | - | 4 | - | - | 1 |  | - | 1 | 4 | - | 11 |  | - | 15 | 20 |
|  |  | Amount outstanding | - | - | 0.92 |  | - | 0.92 | - | - | 0.01 |  | - | 0.01 | 7.06 | - | 13.37 |  | - | 20.43 | 21.36 |
|  |  | Provision thereon | - |  | 0.92 |  | - | 0.92 | - | - | 0.01 |  | - | 0.01 | 1.83 | - | 13.37 |  | - | 15.20 | 16.13 |

### 5.5 Movement of Non-performing assets

|  |  | (₹ bn) |
| :---: | :---: | :---: |
| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| Gross NPAs as on 1st April (Opening balance) | 43.47 | 74.13 |
| Additions (Fresh NPAs) during the year | 76.70 | 2.47 |
| Interest funding | 0.07 | 1.18 |
| Exchange Fluctuation | 2.17 | 1.44 |
| Subtotal (A) | 122.41 | 79.22 |
| Less: |  |  |
| (i) Upgradations | 5.74 | 6.91 |
| (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) | 49.29 | 10.10 |
| (iii) Technical / Prudential write offs | 8.74 | 18.02 |
| (iv) Write offs other than those under (iii) above | 1.67 | 0.72 |
| (v) Exchange Fluctuation | - | - |
| Subtotal (B) | 65.44 | 35.75 |
| Gross NPAs as on $31{ }^{\text {st }}$ March (closing balance) (A-B) | 56.97 | 43.47 |

Gross NPAs as per Appendix Part C-2 of RBI Master Circular DBR.No.BP.BC.2/21.04.048/2015-16 dated July 01, 2015.

### 5.6 Write-offs and recoveries

| Particulars |  | (₹ bn) |
| :--- | ---: | ---: |
| Opening balance of Technical / Prudential written off <br> accounts as at 1st April | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| Add: Technical / Prudential write offs during the year | 107.62 | 89.19 |
| Add / (Less): Exchange Fluctuation | 8.63 | 3.41 |
| Sub total (A) | $\mathbf{1 1 9 . 6 6}$ | $\mathbf{1 8 . 0 2}$ |
| Less: Recoveries made from previously technical / prudential <br> written off accounts during the year (B) | $\mathbf{2 . 2 1}$ | $\mathbf{0 . 9 7}$ |
| Closing balance as on 31st March (A-B) | $\mathbf{1 1 7 . 4 5}$ | 0.56 |

### 5.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

The figures below pertain to Bank's London Branch, which started operations in October, 2010.

| Particulars |  | (₹ bn) |
| :--- | ---: | ---: |
| Total Assets | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| Total NPAs | 67.22 | 49.58 |
| Total Revenue | 2.73 | - |

### 5.8 Depreciation and Provision on Investments

|  |  | (₹ bn) |
| :---: | :---: | :---: |
| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| (1) Investments |  |  |
| (i) Gross Investments | 147.41 | 132.74 |
| (a) In India | 145.39 | 131.64 |
| (b) Outside India | 2.02 | 1.10 |
| (ii) Provision for Depreciation | 24.31 | 23.72 |
| (a) In India | 22.39 | 22.72 |
| (b) Outside India | 1.92 | 1.00 |
| (iii) Net Investments | 123.11 | 109.02 |
| (a) In India | 123.00 | 108.92 |
| (b) Outside India | 0.11 | 0.10 |
| (2) Movement of provision held towards depreciation on investments |  |  |
| (i) Opening balance | 23.72 | 22.43 |
| (ii) Add: Provisions made during the year | 2.97 | 3.47 |
| (iii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year | - | - |
| (iv) Less: Write off / write back of excess provisions during the year | 2.38 | 2.18 |
| (v) Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account | - | - |
| (vi) Closing balance | 24.31 | 23.72 |

### 5.9 Provisions and Contingencies

|  | (₹ bn) |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the <br> head Expenditure in Profit and Loss Account | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| Provision for depreciation on Investments | 0.06 | $(0.05)$ |
| Provision towards NPAs | 3.89 | $(25.36)$ |
| Provision made towards Income tax | 5.33 | 14.12 |
| Other Provisions and Contingencies* | 11.05 | $\mathbf{7 . 3 3}$ |

*Includes ₹4.60 bn (previous year ₹ 7.41 bn) on account of provisioning towards Bank Guarantees, write back of ₹0. 03 bn (previous year write back of ₹0.14 bn) on account of Country Risk and provisioning of ₹0.25 bn (previous year ₹0.06 bn) on account of exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.

### 5.10 Provision Coverage Ratio

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| :--- | ---: | ---: |
| Provision Coverage Ratio | $94.56 \%$ | $100 \%$ |

### 5.11 Fraud Reported and provision made during the year

The Bank has not classified any new account as fraud during FY 2022-23 (previous year ₹ 4.01 bn in 6 cases). Further, there is no quantum of unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year.

## 6. INVESTMENT PORTFOLIO: CONSTITUTION AND OPERATIONS

### 6.1 Repo Transactions

Current Year:

| Particulars |  |  |  | (₹ bn) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily Average outstanding during the year | Outstanding as on March 31,2023 |
| Securities sold under repos |  |  |  |  |
| i) Government Securities | -- | -- | -- | -- |
| ii) Corporate Debt Securities | -- | -- | -- | -- |
| Securities purchased under reverse repos |  |  |  |  |
| i) Government Securities | -- | -- | -- | -- |
| ii) Corporate Debt Securities | -- | -- | -- | -- |

## Previous Year:

(₹ bn)

| Particulars | Minimum | (₹ bn) |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | outstanding | Maximum | Daily Average | Outstanding as |
|  | during the year | during the year | outstanding | on March |
|  |  |  |  |  |

## Securities sold under repos

i) Government Securities -- -- --
ii) Corporate Debt Securities -- -- --

## Securities purchased under reverse repos

i) Government Securities -- -- --
ii) Corporate Debt Securities -- -- $\quad--$

### 6.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt Securities

Current Year:

| Sr. <br> No. | Issuer | Amount | Amount of |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Investment made through private placement | "below investment grade" Securities held | "unrated" <br> Securities held | "unlisted" <br> Securities Held |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | PSUs | - | - | - | - | - |
| 2 | Fls | 0.80 | 0.80 | - | 0.06 | 0.80 |
| 3 | Banks | 0.002 | 0.002 | - | - | - |
| 4 | Private corporates | 38.14* | 38.14 | - | 6.37 | 35.20 |
| 5 | Subsidiaries / Joint ventures | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 |
| 6 | Others | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 7 | Provision held towards depreciation* | 24.31 | 24.31 | - | - | - |
|  | Total | 38.96 | 38.96 | - | 6.43 | 36.02 |

\# Only aggregate amount of provision held to be disclosed in column 3.

* Out of which ₹18.60 bn represents investment in security receipts issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) and ₹ 7.55 bn of investments are in shares / debentures acquired as part of loan restructuring.

Amounts reported under columns 4,5,6 and 7 above are not mutually exclusive.

| Previous Year: |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | (₹ bn) |
| Sr. <br> No. | Issuer | Amount | Amount of |  |  |  |
|  |  |  | Investment made through private placement | "below investment grade" Securities held | "unrated" <br> Securities held | "unlisted" <br> Securities Held |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | PSUs | - | - | - | - | - |
| 2 | Fls | 1.00 | 1.00 | - | 0.06 | 1.00 |
| 3 | Banks | 0.002 | 0.002 | - | - | - |
| 4 | Private corporates | $38.27 *$ | 38.27 | - | 6.97 | 35.63 |
| 5 | Subsidiaries / Joint ventures | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 |
| 6 | Others | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 7 | Provision held towards depreciation* | 23.72 | - | - | - | - |
|  | Total | 39.30 | 39.30 | - | 7.03 | 36.65 |

\# Only aggregate amount of provision held to be disclosed in column 3.

* Out of which ₹19.34 bn represents investment in security receipts issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) and ₹ 6.91 bn of investments are in shares / debentures acquired as part of loan restructuring.

Amounts reported under columns 4,5,6 and 7 above are not mutually exclusive.

### 6.3 Sale and Transfer to / from Held to Maturity (HTM) Category

During the year ended March 31, 2023, no sale and transfer of investments to / from HTM category was executed. (PY: NIL).

## 7. DETAILS OF FINANCIAL ASSETS PURCHASED/ SOLD

### 7.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

| detail |  | (₹ bn) |
| :---: | :---: | :---: |
| Sr. Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| (i) No. of Accounts | 1 | 2 |
| (ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC | - | - |
| (iii) Aggregate consideration | 0.16 | 0.10 |
| (iv) Additional Consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years | 0.51 | 0.91 |
| (v) Aggregate gain/(loss) over net book value | 0.67 | 1.01 |

- The "Assets sold to Reconstruction Companies" have been reckoned as defined in RBI Master Circular DBOD No. FID.FIC.2/01.02.00/2006-07 dated July 01, 2006 and thereafter.
B. Details of Book value of Investments in Security Receipts

| Particulars | (₹ bn) | Book value of Investments in Security <br> receipts |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| (i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| (ii)Backed by NPAs sold by banks / other financial <br> institutions / non-banking financial companies as <br> underlying <br> Total | 0.84 | 1.38 |

### 7.2 Details of Non Performing Financial Assets Purchased / Sold

A. Details of Non Performing Financial assets purchased
(₹ bn)
Sr. Particulars
2022-23
2021-22

1. (a) No. of accounts purchased during the year
(b) Aggregate outstanding
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year
(b) Aggregate outstanding
B. Details of Non Performing Financial assets sold

|  |  | (₹ bn) |  |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| Sr. Particulars | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |  |
| 1. No. of accounts sold | 1 | -- |  |
| 2. Aggregate outstanding | 0.30 | -- |  |
| 3. | Aggregate consideration received | 0.16 | -- |

### 7.3 Details of Stressed Loans Transferred/Acquired During the Year

A. Details of Stressed Loans Transferred

| (all amounts in ₹ bn) | To ARCs | To permitted transferees* | To other transferees (please specify) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| No. of accounts | 1 | - | - |
| Aggregate principal outstanding of loans transferred | 0.30 | - | - |
| Weighted average residual tenor of the loans transferred | Nil | - | - |
| Net book value of loans transferred (at the time of transfer) | Nil | - | - |
| Aggregate consideration | 0.16 | - | - |
| Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | 0.51\# | - | - |

B. Details of Loans Acquired during the Year

| (all amounts in ₹ bn) | From lenders <br> listed in Clause 3* | From ARCs |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Aggregate principal outstanding of loans acquired |  |  | - |
| Aggregate consideration paid |  | - |  |
| Weighted average residual tenor of loans acquired |  | - |  |

[^7]
## 8. Operating results

| Sr. Particulars | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |  |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| (i) | Interest income as a percentage to average working funds | 7.78 | 6.13 |
| (ii)Non-interest income as a percentage to average working <br> funds | 0.39 | 0.30 |  |
| (iii)Operating profit as a percentage to average working funds | 2.56 | 2.41 |  |
| (iv) | Return on average assets | 1.04 | 0.54 |
| (v) Net Profit / (Loss) per (permanent) employee (in ₹ bn) | 0.04 | 0.02 |  |

- For operating results, the working funds and total assets have been taken as the average of the figures as at the end of the previous accounting year and the end of the accounting year under report. (The "working funds" refer to the net earning assets).
- All permanent, full-time employees in all cadres have been reckoned for computing per employee net profit.


## 9. CREDIT CONCENTRATION RISK

### 9.1 Capital market exposure

## Sr. Particulars

2022-23
2021-22
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading;
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)
0.18
0.09

| 0.18 | 0.09 |
| :--- | :--- |
| -- |  |
|  |  |

### 9.2 Exposure to Country risk

(₹ bn)

| (₹ bn) |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |

### 9.3 Strategic Debt Restructuring (SDR) Scheme

| (₹ bn) |  |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Particulars | 2022-23 | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| No. of accounts | 1 | 1 |
| Aggregate amount outstanding | - | - |
| Amount of exposure converted into equity | 0.08 | 0.08 |

9.4 Resolution Plan (RPs) implemented during the year

Fund Based:
(₹ bn)

| No. of Borrowers | Loan outstanding <br> (Pre-restructuring) | Loan outstanding <br> (post-restructuring) | Recovery amount <br> post-restructuring | Amount O/s as on <br> March 31, 2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | 0.22 | - | 0.22 |  |

## Non-Fund Based :

(₹ bn)

| No. of Borrowers* | Loan outstanding <br> (Pre-restructuring) | Loan outstanding <br> (post-restructuring) | Recovery amount <br> post-restructuring | Amount O/s as on <br> March 31, 2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 5.54 | 5.99 | N.A., being non-fund based facility |  |

*There are 2 borrowers wherein RP implementation was made during the FY 2022-23, of which 1 borrower has funded as well non-funded exposure with the Bank.

- In terms of the RBI circular DOR.No. STR.REC.55/21.04.048/2021-22 dated April 01, 2022, on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances.
9.5 Exposure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)
(₹ bn)

| Particulars | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - \mathbf { 2 2 }}$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| No. of accounts classified as standard where S4A has been <br> applied | 2 | 2 |  |
| Aggregate amount outstanding | In Part A | -- | -- |
| Amount Outstanding | In Part B | 2.94 | 2.94 |
|  | 2.59 | 2.59 |  |
| Provision Held | 1.11 | 1.11 |  |

9.6 As on March 31, 2023, 70 accounts (PY: 66 accounts) with loan outstanding of ₹ 14.17 bn (PY: ₹26.35 bn) are either admitted or have been referred to the NCLT under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against which the Bank holds 100\% provision (PY: 100\%).

### 9.7 Prudential Exposure Limits - Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

A. The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year

| Sr. No. | PAN No. | Borrower Name | Industry Code | Industry <br> Name | Sector | Amount Funded | Amount Non-Funded | Exposure as a \% to Capital Funds |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Previous Year

| (₹ bn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sr. <br> No. | PAN No. | Borrower Name | Industry Code | Industry Name | Sector | Amount Funded | Amount <br> Non-Funded | Exposure as a \% to Capital Funds |
| 1 | - | African <br> Export- <br> Import <br> Bank | 65102 | Financial Services | Financial Services | 24.16 | 0.00 | 15.49 |

B. Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets Current Year:

| Particulars | Percentage <br> to Capital <br> Funds* | Percentage to <br> Total Credit <br> Exposure (TCE) | Percentage to <br> Total Assets |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| i) Largest single borrower | 14.01 | 1.17 | 1.56 |
| ii) Largest borrower group | 26.41 | 2.21 | 2.94 |
| iii) 20 largest single borrowers | 149.33 | 12.47 | 16.62 |
| iv) 20 largest borrower groups | 157.45 | 13.15 | 17.52 |

* Capital Funds as on March 31, 2022
@ TCE: Loans + Advances + Unutilised Sanctions + Guarantees + LCs + Credit exposure on account of derivatives.

1) Credit exposure to banks and overseas institutions guaranteed by GOI / exposure assumed at the behest of GOI, not considered for single/group borrower exposure.
2) As on March 31, 2023, there were no borrowers to whom credit exposure was above the base ceiling of $15 \%$ of Capital Funds. Further, there was no borrower group to whom credit exposure was above the base ceiling of $40 \%$ of capital funds. Details disclosed in para 9.7.A above.

## Previous Year:

| Particulars | Percentage <br> to Capital <br> Funds* | Percentage to <br> Total Credit <br> Exposure (TCE) | Percentage to <br> Total Assets |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| i) Largest single borrower | 15.49 | 1.23 | 1.77 |
| ii) Largest borrower group | 23.07 | 1.84 | 2.63 |
| iii) 20 largest single borrowers | 149.97 | 11.94 | 17.11 |
| iv) 20 largest borrower groups | 154.85 | 12.33 | 17.67 |

*Capital Funds as on March 31, 2021
@ TCE: Loans + Advances + Unutilised Sanctions + Guarantees + LCs + Credit exposure on account of derivatives.

1) Credit exposure to banks and overseas institutions guaranteed by GOI / exposure assumed at the behest of GOI, not considered for single/group borrower exposure.
2) As on March 31, 2022, there was one single borrower to whom credit exposure above the base ceiling of $15 \%$ of total capital funds was assumed with the prior approval of the Board. Further, there was no borrower group to whom credit exposure was above the base ceiling of $40 \%$ of capital funds. Details disclosed in para 9.7. A above.
C. Credit exposure to the five largest industrial sectors

## Current Year:

| Sector |  | Percentage to Total <br> Credit Exposure (TCE) | Percentage to <br> Loan Assets |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| i) | Financial Services | 4.57 | 7.06 |
| ii) | EPC Services | 4.53 | 6.99 |
| iii) Chemical and Dyes | 3.31 | 5.12 |  |
| iv) Construction | 3.30 | 5.09 |  |
| v) Ferrous Metals \& Metal Processing | 2.85 | 4.41 |  |

## Previous Year:

| Sector | Percentage to Total <br> Credit Exposure (TCE) | Percentage to <br> Loan Assets |  |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| i) | EPC Services | 4.28 | 6.88 |
| ii) | Financial Services | 3.75 | 6.02 |
| iii) | Chemicals and Dyes | 3.10 | 4.98 |
| iv) | Construction | 2.96 | 4.76 |
| v) | Petrochemicals | 2.07 | 3.33 |

- The "credit exposure" has been reckoned as defined by RBI.
- Credit exposure to banks and overseas institutions guaranteed by GOI / assumed at the behest of GOI, excluded for computing industry exposure.
D. Unsecured Advances

|  |  | (₹ bn) |
| :---: | :---: | :---: |
| Particulars | As at | As at |
|  | 31st March, 2023 | 31st March, 2022 |
| Total Unsecured Advances of the Bank | 159.50 | 77.95 |
| i) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as corporate/personal guarantees, promissory notes, trust receipts, etc. | 16.33 | 7.95 |
| ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above). | - | 0.46 |

## E. Factoring Exposures

The Bank has no exposure under factoring arrangement (previous year: ₹ NIL).
F. Exposures where the FI had exceeded the prudential Exposures Limits during the year

| Sr. <br> No | PAN No. | Borrower Name | Industry Code | Industry <br> Name | Sector | Amount Funded | Amount NonFunded | Exposure as a \% to Capital Funds |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Previous Year:
(₹ bn)

| Sr. <br> No | $\begin{aligned} & \text { PAN } \\ & \text { No. } \end{aligned}$ | Borrower Name | Industry Code | Industry Name | Sector | Amount Funded | Amount <br> Non- <br> Funded | Exposure as a \% to Capital Funds |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | -- | AFRICAN EXPORTIMPORT BANK | 65102 | Financial Services | Financial Services | 24.16 | 0.00 | 15.49 |

## 10. Concentration of borrowings / lines of credit, credit exposures and NPAs

(a) Concentration of borrowings and lines of credit

| Particulars | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Total borrowings from twenty largest lenders | 276.90 | $\mathbf{1 3 8 . 7 1}$ |
| Percentage of borrowings from twenty largest lenders to | $21.56 \%$ | $12.91 \%$ |
| total borrowings of the Bank |  |  |

(b) Concentration of Credit exposures

|  | (₹ bn) |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| Total exposures to twenty largest borrowers | 268.29 | 233.95 |
| Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank | 19.26\% | 19.18\% |
| Total Exposure to twenty largest borrowers / customers | 268.29 | 233.95 |
| Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers | 12.47\% | 11.94\% |
| In the case of Exim Bank, percentage of total of top ten country exposures to total exposures | 38.81\% | 38.59\% |

Exposure computed based on credit and investment exposure as prescribed vide RBI Master Circular on Exposure norms for financial institutions: DBR.FID.FIC.No.4/01.02.00/ 2015-16 dated July 01, 2015.
(c) Sector-wise concentration of exposures and NPAs

| Sr. <br> No | Sector | 2022-23 |  | 2021-22 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| A | Domestic Sector | 308.47 | 13.17 | 4\% | 374.03 | 28.52 | 8\% |
| 1 | Total Export Finance | 254.42 | 10.42 | 4\% | 330.93 | 25.20 | 8\% |
|  | Agricultural sector | - | - | - | - | - | - |
|  | Industrial Sector | 209.99 | 10.10 | 5\% | 151.99 | 17.59 | 12\% |
|  | Ferrous Metals \& Metal Processing | 36.99 | 0.35 | 1\% | - | - | - |
|  | Chemical and dyes | 11.74 | - | 0\% | 9.96 | - | 0\% |
|  | Petroleum Products | 42.48 | - | 0\% | 25.44 | - | 0\% |
|  | Textiles \& Garments | - | - | - | 22.62 | 5.16 | 23\% |
|  | Others | 118.78 | 9.75 | 8\% | 93.97 | 12.43 | 13\% |
|  | Services Sector | 44.43 | 0.32 | 1\% | 178.94 | 7.61 | 4\% |
|  | Financial Services | 12.33 | - | 0\% | 139.16 | - | 0\% |
|  | Others | 32.11 | 0.32 | 1\% | 39.78 | 7.61 | 19\% |
| 2 | Total Import Finance | 54.05 | 2.75 | 5\% | 43.10 | 3.33 | 8\% |
|  | Agricultural sector | - | - | - | - | - | - |
|  | Industrial Sector | 35.72 | 2.11 | 6\% | 25.50 | 2.66 | 10\% |
|  | Ferrous Metals \& Metal Processing | 2.29 | - | 0\% | - | - | - |
|  | Chemicals and dyes | 18.37 | - | 0\% | 16.48 | - | 0\% |
|  | Others | 15.06 | 2.11 | 14\% | 9.03 | 2.66 | 29\% |
|  | Services Sector | 18.33 | 0.64 | 3\% | 17.60 | 0.66 | 4\% |
|  | Financial Services | 16.44 | - | 0\% | 15.16 | - | 0\% |
|  | Others | 1.89 | 0.64 | 34\% | 2.44 | 0.66 | 27\% |
| 3 | Of (A), exposures guaranteed by the Government of India | - | - | - | - | - | - |
| B | External Sector | 128.13 | 12.18 | 10\% | 105.00 | 14.95 | 14\% |
| 1 | Total Export Finance | 128.13 | 12.18 | 10\% | 105.00 | 14.95 | 14\% |
|  | Agricultural sector | - | - | - | - | - | - |
|  | Industrial Sector | 72.20 | 9.49 | 13\% | 62.94 | 12.47 | 20\% |
|  | Ferrous Metals \& Metal Processing | 2.31 | - | 0\% | - | - | - |
|  | Chemicals and Dyes | 14.40 | - | 0\% | 5.92 | 3.90 | 66\% |
|  | Textiles \& Garments | - | - | - | 3.44 | - | 0\% |
|  | Others | 55.49 | 9.49 | 17\% | 53.59 | 8.57 | 16\% |
|  | Services Sector | 55.93 | 2.69 | 5\% | 42.06 | 2.48 | 6\% |
|  | Financial Services | 50.85 | - | 0\% | 37.42 | - | 0\% |
|  | Others | 5.08 | 2.69 | 53\% | 4.65 | 2.48 | 53\% |
| 2 | Total Import Finance | - | - | - | - | - | - |
|  | Agricultural sector | - | - | - | - | - | - |
|  | Industrial Sector | - | - | - | - | - | - |
|  | Services Sector | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Of (B), exposures guaranteed by the Government of India | - | - | - | - | - | - |
| C | Other Exposures ${ }^{\text {\# }}$ | 956.12 | 31.62 | 3\% | 740.63 | - | 0\% |
| D | Total exposures ( $\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}$ ) | 1,392.72 | 56.97 | 4.09\% | 1,219.66 | 43.47 | 3.56\% |

\# Includes advances under Lines of Credit, BC-NEIA, Concessional Finance Scheme, refinance to commercial banks and advances counter-guaranteed by banks.

## (d) Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank in accordance with RBI Master Direction DBR.FID.No.108/01.02.000/2015-16 dated 23rd June, 2016 has in place an internal guidance note on capital provisioning requirement and incremental provisioning for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE). As on March 31, 2023, an amount of $₹ 0.57$ bn (PY ₹0.33 bn) was held towards currency induced credit risk and capital allocated for currency induced credit risk amounted to ₹13.14 bn (PY ₹8.26 bn).

## 11. DERIVATIVES

### 11.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

| Sr. <br> No. | Particulars | 2022-23 |  | 2021-22 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Hedging | Trading | Hedging | Trading |
| 1. | The Notional Principal of swap agreements | 502.34 | - | 446.01 | - |
| 2. | Losses, which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements | - | - | 1.48 | - |
| 3. | Collateral required by the Bank upon entering into swaps | - | - | - | - |
| 4. | Concentration of credit risk arising from Swaps | All transactions fall within approved credit exposure limits* | - | All transactions fall within approved credit exposure limits* | - |
| 5. | The fair value of the swap book | (37.14) | - | (13.70) | - |

*All the interest rate swaps have been undertaken with banks
Nature and Terms of Swaps: All transactions have underlying assets / liabilities and have been undertaken for the purpose of hedging the Bank's ALM position.

| Instrument | Nature | No. | Notional <br> Principal | Benchmark | Terms |
| :---: | :---: | :---: | ---: | :---: | :--- |
| IRS | Hedging | 21 | 369.75 | LIBOR | Fixed receivable vs Floating payable |
| IRS | Hedging | 1 | 0.27 | LIBOR | Floating receivable vs Fixed payable |
| IRS | Hedging | 1 | 12.33 | LIBOR | Floating receivable vs Floating payable |
| IRS | Hedging | 1 | 1.11 | TONA | Fixed receivable vs Floating payable |
| IRS | Hedging | 7 | 102.58 | SOFR | Fixed receivable vs Floating payable |
| IRS | Hedging | 2 | 16.30 | INTBFIX3M | Fixed receivable vs Floating payable |
|  | Total | $\mathbf{3 3}$ | $\mathbf{5 0 2 . 3 4}$ |  |  |

11.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

| $\begin{aligned} & \text { Sr. } \\ & \text { No. } \end{aligned}$ | Particulars | Amount |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year | - |
| 2. | Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2023 | - |
| 3. | Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" | - |
| 4. | Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" | - |

### 11.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

## A. Qualitative disclosures

1. The Bank uses financial derivative transactions predominantly for raising cost-effective funds and hedging its balance sheet exposures, with the objective of reducing market risk. The Bank currently deals only in over-thecounter (OTC) interest rate and currency derivatives, of the type permitted by RBI.
2. Derivative transactions carry: (i) market risk i.e. the probable loss that the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and (ii) credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counter-parties fail to meet their obligations. The Bank has in place a Derivative Policy approved by the Board, which aims at synchronizing the risk management objectives at the transaction level with those of the overall ALM position. The policy defines the use of permitted derivative products consistent with business goals of the Bank, lays down the control and monitoring systems and deals with regulatory, documentation and accounting issues. The policy also prescribes suitable risk parameters to control and manage market risk on derivative trades undertaken in the treasury book. (stop-loss limits, open position limits, tenor limits, settlement and presettlement risk limits, PV01 limits).
3. The ALCO of the Bank oversees management of market risks with support from the Bank's Mid-Office, which measures, monitors and reports market risk associated with derivative transactions.
4. All derivative transactions outstanding in the Bank's books as on March 31, 2023, have been undertaken for hedging purposes and are in the ALM book. The income on such transactions has been accounted for on accrual basis.
5. Interest Rate Swaps (IRS) and Currency Swaps are not included in Outstanding Forward Exchange Contracts under Contingent Liabilities as per the Derivative Policy.
B. Quantitative disclosures

| Sr. No. | Particulars | 2022-23 |  | 2021-22 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Currency Derivatives | Interest rate derivatives | Currency Derivatives | Interest rate derivatives |
| 1 | Derivatives (Notional Principal Amount) |  |  |  |  |
|  | a) For hedging | 372.74 | 502.34 | 361.01 | 446.01 |
|  | b) For trading | - | - | - | - |
| 2 | Marked to Market Positions |  |  |  |  |
|  | a) Asset (+) | - | - | - | - |
|  | b) Liability (-) | (51.65) | (37.14) | (40.54) | (13.70) |
| 3 | Credit Exposure | 12.74 | 3.19 | 14.40 | 3.43 |
| 4 | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) | - | - | - | - |
|  | a) on hedging derivatives | 8.44 | 25.10 | 8.73 | 20.61 |
|  | b) on trading derivatives | - | - | - | - |
| 5 | Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year |  |  |  |  |
|  | a) on hedging |  |  |  |  |
|  | (i) Maximum | 9.74 | 25.66 | 10.90 | 25.28 |
|  | (ii) Minimum | 8.44 | 19.48 | 8.73 | 20.61 |
|  | b) on trading | - | - | - | - |
|  | (i) Maximum | - | - | - | - |
|  | (ii) Minimum |  |  |  |  |

## 12. Letters of Comfort issued by the Bank

During the year (FY2022-23), the Bank has not issued any Letter of Comfort (previous year Nil) and no financial obligation has arisen on account of the outstanding commitments. The Bank has an outstanding exposure under Letter of Credit/SBLCs aggregating ₹3.23 bn, against which the Bank is in receipt of Letter of comfort amounting to ₹3.30 bn, as on March 31, 2023 (previous year: outstanding exposure under Letter of Credit: ₹2.44 bn against which the Letter of comfort: ₹3.30 bn).

## 13. ASSET LIABILITY MANAGEMENT

## Current Year:

| Particulars | 1 to 14 days | $\begin{aligned} & 15 \text { to } \\ & 28 \text { days } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 29 \text { days } \\ & \text { to } \\ & 3 \text { months } \end{aligned}$ | Over 3 months \& up to 6 months | Over 6 months \& up to 1 year | Over <br> 1 year \& up to 3 years | Over 3 years \& up to 5 years | Over 5 years | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Rupee Advances | 29.76 | 27.59 | 45.72 | 16.97 | 103.51 | 42.83 | 12.31 | 33.82* | 312.51 |
| Rupee Investments | 2.97 | 0.00 | 0.73 | 15.04 | 16.36 | 16.16 | 15.99 | 54.14 | 121.40 |
| Rupee Other Assets | 59.59 | 2.92 | 65.76 | 48.08 | 103.96 | 236.10 | 110.30 | 265.64 | 892.36 |
| Rupee Deposits | 0.02 | 0.00 | 28.41 | 28.22 | 26.00 | 0.32 | 0.14 | 0.00 | 83.12 |
| Rupee Borrowings | 40.48 | 1.50 | 26.62 | 26.88 | 100.52 | 146.03 | 34.30 | 46.75 | 423.08 |
| Rupee Other Liabilities | 49.15 | 14.81 | 70.80 | 26.61 | 78.07 | 65.81 | 10.20 | 248.27 | 563.71 |
| Foreign Currency Assets | 71.63 | 15.51 | 69.97 | 54.98 | 152.51 | 349.79 | 292.07 | 558.71 | 1,565.18 |
| Foreign Currency <br> Liabilities | 70.33 | 16.55 | 85.43 | 53.70 | 200.90 | 360.74 | 326.87 | 366.00 | 1,480.51 |

(*) Net of loan provisions
Previous Year:

| Particulars | 1 to 14 days | 15 to 28 days | $\begin{aligned} & 29 \text { days } \\ & \text { to } \\ & 3 \text { months } \end{aligned}$ | Over 3 months \& up to 6 months | Over 6 months \& up to 1 year | Over <br> 1 year \& up to 3 years | Over 3 years \& up to 5 years | Over 5 years | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Rupee Advances | 25.21 | 11.87 | 28.80 | 19.32 | 94.34 | 28.61 | 35.36 | 0.12 * | 243.62 |
| Rupee Investments | 7.75 | 0.50 | 1.09 | 10.63 | 0.05 | 5.40 | 27.94 | 54.88 | 108.24 |
| Rupee Other Assets | 41.91 | 2.11 | 74.35 | 73.93 | 42.65 | 280.13 | 131.86 | 266.48 | 913.41 |
| Rupee Deposits | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 27.02 | 33.44 | 8.84 | 0.20 | 0.00 | 69.67 |
| Rupee Borrowings | 70.38 | 0.55 | 46.44 | 41.91 | 19.94 | 93.51 | 52.35 | 56.50 | 381.58 |
| Rupee Other Liabilities | 8.86 | 11.82 | 70.09 | 53.82 | 64.11 | 92.72 | 13.82 | 255.45 | 570.70 |
| Foreign Currency Assets | 32.42 | 2.98 | 66.38 | 66.75 | 107.82 | 286.42 | 255.80 | 493.87 | 1312.44 |
| Foreign Currency Liabilities | 34.64 | 2.88 | 82.06 | 82.14 | 132.97 | 371.99 | 177.36 | 300.45 | 1184.48 |

(*) Net of loan provisions

## 14. DRAW DOWN FROM RESERVES

The Bank has not drawn any amount from the Reserves.

## 15. BUSINESS RATIOS

| Particulars |  | $\mathbf{2 0 2 2 - 2 3}$ | $\mathbf{2 0 2 1 - 2 2}$ |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| Return on Equity |  | $9.78 \%$ | $4.75 \%$ |
| Return on Assets | $1.04 \%$ | $0.54 \%$ |  |
| Net Profit Per Employee (₹ bn) |  | 0.04 | 0.02 |

## 16. DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI

There are no penalties imposed by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act, 1934, for contraventions of any of the provisions of the Act or non-compliance with any other requirements of the Act, order, rule or condition specified by Reserve Bank of India.
17. DISCLOSURE OF COMPLAINTS

Customer Complaints

| Sr . <br> No. | Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (a) | No of complaints pending at the beginning of the year | - | - |
| (b) | No of complaints received during the year | - | 3 |
|  | No of complaints redressed during the year | - | 3 |
| (d) | No of complaints pending at the end of the year | - | - |

18. OFF- BALANCE SHEET SPVs SPONSORED (which are required to be consolidated as per accounting norms)

| Name of the SPV sponsored |  |
| :---: | :---: |
| Domestic | Overseas |
| - | - |

## Disclosure as per specific Accounting Standards

19. Details of Fixed Assets

Current Year:
Details of Fixed Assets are given below as prescribed in AS -10 Accounting for Fixed Assets issued by the ICAI.

| Particulars |  |  | (₹ bn) |  |
| :--- | :---: | ---: | ---: | ---: |
| Gross Block | Premises | Others | Total |  |
| Cost as on 31st March 2022 |  |  |  |  |
| Additions | 5.13 | 1.50 | 6.63 |  |
| Disposals | 0.11 | 0.42 | 0.53 |  |
| Cost as on 31st March 2023 | (A) | - | 0.05 | 0.05 |
| Depreciation | 5.24 | 1.87 | 7.11 |  |
| Accumulated as on 31st March 2022 |  |  |  |  |
| Provided during the year | 1.70 | 1.24 | 2.94 |  |
| Eliminated on Disposals | 0.23 | 0.25 | 0.48 |  |
| Accumulated as on 31st March 2023 | (B) | - | 0.05 | 0.05 |
| Net Block (A-B) | 1.93 | 1.44 | 3.37 |  |

Previous Year:

|  |  |  | (₹ bn) |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Particulars |  | Premises | Others |
| Gross Block |  |  | Total |
| Cost as on 31st March 2021 | 5.12 | 1.44 | 6.56 |
| Additions | 0.01 | 0.11 | 0.12 |
| Disposals | - | 0.05 | 0.05 |
| Cost as on 31st March 2022 | (A) | 5.13 | 1.50 |
| Depreciation |  |  | 6.63 |
| Accumulated as on 31st March 2021 | 1.48 | 1.12 |  |
| Provided during the year | 0.22 | 0.17 | 2.60 |
| Eliminated on Disposals | - | 0.05 | 0.39 |
| Accumulated as on 31st March 2022 | (B) | 1.70 | 1.24 |
| Net Block (A-B) | $\mathbf{3 . 4 3}$ | $\mathbf{0 . 2 6}$ | $\mathbf{2 . 9 5}$ |

## 20. Accounting for Government grants

GOI has agreed to pay interest equalisation amount to the Bank towards specific Lines of Credit extended by the Bank to foreign governments, overseas banks / institutions and the same is accounted on accrual basis.

## 21. Segment Reporting

The operations of the Bank predominantly comprise of only one business segment i.e. financial activities and hence, have been considered as representing a single business segment.

The geographic segments of the Bank are categorised as Domestic Operations and International Operations. The categorisation of operations as domestic or international is primarily based on the risk and reward associated with the place of the transaction.

| Particulars | Domestic Operations |  | International Operations |  | Total |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Revenue | 111.61 | 82.16 | 2.98 | 1.47 | 114.59 | 83.63 |
| Assets | 1,547.60 | 1,317.80 | 67.07 | 49.61 | 1,614.67 | 1,367.41 |

## 22. Related party disclosures

As per AS-18 Related Party Disclosures issued by the ICAI, the Bank's related parties are disclosed below:

- Relationship
(i) Joint Ventures:
- GPCL Consulting Services Limited (GPCL)
- Kukuza Project Development Company
(ii) Key Managerial Personnel:
- Smt. Harsha Bangari (Managing Director)
- Shri. N. Ramesh (Deputy Managing Director)
- The Banks' related party balances and transactions are summarised as follows:
(₹ mn )

| Particulars | Joint Venture |  | Key Managerial Personnel |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| Loans granted | - | - | - |  |
| Guarantees issued | - | - | - | - |
| Interest received | - | - | 0.01 | - |
| Guarantee commission received | - | - | - |  |
| Receipts towards services rendered | 0.03 | - | - | - |
| Term Deposit Accepted | - | - | 9.05 | 3.54 |
| Interest on Term Deposits | - | - | 0.75 | 0.77 |
| Amounts written-off / written-back | - | - | - | - |
| Term Deposit Outstanding | - | - | 10.24 | 9.56 |
| Loans granted and outstanding at year-end | - | - | 0.15 | 0.36 |
| Guarantees outstanding at year-end | - | - | - | - |
| Investments outstanding at year end (Net of Provisions) | 3.23 | 144.04 | - | - |
| Dividend received | 0.51 | 0.42 | - | - |
| Maximum Loan outstanding during the year | - | - | 0.36 | 0.56 |
| Maximum Guarantees outstanding during the year | - | - | - | - |
| Salary including perquisites | - | - | 11.11 | 16.24 |
| Rent paid | - | - | - | 0.59 |
| Reimbursement of Expenses | 5.52 | 4.77 |  | - |
| Director's Fees received | 0.04 | 0.04 | - | - |
| Fees paid for consultancy | 18.43 | 9.91 | - | - |

## 23. Accounting for Taxes on Income

(a) Details of Provision for Tax:

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| Tax on Income | 6.57 | 0.21 |
| Add: Net Deferred Tax Liability | (1.24) | 13.91 |
| Total | 5.33 | 14.12 |

(b) Deferred Tax Asset:

The composition of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
| :---: | :---: | :---: |
| Deferred Tax Assets |  |  |
| 1. Provision Disallowed (Net) | 21.38 | 20.08 |
| 2. Depreciation on Fixed Assets | 0.01 | - |
| Less: Deferred Tax Liability |  |  |
| 1. Depreciation on Fixed Assets | - | 0.0007 |
| 2. Amortisation of Bond issue expenses | 0.40 | 0.32 |
| 3. Special Reserve created under section 36(1)(viii) | 3.12 | 3.12 |
| Net Deferred Tax Assets [included in 'Other Assets' in the 'Assets' side of the Balance Sheet] | 17.88 | 16.64 |

## 24. Financial Reporting of Interest in Joint Ventures

I.

|  | Jointly Controlled Entities | Country | Percentage of holding |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
|  |  |  | Current Year |  |
| Previous Year |  |  |  |
| A | GPCL Consulting Services Limited | India | $28 \%$ |  |
| B | Kukuza Project Development Company | Mauritius | $36.36 \%$ |  |

II. The aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the interest in the jointly controlled entities using the proportionate consolidation method as per AS 27 Financial Reporting of Interests in joint Ventures is as under:

|  |  |  |  |  | (₹ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Liabilities | 2022-23 | 2021-22 | Assets | 2022-23 | 2021-22 |
| Capital \& Reserves | 64.73 | 21.89 | Fixed Assets | 0.88 | 0.12 |
| Loans | - | - | Investments | 44.99 | 10.39 |
| Other Liabilities | 98.84 | 26.24 | Other Assets | 117.70 | 37.62 |
| Total | 163.57 | 48.13 | Total | 163.57 | 48.13 |

Contingent Liabilities: NIL (Previous Year: NIL)

|  |  |  |  |  | (₹ mn) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Expenses | 2022-23 | 2021-22 | Income | 2022-23 | 2021-22 |
| Interest and Financing expenses | 1.14 | 1.05 | Consultancy Income | 72.65 | 13.28 |
| Other Expenses | 128.31 | 50.66 | Interest income and Income from investment | 3.77 | 0.72 |
| Provisions | 5.50 | 1.51 | Other Income | 0.30 | 0.65 |
|  |  |  | Loss | 58.24 | 38.57 |
| Total | 134.96 | 53.22 | Total | 134.96 | 53.22 |

Note: Figures for Kukuza Project Development Company and GPCL for FY 2022-23 are unaudited and provisional

## 25. Impairment of Assets

A substantial portion of the Bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" is not applicable. In the opinion of the Bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) as at March 31, 2023 requiring recognition in terms of the said standard.

## 26. Employee benefits

The Bank has adopted Accounting Standard 15 - Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) w.e.f. April 01, 2007. The Bank recognises in its books the liability arising out of Employee Benefits as present value of obligations as reduced by the fair value of plan assets on the Balance Sheet date.

## A) Amount to be recognised in the Balance Sheet

| Particulars |  | Pension Fund |  | Gratuity |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Fair value of Plan Assets at the end of the period |  | 1.61 |  |  |
| Present value of Benefit Obligation at the end of the period | 0.31 |  |  |  |
| Funded Status |  | $(1.69)$ | $(0.31)$ |  |
| Unrecognised past service cost at the end of the period |  | $(0.07)$ | $(0.001)$ |  |
| Unrecognised transitional liability at the end of the period | - | - |  |  |
| Net Liability recognised in the Balance Sheet | - | - |  |  |

B) Expense to be recognised in the Profit and Loss Account

| Particulars | Pension Fund | Gratuity |
| :---: | :---: | :---: |
| Current Service Cost | 0.04 | 0.02 |
| Interest Cost | 0.12 | 0.02 |
| Expected Return on Plan Assets | 0.11 | 0.02 |
| Actuarial Losses / (Gains) | 0.05 | (0.02) |
| Past Service Cost - Non-vested Benefit | - | - |
| Past Service Cost - Vested Benefit | - | - |
| Transitional liability | - | - |
| Expense recognised in Profit and Loss Account | 0.09 | 0.002 |
| Contributions by Employer | (0.13) | - |

C) Summary of Actuarial Assumptions

| Particulars | Pension Fund | Gratuity |
| :---: | :---: | :---: |
| Discount Rate (p.a.) | 7.52\% | 7.49\% |
| Expected Rate of Return on Assets (p.a.) | 7.52\% | 7.49\% |
| Salary Escalation Rate (p.a.) | 7.00\% | 7.00\% |

In addition to the above, for the year 2022-23 the amount of Defined Benefit Obligation of Leave Encashment works out to ₹0.0192 bn (PY: ₹0.0138 bn), which has been fully provided for.
27. In terms of SEBI circular dated October 29, 2013, the contact details of the Debenture Trustee for various Bonds issued by Export-Import Bank of India are as given below:

## DEBENTURE TRUSTEE

## AXIS Trustee Services Ltd.

Designated Persons: Mr. Anil Grover, Operations Head;
Ms. Deepa Rath, Managing Director \&
Chief Executive Officer

## Address:

Registered Office: Axis House,
Bombay Dyeing Mills Compound,
Pandhurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
Corporate Office: The Ruby, 2nd floor, SW,
29, Senapati Bapat Marg,
Dadar West, Mumbai 400028
Tel: (022) 62300451
Email: Debenturetrustee@axistrustee.in
Website: www.axistrustee.in
28. The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) was introduced as part of the ₹20 lakh crore comprehensive package announced by the Ministry of Finance, Government of India to aid the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in view of the economic distress caused by the COVID-19 pandemic. Under this scheme, the Bank supported its existing borrowers as per details below:

| Scheme | 2022-23 |  |  |  | 2021-22 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Sanction | Disbursed* | Outstanding |  | Sanction | Disbursed* | Outstanding |  |
|  |  |  | No. of Borrowers | Amount |  |  | No. of Borrowers | Amount |
| ECLGS 1.0 | 0.04 | - | 4 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 5 | 0.20 |
| ECLGS 2.0 | 0.04 | 0.13 | 14 | 1.19 | 0.48 | 1.11 | 13 | 1.22 |
| ECLGS 3.0 | - | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.22 | - | - | - |
| Grand Total | 0.08 | 0.14 | 19 | 1.30 | 0.73 | 1.22 | 18 | 1.42 |

(*) includes disbursements out of loans sanctioned during FY2020-21 and FY2021-22.
29. Previous year's figures have been regrouped/re-arranged, wherever necessary.

## For and on behalf of the Board

| Shri Tarun Sharma |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Deputy Managing Director | Shri N. Ramesh <br> Deputy Managing Director | Ms. Harsha Bangari <br> Managing Director |
| Shri Dammu Ravi | Shri Rajat Kumar Mishra | Shri Suchindra Misra |
| Shri R. Subramanian | Shri A. S. Rajeev | Shri Ashok Kumar Gupta |
|  | For GMJ \& Co. |  |
|  | Chartered Accountants |  |
|  | Firm Regn. No. 103429W |  |
| Place: Mumbai | (CA Atul Jain) |  |
| Dated: May 11,2023 | Partner | M. No. 037097 |

## DIRECTORS' REPORT

## EXPORT DEVELOPMENT FUND (EDF)

The Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance conveyed the approval of the Central Government under Section $17(1)$ of the Exim Bank Act, for domiciling in the EDF, a Buyer's Credit Facility of $₹ 9$ billion for extending to select Iranian banks for financing export of goods and services from India to Iran. Pursuant to receipt of all necessary approvals, the EDF, on December 23, 2014, concluded an umbrella Framework Agreement with seven Iranian banks for a Buyer's Credit Facility of ₹ 9 billion to finance the export of goods and services from India to Iran. The Buyer's Credit Facility to the Iranian banks is backed by a Sovereign Guarantee of the Government of Iran. Subsequently, pursuant to approval from the Government of India, the Facility was enhanced up to ₹ 30 billion, for financing import of steel rails from India, and development of the Chabahar port in Iran.

Under the Framework Agreement, the first Contract for an aggregate value of ₹ 8.19 billion, for supply of 150,000 tons of steel rails from India to the Railway of the Islamic Republic of Iran was approved under the Buyer's Credit Facility. The NEIA Trust has provided Buyer's Credit (Comprehensive Risks) cover for the above facility covering first Contract.

Disbursement aggregating ₹ 8.11 billion has been made under the aforesaid Facility and the physical and financial completion have since been achieved under the Contract. Due to protracted default in the repayments, the cover from NEIA Trust has been invoked and the entire principal outstanding under the aforesaid Facility has been recovered during the financial year. The amount outstanding under the facility as on March 31, 2023, was Nil.

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

## To,

The President of India
Report on the Audited Financial Statements

## Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of Export Development Fund of "Export-Import Bank of India" ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023 and the Profit and Loss account for the year then ended and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Bank as at March 31, 2023, of its financial performance for the year then ended in accordance with the Regulation 14 (ii) of EXIM Bank of India General Regulations, 2020 and the Accounting principles generally accepted in India.

## Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## Other Information

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Directors' Report, Overall Business Operations, Management and Corporate Governance but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance / conclusion thereon. In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. When we read the Annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, then we will communicate the matter to those charged with governance.

## Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management of Bank is responsible for the preparation and fair presentation of the Financial Statements in accordance with the provisions of the Act and the Regulations framed there under and for such internal controls as management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Government of India either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up as per Schedules IA and IIA of the EXIM Bank of India General Regulations, 2020

We further report that:

- We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
- In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this Report are in agreement with Books of Account.
- The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- In our opinion, the aforesaid Financial Statements dealt with by this report comply with the applicable Accounting Standards.


## For GMJ \& Co.

Chartered Accountants
FRN: 103429W

## CA Atul Jain

Partner
Mem No. 037097
UDIN: 23037097BGWDIY8037
Place: Mumbai
Date: May 11, 2023

## BALANCE SHEET

|  | EXPORT DEVELOPMENT FUND |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | This year (As at 31.03.2023) | Previous year <br> (As at 31.03.2022) |
|  | (₹) | (₹) |
| LIABILITIES |  |  |
| 1. Loans: |  |  |
| (a) From Government |  | - |
| (b) From Other Sources | - | 3,526,698,130 |
| 2. Grants: |  |  |
| (a) From Government | 128,307,787 | 128,307,787 |
| (b) From Other Sources |  |  |
| 3. Gifts, Donations, Benefactions |  |  |
| (a) From Government |  | - |
| (b) From Other Sources |  | - |
| 4. Other Liabilities | 335,515,316 | 401,235,335 |
| 5. Profit and Loss Account | 1,004,768,189 | 919,153,610 |
| Total | 1,468,591,292 | 4,975,394,862 |
| ASSETS |  |  |
| 1. Bank Balances |  |  |
| a) in current accounts | 1,500,000 | 1,500,000 |
| b) in other deposit accounts | 1,185,686,055 |  |
| 2. Investments |  |  |
| 3. Loans \& Advances: |  |  |
| (a) In India |  |  |
| (b) Outside India | 8,505,318 | 4,570,530,758 |
| 4.Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted, Rediscounted |  |  |
| (a) In India |  | - |
| (b) Outside India |  | - |
| 5. Other Assets |  |  |
| (a) Accrued interest on |  |  |
| i) Loans and Advances |  | 160,948,401 |
| ii) Investments/bank balances | 282,616 | - |
| (b) Advance Income Tax paid | 272,617,303 | 242,415,703 |
| (c) Others |  |  |
| Total | 1,468,591,292 | 4,975,394,862 |
| CONTINGENT LIABILITIES |  |  |
| (i) Acceptances, Guarantees, endorsements \& other obligations |  | - |
| (ii) On outstanding forward exchange contracts |  |  |
| (iii) On underwriting commitments |  |  |
| (iv) Uncalled Liability on partly paid investments |  | - |
| (v) Claims on the Bank not acknowledged as debts |  |  |
| (vi) Bills for collection |  | - |
| (vii) On participation certificates |  |  |
| (viii) Bills Discounted/Rediscounted |  |  |
| (ix) Other monies for which the Bank is contingently liable |  |  |

Note : The Bank has established Export Development Fund in terms of Section 15 of Export-Import Bank of India Act, 1981 (the Act). In terms of Section 17 of the Act, before granting any loan or advance or entering into any such arrangement, Exim Bank has to obtain the prior approval of the Central Government.

## For and on behalf of the Board

## Shri Tarun Sharma

Deputy Managing Director

## Shri Dammu Ravi

Shri R. Subramanian

Dated: May 11, 2023

Shri N. Ramesh
Deputy Managing Director

## Shri Rajat Kumar Mishra

Shri A. S. Rajeev

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Shri Suchindra Misra

Shri Ashok Kumar Gupta

## For GMJ \& Co.

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 103429W
(CA Atul Jain)
Partner
M. No. 037097

## PROFIT \& LOSS ACCOUNT


## For and on behalf of the Board

## Shri Tarun Sharma

Deputy Managing Director

## Shri Dammu Ravi

Shri R. Subramanian

## Place: Mumba

Dated: May 11, 2023

## Shri N. Ramesh

Deputy Managing Director

Shri Rajat Kumar Mishra

Shri A. S. Rajeev

## For GMJ \& Co.

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 103429W
(CA Atul Jain)
Partner
M. No. 037097

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Shri Suchindra Misra

Shri Ashok Kumar Gupta

नोट्स / Notes

## INDIA EXIM BANK

## HEAD OFFICE

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005.
Phone: (+91 22) 22172600,
E-mail: ccg@eximbankindia.in
Website: www.eximbankindia.in

## AHMEDABAD

Sakar II, 1st Floor, Next to Ellisbridge Shopping Centre, Ellisbridge P. O., Ahmedabad - 380006.
Phone: (+91 79) 26576852/26576843,
E- mail: eximahro@eximbankindia.in

## BANGALORE

Ramanashree Arcade, 4th Floor, 18, M. G. Road,

Bengaluru - 560001
Phone:(+91 80) 25585755/
25589101-04,
E-mail: eximbro@eximbankindia.in

## CHANDIGARH

C- 213, 2nd Floor, Elante Offices, Industrial Area Phase-1,
Chandigarh - 160002.
Phone: (+91 172) 4629171/73,
E-mail: eximcro@eximbankindia.in

## CHENNAI

Overseas Towers, 4th and 5th Floor, 756-L, Anna Salai,
Chennai - 600002
Phone: (+91 44) 28522830/31,
E-mail: eximchro@eximbankindia.in

## GUWAHATI

NEDFi House, 4th Floor, GS Road, Dispur,
Guwahati - 781006.
Phone: (+91 361) 2237607/609,
E-mail: eximgro@eximbankindia.in

## HYDERABAD

Golden Edifice, 2nd Floor, 6-3639/640, Khairatabad Circle, Hyderabad - 500004
Phone: (+9140) 23307816-21,
E-mail: eximhro@eximbankindia.in

## KOLKATA

Vanijya Bhawan, 4th Floor, (International Trade Facilitation Centre), 1/1 Wood Street,
Kolkata - 700016.
Phone: (033) 68261301,
E-mail: eximkro@eximbankindia.in

## MUMBAI

8th Floor, Maker Chamber IV, Nariman Point,
Mumbai - 400021.
Phone: (+91 22) 22861300,
E-mail: eximmro@eximbankindia.in

## NEW DELHI

Office Block, Tower 1, 7th Floor, Adjacent Ring Road,
Kidwai Nagar (East),
New Delhi - 110023.
Phone: (+91 11) 61242600/24607700,
E-mail: eximndo@eximbankindia.in

## PUNE

No. 402 \& 402(B) 4th Floor Signature Building, Bhamburda, Bhandarkar Rd, Shivajinagar, Pune, Maharashtra-411004.
Phone: (+91 20) 26403000,
E-mail: eximpro@eximbankindia.in
Overseas:

## LONDON (BRANCH)

5th Floor, 35, King Street, London EC2V 8BB, United Kingdom.
Phone: (44) 20 77969040,
E-mail: eximlondon@eximbankindia.in

## ABIDJAN

5th Floor, Azur Building, 18-Docteur Crozet Road,
Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire.
Phone: (225-27 20) 2429 51/ 37,
E-mail: eximabidjan@eximbankindia.in

## ADDIS ABABA

House No. 46, Jakrose Estate Compound Woreda 07,
Bole Sub-City, Addis Ababa, Ethiopia.
Phone: (251 118) 222296,
E-mail: aaro@eximbankindia.in

## DHAKA

Madhumita Plaza concord, 12th Floor, Plot No. 11, Road No. 11,
Block G, Banani, Dhaka - 1213.
Phone: (880) 255042444,
E-mail: eximdhaka@eximbankindia.in

## DUBAI

Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct Building No. 3,
Dubai International Financial Centre, PO Box No. 506541,
Dubai, UAE.
Phone: (971 4) 3637462,
E-mail: eximdubai@eximbankindia.in

## JOHANNESBURG

2nd Floor, Sandton City Twin Towers East, Sandhurst Ext. 3,
Sandton 2196, Johannesburg, South Africa.
Phone: (+27 11) 3265103/13,
E-mail: eximjro@eximbankindia.in

## SINGAPORE

20, Collyer Quay, \#10-02, Singapore 049319.

Phone: (65) 65326464,
E-mail: eximsingapore@
eximbankindia.in

## WASHINGTON D.C.

1750 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1202, Washington D.C. 20006,
United States of America.
Phone: (1 202) 223 3238,
E-mail: eximwashington@
eximbankindia.in

## YANGON

House No. 54/A, Ground Floor, Boyarnyunt Street,
Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Phone: (95) 9423694109 /
9750139774,
E-mail: eximyangon@
eximbankindia.in

## इंडिया एक्ज़्ज़म बैंक India Exim Bank

केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई - 400005 Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
(C) $+91-22-22172600$
(2cg@eximbankindia.in
(e) www.eximbankindia.in | www.eximmitra.in


[^0]:    * यथा 31 मार्च, 2021 को पूँजीगत निधियां।

    ब टीसीईः ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरेविटिव्स पर ऋण एक्सपोज़र।

[^1]:    आकस्मिक देयताएं: शून्य (गत वर्ष: शून्य)

[^2]:    Note:
    Figures in purple represent nominal GDP in US\$ billion
    RE - Revised Estimates; PE - Provisional Estimates
    Source: Institute of International Finance and Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India

[^3]:    Source: Reserve Bank of India

[^4]:    *Excludes plantation and marine products

[^5]:    ** In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 6 read with sub-section (2) of section 6 of the Exim Bank Act (28 of 1981), the Central Government vide its notification dated April 11, 2023 has appointed Shri. Tarun Sharma, Chief General Manager (CGM), Exim Bank as Deputy Managing Director (DMD), Exim Bank for a period of three years from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever is earlier. Shri. Tarun Sharma has assumed charge as the Deputy Managing Director (DMD), Exim Bank on April 18, 2023.

[^6]:    * Regulation 26(1)(b) of Listing Regulations: For the purpose of determination of limit, chairpersonship and membership of the audit committee and the Stakeholders' Relationship Committee alone shall be considered

[^7]:    * Permitted Transferees and Lenders listed in Clause 3 have been reckoned as defined in RBI Master Direction DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22, dated September 24, 2021, and thereafter.

